खण्ड–26, अंक–05
शुक्रवार, 26 आषाढ, शक संवत्, 1931
(17 जुलाई, 2009 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2009)

(खण्ड 26 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
प्रश्नोत्तर	1–46
श्री किशोर उपाध्याय सदस्य, विधान सभा द्वारा अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	47
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाए	47
जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	47–48
उत्तरांचल वन विकास निगम पूर्वी कालाढूगी (नैनीताल) में हो रहे नियम विरूद्ध मनमाने कार्यों के कारण लीज होल्डर्स में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद देहरादून के अन्तर्गत जिला आपूर्ति कार्यालय में फर्जी राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	49
बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के गरूड में उ0मा0वि0 सिरकोट के प्रान्तीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	49
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	50
नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की मॉग ...	50–51
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए	51–72
अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, विधान सभा द्वारा व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	72–73
विधान सभा समितियो के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	74
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन), विधेयक, 2009 (पारित)	74–80
उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (पारित) ...	81–148

विषय	पृष्ठ संख्या
सदन की कार्यवाही के दौरान बी0डी0सी0 तथा अन्य बैठकें आहूत किये जाने के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	148
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिला नैनीताल में प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड के छात्रों के लिए भर्ती कोटा दोगुना करने के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प (वापस)...	148–150
उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत संकल्प पर (चर्चा जारी)	150
वित्तीय वर्ष, 2009–2010 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा	150–176
श्री केदार सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री का स्पष्टीकरण	177
वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी (क्रमागत)	177–192
सदन की विशिष्ट दीर्घा/राज्यपाल दीर्घा के पर्चे तथा नारे लगाये जाने से हुई सदन की अवमानना के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	192–196
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाए	196
मैसर्स वीडियोकौन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गंगापुर, काशीपुर को 4000 के0वी0ए0 विद्युत भार अवमुक्त करने की कार्यवाही में पावर कारपोरेशन को 85.22 लाख की क्षति करने पर जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	196–197
ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून एवं हरिद्वार में जट सिख–जाट सिख समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल होने की स्थिति को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	197
नत्थियॉं	198–203

"क"

<u>उपस्थिति</u>

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री ओम गोपाल
6–श्री करन माहरा
7–सुश्री कैरन मेगर
8–श्री किशोर उपाध्याय
9–श्री केदार सिंह रावत
10–श्री केदार सिंह फोनिया
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गगन सिंह
14–श्री गणेश जोशी
15–श्री गोपाल सिंह राणा
16–श्री गोपाल सिंह रावत
17–श्री गोविन्द लाल
18–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20–श्री चन्दन राम दास
21–श्री जोगा राम टम्टा
22–श्री जोत सिंह गुनसोला
23–हाजी तसलीम अहमद
24–श्री तिलक राज बेहड़
25–श्री दिनेश अग्रवाल
26–श्री दिवाकर भट्ट
27–श्री दिवान सिंह
28–श्री नारायण पाल
29–काजी मौ0 निजामुद्दीन
30–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31–श्री प्रकाश पन्त
32–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33–श्री प्रीतम सिंह
34–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
35–श्री प्रेमानन्द महाजन
36–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37–श्री बलवीर सिंह नेगी
38–श्री बिशन सिंह चुफाल
39–श्री बंशीधर भगत
40–श्री बृज मोहन कोटवाल
41–श्री शेर सिंह
42–श्री मदन कौशिक
43–श्री मनोज तिवारी
44–श्री मयूख सिंह
45–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"
46–श्री मातबर सिंह कण्डारी
47–श्री यशपाल आर्य
48–श्री यशपाल बेनाम
49–मौ0 यशवीर सिंह
50–श्री रणजीत रावत
51–डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
52–श्री राजकुमार
53–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
54–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
55–श्रीमती विजया बड़थ्वाल
56–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57–श्रीमती बीना महराना
58–श्री शहजाद
59–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
60–श्री सुरेन्द्र राकेश
61–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
62–श्री सुरेश चन्द जैन
63–डा0 हरक सिंह रावत
64–श्री हरभजन सिंह चीमा
65–श्री हरिदास
66–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

"विधायक निधि" योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय अंशवार उपयोग तथा अंकुश लगाने का औचित्य

**कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि "विधायक निधि" योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु विधायकगण द्वारा आवंटन त्रिस्तरीय किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी (हरिद्वार) के पत्र संख्या अर्द्ध0शा0प0सं0/175/विधायक निधि/09–10, दिनांक 11 जून, 2009 द्वारा दर्शाया गया है कि उक्त निधि का व्यय अंशवार ही किया जाय ?

यदि हाँ, तो विधायकगण के विवेक को मात्राकृत करने तथा उस पर अंकुश लगाये जाने का क्या औचित्य है तथा क्या सरकार इस अंकुश को समाप्त करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

जी हाँ।

मा0 विधायकगण के विवेक को मात्राकृत नहीं किया गया है। अपितु धनराशि के अंश का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु मात्राकृत किया गया है। जिसके लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मेरी अनुशंसा आपके माध्यम से सिर्फ इतनी है कि जो हमें वर्षवार एक तरह से निर्बाधित किया जा रहा है कि हमें इतना मिलेगा, क्यों न 5 वर्षों का हम योग निकाल करके किसी भी वर्ष में कितना आवंटित करें लेकिन कुल इतनी निधि में इतना पोरसन इसके लिए आवंटित करें यह सुझाव मेरा है। यह हमारे विवेक पर निर्भर होना चाहिए।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार के अर्द्ध0शा0प0संख्या 175/विनि0/209–10 दिनांक 11–6–2009 के द्वारा विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मा0 विधान सभा सदस्य को उक्त पत्र विधायक निधि के अन्तर्गत

आवंटित की जाने वाली धनराशि का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शासनादेश संख्या 549/11/2009 दिनांक 29–4–2006 के क्रम में प्रेषित किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 29–4–2006 के अनुसार विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतो का पालन करते हुए विधायक निधि के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली धनराशि में से 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 29–4–2006 के द्वारा मा० विधायकगण के विवेक को मात्राकृत किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है जैसाकि उक्त शासनादेश से स्पष्ट है। मान्यवर, उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गई है यदि किसी विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोग निवास नहीं करते हैं तो अनुसूचित जाति के अंश को अनुसूचित जनजाति तथा यदि किसी विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास नही करते है तो अनुसूचित जनजाति के अंश को अनुसूचित जाति के लोगों के विकास कार्यों पर व्यय किये जाने का प्राविधान है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मेरा निवेदन जो माननीय मंत्री जी बोल रही है उससे अलग है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य आपके शासनादेश से बिल्कुल विज्ञ है और इनके बारे में जानते है इनका कहना यह है कि फण्ड जो प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया है वह 5 वर्षों के लिए इकट्ठा निर्धारित कर दिया जाए ताकि वे कितना–कितना किस वर्ष में करे वे अपने विवेक से दे सकें।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मान्यवर, चूँकि विभागों में अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के लिए हर वर्ष विशेष व्यवस्था के तहत धनराशि आवंटित की जाती है। जिससे बजट मे किस तरह का प्राविधान किया जाय और उनके लिए क्या सहूलियतें हो, इन सबको देखते हुए यह किया जाता है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, शायद हमारी बडी बहन इसको नहीं समझ पा रही है। मेरा कहना है कि यदि हमारे विवेक पर निर्भर किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, फिर मेरा आपसे निवेदन है कि क्यों न विधायक निधि के आकार को बड़ा कर दिया जाय और इसका सभी माननीय सदस्य समर्थन भी करेगें। विधायक निधि को बढ़ाकर 3 करोड कर दिया जाय।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पिछले वर्षों मे अभी विधायक निधि का जो आवटन हुआ है उसका उपयोग पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। मान्यवर, प्रति विधायक 1 करोड

50 लाख की दर से प्रति वर्ष 71 विधान सभा क्षेत्रों हेतु कुल धनराशि 106 करोड़ 50 लाख अवमुक्त किया जाता है। विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2001—02 से 2009—10 तक एक करोड़ 4 लाख अवशेष धनराशि है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, यह कोई कारण नहीं हुआ कि न बताया जाए।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल—

मान्यवर, 1—4—09 तक 87 करोड़ 88 लाख 38 हजार अवशेष धनराशि है जिसमें कार्य नहीं हो पाया है। वर्ष 2009—10 में 33 करोड़ 83 लाख 16 हजार अवमुक्त हुआ (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''—

मान्यवर, हरिदास जी तो एडवांस में कर देते हैं।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल—

मान्यवर, एडवांस में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा—

माननीय अध्यक्ष जी, विधायक निधि के ऊपर इस प्रकार का अंकुश लगाना, तो मैं ये ठीक नहीं समझता हूँ। यह तो माननीय विधायक के विशेषाधिकार का हनन है, क्योंकि बहुत सारी और योजनायें हैं जिनके अन्तर्गत यह वर्ग पोषित होते हैं और यह विशेष योजना इन्हीं के लिए हैं और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इस वर्ग के प्रति, इनकी आबादी की जगह पर कोई काम भी बाकी नहीं है और यह अंकुश लग जाने से यह धनराशि कोई भी विधायक इसको लगा नहीं पाता और यह उसका कहना कि यह पड़ा रहता है, यही एक कारण है कि धन अवमुक्त नहीं होता, जिस पर अंकुश है। (व्यवधान)

श्रीमती विजया बड़थ्वाल—

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रतिवर्ष किया गया प्राविधान है अनुसूचित जाति, जनजाति का, कि यह बहुत ही कम है।

श्री ओम गोपाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, आपने उत्तर दिया कि विधायक निधि खर्च नहीं हो पाई तो माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 2 वर्ष पहले ही विधायक निधि का आवंटन कर रखा है और अब वह सी0डी0ओ0 के यहाँ फाइल अटकी पड़ी है, ब्लाक से स्टीमेट नहीं बनता है, हमने पैसा

दे रखा है और अब वह यह विभागीय स्तर पर विधायक निधि खर्च नहीं हो पा रही है तो इसमें हमारा क्या दोष है।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मानानीय अध्यक्ष जी, यह सभी सम्मानित विधायकों की निधि है और वह किस तरह से योजनाओं में कार्य हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की चिन्ता है कि उन्होंने जो कार्य प्रस्तावित किये हैं उन्हे सी0डी0ओ0 के द्वारा अभी तक स्वीकृति नही दी गई और कार्य नहीं शुरू हुआ है।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार में..........

श्री अध्यक्ष–

आपको मौका मिलेगा।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, वर्ष 2007–08 का अधिकांश पैसा वहाँ पर पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सी0डी0ओ0 को निर्देशित कर दें कि जो उनके पास लम्बित प्रकरण है उनका शीघ्र निराकरण कर दें।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सभी सी0डी0ओ0 को निर्देशित किया जाता है कि विधायक निधि के समय पर कार्य पूर्ण हो।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आपने प्राविधान किया है, यह किस अनुपात में किया है ?

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 04 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की गयी है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय विधायक जी, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है, कृपया आप ध्यान दें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ जैसा कि बार–बार सुनाई दे रहा है कि विधायक निधि काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ी हुई है। चूँकि जो कार्यदायी संस्थाएं अभी विधायक निधि का कार्य करने के लिए रखी गयी है, उनके पास कार्य की बहुत अधिकता है। तो क्या सरकार एक अलग कार्यदायी संस्था का या एजेन्सी का निर्माण सिर्फ विधायक निधि का कार्य कराये जाने हेतु करेगी?

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि सभी माननीय सदस्यों की ओर से ऐसा प्रस्ताव आयेगा तो इस पर विचार किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो शहरी क्षेत्र में विधायक निधि से कार्य होते हैं उसमें सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि हमको नगर निगम से नोआब्जेक्शन लेना पड़ता है और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि नगर निगम द्वारा जब हम अपने पत्रों को भेजते हैं तो नगर निगम द्वारा समय से उनका अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिया जाता है, और बहुत लम्बे समय तक इसमें शासन के द्वारा, क्या मंत्री जी विज्ञ हैं यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि एक सप्ताह के अन्दर उनका अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया तो वह स्वयं में अनापत्ति मानी जायेगी। यह सरकार की तरफ से पूर्णतया व्यवस्था की जानी चाहिए कि अविलम्ब यदि हमारे प्रस्ताव पर अनापत्ति नहीं मिलेगी तो विधायक निधि को कैसे खर्च करेंगे। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और उसमें त्वरित गति होनी चाहिए अन्यथा विधायक निधि खर्च करने में बहुत दिक्कतें आती हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, एक तो माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी का जो प्रश्न था कि इसके लिए क्या अलग से कार्यदायी संस्था निर्धारित की जायेगी इसका स्पष्ट उत्तर दे दें। और दूसरा माननीय दिनेश अग्रवाल जी के प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती विजया बड़थ्वाल—

मानानीय अध्यक्ष जी, सभी विधायक यदि ऐसा प्रस्ताव करेंगे कि इस तरह से व्यवस्था करनी है तो इसको देख लेंगे, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, माननीय दिनेश अग्रवाल जी के प्रश्न का जवाब भी दे दें जो नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र माँगा जाता है, उसकी सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, एक सप्ताह कर दीजिए। (व्यवधान) मान्यवर, इसके लिए स्पष्ट बता दीजिए कि यदि नगर निगम एक सप्ताह में अनापत्ति नहीं देगी तो स्वयं अनापत्ति मान ली जायेगी।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल—

मान्यवर, अनापत्ति मान ली जायेगी।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे जनपद हरिद्वार में वर्ष 2008–2009 की विधायक निधि का अभी तक सी०डी०ओ० द्वारा रिकमण्डेशन नहीं हुआ है, चूंकि यहाँ पर सी०डी०ओ० नहीं हैं, इनका ट्रांसफर हो गया है। ऐसे हालात में जब जिलाधिकारी के पास सी०डी०ओ० का चार्ज रहता है तो क्या वे रिकमण्डेशन के लिए अधिकृत नहीं हैं। मान्यवर, कई महीने हो गये हैं कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि कल यहाँ पर हमारे सम्मानित सदस्य माननीय किशोर उपाध्याय जी ने विधायक निधि मे कमीशन की बात कही थी और आदरणीय मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि कोई मिसाल दें। मै देना चाहूँगा, वर्ष 2007–2008 की मेरी विधायक निधि में से खानपुर नेशनल इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए मैंने विधायक निधि से डेढ़ लाख रुपये दिये थे, लेकिन मौके पर एक लाख रुपये भी देने से मना किया जा रहा है। आप नोट करें मै इसकी तरफ से इसकी गवाही भी दूँगा, नेशनल इंटर कॉलेज खानपुर तहसील लक्सर में। मान्यवर, कमरा निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपया दिया गया और वे कहते हैं हम एक लाख रुपये भी इसमे नहीं लगायेंगे, क्योंकि यह पैसा ऊपर तक जा रहा है। मान्यवर, अब ये ऊपर की परिभाषा क्या है, माननीय मंत्री जी, इसको स्पष्ट कर दें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक प्रश्न छूट गया, जो 19 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की बात कही गयी, यदि किसी विधान सभा क्षेत्र में 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं हों, तो क्या ये चेन्जेबिल हैं क्या वह पैसा सामान्य लोगों में खर्च किया जा सकता है ? माननीय मंत्री जी बताएं कि विधायक निधि के उस पैसे का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, दिनेश अग्रवाल जी के प्रश्न और हरिद्वार के सी०डी०ओ० वाले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह जी हमारे संज्ञान में जो बात लाये हैं, उसकी जाँच करा ली जाएगी और जिन लोगों ने यह कार्य किया होगा, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, 19 प्रतिशत और 4 प्रतिशत का क्या होगा ? (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, कमीशन का जो रोग लग चुका है, यह अब जख्म नहीं रह गया, यह नासूर बन गया है। हम लोग बदनाम होते हैं कि विधायक कमीशन खाते हैं। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने माननीय प्रणव सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसकी जाँच करा लेंगे और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) दूसरा प्रश्न, जो माननीय दिनेश अग्रवाल जी और माननीय प्रीतम सिंह जी ने पूछा, उसमें आपने कहा था कि विधायक निधि द्वारा जो आवंटित होने वाली धनराशि है, उसका जो मात्राकरण जाति के हिसाब से किया गया है, यदि वहाँ पर ये जातियाँ नहीं होंगी तो उस धनराशि का क्या होगा। मान्यवर, इसके सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये जा चुके थे, जिनके आधार पर विधायक निधि के

अन्तर्गत आवंटित की जानी वाली धनराशि में से 19 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति क्षेत्र में तथा 4 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में खर्च की जाएगी। यह माननीय मंत्री जी ने अवगत करा दिया है। इसमें यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि आवंटित की जाने वाली धनराशि में से 19 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति व 4 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में विकास में व्यय की जाएगी तथा यदि किसी विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोग निवास नहीं करते तो अनुसूचित जाति के अंश को अनुसूचित जनजाति में और यदि किसी विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास नहीं करते तो अनुसूचित जनजाति के अंश को अनुसूचित जाति में व्यय किये जाने का प्राविधान है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यदि दोनों ही न रहते हों, तो तब क्या होगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, किसी विधान सभा क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसका परीक्षण करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार को निर्देश दीजिए कि इस पर निर्णय लें। यह किसी एक विधायक का प्रश्न नहीं है। यह 70 के 70 विधायकों का प्रश्न है। यह बहुत गहन प्रश्न है। यह माननीय मंत्री जी का भी प्रश्न है। (व्यवधान)

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक ऐसा संज्ञान में नहीं आया है कि किसी विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं रहते है। यदि ऐसा संज्ञान में आएगा तो अवश्य इसका परीक्षण करवा लेंगे। (व्यवधान)

प्रदेश के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 करने पर विचार तथा दुर्गम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शत प्रतिशत शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था।

**2–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकार शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो इस हेतु अब तक क्या–क्या प्रयास किये गये ?

यदि नहीं, तो दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में सभी विधालयो मे शत–प्रतिशत शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रही है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (गोविन्द सिंह बिष्ट)–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

(1) 2511 विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षितो की तैनाती सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पदों पर दुर्गम क्षेत्रों में की गई है।

(2) 1300 पदों हेतु नियमित बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा माह अगस्त, 2009 में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

(3) एल0टी0 वेतनमान 953 पदो पर समायोजन/पदोन्नति के माध्यम से दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती की जा चुकी है।

(4) 1404 प्रवक्ता के पदों हेतु लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कुल कितने एल0टी0 के, कितने लेक्चरर के, और प्राईमरी स्कूलो में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? जिसके सापेक्ष 2511, 1300, 953 और 1404 पदों को लोक सेवा आयोग द्वारा आपने विज्ञापित किया दिखाया है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 20,676 पदों के सापेक्ष 15,675 सहायक अध्यापक कार्यरत है तथा 5001 पद रिक्त हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या सेवानिवृत्ति की आयु बढा देंगे ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जी नही, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि प्रदेश मे एल0टी0 के, लेक्चरर के और प्राथमिक शिक्षको के कुल कितने पद रिक्त है ? दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर मे अवगत कराया है कि 2,511 विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षितों की

तैनाती की गई है तो क्या उन विद्यालयों में जाकर अपना कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं यदि हॉ, तो कब उनकी नियुक्ति हुई और कब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि कृपया एक बार और दोहरा दें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि प्रदेश में लेक्चरर, एल0टी0 और प्राथमिक शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं, कितने स्वीकृत हैं और उसके सापेक्ष कितने पद रिक्त है ?

पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि तो 5001 पद प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं। 1300 पद वर्तमान में एल0टी0 में खाली है, जिनके सापेक्ष प्रक्रिया की जा सकती है। इसके अलावा 1404 पद प्रवक्ता के रिक्त हैं, अभी लगभग 1000 लोगों को हम एल0टी0 से प्रवक्ता में प्रमोट करने जा रहे है और 1404 प्रवक्ता के पदों के लिए लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति जारी हो गई है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने पूछा कि कितने पद रिक्त हैं, पहले वह तो बता दीजिये ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक, एल0टी0 और प्रवक्ताओं के कितने–कितने पद रिक्त हैं।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जैसा माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी ने सवाल किया था कि हमारे उत्तराखण्ड में कितने एल0टी0, लेक्चरर और प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त है ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ गया है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, आज भी हमारे क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में तमाम इण्टर कॉलेजों तमाम हाई स्कूलों, तमाम जूनियर हाई स्कूलों, तमाम बेसिक पाठशालायें खाली चल रही हैं। (शेम–शेम की ध्वनि) मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में प्राइमरी पाठशाला गौड़, जिसमें 84 बच्चे पढ़ते हैं, वह एक शिक्षा मित्र के भरोसे है। पुरवाला इण्टर कॉलेज में एक

प्रवक्ता तैनात नहीं हैं। (व्यवधान) यहाँ पर पता नहीं कहाँ से इकट्ठे होकर आकड़े आ जाते हैं, लेकिन यह हकीकत से बहुत दूर हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि दोबारा से सभी जगहों का निरीक्षण करवाये। इससे हमारे बच्चो के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आप प्रश्न करिये।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, यही प्रश्न है कि क्या मंत्री जी के पास ऐसे स्कूलों की लिस्ट मौजूद है कि किन–किन विद्यालयो में अध्यापक नहीं है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसकी पूरी स्कूल वाइज लिस्ट माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि आपको लिस्ट उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल हैं और प्रदेश मे कितने ऐसे विद्यालय है, जहाँ पर एकल अध्यापक हैं और कितने ऐसे विद्यालय हैं, जो अध्यापक विहीन हैं तथा कितने ऐसे विद्यालय हैं, जहां सम्पूर्ण शिक्षक कार्यरत है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, चूँकि प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को दे दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने शिक्षकों की कमी के बारे में प्रश्न किया है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं पहले मंत्री जी की बात का जवाब दे दूँ। आपने कहा कि यह मूल प्रश्न से हटकर है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की बात का जवाब दे दूं। आपने कहा कि यह मूल प्रश्न से हटकर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता रहे है। आप पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने ये कहा था कि माननीय सदस्य ने पूछा कि एकल कितने हैं, दो अध्यापकों वाले विद्यालय कितने हैं, ये संख्या वर्तमान मे दी जानी सम्भव नहीं है। लेकिन जो स्कूलो की संख्या है, वो बताई जा सकती है। प्राथमिक स्तर पर जो हमारे यहाँ विद्यालय हैं 15356, उच्च प्राथमिक 4296, हाईस्कूल 1055 हैं, इण्टर कॉलेज 1298 हैं। ये तो टोटल संख्या है। मान्यवर, आपने पूछा कि एकल विद्यालय की कितनी संख्या है, तो इसे 15 हजार की संख्या में से निकालना पड़ेगा। इससे माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा। जिला वाईज आंकड़े उपलब्ध है। (व्यवधान) प्राथमिक स्तर पर इन्होंने विद्यालयो की संख्या पूछी, हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों की संख्या, यह उपलब्ध करा दी गयी है। इन्होंने पूछा कि हर विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, जो एकल विद्यालय है जिनमें एक ही अध्यापक है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो प्रश्न मैंने पूछा, वह मूल प्रश्न से हटकर है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो दूसरी संख्या पूछी वो हटकर है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो अंतिम पैरा है तो दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रो में सभी विद्यालयो मे शत–प्रतिशत शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रही है जो दुर्गम विद्यालय हैं, उसमें शिक्षकों की उपलब्धता के बारे में प्रश्न पूछा है तो मेरा प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर नहीं है। मैंने तो ये पूछा माननीय मंत्री जी से, कि इस प्रदेश में प्राईमरी विद्यालयो की संख्या कितनी है, जूनियर हाईस्कूल की कितनी संख्या है, और उसके साथ ही साथ मैंने ये जानना चाहा कि प्रदेश में ऐसे कितने विद्यालय है प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल जो अध्यापक विहिन है, उसकी संख्या मैंने मांगी ऐसे कितने विद्यालय है जहाँ पूरे शिक्षक उपलब्ध है यह बता दीजिए ? यह मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो इसका सैकेन्ड पैरा है, उससे हटकर है। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अन्दर वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर राजकीय 12291, सहायता प्राप्त विद्यालय 3065, इस प्रकार 15356 टोटल प्राथमिक स्तर पर हमारे यहाँ विद्यालय है। उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या है 2990, 1037 सहायता प्राप्त है, टोटल 4296, (व्यवधान) ये टोटल संख्या हैं अब किस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, यह संख्या...... (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात को जोर–जोर से उठाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य प्रत्येक विद्यालय के बारे में नहीं जानना चाह रहे है। आप कुल संख्या बता दीजिए कि एकल विद्यालय कितने है, शिक्षक विहिन विद्यालय कितने है ? (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एकल विद्यालय पूरे प्रदेश के अन्दर 450 हैं और जो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं उनकी संख्या 16 है। (घोर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, ऐसे कितने विद्यालय हैं प्रदेश मे जिनमें मानको के सापेक्ष सृजित पदो की अपेक्षा कम अध्यापक कार्यरत है ? (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह संख्या लगभग 19000 में से, चूँकि मैंने कहा कि 5000 नही हैं। माननीय सदस्य को इससे अवगत करा दिया जायेगा। हमने एकल विद्यालय कितने है यह बता दिया, शिक्षक विहीन कितने है यह बात दिया, बन्द कितने है यह बता दिया। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे यहाँ कॉलेजों में शिक्षक नहीं है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पूरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

यह सम्भव नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में टीचर नहीं है वहाँ पर पद खाली है। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इन्टर कॉलेजों में 2400 पद खाली है, 1404 की विज्ञप्ति हमने लोक सेवा आयोग को भेज दी है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे है। इस प्रश्न को स्थगित किया जाय। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक–एक चीज बता दी है। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मानगीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के सदस्य आपस में सदन बहिर्गमन की बात कर रहे हैं। (घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हमें क्या करना है क्या नहीं यह हम आपसे पूछ कर तो सदन में करेंगे नहीं। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सम्पूर्ण आंकड़े सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दिये गये हैं। फिर भी माननीय सदस्य सदन को बाधित कर रहे हैं। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार सदन को सही जानकारी नहीं दे रही है। इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है। (घोर व्यवधान)

(माननीय डा0 हरक सिंह रावत अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तमाम विद्यालय जो सुगम स्थानो पर हैं वहाँ पर अध्यापको की भारी कमी है। विद्यालय अध्यापक विहीन चल रहे हैं, उनमें नियुक्तियाँ कब तक कर दी जायेंगी ?

(डा0 हरक सिंह रावत अपने दल के सदस्यों के साथ सदन में वापस आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं। आप इस समय आपस में बात न करें। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जल्द पूरी कर दी जायेगी। (घोर व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ इस सम्बन्ध मे, मैं लिखित तौर से भी पहले भी बता चुका हूँ, प्रश्न भी लगा चुका हूँ। हमारे यहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझ रही बहुत बडी–बडी पट्टियाँ है वहाँ पर कई विद्यालय अध्यापक विहिन चल रहे हैं। एक शिक्षा मित्र 80–90 बच्चो को पढा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति में बच्चो का भविष्य क्या होगा ? हम बच्चों का भविष्य कहाँ ले जा रहे है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि तमाम इण्टर कॉलेज अध्यापक विहिन चल रहे हैं। कब तक आप उन विद्यालयों में कई विषयों के अध्यापक ही नहीं है, वहाँ प्रधानाचार्य तक नही हैं। कब तक इन विद्यालयों मे शिक्षको की व्यवस्था की जा जायेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, शीघ्र ही।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर मे उल्लिखित किया है कि एल0टी0 वेतनमान में 953 पदो पर समायोजन/पदोन्नति के माध्यम से दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रो मे नियुक्ति की जा चुकी है। इसके बाद एल0टी0 के जितने रिक्त पद बचेंगे उन पर नई नियुक्ति कब तक आप प्रारम्भ करेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, प्रक्रिया जारी है। शीघ्र करेंगे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, शीघ्र से क्या मतलब। तारीख बता दें कब से प्रारम्भ करेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, प्रक्रिया जारी है।

तारांकित प्रश्न

सिडकुल पन्तनगर स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों से ठेका प्रथा पर कार्य तथा नियमितीकरण की कार्यवाही

*1–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि सिडकुल पन्तनगर स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों से ठेका प्रथा पर कार्य लिये जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो कौन–कौन से प्रतिष्ठानों में ठेका प्रथा लागू है ?

तथा ठेका प्रथा पर कार्य करने वाले श्रमिकों को नियमितीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

जी हाँ।

प्रतिष्ठानों की सूची संलग्न है। †

जी नहीं।

संविदा श्रम (विनियमन उत्सादन) अधिनियम, 1970 एवं उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली, 2003 से श्रमिकों को नियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सिडकुल पंतनगर क्षेत्र मे कुल कितने श्रमिक ठेके पर काम कर रहे हैं ? हालांकि लिस्ट भी संलग्न की गई है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, पंतनगर, जो सिडकुल एरिया है उसमें ठेके पर काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी कुल संख्या 24,158 है। मान्यवर, ठेके के अन्तर्गत जो कार्य कर रहे हैं, इनकी संख्या 10360 है।

श्री अध्यक्ष–

जो कान्ट्रैक्ट पर हैं।

---

† (देखिए संलग्नक 'क' आगे पृष्ठ संख्या 198–202 पर)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जी हाँ। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इन औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिये जाने पर उस उद्योग एक्ट का पालन किया जा रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जी हाँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष

माननीय तिलक राज बेहड जी, प्रश्न एक ही बार में पूछ लीजिए। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री ने अपने प्रश्न में कहा है कि यदि हाँ, तो कौन–कौन से प्रतिष्ठानों में ठेका प्रथा लागू है और दूसरी बात जो ठेके प्रथा पर कार्य करने वाले श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके नियमित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ? मंत्री जी ने कहा 'जी नहीं'। मान्यवर, सरकार लगातार दो साल से कह रही है कि इनको नियमित करने पर विचार करेंगे, लेकिन आज ढाई साल हो गये हैं आज तक एक भी नियमित नहीं है। मान्यवर, सरकार की नियमित करने की योजना है या नहीं। श्रीमन्, ढाई साल में 24,158 में एक भी व्यक्ति नियमित नहीं किया गया हैं इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है ? (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नियमित नहीं है। श्रीमन्, दो तरह के कार्मिक उद्योगों में नियुक्त होते हैं। एक तो रेगुलर है और दूसरे कान्ट्रेक्ट के आधार पर और रेगूलर कर्मी की संख्या, उनकी सख्या निर्धारित है वह संख्या 14,517 है तो पन्तनगर के अन्दर है। इस तरह से कुल 24,158 वर्तमान में इस समय कार्यरत है। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो पन्तनगर औद्योगिक संस्थान है इसके अतिरिक्त जो संस्थान हैं इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में अन्य स्थान पर भी औद्योगिक संस्थान है। क्या ऐसी ही व्यवस्था अन्य जगह पर भी लागू है?

मान्यवर, दूसरा इन संस्थानो में कर्मचारियों को जो न्यूनतम वेतनमान है उसके आधार पर पैसा मिल रहा है। क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि ऐसा नहीं है जो ठेकेदारी प्रथा से वहाँ पर पैसा दिया जा रहा है उस आधार पर नहीं दिया जा रहा है क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत हैं। क्या उनके पास कोई जानकारी है यदि ऐसा हुआ है तो क्या मंत्री जी अविलम्ब इस जांच कराके इससे अवगत करायेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसका शासनादेश भी निकाला गया है और उसका कड़ाई से अनुपालन हो। जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गयी कि वह जाकर देखें और उसका पुनरीक्षण करें। समय–समय पर हमारे विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है सभी फैक्ट्रियों का किया जाता है ताकि श्रम कानून का उल्लंघन न हो और प्रयास यह रहता है कि श्रम उद्योग में श्रम के तहत श्रमिकों को सेवायोजित किया जाय। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, केवल दो अनुपूरक होते हैं। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इन कर्मचारियों को न्यूनतम दर से भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों से 12–12 घण्टे काम कराया जाता है और 1800 उनको वेतन मिलता है जो श्रमिक कानूनों का उल्लंघन है और केवल यह कहने से नहीं होगा कि हम श्रमिकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय पर समय–समय पर वर्ष 01–04–09 से लेकर 03–04–09 के बीच विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ जो हमने कुल निरीक्षण इन संस्थाओं के किये हैं। हमारे अधिकारियों ने, वह 12,687 किये हैं और इन नियमों के आधार पर जो उल्लंघन किये पाये गये हैं उनके खिलाफ जो नियमों के अन्तर्गत थी, कार्यवाही की गयी है। इसमें 8022 ऐसे संस्थान थे जिनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। (व्यवधान)

मान्यवर, 12,687 निरीक्षण किये गये और इन नियमों के आधार पर जो उल्लंघन पाए गए उनके खिलाफ सम्बन्धित कार्यवाही की गयी। जिनकी संख्या 8022 है।

(व्यवधान) मान्यवर, निरीक्षण इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है विस्तृत विवरण मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। मान्यवर, आप प्रश्न तो पढ़ लें और किस संस्था में क्या कार्यवाही हुई है विस्तृत रूप से मैं विवरण उपलब्ध करा दूँगा कि किसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। (व्यवधान) इसकी मैंने संख्यात्मक जानकारी दे दी। जो प्रश्न से सम्बन्धित होगा उसी का उत्तर दिया जा सकता है और जो प्रश्न से बाहर है उसका विवरण उपलब्ध करा देंगे। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, अभी तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो प्रश्न है उसका उत्तर दिया जा सकता है जो प्रश्न से हटकर है उसको हम उपलब्ध करा देंगे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार उत्तराखण्ड के लोगों को रोजगार देने के लिए ठेका प्रथा शुरू कर रही है ? मान्यवर, सिडकुल में ठेका प्रथा द्वारा यहाँ के नौजवानों का शोषण सरकार के द्वारा किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो सेवायोजन की प्रक्रिया है उसके तहत दोनों तरह की नौकरियाँ दी जाती है उसमें ठेकेदारी प्रथा से भी दिया जाता है और रेगुलर रूप में भी दिया जाता है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो सरकार ने 70 प्रतिशत रोजगार देने की बात कही और क्या वह ठेके पर दी जानी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

नहीं, ठेका प्रथा पर नहीं है। वह नियमित रोजगार से सम्बन्धित है और पंतनगर क्षेत्र में 68 प्रतिशत जो उत्तराखण्ड के निवासी हैं उनको रोजगार दिया जा चुका है और हरिद्वार क्षेत्र में भी 68 प्रतिशत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। यह परम्परा ठीक नहीं है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, जो 24,158 जो श्रमिक ठेके पर कार्य कर रहे है इनमें से कितने उत्तराखण्ड के हैं ? दूसरा मान्यवर, ठेके पर कार्य करने वाले के बारे में श्रम मंत्री जी यह मानते हैं कि उनका शोषण होता है यदि शोषण होता है तो श्रम विभाग ने क्या कार्यवाही की पन्तनगर में ? तीसरा इनको वेतन क्या दिया जाता है ? और क्या यह ठेका प्रथा खत्म करने के लिए सरकार कोई नियम या विधेयक बनाने जा रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो पंतनगर का विषय पूछा वह मैंने जानकारी दे दी कि 68 प्रतिशत वहाँ उत्तराखण्ड के निवासी वर्तमान में नियमित रोजगार पर है। मान्यवर, चूँकि न्यूनतम वेतन के लिए समय–समय पर श्रम अधिनियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए समय–समय पर निरीक्षण किया जाता रहा है और जब भी इस प्रकार की कोई शिकायतें आती हैं, क्योंकि इसमें प्रक्रिया है कि वर्तमान मे जैसे सिडकुल में कुल 296 पंजीकृत कारखाने है और इन पंजीकृत कारखानों में से 123 कारखाने ऐसे हैं जो हमारे श्रम विभाग में पंजीकृत हैं और श्रम संविदा के तहत पजीकृत है और हमारा यह प्रयास रहता है कि जो अधिकतम कारखानो के श्रमिक हैं वो श्रम विभाग के विभिन्न विधियो के तहत पंजीकृत हो और उसके पश्चात् उनके माध्यम से, श्रमिकों के माध्यम से कोई भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तत्काल उसका निरीक्षण किया जाता है और जो जानकारी हमने अभी दी कि विभिन्न श्रम अधिनियम के अन्तर्गत जो निरीक्षण किये गये हैं वह 12687 है जिसके आधार पर हमने त्वरित कार्यवाही की और उनके खिलाफ जो अधिनियमों के उल्लंघन के मामले बनते थे उनके खिलाफ कार्यवाही की है और जब भी जिस तरह की शिकायतें आती हैं आज भी हम माननीय सदन के इस वाद–विवाद का संज्ञान लेते हुए इसमें त्वरित कड़ी कार्यवाही के लिए निर्देशित कर रहे हैं और शीघ्र ही हमारा प्रयास रहेगा कि जितने अधिकतम फैक्ट्रियॉ हैं उनमें अगर कहीं से कहीं तक कोई शिकायत आती है तो उसमें कड़ी कार्यवाही होगी।

राज्य में सरकार द्वारा पवन ऊर्जा की कार्ययोजना एवं स्वरूप

*2–काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सरकार द्वारा पवन ऊर्जा स्थापित करने की कोई कार्ययोजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र भण्डारी)–

जी हाँ।

प्रदेश में पवन ऊर्जा के दोहन हेतु वर्तमान तक 24 स्थलों का चिन्हांकन उपरान्त सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा निजी विकासकर्ताओं एवं सामुदायिक सहभागिता के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने हेतु घोषित नीति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न निजी विकासकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे, परन्तु पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु किसी भी निजी विकासकर्ताओं द्वारा अभी कोई पहल नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है पवन ऊर्जा से, इस वित्तीय वर्ष में आपके बजट में कितना प्राविधान है पवन ऊर्जा के लिए और क्या कार्ययोजना है पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन की ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, वर्तमान में पवन ऊर्जा के लिए 2 मेगावाट बिजली का प्राविधान रखा गया है और प्रदेश में कोई भी संस्था है इसकी प्रति यूनिट कॉस्ट ज्यादा आने के कारण भारत सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, बजट कितना है आपका सालाना इस वर्ष ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, 16 करोड़ है।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह वैकल्पिक ऊर्जा के लिए है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जी हाँ, यह कुल वैकल्पिक ऊर्जा के लिए है।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, एक मेगावाट पवन ऊर्जा बनाने के लिए कितना खर्चा आयेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, एक मेगावाट बनाने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, कार्ययोजना माननीय मंत्री जी ने नहीं बताई। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ पहले तो मैं यह जानकारी दे दूँ कि विदेशों में अमेरिका के कैलीफोर्निया, फ्लोरिडा जैसे स्टेट में, जो कि काफी हद तक पहाड़ी इलाका है और मोटे तौर पर आप मान लें कि वहाँ पर बहुत से शहर ऐसे हैं जो पूरी–पूरी तौर पर पवन ऊर्जा से ही चल रहे है। मान्यवर, ऐसी यहाँ क्या खास बात है कि पवन ऊर्जा मंहगी बताई जा रही है, जबकि हिल एरिया है, पहाड़ी प्रदेश है हमारा, जबकि यकीनन वहाँ की और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति एक है तो यहाँ महगी क्यों बताई जा रही है पवन ऊर्जा।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जिन स्थानों पर इसका सर्वेक्षण कराया गया है, यहाँ पर भारत सरकार ने जिस कम्पनी से इसका सर्वेक्षण कराया वह कोई प्राईवेट कम्पनी है। इसने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि हवा का वेग कम होने के कारण वहाँ पर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं हो पायी। इसकी एक पर यूनिट कॉस्ट 5.94 है, जबकि यू0पी0सी0 जो देता है वह सवा दो रु0 से ढाई रु0 पर यूनिट देता है। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आज हम पीक हावर्स में 8, 10, 12 यूनिट तक की बिजली खरीद रहे है तो अगर पाँच रु0 की प्रोडक्शन हमें मिल रही है तो क्या बुराई है। आज भी हम पावर प्रोडक्शन का चार्ट देखें तो जून के महीने में हम बैंकिंग करते थे 162 मिलीयन यूनिट की। इसी जून के महीने में 26 मिलीयन यूनिट हमें लेनी पड़ी। सेंट्रल पूल से या अलग–अलग जगहों से। आज हमारे हाइड्रो पावर की स्थिति खराब है, तो जब हमें पाँच रु0 मिलीयन यूनिट का प्रोडक्शन मिल रहा है तो क्या बुराई है, जबकि आप 8, 9, या 10 मिलीयन यूनिट दे रहे हैं सेंट्रल पूल और अन्य जगहों से। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह बिजली महंगी है या दूसरे पूलों से खरीद कर लेना महंगा है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, बीच में ऊर्जा नीति के तहत सभी से प्रस्ताव मांगे गये थे, किसी भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। (व्यवधान) मान्यवर, जब कोई प्रस्ताव ही नहीं देगा तो लगेंगे कहाँ से।

श्री अध्यक्ष–

मानीय ओम गोपाल जी, आप बार–बार उठ रहे हैं, जब तक आपको अनुमति नहीं दी जायेगी, तब तक न बोलें।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पवन ऊर्जा में प्राईवेट सेक्टर में कोई भी निविदा नहीं मिली है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ आपने अपने उत्तर में कहा है 24 स्थलों का चिन्हीकरण हो चुका है और अभी आपने एक जवाब में यह भी कहा कि हवा का दबाव कम था। मान्यवर, हमारे यहाँ बछेलीखाल में एक पवन ऊर्जा संयत्र लगना था, वहाँ पर हवा का भारी दबाव है इसका पूरा सर्वेक्षण हो रखा है यह जगह आंके हो रखी है। लेकिन अब क्या कारण है कि वहाँ पर अभी तक वह संयत्र नहीं लगा है। जबकि सर्वेक्षण किये कई साल हो गये हैं। यहाँ पर कई बार अनेक कम्पनियों ने सर्वेक्षण किया है और सभी कम्पनियों ने वहाँ पर उच्च हवा का दबाव पाया है और यह स्वीकृत है। लेकिन अभी तक इसमें कार्य नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप कब तक वहाँ पर पवन ऊर्जा का संयत्र लगायेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है बछेलीखाल वाला, यह भारत सरकार की एम0एन0यू0आर0 जो सीनेट संस्था है, उसने इसे सलेक्ट किया है। भारत सरकार इसे बना रही है इसके लिए निविदा आमंत्रित की गयी है, जैसे ही निविदा को अन्तिम रूप दिया जायेगा, वैसे ही इसमें कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

सेवायोजन कार्यालयों में जनपदवार बेरोजगार की संख्या तथा रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना।

*3–काजी मो0 निजामुद्दीन–

क्या श्रम मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपदवार बेरोजगारों की संख्या क्या है ?

क्या इन बेरोजगारों को समयबद्ध तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बना रही है ? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

सेवायोजन कार्यालयों में दिनांक 31 मई, 2009 तक जनपदवार पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या निम्नवत् है :–

अल्मोड़ा–45579, नैनीताल–53844, ऊधमसिंह नगर–42039, पिथौरागढ़–33832, बागेश्वर–17899, चम्पावत–12383, देहरादून–73539, टिहरी–37626, उत्तरकाशी–28016, हरिद्वार–37506, पौड़ी–52074, चमोली–25466, रूद्रप्रयाग–18736 कुल–478639

बेरोजगारों को समयबद्ध तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों में सेवायोजित करने के लिए रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 2008–09 में चरणबद्ध तरीके से कुल 817753 जॉब कार्ड वर्ष 2009 तक वितरित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से उत्तर दिया गया है उससे यह लगता है कि प्रदेश में बेरोजगारी नाम की चीज शायद न हो और प्रदेश के बेरोजगारों को हमारी सरकार रोजगार देने लगी है। मान्यवर, प्रदेश में 817753 लाख जॉब कार्ड दिये गये हैं, जबकि 487000 हमारे यहाँ बेरोजगार है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जो ये 487000 बेरोजगार रजिस्टर्ड है, क्या ये इलिट्रेट है या पढ़े–लिखे लोग हैं। क्या पढ़े–लिखे लोगों से गैंती–फावड़ा का काम कराना चाहते हैं 100 रू0 प्रति दिन की ध्याड़ी पर, साल में 100 दिन की गारंटी का कार्य कराना चाहते हैं। प्रदेश में आई0टी0आई0, आई0आई0टी0, पॉलिटेक्निक, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0 किये हुए ग्रेजुएट लड़कों से क्या आप तसले सिर पर ढुलवाना चाहते हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्वाइंटेड प्रश्न पूछा है और यह कहा है कि रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जो जॉब कार्ड वितरित किये गये है, वे शिक्षित है या अशिक्षित हैं। श्रीमन्, चूँकि प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर जो भी बेरोजगार व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, उन सबको इस योजना का लाभ मिले। इस दृष्टि से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जॉब कार्ड वितरित किये जाते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 1185737 परिवार उत्तराखण्ड के अन्तर्गत है, इनमें जो बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या है, वह 623790 है। मार्च, 2009 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत

स्तर पर जिन लोगों के जॉब कार्ड बने, उनकी संख्या, जैसा कि मैंने अवगत कराया 817753 है। ये जो 817753 जॉब कार्ड धारक है, इनको रोजगार उपलब्ध कराना इस रोजगार गारन्टी योजना के तहत सुनिश्चित किया जा रहा है। श्रीमन्, जो भी व्यक्ति इसमें आवेदन करेगा, उसमें पहली प्राथमिकता बी०पी०एल० परिवारों की है और दूसरी प्राथमिकता बेरोजगारों को है। प्रत्येक बेरोजगार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, यह इसका उद्देश्य है।

काजी मो० निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने बेरोजगार लोगों की बेइज्जती करने का कोई बीडा उठा लिया है ? पढ़े लिखे लोगों से क्या आप तसले ढुलवाएंगे ? क्या जवाब है, यह देखिये माननीय अध्यक्ष जी। बेरोजगार लोग यदि नौकरी के लिए लेबर डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो क्या आप उनसे गैंती, फावडे चलवाएंगे, क्या तसले ढुलवाएंगे ? माननीय मंत्री जी ने क्या इसका जवाब देते हुए जरा भी नहीं सोचा, बेइज्जती कर रहे है, ये उत्तराखण्ड के बेरोजगारों की।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है। काम कोई भी छोटा या बडा नहीं होता। (व्यवधान)

काजी मो० निजामुद्दीन–

मान्यवर, बेरोजगारों को पढने की क्या जरूरत है ? वह क्यों पढेगा ? कोई परिवार अपने बच्चों को क्यों आई०टी०आई० कराएगा, क्यों डिप्लोमा कराएगा, क्यों एम०बी०ए० या एम०सी०ए० कराएगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप तैश में न आएं।

काजी मो० निजामुद्दीन–

मान्यवर, बेरोजगारों की बेइज्जती की गयी है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कार्य करने में कैसी बेइज्जती ? (व्यवधान) श्रीमन्, कोई काम बडा या छोटा नहीं होता है। (व्यवधान) अगर कोई बेरोजगार अपने गाँव की सीमा के अन्दर रह

कर कार्य करना चाहता है तो उसमें बेइज्जती किस बात की है ? (व्यवधान) मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, आप इतने विद्वान सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, 100 रुपये रोज के हिसाब से देंगे, उसमें भी 365 दिन काम की गारन्टी नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप बहुत विद्वान सदस्य हैं। केन्द्र सरकार की रोजगार गारन्टी योजना के तहत रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान) और श्रीमन्, मैं अवगत कराना चाहूँगा।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, स्कूल के बच्चे क्या सिर पर तसला ढोने के लिए पढ़ रहे हैं ? (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने क्या सोच कर यह जवाब दिया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मेरा उत्तर तो आने दीजिए। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सरकार को अपने इस जवाब को वापस लेना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, किस बात के लिए वापस लें ?

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, पढ़े लिखे लोगों के लिए आपने तसला रखा है, तैयार करके।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आप उस उत्तर को पढ़ तो लीजिए। (व्यवधान) यह अनावश्यक रूप से व्यवधान न करें। पढ़ तो लें। सम्मानजनक तरीके से मजदूरी करना क्या असम्मानजनक बात है ? (व्यवधान) आप तो उस किसान मजदूर का अपमान कर रहे हैं।

काजी मो0 निजामुद्दीन—

मान्यवर, मैं किसी का भी अपमान नहीं कर रहा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, क्या रोजगार प्राप्त करने से कोई अपमानित हो जाता है ? अगर कोई काम कर रहा है, तो क्या वह अपमानित हो जाता है, वह असम्मानजनक हो जाता है ? यह तो कमाल की बात कर रहे हैं आप। (व्यवधान) मान्यवर, आप किसान और मजदूरों का अपमान कर रहे है। जो मजदूरी करना चाहते हैं, उनको ये कह रहे हैं कि गलत काम है। (व्यवधान) आप जरा अपनी भाषा को संयमित रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय काजी निजामुद्दीन जी, आप कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, इस कार्य को करने में गलत क्या है ? (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन—

मान्यवर, क्या सरकार एम0बी0ए0 पास लड़के से फावड़ा चलवायेगी, क्या उसे अब तसला ढोना पड़ेगा ?

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, जो लोग रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत है, ऐसे पंजीकृत लोगों को समय—समय पर रोजगार दिया जाता रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, जब हरिद्वार वाले माननीय सदस्य बोलें तो संसदीय कार्य मंत्री की जरूरत नहीं होती, हरिद्वार वाले मंत्री ही उसका जवाब भी दे देते हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में अवगत कराया है कि 478639 कुल बेरोजगार उत्तराखण्ड में हैं, जिनका जनपदवार विवरण भी आपने दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विगत वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को सरकारी और कितने लोगों को प्राइवेट सेक्टर में प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इसके लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण किया जाता है और प्रत्येक जनपद में इसके लिये कार्यालय निर्धारित हैं। उन्हीं पंजीकरण कार्यालयों से वित्तीय वर्ष 2007–08 में 13052 बेरोजगार नौजवानों को सेवायोजित किया गया। अभी तक हम 1,82,114 बेरोजगारों को विभिन्न..........।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने सरकारी और गैर सरकारी अलग–अलग पूछे हैं।

श्री प्रकश पन्त–

श्रीमन्, मैं यह असरकारी ही बता रहा हूँ कि पंजीकृत कारखानों और जो भी जिलेवार हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, उसमें 1,82,114 रोजगार दिये जा चुके हैं।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि सरकार ने इस प्रदेश के नौजवानों का मजाक उड़ाया है, आज उन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी।....

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार रोजगार देने के लिए सोच ही नहीं रही है।....

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन एवं चौ0 यशवीर सिंह 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे तथा कई माननीय सदस्य अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, कृपया अपने माननीय सदस्य को अपने स्थान पर जाने को कहें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मुझे तो यह देखकर आश्चर्य हो रहा है, माननीय सदस्य अनावश्यक व्यवधान करने के उद्देश्य से यह कर रहे हैं। क्योंकि प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है।

(वेल'' में माननीय सदस्य एवं अपने स्थान पर खड़े सदस्य अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर वापस नहीं जाते, तब तक किसी बात का संज्ञान न लिया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य आखिर क्या चाह रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं, वह काम नहीं करें।

(वेल' में खड़े माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन एवं चौ0 यशवीर सिंह सदन से बाहर चले गये।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी शोरगुल के बीच अपनी बात कहते–कहते अध्यक्ष के आसन के नजदीक आ गये।)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सबसे अधिक बेरोजगार, जिस जिले का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, देहरादून में हैं और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई कदम उठा रही है और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने पहले चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन निकाला था, उसमें उत्तराखण्ड के मूल निवासी का

प्रमाण–पत्र मांगा गया था, दूसरा विज्ञापन निकाला उसमें मूल निवास प्रमाण–पत्र की बात समाप्त कर दी गयी और तीसरा विज्ञापन निकाला उसमें फिर मूल निवास प्रमाण–पत्र (व्यवधान) इस कारण सूचना विभाग और अन्य विभागों में नियुक्तियाँ हुई। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पूर्व की भाँति सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में रोजगार देने की योजना बनाएगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने....... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

हाँ, बताईये प्रीतम सिंह जी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं बता रहा हूँ आप तो नाराज हो रहे हैं। आपने पहले मुझे प्रश्न करने के लिए कहा था। यह बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

आप अवगत हैं कि मूल प्रश्न के बाद 2 अनुपूरक पूछे जा सकते हैं, ये कोई चर्चा नहीं हो रही है और फिर भी मैं 3–4 एलाउ कर रहा हूँ, अब इससे और ज्यादा क्या हो सकता है। यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी केवल 3 ही प्रश्न हुए हैं। 20 प्रश्न कैसे पूरे होंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य निर्माण के उपरान्त प्रदेश में सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्ष 2000 से 2002 के मध्य कुल 3036 (व्यवधान) वर्ष 2000 से 2002 के मध्य 3036, 2002 से 2007 के मध्य 34097, 2007 से जून 2008 के मध्य 13052, जब से राज्य गठित हुआ है। ये अद्यतन सूचना है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब भी दे दिया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि सरकार बेरोजगारों के लिए क्या करने जा रही है, तो इसके लिए वर्तमान में जो (व्यवधान) श्रीमन्, सरकारी विभागों में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सेवायोजन दिया जाय, यह व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए हम अपने सभी रोजगार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मान्यवर, देहरादून को हमने हाईटेक कर दिया है, यहाँ पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है ताकि इसके बाद यह व्यवस्था और व्यवस्थित हो सके।

इसके साथ–साथ विभिन्न विभागों में मजदूरी आधारित रोजगार की परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन हो इसको भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। प्रदेश में स्वतः रोजगार सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। श्रीमन्, प्रदेश में त्वरित औद्योगीकरण के साथ स्थानीय रोजगार के सृजन को और बेहतर किया जाय, यह प्रयास हो रहा है। शिक्षा के उन्नयन में गुणात्मक सुधार किया जाय, युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके, ऐसा प्रयास हो। श्रीमन्, इसके साथ–साथ रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा की प्रचार–प्रसार की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में उपलब्ध रोजगार स्तर को गुणात्मक बनाने और श्रमिकों के हित को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पिछली बार चतुर्थ श्रेणी का विज्ञापन निकला था उसमें था कि वह उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी विज्ञप्ति में मूल निवास हटा दिया गया। कुछ विभागों में, जैसे सूचना विभाग में नियुक्तियाँ हो गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूर्व की भाँति सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्तियों पर विचार हो रहा है ? बहुत सारे विभागों में बिना मूल निवास के सीधे विज्ञप्ति के माध्यम से नियुक्ति हो गयी। सूचना विभाग में नियुक्ति हुई है। इस विज्ञप्ति के आधार पर पूरे देश के लोगों ने आवेदन किया। बहुत सारे विभागों में ऐसी नियुक्तियाँ हुई जो उत्तराखण्ड के मूल निवासी नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूँ कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण होता है इसके लिए स्थायी निवासी होने की बाध्यता है। स्थाई निवासी ही रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा सकता है। हमारा प्रयास यह है कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत.........(व्यवधान), मेरी बात पूरी आने दीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जिन विभागों में विज्ञापन निकाल करके मूल निवास प्रमाण–पत्र की बाध्यता को खत्म कर दिया और नियुक्ति कर दी, उनमें क्या होगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, थोड़ा सा आप अपने विषय को संशोधित कर लीजिए क्योंकि मूल निवास प्रमाण–पत्र के स्थान पर स्थाई निवास दोनो अलग–अलग प्रमाण–पत्र है। मूल निवास और स्थाई निवास दोनों अलग–अलग है। स्थाई निवासी का रोजगार कार्यालय मे प्रमाण–पत्र के आधार पर पंजीकरण होता है। हमारा प्रयास है कि अधिकतम सरकारी नौकरियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से और उनके पंजीकरण संख्या के आधार पर दिया जाय, यह व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सूचना विभाग में नियुक्तियाँ की गई।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं इसका परीक्षण करा लूँगा।

प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 05 सितम्बर, 2003 से वर्ष 2008 तक सेवारत पी0टी0ए0 अध्यापकों की विद्यालयवार एवं विषयवार स्थिति

*4–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयो में 05 सितम्बर, 2003 से पूर्व के मानदेय पी0टी0ए0 अध्यापकों को स्थाई नियुक्ति दी गयी थी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि 05 सितम्बर, 2003 के बाद से वर्ष 2008 तक अभी भी ऐसे कितने मानदेय से सतत सेवारत पी0टी0ए0 अध्यापक हैं जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालयो में सतत अध्यापन कार्य कर रहे है और उनकी विद्यालयवार एवं विषयवार स्थिति क्या है ?

क्या पूर्व की भाँति इन सतत सेवारत पी0टी0ए0 अध्यापकों की भी विषय के अनुरूप निर्धारित योग्यतानुसार स्थाई नियुक्ति प्रदान की जायेगी ?

यदि हाँ, कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

05 सितम्बर, 2003 के बाद से वर्ष 2008 तक मानदेय सतत सेवारत पी0टी0ए0 अध्यापकों की संख्या–02 है।

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	विषय	पी0टी0ए0 अध्यापकों की संख्या
1.	इण्टर कॉलेज कोटालगॉव, टिहरी गढ़वाल	प्रवक्ता हिन्दी	01
2.	आर्य कन्या इण्टर कॉलेज कोटद्वार, गढ़वाल	प्रवक्ता गणित	01
	योग		02

(वर्तमान में इन दोनों को मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है।) †

जी नहीं।

लागू नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 5–9–2003 के बाद भी प्रदेश में पी0टी0ए0 शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी गई है या नहीं ? दूसरा यदि दी गई है तो किस शासनादेश के आधार पर किन नियमों के तहत दी गई ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, 2003 के बाद जो नियुक्तियाँ दी गई वह 03 फरवरी, 2009 को नियमित प्रक्रिया द्वारा चयनित पी0टी0ए0 शिक्षकों के तदर्थ नियुक्ति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश जारी किया जिसमें पी0टी0ए0 शिक्षकों द्वारा समय–समय पर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा–41 में विहित प्राविधानानुसार तदर्थ नियुक्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में पी0टी0ए0 शिक्षकों की माँग पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 05–09–2003 की तिथि तक प्रबन्ध समिति के निजी स्रोतों से सेवायोजित ऐसे अंशकालिक अध्यापकों/पी0टी0ए0 शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान कर दिया जाय।

† (देखिए संलग्न नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या–203 पर)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा, मैंने यह पूछा कि जैसे कि इसमें लिखा गया प्रबन्ध समिति द्वारा कि 5–8–2003 के बाद जो पी0टी0ए0 शिक्षक आवेदन करेंगे उनको नियुक्ति नहीं दी जायेगी ? जब कि शिक्षा विभाग मे पूरे प्रदेश में 2003 के बाद पी0टी0ए0 शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी गई है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 20 सितम्बर, 2003 के द्वारा राजकोष से भुगतान जिनको हो रहा था, मानदेय का। जिन शिक्षकों का भुगतान राजकोष से हो रहा था उन्ही शिक्षकों को स्थाई नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है।

(प्रश्नकाल समाप्त)

शिक्षा विभाग के शिक्षकों/शिक्षिकाओं के लिए नई स्थानान्तरण नीति तथा मानक

*5–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2009 हेतु शिक्षा विभाग के शिक्षकों/शिक्षिकाओं के लिए कोई नई स्थानान्तरण नीति बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो स्थानान्तरण नीति में क्या मानक निर्धारित किये गये है ?

क्या स्थानान्तरण नीति में निर्धारित मानको के अनुसार ही सभी शिक्षको/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

वर्ष 2009–10 हेतु शिक्षा विभाग के शिक्षकों/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण की नीति विचाराधीन है।

सम्प्रति स्थानान्तरण नीति निर्धारित नहीं हुई।

–तदैव–

प्रश्न नहीं उठता।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

'सैफ' खेलों के आयोजन में अब तक कुल व्यय धनराशि तथा कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय

*6–श्री यशपाल बेनाम तथा श्री प्रीतम सिंह–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 'सैफ' खेलों के आयोजन की तैयारियों में अब तक कितना धन खर्च हो चुका है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि 'सैफ' खेल अपने निर्धारित समय पर पूर्ण करा लिये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

सैफ खेलों के आयोजन हेतु देहरादून एवं औली में निर्माणाधीन अवस्थापना सुविधाओं पर अभी तक कुल रू0 7516.143 लाख (रू0 पचहत्तर करोड़ सोलह लाख चौदह हजार तीन सौ मात्र) का व्यय हो चुका है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

*7 श्री पुष्पेश त्रिपाठी

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त–

अतारांकित प्रश्न

जनपद नैनीताल रा0इ0का0 सिमलखा का नाम कारगिल शहीद चन्द्र सिंह भण्डारी के नाम पर प्रस्ताव

1–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रा0इ0का0 सिमलखा जनपद नैनीताल का नाम कारगिल शहीद चन्द्र सिंह भण्डारी के नाम से करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक इसका नाम परिवर्तन किया जायेगा ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

धारचूला वि0स0 क्षेत्र अन्तर्गत उ0मा0 हाईस्कूल उच्छैती तथा जू0 हाईस्कूल सेरा का उच्चीकरण

2—श्री गगन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उ0मा0 हाईस्कूल उच्छैती, जू0हा0 सेरा का उच्चीकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उच्छैती एवं जूनियर हाईस्कूल सेरा का मानकों को पूर्ण न करने के कारण उच्चीकरण किया जाना अभी सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट अन्तर्गत रा0क0 हाईस्कूल बग्वालीपोखर एवं रा0क0 हाईस्कूल उभ्याड़ी का उच्चीकरण

3—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के प्रथम शुक्रवार हेतु प्रश्न संख्या—22 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रा0क0 हाईस्कूल—बग्वालीपोखर एवं रा0क0 हाईस्कूल—उभ्याड़ी का उच्चीकरण किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ या नहीं ?

यदि हाँ, तो कब उच्चीकरण किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—

जी हाँ। क्षेत्रीय जन विकास समिति बग्वालीपोखर, अल्मोड़ा एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रा0क0 हाईस्कूल—बग्वालीपोखर एवं रा0क0 हाईस्कूल—उभ्याड़ी के उच्चीकरण किये जाने सम्बन्धी मांग—पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं।

उक्त विद्यालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में छठवें वेतन आयोग एवं वर्तमान मानकों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित राज0 थारू इण्टर कॉलेज खटीमा में वाणिज्य विषय की स्वीकृति

4—श्री गोपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रा0 थारू इण्टर कॉलेज खटीमा जनपद ऊधमसिंह नगर में कक्षा 12 (इण्टरमीडिएट) हेतु वाणिज्य विषय की स्वीकृति है?

यदि हाँ, तो क्या रा0 थारू इण्टर कॉलेज खटीमा जनपद ऊधमसिंह नगर में इसी सत्र से वाणिज्य विषय की कक्षाएं प्रारम्भ हो जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत मासी आई0टी0आई0 भवन निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्यवाही तथा निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य

5—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 2009 के प्रथम शुक्रवार हेतु प्रश्न संख्या—23 के उत्तर के संदर्भ में "क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मासी आई0टी0आई0 हेतु भवन निर्माण के लिए वन विभाग की भूमि चयन किये जाने की कार्यवाही अभी किस स्तर पर पर है ? और भवन निर्माण को पूर्ण करने का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है ?"

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

अल्मोड़ा जनपद के मासी आई0टी0आई0 के भवन निर्माण हेतु वन विभाग की 0.80 हैक्टेयर भूमि का चयन किया जा चुका है तथा वन विभाग द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है, वन विभाग को नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 8,20,175/— की धनराशि का भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि हस्तान्तरण होने के पश्चात् भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

जनपद उत्तरकाशी के मनेरी स्टेडियम में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास का निर्माण

6—श्री गोपाल सिंह रावत—

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के मनेरी स्टेडियम में खेल प्रतिभाओं के विकास व उन्नयन के लिए आवासीय क्रीडा छात्रावास का निर्माण करवाया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

जनपद उत्तरकाशी में आवासीय क्रीडा छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) उत्तरकाशी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर उर्दू भाषा पैरा टीचर/शिक्षा मित्र की नियुक्तियों पर विचार

7—श्री गोपाल सिंह रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 31—12—2006 को उर्दू भाषा पैरा टीचर/शिक्षा मित्र की नियुक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी ?

यदि हाँ, तो प्रकाशित विज्ञप्ति पर उर्दू भाषा पैरा टीचर/शिक्षा मित्र की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से उक्त केन्द्र पोषित योजना के वित्तीय पोषण के सम्बन्ध में अपेक्षित दिशा—निर्देशों के प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में प्रा0वि0 भवन कोटियालगाँव, स्यूंणा, साल्ड तथा ओडार (सालंग) एवं उ0प्रा0वि0 थलन, पंजियाला दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण

8—श्री गोपाल सिंह रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में प्रा0वि0 भवन कोटियालगाँव, स्यूंणा, साल्ड तथा ओडार (सालंग) एवं उ0प्रा0वि0 थलन, पंजियाला दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त है ?

क्या सरकार दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

प्रा0वि0 स्यूंणा, प्रा0वि0 ओडार (सालंग) प्रा0वि0 कोटियालगाँव प्रा0वि0 साल्ड एवं उ0प्रा0वि0 थलन तथा पंजियाला के भवनों की विशेष मरम्मत हेतु 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2008—09 में धनराशि प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों का निर्माण तथा स्वीकृत धनराशि

9—श्री गोपाल सिंह रावत—

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 2007—98 व 2008—09 में किन—किन स्थानों पर ग्रामीण खेल मैदानों का निर्माण कार्य किया गया तथा प्रस्तावित खेल मैदानों के लिए प्रस्तावित/स्वीकृत धनराशि का विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

प्रश्नगत वर्षों में जिला योजना से पूर्ण रूप से निर्मित खेल मैदानों एवं व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष 2007 08

खेल मैदान का नाम		व्यय धनराशि
1.	स्वील, विकास खण्ड पुरोला	1.40 लाख
2.	मातली, विकास खण्ड डुण्डा	1.79 लाख
3.	गुन्दियाटगॉव, विकास खण्ड पुरोला	1.43 लाख
4.	बर्नीगाड, विकास खण्ड नौगॉव	1.70 लाख
5.	दिचली, विकास खण्ड चिन्यालीसौड	1.75 लाख
6.	मुस्टिकसौड, विकास खण्ड भटवाडी	2.40 लाख
7.	कोटगॉव, विकास खण्ड मोरी	1.70 लाख
8.	सट्टा, विकास खण्ड मोरी	2.00 लाख

वर्ष 2008 09

1.	पुरोला, विकास खण्ड पुरोला	2.00 लाख
2.	साडग, विकास खण्ड भटवाडी	88.00 हजार
3.	नेटवाड, विकास खण्ड मोरी	2.00 लाख
4.	दोणी, विकास खण्ड मोरी	2.00 लाख
5.	टॉडियार, विकास खण्ड मोरी	2.00 लाख
6.	ब्रह्मखाल, विकास खण्ड डुण्डा	2.00 लाख
7.	पुज्यारगॉव, विकास खण्ड डुण्डा	2.00 लाख
8.	भटवाडी धनारी, विकास खण्ड डुण्डा	2.00 लाख
9.	हुल्डियाणा, विकास खण्ड डुण्डा	2.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत खेल मैदान के निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत न होने के कारण खेल मैदानों का प्रस्ताव नही किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

पौडी विधान सभा के परसुण्डाखाल एवं कांसखेत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा तथा निर्माण

10–श्री यशपाल बेनाम–

क्या श्रम मंत्री अवगत है कि पूर्व सरकार द्वारा पौडी विधान सभा के परसुण्डाखाल एवं कांसखेत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इनमें निर्माण की कार्यवाही कब प्रारम्भ की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

रा0औ0प्र0 संस्थान, कासखेत की स्थापना हेतु शिक्षा विभाग की 100 नाली भूमि विभाग को स्थानान्तरित हो चुकी है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् भवन निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा परसुण्डाखाल में वन पचायत की भूमि संस्थान को उपलब्ध करायी गयी है। वन पंचायत की भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। 1.006 हेक्टेयर भूमि वन विभाग द्वारा विभाग को स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि हस्तान्तरण के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

आन्दोलनरत एन0टी0टी0 महिला अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में लिये जाने की व्यवस्था।

11–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में एन0टी0टी0 प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थी गत एक साल से विधान सभा/सचिवालय के समक्ष प्राथमिक विद्यालयों में अपनी नियुक्ति हेतु आन्दोलनरत है ?

क्या यह भी सत्य है कि मंत्री जी द्वारा प्रशिक्षित एन0टी0टी0 महिला अभ्यर्थियों के सरकारी सेवा मे लिए जाने का कोई आश्वासन दिया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा एन0टी0टी0 महिला अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा मे लिए जाने हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न ही नही उठता।

राज्य में राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। इसलिए एन0टी0टी0 प्रशिक्षितो को शासकीय सेवा में योजित नही किया जा सकता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत द्वाराहाट के रा0मा0 विद्यालयों में इण्टर एवं हाईस्कूल स्तर पर स्वीकृत कुल पद एवं रिक्त पदों को भरने पर विचार

12– श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विधान सभा के दोनों विकास खण्ड के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में इण्टर एवं हाईस्कूल स्तर पर पर स्वीकृत पद के सापेक्ष कितने पद रिक्त चल रहे है ?

क्या सरकार इन रिक्त पदों को यथा शीघ्र भरने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा के दोनों विकास खण्डों के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय इण्टर/हाईस्कूल में स्वीकृत प्रवक्ता के 222 पदों के सापेक्ष 106 प्रवक्ता के पद रिक्त है तथा सहायक अध्यापक एल0टी0 के स्वीकृत 384 पदो के सापेक्ष 89 पद रिक्त हैं।

जी हॉं।

रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील अन्तर्गत जालली मे मिनी स्टेडियम के निर्माण पर विचार

13–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट तहसील के अन्तर्गत जालली मे मिनी स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव विभाग द्वारा शासन को प्रेषित कर दिया गया है ?

यदि हॉं, तो कब ?

क्या सरकार जालली में मिनी स्टेडियम निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस विषय पर कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

जनपद पौड़ी के वि0ख0 एकेश्वर के रा0इ0कॉ0 रीठाखाल तथा जनता इण्टर कॉलेज कमलपुर में क्रीडास्थल निर्माण पर कार्यवाही तथा प्रगति

14–श्रीमती अमृता रावत–

क्या युवा कल्याण एवं खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के राजकीय इण्टर कॉलेज रीठाखाल तथा जनता इण्टर कॉलेज कमलपुर में क्रीडास्थल के निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 281/विधायक/34–युवा कल्याण/2007–08 दिनांक 13–10–2007 के सन्दर्भ में आपके अ0शा0 पत्रांक 1685 दिनांक 19–11–2007 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, युवा कल्याण को प्रेषित किए जाने की जानकारी दी गयी है ?

यदि हॉं, तो निदेशक युवा कल्याण के स्तर से अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हॉं।

वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत क्रीडा स्थल के निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत न होने के कारण उक्त स्थानों पर क्रीडा स्थल स्वीकृत नहीं किये हैं।

प्रदेश में वर्ष 2007 से अब तक कुल विद्यालयों का उच्चीकरण तथा अध्यापकों का मानक

15–श्री यशपाल बेनाम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007 से अब तक कितने विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन विद्यालयों में अध्यापक मानक के अनुसार है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

प्रदेश में वर्ष 2007 से अब तक 05 जूनियर हाई स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर एवं 02 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण हुआ है।

जी नहीं। इन उच्चीकृत विद्यालयों में स्वीकृत 69 पदों के सापेक्ष 42 शिक्षक कार्यरत हैं, एवं 27 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदो की पूर्ति हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

जनपद पौडी के सन्तूधार में स्थापित राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय में प्रधानाचार्य तथा वार्डन (महिला) के रिक्त पद पर नियुक्ति

16–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद पौडी गढवाल के स्थान सन्तूधार में स्थापित राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय में प्रधानाचार्य तथा वार्डन (महिला) का पद रिक्त होने के कारण विद्यालय के सुव्यवस्थित संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है ?

यदि हाँ, तो रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति/तैनाती कर दी जायेगी ?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त विद्यालय में कार्यरत कतिपय शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति पर है ?

यदि हाँ, तो ऐसे शिक्षकों का विवरण क्या है तथा इनके स्थान पर शिक्षको की तैनाती करने/करवाने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

प्रधानाचार्य के रिक्त पद के प्रति प्रधानाचार्य की तैनाती कर दी गयी है। वार्डन को विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से तैनात करने के निर्देश दिये गये हैं।

जी हाँ।

श्री ओम प्रकाश वशिष्ठ, उप प्रधानाचार्य की तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31–07–08 को तथा श्री राजदर्शन सिंह नेगी, टी0जी0टी0 गणित की तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 29–11–2008 को पूर्ण हो चुकी है तथा उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31–03–2009 तक विस्तारित की जा चुकी है। उक्त अध्यापकों को 01 वर्ष का प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारीकरण दिया जाना विचाराधीन है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत रा0इ0कॉ0 एवं रा0हा0 में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के कुल रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती

17–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से राजकीय इण्टर कॉलेज एवं राजकीय हाईस्कूल है जिनमें अभी तक तक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की नियुक्ति/तैनाती नहीं की जा सकी है ?

इन विद्यालयों मे रिक्त पदों पर कब तक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापको की नियुक्ति/तैनाती कर दी जायेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज एवं राजकीय हाईस्कूलो मे प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापको के रिक्त पदों की सूचना समेकित रूप से निम्नवत् है :–

1–प्रधानाचार्य रा0इ0कॉ0 – 46 पद

2–प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 – 87 पद

सेवा नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियो की पदोन्नति के फलस्वरूप प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापको के पदों पर तैनाती की कार्यवाही गतिमान है।

प्रदेश में राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों मे अध्यापकों को सेवानिवृत्ति पर सत्रलाभ तथा दिये गये सत्रलाभ का विवरण

18–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजकीय और अशासकीय विद्यालयो में अध्यापकों को सेवानिवृत्ति के समय छात्र हित में सत्र लाभ दिया जा रहा है?

यदि हॉं, तो वर्तमान में कितने अध्यापकों द्वारा सत्र लाभ लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या 694/XXIV–2/2007 दिनांक 30 नवम्बर, 2007 के द्वारा प्रदेश में राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को छात्रहित मे अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र के अन्त तक पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

हाँ, क्या अव्यवस्था हो गई। अव्यवस्था वालों ने क्या व्यवस्था कर दी। (हँसी)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुपूरक प्रश्न नियम–33 के अन्तर्गत प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न अथवा उत्तर के सम्बन्ध में चर्चा करने की अनुज्ञा नहीं होगी तथा अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदस्य प्रश्नाधीन विषय सम्बन्धी तथ्यों पर अग्रेत्तर स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे। मान्यवर, इसमें यह ही नहीं लिखा गया है कि माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछें, दो पूछें या तीन पूछें।

श्री अध्यक्ष–

समझ लीजिए मैंने अपने विवेक से कर दिया है। (हँसी) मुझे 20 प्रश्न करने हैं आप चार भी नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका फैसला शिरोधार्य है।

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश, दूसरी सूचना माननीय सदस्य प्रेमानन्द महाजन तथा श्री नारायण पाल, तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी तथा चौथी सूचना चन्दन राम दास जी की सूचनाएं प्राप्त हुई। मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद में पीने का पानी की समस्या बरसात कम होने के करण भू–जल स्तर गिर जाने की वजह से ब्लाक भगवानपुर अति पिछड़े क्षेत्र में उत्पन्न हो गयी है इस क्षेत्र में अधिकतम इण्डिया हैण्ड पम्प के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। इण्डिया मार्क दो हैण्ड पम्प की बोर खराब होने के कारण बन्द हो गये हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट: [ ] गए अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस क्षेत्र में तत्काल पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प तत्काल लगवाये जाने आवश्यक है। पीने का पानी की समस्या के कारण क्षेत्रीय जनता परेशान हो गयी है। इसलिए आक्रोशित हो रही है। इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कर तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

उत्तरांचल वन विकास निगम पूर्वी कालाढूंगी (नैनीताल) में हो रहे नियम विरूद्ध मनमाने कार्यों के कारण लीज होल्डर्स में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

[मान्यवर, अवगत कराना है कि वन निगम, पूर्वी कालाढूंगी द्वारा विवादित लीज लोट 32 प्लाट नं0 15 क्षेत्रफल 22 है0 को पवन कुमार पुत्र श्री समीर चन्द, निवासी–नया बाजार रोड, गदरपुर को लीज पर दे दिया गया। लीज पर दिये गये प्लाटों में सिंचाई हेतु बोर की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है। परन्तु इस प्रकरण में बोर लगवाने हेतु रू0 18000/– का खर्च पवन कुमार द्वारा वहन किया गया। पवन कुमार द्वारा टेन्डर की राशि 10 नवम्बर को जमा करा दी गयी, परन्तु विभाग द्वारा कार्यादेश माह बाद दिया गया। पवन कुमार को आवंटित प्लाट में खड़ी फसल माननीय न्यायालय के आदेश के चलते पकने के डेढ़ माह बाद काटना पड़ा, जिससे पवन कुमार को काफी आर्थिक नुकसान पहुँचा। उस प्लाट की फसल काटकर विभाग द्वारा मानक से कम 302 रू0 कुन्तल के हिसाब से बेच दी गयी और सम्पूर्ण धनराशि के लिए विभाग के अधिकारियों को आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए कहने लगे तो उक्त पैसे में हिस्सेदारी मांगने लगे। इसी क्रम में समीर चन्द्र पुत्र श्री फतेहचन्द नि0 बिशनपुर, पो0 झगड़पुरी, गदरपुर ने कृषि लीज प्लाट पूर्वी कालाढूंगी में दिनांक 21–06–2002 को टेण्डर प्लाट संख्या 271, 273 टेण्टर में छीटे धान का निविदा डाला व 271, 273 के एग्रीमेन्ट में छींटे का धान विशेष रूप से अंकित किया गया था परन्तु समीर चन्द को कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, देहरादून द्वारा दिनांक 13–06–2003 को भेजे गये पत्र में यह लिखा था कि आपके टेण्डर में छीटा धान लिखा था जिस पर छीटे का अधपका धान वन निगम द्वारा जोत दिया गया। जिससे कि समीर चन्द को 14 लाख रू0 का आर्थिक नुकसान हुआ। वन निगम पूर्वी कालाढूंगी ने कार्यवाही से बचने के लिए समीर चन्द द्वारा दिये गये एग्रीमेन्ट एवं अन्य अभिलेखों को खुर्दबुर्द कर दिया। वन निगम पूर्वी कालाढूंगी के अधिकारियों द्वारा निगम विरूद्ध कार्यवाही कर लीज होल्डरों को आर्थिक नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस कारण लीज होल्डरों में रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से आवश्यक कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट [ ] गए अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत जिला आपूर्ति कार्यालय में फर्जी राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

श्री गणेश जोशी—

मान्यवर, देहरादून के जिला पूर्ति कार्यालय में फर्जी राशन कार्डों का बनना पिछले कई वर्षों से चल रहा है। प्रेमनगर क्षेत्र में 44 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानें हैं जिसमे लगभग सभी दुकानों में लगभग 40 से 50 प्रतिशत राशन कार्ड हैं। जिनका उल्लेख इस प्रकार है—

1—एक व्यक्ति के फोटो पर अलग—अलग नाम व पते पर राशन कार्ड बनाये गये है जो पूर्ण रूप से फर्जी है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को इसकी कोई जानकारी नहीं है तथा फोटो वाला व्यक्ति स्वय किसी अन्य दुकान से राशन लेता है।

2—कार्ड धारक का कार्ड जिस दुकान मे है उसी दुकान में उसका फर्जी राशन कार्ड फोटो बदलकर चलाया जा रहा है जिसमे दुकानदार की भी पूर्ण मिली भगत है।

3—ऐसे व्यक्ति जिनका स्वय का कोई सत्यापन नहीं है। उन व्यक्तियों का फर्जी राशन कार्ड विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।

4—ग्रामीण क्षेत्र का शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के पते मे भी राशन कार्ड बनाये गये हैं।

5—सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता द्वारा अधिकाश से ज्यादा राशन को काला बाजारी में बेच दिया जाता है। जिसकी रिकवरी होनी अति आवश्यक है। क्योंकि यह राशन जनता का है व सरकार के साथ धोखाधडी है।

बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के गरूड में उ०मा०वि० सिरकोट के प्रान्तीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री चन्दन राम दास—

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के तहसील गरूड में उ०मा०वि० सिरकोट जो एक अशासकीय विद्यालय है जिसमें उच्चीकरण एव प्रान्तीकरण न होने की दशा में प्रबन्ध समिति एव अभिभावको द्वारा 1 अगस्त से अनशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की सूचना सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस विद्यालय से 10 किमी० की परिधि में कोई हाईस्कूल व इण्टर कॉलेज न होने से बालिकायें शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हैं। प्रबन्ध समिति द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही शासन स्तर पर प्रान्तीकरण एव उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में की गई है, परन्तु शासन इस ओर संज्ञान नही ले रहा है।

अत: आपसे आग्रह है, कि इस लोक महत्व की सूचना का संज्ञान लेते हुए उ०मा०वि० सिरकोट के प्रान्तीकरण एवं उच्चीकरण किये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे। जिससे जन आन्दोलन को समाप्त किया जा सके।

*वक्ता ने भाषण पुनरीक्षण नहीं किया।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनांक 18 से 20 जुलाई, 2009 तक उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है.–

जुलाई, 2009

18 (शनिवार) अवकाश

19 (रविवार) अवकाश

20 (सोमवार)

विधायी कार्य

1– उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम अधिनियम, 1953) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2– वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा।

3– उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तिलक राज बेहड़ एवं डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (एक घण्टा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य–मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मिति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं पहली सूचना माननीय श्री केदार सिंह रावत जी, माननीय श्री बलवीर सिंह नेगी जी व माननीय श्री प्रीतम सिंह

जी द्वारा दी गयी है जो शिक्षा आचार्यों/अनुदेशकों/जिन्हें निकाल दिया गया है उन्हें पुन: राज्य स्तर पर समायोजन करने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री राजेश जुवांठा जी की है जो दिनांक 13–07–08 को डाकपत्थर में सड़क दुर्घटना में घायल छात्रों के समर्थन में वाहन मालिक के विरूद्ध रिपोर्ट करने तथा कार्यवाही के सम्बन्ध में और सड़क जाम करके लोगों पर दर्ज मुकदमों को समाप्त करने के सम्बन्ध में है। पहली सूचना नियम–310 की परिधि में नहीं आती है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि वह इस सूचना को सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अगर आप दुबारा दे सकते हैं। तो इसमें विचार किया जा सकता है। दूसरी सूचना भी नियम–310 के परिधि में नहीं आती है जो कि मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में जिसका मेरिट के आधार पर परीक्षण होता है तभी मुकदमा वापस लिये जाने पर विचार किया जा सकता है। (व्यवधान) कानून का उल्लंघन कर नियमों के विरूद्ध जाम किया है यह तो गलत है। (व्यवधान)

श्री राजेश जुवांठा–

मान्यवर, 23 छात्र–छात्राओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वे केवल मुआवजा की माँग कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

यदि नियमों का उल्लंघन करेंगे तो ऐसा ही होगा, जाम करने का क्या मतलब। इस सूचना को आप नियम–58 में दे दें। इस पर विचार कर लेंगे।

*श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सूचना को नियम–58 में आज सुन लिया जाय। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इसमें शासन से रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी, इसलिए आज नहीं सुन सकते हैं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत 1–श्री तस्लीम अहमद, श्री हरिदास, मो0 शहजाद, 2–श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा गोविन्द सिंह कुंजवाल, 4–कुँवर प्रणव सिंह, 5–श्री रणजीत सिंह रावत, 6–श्री किशोर उपाध्याय, 7–श्री करन मेहरा तथा श्री मनोज तिवारी, 8–श्री राजेश जुवांठा, 9–श्री नारायण पाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन, 10–श्रीमती अमृता रावत, 11–श्री गोपाल सिंह राणा की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से

*वक्ता ने भाषण पुनरीक्षण नहीं किया।

1–श्री तस्लीम अहमद, श्री हरिदास तथा मौ0 शहजाद, 2–श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3–श्री रणजीत सिंह रावत, 4–श्री राजेश जुवांठा, 5–श्रीमती अमृता रावत तथा 6–श्री नारायण पाल तथा प्रेमानन्द महाजन की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई (व्यवधान)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री किशोर उपाध्याय जी, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था और परसों भी आपसे निवेदन किया था कि आप अपने विधान मण्डल में तय कर लें कि कौन सी सूचना देनी है अगर मुझे करना है तो मैं अपने विवेक से सूचनाओं का चयन करूँगा। किसी के दबाव में नहीं करूँगा। आज 5 सूचनाऐं लेनी थी फिर भी हमने 6 सूचनाऐं ली हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। राजेश जुवांठा जी की इस सूचना को ले लें और वे नियम–58 की अपनी सूचना को वापस ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह तात्कालिक सूचना नहीं है। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, अब माननीय अध्यक्ष जी का विनिश्चय आ गया है उसे बदलना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, 22 तारीख के बाद जो विधान सभा के बाहर धरने पर बैठे हैं उन लोगों ने धमकी दी है और अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। (व्यवधान)

*हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार में अनियमितता किये जाने के विरूद्ध सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को निलम्बित कर जमा धनराशि शासन के पक्ष जब्त की गयी तथा जाँच चल रही है। मान्यवर, जाँच चलने का क्या मतलब है, जाँच होकर इसकी धनराशि जब्त की गई है और जो आदेश दिया था एस0डी0एम0 ने 131 के खिलाफ, तो यहाँ 58 में लाया गया है और जब यह सारी जाँच पूरी हो चुकी है और तमाम अनियमिततायें साबित हो चुकी हैं तो इसका आज तक लाईसेन्स जब्त नहीं किया गया है और दुकान बन्द नहीं की गई है, विधान सभा में इसका बयान दे दिया गया है कि निलम्बित कर दिया गया है। मान्यवर, यह जाँच भी है और आदेश भी है यह मैं आपके पास तक पहुँचा रहा हूँ, उसका आज तक पालन नहीं हुआ है।

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरिदास–

मान्यवर, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जो सरकार का वक्तव्य दिया जाता है, जवाब दिया जाता है वह सत्य नही है क्योंकि इसके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि सरकार ने जो यहाँ पर बयान दिया था वह यह दिया गया था कि उसकी जमा राशि जब्त कर दी गई है, उसकी दुकान का निलम्बन कर दिया गया है लेकिन निलम्बन न करके सिर्फ दूसरी दुकान के जो कार्ड उसके पास अटैच थे उन कार्ड को काट करके दूसरे राशन विक्रेता को दिया गया है, जो उसी गाँव में तीन दुकानदार हैं तो तीसरे दुकानदार को दे दिया, सिर्फ थोडे से कार्ड काटकर जो उससे पहले के दुकानदार थे जो निलम्बित थे उससे कार्ड काटकर उसको दे दिया गया, सिर्फ इतना काम किया गया है और सरकार ने पहले जवाब दिया था उसका निलम्बन किया गया है और निलम्बन के बाद धनराशि जब्त कर ली थी शासन के पक्ष में, पर वह फिर जमा कर ली जाती है लेकिन यह कहाँ का कानून है कि निलम्बन कर दिया और एक भी ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन उसने अपने गाँव का राशन नही बांटा हो। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार हमें यहाँ पर आश्वासन देती है यहाँ विधान सभा मे, यहाँ पूरे प्रदेश की जनता, पत्रकार देखते हैं, दर्शक दीर्घा में लोग देखते हैं, आई०ए०एस० देखते हैं और इधर 70–71 विधायक है और यहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल सत्य से परे होते हैं, तो आपके माध्यम से, माननीय सदन के माध्यम से सरकार से मेरी माँग यह है कि जो विधान सभा मे गलत तथ्य देते है यहाँ पर झूठी बात कहने का अवसर देते हैं ऐसे अधिकारियों को कडी से कडी सजा दी जाए और जाँच करके कि किसने कार्यवाही की, किसने शासन को जवाब भेजा है उसके खिलाफ कडी कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल झूठ बात है कि उसका निलम्बन नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यो ने जो चिन्ता व्यक्त की है कि जो यहाँ पर आश्वासन दिया गया वह पूरा नहीं किया गया तो उस पर मै शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि उसके ऊपर कार्यवाही करवा दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 24 फरवरी, 2009 को मै० तनवीर खाँ उचित दर विक्रेता की दुकान को समस्त प्रतिभूति की धनराशि शासन के पक्ष में जब्त किये जाने के आदेश दिये गये है तथा भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दी जाती है। मान्यवर, दुकान से सम्बद्ध उचित दर विक्रेता मै० नूरहसन की दुकान से सम्बन्धित राशन कार्डों को उसकी दुकान से हटाकर सुल्तानपुर स्थित अन्य विक्रेता मै० इरफान की दुकान से सम्बद्ध कर

दिया गया है। मान्यवर, वर्तमान में उक्त कार्यवाही के पश्चात् कार्ड धारकों के द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और एक बात विनम्रतापूर्वक आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि यह प्रकरण चूँकि 27-02-2009 को माननीय विधान सभा सदन के समक्ष उठा था और यह प्रकरण को आश्वासन संख्या 35/2009 के तहत माननीय आश्वासन समिति में विचाराधीन है और विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि आश्वासन समिति में विचाराधीन किसी प्रकरण पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री हरिदास-

मान्यवर, सीधी-सीधी बात है कि विधान सभा में आश्वासन दिया जा रहा है। (बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर पूर्ववत खड़े थे और एक साथ अपनी-अपनी बात कह रहे थे।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरिदास-

मान्यवर, उस दिन की कार्यवाही में भी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय भाई तस्लीम जी, माननीय शहजाद जी और माननीय हरिदास जी, यह मामला आश्वासन समिति के सुपुर्द है। अभी आश्वासन समिति का प्रतिवेदन आने तो दीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय शहजाद जी, माननीय तस्लीम जी और माननीय हरिदास जी और माननीय मंत्री जी के सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री शहजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने यहाँ पर से स्पष्ट आदेश दिये थे तो बीच में आश्वासन समिति कहाँ से आ गयी। माननीय अध्यक्ष जी, आश्वासन नहीं निर्देश दिये गये थे कि उसे निलम्बित कर दिया जाय। इसमें आश्वासन समिति कहाँ से आ गयी है। मैं आपको इसकी कार्यवाही दे रहा हूँ। मान्यवर, इसका आप परीक्षण करा दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

यह मामला आश्वासन समिति के सुपुर्द है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री हरिदास–

मान्यवर, इस पर कोई कार्यवाही होनी ही चाहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आप निकाल कर दे दें। मैं इसे दिखवा लूँगा और इसका परीक्षण करवा लूँगा।

श्री हरिदास–

मान्यवर, इसमें आपके आदेश के क्रम में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि निलम्बन कर दिया जायेगा। परन्तु एक दिन भी निलम्बन नहीं हुआ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, सदन में दिये गये आपके आश्वासनों की ऐसी धज्जियाँ उड़ायी जायेंगी इस उत्तराखण्ड का क्या होगा माननीय अध्यक्ष जी। आश्वासन देने के बाद भी वे अधिकारी आपके आदेशों को नहीं मानते हैं, जबकि यहाँ से क्लियर निलम्बन के आदेश दिये गये थे। वह अधिकारी, एक एस0डी0एम0 सरकार के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डालेंगे तो किस तरह से सरकार चलेगी। आपके आदेश और निर्देश देने के बाद भी पालन नहीं हो रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय प्रेमानन्द महाजन जी, आश्वासन समिति के सभापति हैं और माननीय प्रेमानन्द महाजन जी, कृपया इस आश्वासन का ठीक से परीक्षण करा दें। मामला आश्वासन समिति में है, इस पर परीक्षण होना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

हाजी तसलीम अहमद–

मान्यवर, इसमें आश्वासन समिति का सवाल नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रेमानन्द महाजन जी, आपके दल के सदस्य ही हैं। आप इस पर जबर्दस्ती न करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस विषय पर सदन में अगर सरकार के माध्यम से कोई आश्वासन आता है, तो वह आश्वासन तो आश्वासन समिति को जाता है। यह आश्वासन संख्या–35/2009 के तहत आश्वासन समिति में प्रकरण लम्बित है और आश्वासन समिति मे इस सम्बन्ध में विचार होगा। अगर सरकार के किसी निर्देश का अनुपालन यदि कोई अधिकारी नहीं करता है तो आश्वासन समिति के माध्यम से उस विषय पर कार्यवाही हो सकती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरिदास–

मान्यवर, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आश्वासन संख्या 35/2009 के तहत यह लम्बित है।

(बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय माहरा जी, आप अपनी नियम–58 की सूचना पर बोलिये।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, सन् 1861 से एक व्यवस्था इस भारतवर्ष मे शुरू हुई थी और आज भी पर्वतीय अंचल में उस व्यवस्था के तहत 70 से 80 प्रतिशत क्षेत्र उस व्यवस्था का लाभ लेता है। आज बडे कष्ट के साथ कहना पडता है कि 17 माह हो चुके है, आज राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी, जिनको राजस्व के साथ पुलिस का भी काम करना पडता है, आज 17 माह से उन्होंने पुलिस का कार्य करने मे अपनी असमर्थता जाहिर की है। आज यहॉं 70 से 80 प्रतिशत पर्वतीय अंचल का क्षेत्र उनके मातहत पुलिस की कार्यशैली में आता है, आज जितनी कार्यशैली पुलिस की है, सब रोक दी गयी है। आज पर्वतीय क्षेत्र के निवासी इसलिए परेशान है कि न तो उनकी एफ0आई0आर0 लिखी जाती है और यदि कोइं अनफोर्चुनेट एक्सीडेंट होता है तो, न ही उनकी डेड बॉडी वहॉं से उठती है, पचनामें के तहत। आज सारे कानूनगों, पटवारी और अनुसेवक पुलिस कार्य से मुँह मोडे है। मान्यवर, मुझे तकलीफ इस बात की है कि 17 माह हो चुके है, मार्च 2008 से उन्होंने पुलिस कार्य का बहिष्कार किया था। आज भी वही स्थिति है। जिस व्यवस्था को 1861 में ब्रिटिश काल में शुरू किया गया हो, वह केवल

*वक्ता ने भाषण पुनरीक्षण नहीं किया।

राजस्व तक ही सीमित नहीं है, भू–अभिलेखों और खसरा–खतौनी तक ही सीमित नहीं है। आज उस विभाग के अधिकारी, पुलिस के कार्य को भी पूरा करते है। यही नहीं पुलिस कार्य के अलावा वी०आई०पी० ड्यूटी करते हैं, जनगणना का कार्य करते है, मतगणना का काम करते है, जाति प्रमाण–पत्र देते है और करेक्टर सर्टीफिकेट भी देते हैं।

आज पूरे पर्वतीय अंचल में लोग परेशान है। क्षेत्र के लोग 18–18, 20–20 किलोमीटर पैदल चल कर तहसील हैडक्वार्टर मे आ रहे हैं। आज वहॉं पर तहसीलदार नही मिल रहे हैं, नायब तहसीलदार नहीं मिल रहे हैं। यह बडे कष्ट की बात है। मै कहना चाहता हूँ कि 3 आयोग बैठ चुके है, 4 आयोग बैठ चुके हैं, लेकिन उनके रख–रखाव के लिए उनके वेलफेयर के लिए और उनकी तनख्वाह की सारी विसंगतियॉं आज भी जस की तस हैं।

आज तक इन तीनों आयोगों मे इनकी कोई बात नही हुई। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं आज कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से इस सदन के माध्यम से, कि यह व्यवस्था कैसी है, जब देहरादून से कोई वी०आई०पी० चम्पावत, पिथौरागढ या पौडी जाता है, तो सीधे–सीधे सुबह से शाम तक 4 दिन तक पटवारी, अनुसेवक और कानूनगो वहॉं पर खडे हो जाते है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आज उनसे पुलिस का कार्य हटाकर, हम इन इलाको को रेगुलर पुलिस को सौंप देते हैं तो 7 अरब, 50 करोड की आवश्यकता इसके लिये पडेगी, जब कि आज केवल 60 करोड की बात पर वह अपने वेतन की विसंगति के समाधान की बात कर रहे हैं। तो आज उनके आन्दोलन को 17 माह हो चुके हैं, कोई सुध लेने वाला सरकार का नुमाइंदा नहीं है। मै आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है। 70 से 80 प्रतिशत जनता जो गॉंवों में रहती है, उन गरीबों की प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल है। आपके माध्यम से निवेदन है कि उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाय और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की शेष कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाय।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 की सूचना पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जैसा कि आदरणीय माहरा जी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था का काम राजस्व विभाग के कानूनगो से लेकर पटवारी को दिया गया था और उस व्यवस्था को विशेष रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्रो मे बहुत सराहा भी गया था और जनता उस पुलिस व्यवस्था से बहुत खुश थी। लेकिन वेतन विसंगति को लेकर के, वे 17 महीने से कानूनगो, पटवारी से लेकर सभी कर्मचारी हडताल पर हैं और उन्होने वहॉं पर पुलिस कार्य करना छोड रखा है। जिससे उन

पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, पुलिस से सम्बन्धित जो भी कार्य होते हैं, उसे इन लोगों के न करने से उनको बहुत दूर कार्यालयों में जाना पड़ रहा है, इससे उनके धन की अनावश्यक बर्बादी हो रही है। फिर वास्तविक स्थिति का जो आकलन उन ग्रामीण इलाकों में राजस्व पुलिस कर सकती है वह काम रेगुलर पुलिस नहीं कर पाती है, इससे आज लोग बहुत पीड़ित है। इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न पर मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ के जनमानस की भावनाओं को समझते हुए आज के सारे कामों को रोककर, इस पर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा और माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल द्वारा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यानाकर्षण नियम–58 के अन्तर्गत किया गया है। श्रीमन्, यह सत्य है कि उत्तराखण्ड का विषम भौगोलिक परिस्थिति का क्षेत्र है और आजादी से पूर्व से चली आ रही राजस्व पुलिस की व्यवस्था और इसके माध्यम से न केवल उत्तराखण्ड की शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, वरन् भू–अभिलेखों का रख–रखाव तथा अति महत्वपूर्ण कार्य राजस्व पुलिस के माध्यम से किये जाते हैं। मान्यवर, श्रीमन्, चूँकि राजस्व पुलिस संवर्ग के द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व पुलिस कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है और इस संवर्ग से सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा लम्बे समय से अपनी विभिन्न माँगों के सम्बन्ध में माँग उठाई जाती रही है। हमारी सरकार ने गम्भीरतापूर्वक इन सभी माँगों का इन संगठनों के साथ बैठकें करके संगठनों के विषयों को सुनकर, समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया और अभी तक शासन स्तर से अनवरत संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गयी और उसका कुछ परिणाम भी निकला और परिणाम काफी संतोषजनक निकला। जिनकी विभिन्न माँगों में से पुलिस कार्य का भत्ता बढ़ाया जाना, राजस्व पुलिस अनुसेवकों का कोटा 15 से 25 प्रतिशत बढ़ाया जाना, गोस्वारा भत्ता, स्टेशनरी भत्ता बढ़ाया जाना एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण की नियमित सुविधा दिया जाना आदि माँगें काफी हद तक स्वीकृति की स्थिति में है, या स्वीकृत हो गयी है।

इन राजस्व पुलिस कर्मियों की दो प्रमुख माँगें हैं, एक राजस्व पुलिस अधिनियम का गठन। हम सब जानते हैं कि राजस्व पुलिस अधिनियम, जैसा मैंने पूर्व में कहा सरकार स्वीकार करती है कि राजस्व पुलिस अधिनियम का गठन होना चाहिए ताकि समय–समय पर आने वाली कठिनाईयों तथा इन राजस्व पुलिस संवर्ग के जो कार्मिक है, उनको उचित सुविधा और उनके कार्यों को उचित स्तर पर निस्तारित किया जा सके और बहुत बेहतर तरीके से वे अपने कार्यों को अंजाम दे सकें, ऐसा प्रयास हो। इसके लिए श्रीमन्, इनके संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के माध्यम से जो विषय निकल कर आया और जिस

पर निर्णय हुआ राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ हेतु राजस्व पुलिस अधिनियम बनाये जाने, राजस्व पुलिस संवर्ग का पदनाम परिवर्तन करने, पटवारियों की शैक्षिक योग्यता के पुनर्निर्धारण, पटवारी चौकियों के सुदृढ़ीकरण आदि बिन्दुओं पर संस्तुति दी गयी और शासन ने आयुक्त गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जो इन सभी विषयों का निस्तारण करने के लिए अपने सुझाव सरकार को प्रेषित करेंगी। श्रीमन्, ये समिति अपना कार्य प्रारम्भ कर रही है। राजस्व पुलिस संवर्ग के वेतनमानों का पुनरीक्षण इनकी दूसरी प्रमुख मॉग है।

जब छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां इस राज्य में लागू हुई तो उसके पश्चात् इनके वेतनमान से सम्बन्धित प्रकरण समिति को जो वेतन समिति गठित थी, उसको प्रेषित किये गये और इन कार्मिकों को भी वेतन पुनरीक्षण किये जाने से सम्बन्धित जो भी विषय है, इस समस्याओं का निस्तारण हो, ऐसा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। श्रीमन्, इसमें समय–समय पर विचार–विमर्श करने के पश्चात् ये प्रकरण अभी लम्बित है और शीघ्र ही इसके निस्तारण होने की उम्मीद है।

जहॉं तक माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व पुलिस के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों में व्यवधान हो रहा है। निश्चित रूप से इनके कार्य बहिष्कार के पश्चात् कार्यों में व्यवधान होना लाजिमी है, लेकिन आम जनता को कोई कठिनाई न हो इसको ध्यान में रखते हुए सभी नायब तहसीलदारों से राजस्व पुलिस का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है जनता की कठिनाई का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाय। मैं माननीय सदस्यगणों से भी अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर सरकार पूरी तरह से गम्भीर है और इस विषय पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय निकले ऐसा प्रयास हम इनको संगठनों के साथ बैठक करके अनवरत हमारे शीर्ष अधिकारी कर रहे हैं और इस विषय को हम शीघ्र ही निस्तारित कर लेंगे। मेरा माननीय सदस्यगणों से भी अनुरोध है कि आप भी इसमें सहयोग प्रदान करें। मान्यवर, ताकि हमारा यह कार्य शीघ्र पूरा हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जो विषय माननीय सदस्यगणों ने ध्यानाकर्षण में उठाया है, सरकार इसमें पूर्व से गम्भीर है सरकार की विभिन्न कार्यवाहियों से यह बात परिलक्षित होती है कि सरकार इस विषय पर गम्भीरता से कार्य कर रही है। अतः यह कार्यस्थगन की सूचना अग्राह्य करने योग्य है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ। मान्यवर, जब प्रमुख सचिव वित्त की रिपोर्ट चली गई है, उसके बाद कोई समिति का गठन करके सदन के सामने इस विषय को रखने का क्या औचित्य है। मैं समझता हूँ कि साल भर पहले या छः महीने पहले प्रमुख सचिव, राजस्व के माध्यम से एक रिपोर्ट चली गई है आपको फाइनेंस को, उसके बाद कोई कमेटी का गठन हो, इसका कोई औचित्य नहीं होता।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि यह प्रकरण वेतन समिति को संदर्भित किया गया था, इसे वेतन समिति के द्वारा 18 फरवरी, 2009 को अवगत कराया गया है कि राजस्व पुलिस के वेतनमानों को उच्चीकरण के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। उसके बाद यह प्रकरण पुन: विभाग में वापस आया और विभाग ने वित्त विभाग को अपने परामर्श के साथ भेजा है, इसमें कार्यवाही गतिमान है। शीघ्र ही हम इसे सुलझा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य महेन्द्र सिंह माहरा, माननीय सदस्य गोविन्द सिंह कुंजवाल तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसका सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महूं भाई''–

मान्यवर, जब पटवारी को सब इस्पेक्टर की पावर है और कानूनगो को सी0ओ0 की पावर है। वेतन विसंगति के मामले में तीन आयोग बैठ गये हैं, अभी तक निराकरण नहीं हो रहा है, वह संशोधित नहीं हो रही है। कब होगा कब समिति बैठेगी और 17 महीने तक सरकार का वहाँ कोई एटेन्शन नहीं है। आज भी वह पुलिस कार्य का बहिष्कार कर रहे है। क्या होगा उस पर्वतीय अंचल का जहाँ पर 70–80 परसेन्ट भू–भाग में जो लोग रहते हैं, जहाँ रोज आपदा आ रही हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यह सदन की जवाबदेही है।

श्री अध्यक्ष

माननीय माहरा जी, इस पर मेरा विनिश्चय आ चुका है। इस सूचना को मैं अग्राह्य कर चुका हूँ।

*श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कार्यस्थगन पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग डिवीजन द्वारा दिनांक 26–10–2007 व 27–11–2007 को नौलीबाजार, गढ़ोत रामगंगा नदी, कालीमाटी रामगंगा नदी तथा मेहलचौरी काली नदी पर झूला पुलों के निर्माण के लिए चार निविदायें आई, एक विभागीय दरों के 01 प्रतिशत कम पर दूसरी विभागीय दरों के 25 प्रतिशत अधिक पर। बाकी जो तीन पुलों का निविदा थी उन पर भी विभागीय दर से 25 प्रतिशत अधिक पर निविदायें आयी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा 3 पुलों की निविदाओं को निरस्त कर दिया, जो विभागीय दरों से अधिक थी। वहीं नौली बाजार झूला पुल पर जो विभागीय दर से एक प्रतिशत कम थी उस निविदा के साथ अनुबन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके जिसकी 25 प्रतिशत अधिक थी उसके साथ अनुबन्ध किया गया और सरकार को लगभग 25 लाख का नुकसान पहुँचाया गया। इस तरह जनता के पैसे की बर्बादी की गई। चार झूला पुलो पर निविदायें आमंत्रित की जाती है एक 25 प्रतिशत अधिक वाले के साथ अनुबन्ध कर दिया जाता है और तीन की निविदायें इस आधार पर निरस्त कर दी जाती है कि आपकी दरें अधिक हैं। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की आज की सारी कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य रणजीत सिंह रावत जी द्वारा नौली बाजार गैरसैण विकास खण्ड मे रामगंगा नदी, कालीमाटी रामगंगा नदी तथा मेहलचौरी काली नदी पर झूला पुलो के निर्माण की निविदायें आमंत्रित करने से सम्बन्धित यह विषय यहाँ रखा गया है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह रावत जी द्वारा नौली बाजार गैरसैण विकास खण्ड मे रामगंगा नदी कालीमठ और मेहलचौरी में झूला पुलो के निर्माण की निविदायें आमंत्रित करने से सम्बन्धित विषय रखा गया है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नौली बाजार से नौली गाँव के मध्य झूला पुल निर्माण कार्य की निविदा दिनांक 20–12–07 को खोली गई थी। इस कार्य के सम्बन्ध में दो निविदायें प्राप्त हुई जिनमें से एक निविदादाता श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी द्वारा 1 प्रतिशत कम दर पर निविदा दी गई थी।

विभाग द्वारा कार्य के हित में बिना प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त हुए निविदा आमंत्रित कर ली गई थी। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार निविदा की दरें 45 दिन के लिए वैध होती है अर्थात निविदा प्राप्त होने के उपरान्त 45 दिन के अन्दर कार्य का अनुबन्ध निष्पादित किया जाना आवश्यक होता है, किन्तु इस कार्य के सम्बन्ध मे अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् मुख्य अभियन्ता स्तर–2 गढवाल क्षेत्र से दिनाक 3–6–08 को प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जा सकी और इस प्रक्रिया मे विलम्ब होने के कारण निविदा की वैधता अवधि व्यतीत हो गई। प्राविधिक स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 01–05–2008 द्वारा निविदादाता से निविदा की वैधता अवधि बढाने का अनुरोध किया गया किन्तु निविदादाता द्वारा अपने पत्र दिनांक 5–5–08 द्वारा स्टील की दरो मे भारी वृद्धि होने के आधार पर निविदा की वैधता बढाने मे असमर्थता व्यक्त करते हुए अपनी जमानत धनराशि वापिस ले ली गई। फलतः निविदादाता की उक्त निविदा को स्वीकार कर उनके पक्ष मे अनुबन्ध निष्पादित करना सम्भव नहीं हो पाया।

उक्त परिस्थिति में द्वितीय निविदादाता मैं0 भारत भूमि बिल्डर्स को अधिशासी अभियन्ता के पत्र दिनांक 9–5–08 के द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने तथा निविदा में प्रदत्त 25 प्रतिशत अधिक दर को कम करने हेतु लिखा गया जिसके क्रम में निविदादाता द्वारा अपनी निविदा की वैधता दिनांक 15–12–2008 तक बढ़ाने हेतु सहमति दी गई किन्तु निविदा की दरें कम करने हेतु वे सहमत नहीं हुए। चूँकि इस बीच स्टील की दरों एवं निर्माण सामग्री की दरों में भारी वृद्धि हुई थी। अतः विभाग द्वारा निविदादाता की दरों के सम्बन्ध में औचित्य परीक्षण किया। निविदादाता द्वारा प्रदत्त निविदा 25 प्रतिशत अधिक के आधार पर निविदा की धनराशि ₹ 64,92,184.10 कार्य से सम्बन्धित शिड्यूल की लागत ₹ 51,93,747.28 के सापेक्ष 25 प्रतिशत अधिक, कार्य की प्राविधिक स्वीकृति की लागत ₹ 58,20,887.18 से 11.53 प्रतिशत अधिक तथा औचित्य परीक्षण से निकली औचित्यपूर्ण लागत ₹ 70,42,267.15 से 7.81 प्रतिशत कम पाई गई। इस प्रकार, निविदादाता की दरें औचित्यपूर्ण परीक्षण से निकली लागत से कम होने के कारण प्रश्नगत निविदा 18–11–2008 को स्वीकार की गई। प्रकरण सम्बन्धी अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–2, गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त आख्याओं के सम्यक् अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से करने में शिथिलता बरती गई है जिस कारण कार्य से सम्बन्धित 1 प्रतिशत कम दर पर प्राप्त निविदा को समय से स्वीकार कर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही नहीं हो सकी। इस स्थिति के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु शासन द्वारा विस्तृत जांच कराकर दोषी अधिकारियों का चिन्हिकरण करते हुए उनके विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह रावत जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत अपनी बात को रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, प्रदेश में लगभग 200 प्रान्तीय रक्षक दल के जवान पूरी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं किन्तु बजट के होते हुए भी युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही विभाग द्वारा माह जून का उपस्थिति प्रमाण–पत्र जमा किया जा रहा है। समस्त जवान अपनी उपस्थिति जमा करने जब युवा कल्याण विभाग कार्यालय पहुँचे तो उन्हें यह बताया

गया कि आपको भुगतान सचिवालय प्रशासन ही करेगा तथा सचिवालय प्रशासन का कहना है कि अपनी उपस्थिति अपने विभाग में ही जमा करें वहीं से भुगतान होगा। मान्यवर, शासन के इस रवैये से इन जवानो के समक्ष रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है जिससे इन जवानों में भारी आक्रोश व्याप्त है वे कभी भी आन्दोलित हो सकते है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर नियम–58 के अन्तर्गत स्वीकृत कर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रदेश में कार्यरत प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों की समस्याओं के सम्बन्ध में दी गयी सूचना, सदन का ध्यान आकृष्ट किया है इस सम्बन्ध मे मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि पी०आर०डी० जवानों के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध मे दिनांक 15–06–2009 को सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मे सचिवालय प्रशासन विभाग के ओर से अवगत कराया गया था कि सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्तरो पर पी०आर०डी० के जो जवान तैनात हैं, उनके सम्बन्ध मे सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा न पूर्व में इनकी तैनाती आदि के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गये थे और न ही इन पी०आर०डी० जवानों की मांग सचिवालय प्रशासन द्वारा युवा कल्याण विभाग से की गयी थी।

सचिवालय मे वर्तमान में जितने भी पी०आर०डी० जवान तैनात हैं, वे विभिन्न स्तरों से सीधे युवा कल्याण विभाग से तैनात कराये गये है। उक्त बैठक में मुख्य रूप से लिये गये निर्णय का सार निम्नवत है। एक सचिवालय प्रशासन विभाग को उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत तैनात पी०आर०डी० जवानों का नाम एवं कार्य स्थल की एक सूची उपलब्ध करायेगा जिस पर सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी। दूसरी पी०आर०डी० जवानों के मानदेय का भुगतान सम्बन्धी प्रशासकीय विभाग के मजदूरी मद से किया जायेगा और बजट व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा की जायेगी। उपरोक्त के परिपेक्ष्य मे युवा कल्याण विभाग द्वारा 151 पी०आर०डी० जवानों की सूची उपलब्ध करायी गयी, जिसमें से सचिवालय प्रशासन के अतिरिक्त अन्य अधिष्ठानों मे तैनात पी०आर०डी० जवानों के नाम भी सम्मिलित है। इस परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति यह है कि सचिवालय अधिष्ठान के अन्तर्गत परिचारकों के कुल 287 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 140 नियमित कार्मिक, 5 तदर्थ तथा 30 उपसुल के माध्यम से इस प्रकार कुल 175 कार्मिक तैनात है और 82 पद ही रिक्त हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत तैनात पी०आर०डी० जवानों को मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध मे उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे नीतिगत निर्णय लिये जाने की कार्यवाही गतिमान है, तदोपरान्त ही लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री राजेश जुवांठा जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखण्ड में राशन की दुकानों में राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारे जो बी०पी०एल० और ए०पी०एल० परिवार हैं वो इस समय बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राशन की दुकान में न तो आटा पहुंच रहा है और न ही चावल, न ही चीनी और न ही मिट्टी तेल पहुंच पा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह कहना चाहती हू कि विभाग से सम्बन्धित माननीय मंत्री जी भी इस समय यहां पर उपस्थित नहीं हैं। यह इस बात से दृष्टिगोचर होता है कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग के प्रति कितने सतर्क हैं और उन्हें इसकी कितनी चिन्ता है उत्तराखण्ड के निवासियों के प्रति और तो और मैं एक बात बताना चाहती हूं और मुझे इतना दुख पहुंचा जब मैं देवप्रयाग विधान सभा में भ्रमण कर रही थी और गांव–गांव में पहुंच रही थी और वहां पर बी०पी०एल० और ए०पी०एल० के परिवार की माता और बहिनें मेरे पास आकर रो रही थीं कि हमारे गांव के राशन की दुकान में आटा, चीनी और मिट्टी तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, यह प्रसंग स्वयं उन माननीय मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र का था जो सम्बन्धित विभाग के मंत्री हैं। जब मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र की दुकानों में आटा, चीनी नहीं रहेगा तो हम अपने विधान सभा क्षेत्र की बात तो कह ही नहीं सकते हैं कि वहां की क्या स्थिति होगी ?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस बात में भी आकृष्ट कराना चाहती हू कि जिस प्रकार से मैंने परसों भी अपनी बात उठायी थी। मान्यवर, हमारी महिलाओं को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन नहीं दी जा रही है उन माताओं ने, भाईयों ने, बहनों ने यह कहा कि एक तो हमें पेंशन नहीं दी जा रही है और उसके ऊपर से राशन की दुकानों से राशन नहीं मिल रहा है। कैसे हम ₹ 17 किलो आटा और ₹ 20 चावल खरीदें, उनके पास पैसा है ही नहीं कि वे इतना महंगा राशन खरीद सकें। पेंशन न मिलने के कारण वे भुखमरी के कगार पर हैं, और ऊपर से राशन की दुकानों में राशन उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, और तो और मैं आपको देहरादून की राशन की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुकानों की स्थिति बताना चाहती हूं कि आप देहरादून पर्वतीय क्षेत्र की तो बात आप छोड़ दीजिए, दुर्गम स्थानों की बात छोड़ दीजिए। आज देहरादून जो अस्थायी राजधानी है और जिसको एक स्थायी राजधानी बनाने का एक मुद्दा बना रहे हैं, आज इस राजधानी में भी राशन की दुकानों में दो महीने से चीनी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, माननीय मंत्री जी, आप इस बात की जांच करा लीजिए और जो पहले 1 किलोग्राम चीनी दी जाती थी उसको घटाकर 800 ग्राम की गयी और फिर 800 ग्राम चीनी को घटाकर 600 ग्राम किया गया और आज 600 ग्राम चीनी को घटाकर 450 ग्राम चीनी प्रति यूनिट के हिसाब से राशन की दुकानों पर प्रदान की जा रही है, माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र पूरा दे रहा है केवल राज्य सरकार उसको राशन की दुकानों तक नहीं उपलब्ध करा पा रही है, और सारे राशन को ब्लैक किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा अधिक ठण्ड की वजह से और वहां पर और अधिक मिष्ठान न होने की वजह से लोग ज्यादा चाय का उपयोग करते हैं और अधिक मात्रा में मीठी चीनी उपयोग करते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेड की शरीर को आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेड और चीजों से न प्राप्त होकर चीनी से ही उनको प्राप्त होती है, और घर में भी अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है तो उसका स्वागत हम चाय पिलाकर जरूर करते हैं। अतः मैं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर सारी कार्यवाही रोककर आपसे चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, राज्य में ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 परिवारों को खाद्यान्न न उपलब्ध होने के सम्बन्ध में माननीया सदस्या श्रीमती अमृता रावत जी ने जो सूचना नियम–58 के अन्तर्गत उठायी है उस सम्बन्ध में, मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा राज्य के ए0पी0एल0 उपभोक्ताओं को प्रति माह गेहूं का नियमित आवंटन 2766 मी0टन एवं अतिरिक्त प्रति माह गेहूं का आवंटन 12000 मी0टन कुल 14766 मी0टन प्रति माह का आवंटन किया जा रहा है तथा ए0पी0एल0 उपभोक्ताओं को चावल का प्रति माह आवंटन 2324 मी0टन है। इसी प्रकार बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को प्रति माह 4043 प्रति माह गेहूं तथा 8095 मी0टन चावल का मासिक आवंटन किया जा रहा है। जिसका उठान कर जनपदों में वितरण सुनिश्चित किया गया है।

इसी प्रकार चीनी के उपभोक्ताओं को राज्य में भारत सरकार के द्वारा कुल 6033 मी0टन आवंटन किया जा रहा है और आवंटन के सापेक्ष चीनी उपभोक्ताओं को माह मई में मात्र 20 प्रतिशत तथा जून में चीनी मिलों द्वारा लेवी अंश न होने के कारण चीनी का

उठान नहीं हो सका था, परन्तु माह जुलाई, 2009 में भारत सरकार द्वारा 9600 मी0टन का आवंटन किया गया जिसका उठान की कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा माह जुलाई से अपनी चीनी मिल बाजपुर एवं डोईवाला से 500-500 मी0टन चीनी उपलब्ध कराई गई, जिसे जिलों में वितरण हेतु प्रेषित किया जा रहा है। मान्यवर, यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसा कि माननीया सदस्या जी ने कहा कि भारत सरकार से पूरा आवंटन हो रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि माह अप्रैल, 2009 से जून, 2009 तक 18099 मी0टन लेवी चीनी का भारत सरकार द्वारा आवंटन किया गया। जिसके सापेक्ष मात्र 5399.08 मी0टन चीनी मिलों से उपलब्ध हो पा रही है। इतना बड़ा अंतर श्रीमन्, दोनों फीगर में है इस सम्बन्ध में भारत सरकार से राज्य सरकार द्वारा पत्राचार किया जा रहा है और यहां के अधिकारियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करने के लिए भी निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करूंगा और माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध मे हमारी मदद करें, इस सम्बन्ध में भारत सरकार से राज्य सरकार द्वारा पत्राचार किया जा रहा है और व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क भी किया गया है, हमारे अधिकारी लगातार भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों से सम्पर्क कर रहे हैं। मान्यवर, भारत सरकार द्वारा कभी भी एक किलो प्रति यूनिट की दर से राज्य सरकार को चीनी आवंटित नहीं की गई थी।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, आठ सौ ग्राम की थी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपको बता देता हूं कि 18 हजार 98 मीट्रिक टन आवंटन का कोटा निर्धारित किया गया और उसके सापेक्ष हमें 5399 दिया गया, इसमें कितना कम है आप अनुमान लगा लें। फलस्वरूप राशन कार्ड धारकों को एक किलो प्रति यूनिट की दर से चीनी दिया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह भारतवर्ष में, अखण्ड भारतवर्ष के अन्दर राज्य है हमने कोई अलग देश नहीं बनाया है इसलिए जो भी व्यवस्थायें भारत सरकार निर्धारित करती है उसके अनुरूप हमें चलना पड़ता है। राज्य के समस्त सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को पूर्व से आदेश जिला पूर्ति अधिकारियों के माध्यम से निर्गत किये जा चुके है कि अपनी दुकान में मूल्य एवं स्टाक को प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ताकि कितना स्टाक उनके पास बचा है यह विषय समय-समय पर हमारे विभिन्न निरीक्षकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है और जन वितरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए,

अनियमितताओं को रोकने के लिए निरंतर जनपद स्तर पर परिवर्तन कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में 12624 निरीक्षण, 69 एफ0आई0आर0, 50 गिरफ्तारियां एवं 91 लाईसेन्सों का निलम्बन, 62 लाईसेन्सों का निरस्तीकरण तथा ₹ 560342 की जमानत राशि सरकार के पक्ष में जब्त की गई तथा 103540 लीटर मिट्टी का तेल पकड़ा गया।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह अप्रैल से मई तक कुल 1802 निरीक्षण किये गये, 07 एफ0आई0आर0 दर्ज की गई तथा 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 12 लाइसेन्स निलम्बित तथा 02 लाइसेन्स निरस्त किये गये तथा 72450 ₹ की धनराशि जब्त की गई। मान्यवर, इस प्रकार से राज्य सरकार लगातार जो कोटा आवंटित हो रहा है, उसका दुरूपयोग न हो और वह सही हाथों तक पहुंचे इस बात को सुनिश्चित कराने को कड़ाई से अनुपालन कर रही है, लेकिन भारत सरकार के माध्यम से मैंने जो आंकड़े आपके सामने रखे है निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई कमी है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय सदन से कि इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करें और हमारे समक्ष जब–जब इस प्रकार के विषय आते हैं हमारे पास पूरी सूची है कि कहां–कहां पर किस तरह से हमारे अधिकारियों ने इस विषय का कड़ाई से अनुपालन किया है, निश्चित रूप से अन्तिम व्यक्ति तक उसको राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसको मूलभूत आवश्यक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम निरंतर इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह सूचना अग्राह्य करने योग्य है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मदू भाई''–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सारे उत्तर यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दे रहे है। जबकि नियम–58 की नोटिस सुबह साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ बजे तक मिल जाती है।

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती अमृता रावत एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं जवाब न भी दू तो कोई भी माननीय मंत्री जी दे सकते हैं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मदू भाई''–

मान्यवर, जब सारे मंत्री उपस्थित हैं, देहरादून में हैं और कार्यालय में बैठे है और सुबह नोटिस मिल गयी, उसके बाद भी आप ही जवाब दे, इसमें दिक्कत नहीं है कि आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन यह परिपाटी नजीर अच्छी नहीं बन रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यदि आपको स्पष्टीकरण लेना है तो ले सकते हैं, यह सदन की समस्त कार्यवाही का जवाबदेह है संसदीय कार्य मंत्री हैं तो यह सदन का हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री नारायण पाल जी, आपकी सूचना देखने से लगता है कि आपने यह जो सूचना उपलब्ध कराई है फोटो स्टेट कॉपी है, आपने ओरिजनल नहीं दी है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि भविष्य में आप जो भी सूचना उपलब्ध करायेंगे, उसकी ओरिजनल कॉपी उपलब्ध करायें। यदि ओरिजनल कॉपी उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तो उस सूचना का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए फोटो कॉपी उपलब्ध करा रहा हूं, चूंकि सात साल से लगातार ये कॉपियां काम में आ रही हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पिछले सात साल से ये सूचनाएं काम आ रही हैं। (हंसी)

श्री नारायण पाल–

माननीय मंत्री जी, इस बात को भी समझ सकते हैं, चूंकि इस पर हर तीन माह बाद माननीय मंत्री जी, आश्वासन देते है, और अधिकारियों की तो बात ही कुछ और है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया विषय पर आइये।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उल्लेख करना चाहता हूं नैनीताल जनपद के चोरगलिया क्षेत्र, जहां एक देवा नदी है और इसके गलत प्रवाह हो जाने के कारण, इसका रूट चेंज होने के कारण, जो सितारगंज ब्लॉक है, उसमें नानकमत्ता पडता है जैसे कि आप जानते ही है कि नानकमत्ता एक बहुत बडा धार्मिक स्थल है, यहां पर शक्ति फार्म है। मान्यवर, जब नदी का रूट परिवर्तित हो जाता है तो इसके कारण यहां पर बहुत बडी बाढ आती है। माननीय मंत्री जी ने यहां पर जाकर बार–बार इसे देखा है। माननीय मंत्री जी ने कई बार जहाज से भी वहां के दौरे किये है, मैंने भी कई बार वहां पर दौरे किये हैं और

डी०एम० और कमिश्नर ने भी कई बार वहां दौरे किये हैं। मैं लगातार कई बार हाउस में इस विषय पर बोला हूं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है और अधिकारियों से कहा है, लेकिन बार-बार मुझे यह जवाब मिलता है कि गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में इसका करीब 08 करोड़ का एक प्रस्ताव भेजा गया है। और लगातार जब पांच साल तक कांग्रेस की सरकार थी और अब लगातार इस सरकार से ढाई साल से कह रहा हूं और लगातार मैं इसमें यह आश्वासन देखता हूं।

मान्यवर, इसमें कई बच्चों की बाढ़ में बहकर जान चली गयी, कई मवेशियें बह गये। यहां पर स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि थाने के जो पुलिस के कर्मचारी हैं, तहसील परगना के कर्मचारी हैं और जो हमारे नगरपालिका के चेयरमैन हैं, शक्ति फार्म के चेयरमैन हैं, नानकमत्ता में जहां पर गुरूद्वारा है, यहां के अधिकारी/कर्मचारी और कार्यकर्ता हैं, यहां की जो जनता है और इसके साथ-साथ जो एक औद्योगिक जोन यह बन रहा है। सिडकुल और एल्डिकों के माध्यम से एक इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, उसमें पानी आ जाता है, जबकि यहां पर सैंकड़ों इण्डस्ट्री चल रही है। मैं बार-बार माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता रहा हूं, सरकार से अनुरोध करता रहा हूं, अधिकारियों से इस बात को कहता आया हूं, लेकिन अभी तक जब भी मैं बात करता हूं वे कहते हैं 10 लाख रुपये दे दिये थे। मान्यवर, अगर 10 और 20 लाख रुपये से वहां पर काम चलता है तो आज वह 10 करोड़ का प्रस्ताव पटना गंगा बाढ़ नियंत्रण के पास क्यों गया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, जो बात मैं आज कह रहा हूं, उसकी गम्भीरता को समझ रहे होंगे। यह पूरा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का है, यहां पर बंगाली जो कम्युनिटी है वह आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर है। हर साल बार-बार बाढ़ में उनके घर बह जाते है, यहां पर बहुत खराब स्थिति है। सरकार ने कई बार राशि दी, लेकिन वह वहां नहीं गयी और लैप्स हो गयी। मैं बार-बार इस मसले को नियम-310 58, 53 के अन्तर्गत उठाता हूं इस पर बात होती है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कभी भी इसे गम्भीरता से इस बात को नहीं लिया।

मान्यवर, यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि जिला नैनीताल के जिलाधिकारी और ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी, कुमायूं के कमिश्नर और स्वयं मैंने वहां पर मोटर साइकिलों से दौरा किया और वहां पर 20 किलोमीटर तक हम घूमे हैं, लेकिन वहां से प्रस्ताव आ जाते है और यहां आकर वह डम्प हो जाते हैं। मैं इस बात को बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अभी दो महीने पहले की अगर आप जानकारी लेंगे तो जिला नैनीताल के जिलाधिकारी कार्यालय के

बाहर कुछ नौजवानों ने इस मामले में आत्मदाह करने की कोशिश की थी। यह गम्भीर मामला है और हमारे वजूद से जुड़ा हुआ है, हम वहां के जनप्रतिनिधि हैं इस मसले को लेकर हम बहुत परेशान हैं। यह बाढ़ की समस्या मेरे क्षेत्र में बहुत अधिक बनी हुई है। माननीय मंत्री जी ने कभी इसे गम्भीरता से नहीं लिया है।

मेरे लिए कोई उपयोगिता इस बात की नहीं होगी कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से नहीं बचा पाया, जब बच्चे मर जाते है, जानवर मर जाते हैं। मान्यवर, हजारों हेक्टेयर जमीन जो वहां कट गयी है, किसान बर्बाद हो गया है, वहां पर। लेकिन शासन के, सरकार के कभी भी दिमाग में यह बात नहीं आयी, वह अनुसूचित जाति, जनजाति और बंगाली बहुल क्षेत्र है। वे लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पीछे हैं। वहां से प्रशासन के लोग भाग जाते हैं, जब बाढ़ आती है, एस०डी०एम० अपना ऑफिस छोड़ कर भाग कर रूद्रपुर चला जाता है। सी०ओ० भाग जाता है। वहां के लोगों के घरों में पानी भर जाता है, स्कूल बन्द हो जाते हैं। सारे ब्लॉक और अन्य कार्यालय बन्द हो जाते है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जब वहां पर दौरा करता हूं, बाढ़ के समय तो मुझे ट्रक में बैठ कर जाना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी तो मोटर साईकिल में गये थे, अब ट्रक में जा रहे हैं।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय नारायण पाल जी से पूछना चाहता हूं आप 7 वर्ष से मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं तो बाढ़ नियंत्रण मंत्री दो वर्ष से हूं। तो 7 वर्ष से कैसे मेरे से कह रहे हैं।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं तो सरकार से और माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं। अभी सरकार इनकी है, पहले किसी और की थी। सरकार, सरकार होती है। अभी आपकी सरकार है, कभी किसी और की सरकार होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय नारायण पाल जी की पीड़ा सही है। वहां पर बाढ़ आती है और भूमि का कटाव भी होता है। 10 हैक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष

करती है। मैं स्वीकार करता हूं। आपने यह कहा कि माननीय मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हू कि जब हमने देखा कि वास्तव मे बाढ से काफी नुकसान हो रहा है। तो हमने 10 करोड 89 लाख 46 हजार रुपये का एक प्रस्ताव बना कर 19 जनवरी, 2009 को भारत सरकार को भेजा, इसमें 7 योजनायें है। आप कहें तो इसको पूरा पढ कर बता देता हूं। जब यह पैसा आ जाएगा तो हम इस काम को करेंगे। मै संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राज्य सेक्टर में हमने जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम कुटलिया फेज–2 की नन्धौर नदी से कटाव एवं स्पिल रोकथाम के कार्यों की योजना के लिए 35 लाख रुपया दिया है, यह 2008–09 मे दिया है। दूसरा, हमने जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम कुटलिया फेज–1 की नन्धौर नदी से कटाव एवं स्पिल रोकथाम के कार्यो की योजना के लिए भी 35 लाख रुपया दिया है। कैलाश नदी के लिए भारत सरकार को 19 जनवरी, 2009 को 5 करोड 36 लाख 93 हजार रुपये का आगणन भेजा है। कैलाश नदी बाढ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने 3 योजनाओ के लिए पैसा दिया है। सितारगंज तहसील के अन्तर्गत देवकली बिज्टी एवं कनकपुरा बिज्टी ग्रामो की कैलाश नदी में बाढ सुरक्षा के लिए 31 लाख 56 हजार रुपया दिया है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, यह कब दिया था, बता दीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह पैसा वर्ष 2008–09 मे दिया। सितारगंज तहसील के अन्तर्गत चौकापाट क्षेत्र की आबादी को कैलाश नदी की बाढ से बचाव हेतु बायें बैंक पर मार्जिनल बन्ध की निर्माण योजना हेतु 1 लाख 5 हजार रुपया तथा सितारगज तहसील के अन्तर्गत साधु नगर, टाडाफार्म बाढ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 1 लाख रुपया दिया है।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी नहीं है आप 1 लाख की बात कर रहे हैं, 35 लाख की बात कर रहे हैं। गंगा नियंत्रण बोर्ड के लिए जब 10 करोड का प्रस्ताव बनाया जा सकता है, तो क्या आप 35 लाख से उम्मीद कर रहे हैं कि वहा काम हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा वहां के लोगों को ?

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात आने दीजिए।

श्री नारायण पाल–

10 करोड़ का प्रस्ताव गंगा प्रदूषण बोर्ड को जा सकता है तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर 35 लाख से काम हो जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जितना बजट हमें बाढ़ नियंत्रण के लिये मिलेगा, हम उतना ही उस मद मे खर्च करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश के पास जितने संसाधन होंगे, उसी के अनुसार कार्य होगा। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा के लिये सरकार कटिबद्ध है और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, बजट आने के बाद हम इस पर कार्य करेंगे।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि .....।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री नारायण पाल एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मै इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय विधान सभा द्वारा व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में और प्रश्नो के सम्बन्ध में विषय आया था। तो मै उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हू कि संसदीय पद्धति और प्रक्रिया पुस्तक जिसे महेश्वर नाथ कौल तथा श्याम लाल शकधर द्वारा लिखा गया है और इसका हिन्दी अनुवाद गुरदीप चन्द्र मलहोत्रा द्वारा किया गया है, इसके अध्याय 19, पेज–435 में प्रश्नो की प्रक्रिया का विकास से सम्बन्धित हैं और इसी

के सम्बन्ध में पृष्ठ 479 में ''अनुपूरक प्रश्न'' शीर्षक में स्पष्ट किया गया है कि ''उस सदस्य को, जो प्रश्न सूची में सम्मिलित अपना प्रश्न पूछता है, मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर दिये जाने के बाद, दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। इसके उपरान्त, यदि किसी दूसरे सदस्य का नाम, उसी प्रश्न के लिये प्रश्न सूची में सम्मिलित है, तो उसे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। तत्पश्चात् कोई भी सदस्य, अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर, मूल प्रश्न और उसके उत्तर से उत्पन्न कोई अनुपूरक प्रश्न, किसी तथ्यगत विषय के स्पष्टीकरण के लिये पूछ सकता है। लेकिन सरकार से किसी प्रकार की नीति निर्धारित करने के आग्रह अथवा मंत्री से किसी प्रकार का आश्वासन लेने के प्रयोजन अथवा किसी मामले पर मंत्री की राय जानने अथवा मंत्री द्वारा पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट कर दिये जाने के बाद सरकार द्वारा लिये गये किसी निर्णय की सत्यता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने अथवा किसी मामले को, इसका आधार सुनिश्चित किये बिना उठाने की दृष्टि से अनुपूरक प्रश्न पूछना अग्राह्य है। अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिये, न कि जानकारी अथवा कार्यवाही करने के सुझाव दिये जायें। इन्हें बिना किसी प्रस्तावना के पूछा जाना चाहिये और मंत्री द्वारा इनके संक्षिप्त उत्तर दिये जाने चाहिये।'' इस प्रकार से इसमें और भी लिखा गया है और अंत में यह लिखा गया है कि ''यह निर्णय करना अध्यक्ष के विवेकाधिकार में है कि वह किस सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये बुलाना चाहते हैं। सबसे पहले उस सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है, जिसने मूल प्रश्न की सूचना दी हो, और उसे भी जिसका नाम प्रश्न सूची में साथ जुड़ा हो। जब तक किसी अन्य दल/ग्रुप से कोई और सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने वाला न हो, तो मूल प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य तथा जिस सदस्य का नाम प्रश्न सूची में साथ में जुड़ा हो, द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछ लिये जाने के पश्चात्, उसी दल/ग्रुप के एक से अधिक सदस्य को, सामान्यतः अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।'' अर्थात यह स्पष्ट है कि जो अनुपूरक प्रश्न आप पूछना चाहेंगे, उसके बारे में स्पष्ट निर्देश इसमें आ गये है और यह अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर आधारित है कि वह किन माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये अनुमति प्रदान करे। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसका संज्ञान लें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने आपकी अथॉरिटी पर कोई सवाल नहीं किया था, मैंने तो हमारी नियमावली के बारे में कहा था।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली अलग चीज है, प्रोसीजर अलग है और उसकी प्रायॉरिटी भी होती है।

विधान सभा समितियों के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–218, नियम–220, नियम–223 और नियम–262 के अधीन विधान सभा उत्तराखण्ड की क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति सम्बन्धी समिति, जिसमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, में कार्य करने हेतु निर्धारित संख्या में माननीय सदस्यगणों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत करता हूँ तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, एक छोटा सा विधेयक जो अति महत्वपूर्ण है, उसको मैं सम्मानित सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूंकि वर्तमान में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा अधिकरण विधेयक के माध्यम से वर्तमान में व्यवस्था चल रही है श्रीमन्, इसमें मूल अधिकरण की धारा–3 की उपधारा (2) के स्थान पर यह संशोधन प्रस्तावित है इस विधेयक के माध्यम से। अधिकरण में एक अध्यक्ष तथा दावों की संख्या के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार उपाध्यक्ष (न्यायिक), उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) और न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जा सकेंगे। परन्तु यह कि अधिकरण कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र एक कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि इसमें कोई रिक्ति रह गई है अथवा अधिकरण के गठन में किसी प्रकार का दोष है। राज्य के समस्त लोक सेवकों के सेवायोजन से सम्बन्ध विषयों के सम्बन्ध में विवादों के न्याय निर्णय के निमित्त व्यवस्था

करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण 1976 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–86 के तहत उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त है और इसके तहत श्रीमन्, जो व्यवस्था थी, उसमें अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) और न्यायिक तथा प्रशासनिक श्रेणी में न्यूनतम 5–5 सदस्य उतनी संख्या में होंगे, जितनी राज्य सरकार अवधारित करे। ये व्यवस्था मूल अधिनियम में थी धारा–3 में। चूँकि वर्तमान में यदि हम विचार करें श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष हमारे राज्य में कार्मिकों के वादों की संख्या बहुत न्यून है। उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में लगभग 250 वाद जिसमें नैनीताल खण्ड पीठ में लगभग 65 वाद, अर्थात् कुल 315 वाद लम्बित है और इतनी कम संख्या के वादों को देखते हुए इतनी अधिक संख्या में अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नामित किया जाना, इसमें ये समीचीन नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए ये छोटा सा संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें सम्मानित सदन से अनुमति की अपेक्षा करता हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संशोधन विधेयक सरकार लायी है। इसमें ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सदस्य संख्या और जो वादों की संख्या अभी है, वह आगे बढ़ भी सकती है। मान्यवर, समयानुकूल उसका परिवर्तन, प्रवर्धन करें, उसके लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बार–बार एमेन्डमेंट की आवश्यकता न हो। यह ठीक है कि राज्य की वित्तीय भार न पड़े। लेकिन एक तो उसकी बैठकें नियमित रूप से हो और जो भी व्यवस्था हम करें वह समुचित हो जिससे जो न्याय मिलने की प्रक्रिया है इसमें बाधा उत्पन्न न हो। सरकार को इस एक्ट में प्राविधान जरूर करना चाहिए क्योंकि अभी वादों की संख्या न्यून है, वह आगे बढ़ भी सकती है। ऐसा न हो कि हमें बाद में फिर से प्राविधान करने की आवश्यकता पड़े।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वैसे इसमें पूरी व्यवस्था दी गई है। आवश्यकतानुसार उपाध्यक्ष न्यायिक, उपाध्यक्ष प्रशासनिक और न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। इस प्रकार से संख्या पर्याप्त है। इस समय जो हमारे पास वर्तमान में वाद है और आने वाले समय में भी वाद दाखिल होंगे उसके हिसाब से पर्याप्त है। कभी ऐसा विषय आयेगा तो उसके सम्बन्ध में पुनः विचार करने के लिए सदन समर्थ है। लेकिन वर्तमान में ऐसी आवश्यकता नहीं है। इसमें हमने एक विषय और डाल दिया, जो इसका दूसरा खण्ड है कि इसके कारण कहीं रिक्ति रह गयी, इसके कारण अविधि मान्य नहीं होगी, यह प्राविधान डाला है। ताकि समय–समय के हिसाब से सदस्य नामित किये जायेंगे। उसके हिसाब से यह अधिकरण अपने आप में अपनी कार्यवाही के लिए पूरी तरह समर्थ रहेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मानानीय अध्यक्ष जी, यह विषय अपने आपमें महत्वपूर्ण विषय है। इसमें उपाध्यक्ष न्यायिक, उपाध्यक्ष प्रशासनिक इसके साथ ही साथ जो सदस्य संख्या नामित करने की बात आपने कही है उसका इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि सरकार द्वारा कितने सदस्य नामित किये जायेंगे। निश्चित रूप से सदस्य नामित करने का इसमें उल्लेख होना चाहिए। साथ ही साथ आपने यह बात कही है कि कार्यवाही होगी वह अविधि मान्य नहीं होगी। इसमें निश्चित रूप से यह भी न हो कि रिक्ति कितनी होनी चाहिए। इसमें कोरम की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मानानीय अध्यक्ष जी, इसमें स्पष्ट रूप से प्राविधान किया गया है कि प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा दावों की दृष्टि से आवश्यकतानुसार उपाध्यक्ष न्यायिक और प्रशासनिक तथा न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य समय–समय पर जिस प्रकार से दावो की संख्या के हिसाब से त्वरित निस्तारण हेतु लोक सेवा अधिकरण के गठन का प्रस्ताव इसके माध्यम से है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, दावे बढते रहते हैं तो सदस्य सख्या भी तदनुसार होगी। इसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि सदस्य दो रखेंगे या तीन रखेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। इसमें न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य तो हैं ही, लेकिन हमने जो प्राविधान डाला है और आवश्यकता नहीं है तो यह बाध्यता नहीं है, हम पाँच सदस्य का इसमें गठन करेंगे तो तभी कार्य करना प्रारम्भ करेंगे ऐसी बाध्यता इसके माध्यम से नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने यह रखा है कि सदस्य नियुक्त करेंगे। तो इसमें सदस्य सख्या क्या होगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य रहेंगे।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें क्या ऐसा है कि हम जब चाहे पाँच कर लें और जब चाहे दो कर लें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अगर आपके पास वाद कम हैं, सदस्य संख्या आपकी पाँच हो गई तो उनका कार्य क्या रहेगा, उनका उपयोग नहीं हो पायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इनको आपने सदन में रखा है। तो सदस्य संख्या सुनिश्चित होनी चाहिए। वाद बढ़ेंगे तो उस समय सदस्य संख्या आप रखेंगे। अगर आप सदस्य संख्या नहीं रखेंगे तो इसका तो औचित्य ही नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, दो उपाध्यक्ष बनाने की बात इसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष न्यायिक और उपाध्यक्ष प्रशासनिक होंगे। यह अपने आप में कोरम बन गया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने सदस्यों की संख्या तो सुनिश्चित की नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें सदस्य उल्लेख किया गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कितने होंगे। कोरम कितने का होगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

कोरम तीन का हो गया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कोरम तब पूरा होगा जब इसमें सुस्पष्ट व्यवस्था होगी। कितने सदस्य होंगे दो उपाध्यक्ष होंगे एक अध्यक्ष होगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसके हिसाब से तो पाँच सदस्य हैं। अगर आप इसे गौर से देखें। इसमें लिखा है कि एक न्यायिक और एक प्रशासनिक सदस्य रहेंगे और समय–समय पर हमको जो आवश्यकता होगी उसके अनुरूप सदस्यों को नामित करेंगे, वादों की संख्या के हिसाब से। जितने वाद होंगे क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें वादों की संख्या के हिसाब से उनको नामित करने की प्रक्रिया इसके माध्यम से निर्धारित होगी। हाँ, हमने एक व्यवस्था यह आवश्यक डाली है कि अधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि इसमें कोई रिक्ति रह गई है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, गणपूर्ति नहीं है न।

श्री प्रकाश पन्त–

गणपूर्ति पूरी होगी।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बैठकर तभी गणपूर्ति करेंगे या सदस्य के साथ ?

श्री प्रकाश पन्त–

गणपूर्ति तो तीन में हो गई।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

पहले जो प्राधिकरण है, जब उसका गठन हो जायेगा तभी तो गणपूर्ति की बात आयेगी। आपने तो अभी यही सुनिश्चित नहीं किया कि इसमें कितने सदस्य रखेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें स्पष्ट लिखा है। आप क्या स्पष्ट कराना चाह रहे हैं। इसमें स्पष्ट है कि अगर हमको सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता होगी तब हम इसमें सदस्य रखेंगे। वरना हमने एक उपाध्यक्ष न्यायिक और एक प्रशासनिक रखा है और एक अध्यक्ष रखा। तो तीन तो हो ही गये। तीन गणपूर्ति तो हो ही गई।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह तो और भी गम्भीर विषय हो गया। क्या आज सदस्य की आवश्यकता नहीं है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वादों के हिसाब से सदस्यों की आवश्यकता होगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आज है कि नहीं, आज के हिसाब से।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आज आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने लम्बित वाद नहीं हैं जिसमें उनकी आवश्यकता हो।

श्री प्रीतम सिंह–

जब वाद ज्यादा होंगे तो उस समय आप सदस्य को दुबारा नामित करेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें प्राविधान कर रखा है दुबारा लाने की आवश्यकता ही नहीं है। वादों की संख्या के हिसाब से जब हमें आवश्यकता पड़ेगी हम ले आयेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 5 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्ष

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या, वर्ष, 2009)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1976) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के उत्तराखण्ड राज्य मे प्रवृत्त के सम्बन्ध मे अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु–

विधेयक

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप मे अधिनियमित हो.–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य मे होगा।

(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

'उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड' का पढ़ा जाना

2\. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, मे जहॉं–जहॉं 'उत्तर प्रदेश' आया है, वहॉं–वहॉं 'उत्तराखण्ड' पढ़ा जायेगा।

धारा–3 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन

3\. मूल अधिनियम की धारा–3 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्.–

"अधिकरण में एक अध्यक्ष तथा दावों की संख्या के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार उपाध्यक्ष (न्यायिक), उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) और न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जा सकेंगे,

परन्तु यह है कि अधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति रह गयी है अथवा अधिकरण के गठन में किसी प्रकार का दोष है।

धारा–4 क की उपधारा (7) का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा–4 क में उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"इस अधिनियम के अधीन कार्य सम्पादन के लिए अधिकरण उसकी न्यायपीठ और सदस्यों की बैठक देहरादून मे या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, होगी।"

निरसन

5. उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 01 वर्ष, 2009) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 के खण्ड–5 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मै प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं भोजनावकाश के लिए।

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। श्रीमन्, आज एक अतिमहत्वपूर्ण विधेयक इस सम्मानित सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूंकि हिमालय के क्षेत्र में स्थित मध्य हिमालय राज्य उत्तराखण्ड, जिसके इस सम्पूर्ण भू–भाग के अन्दर जहाँ पर्वतीय भू–भाग है, 83 प्रतिशत श्रृंखलाएं हैं और 63 प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्र है। उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर गंगा, यमुना और शारदा नदियों का उद्गम स्थल स्थापित है। श्रीमन्, राज्य के अन्दर वन औषधियां प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं। इन वन औषधियां के लुप्त होने की सम्भावना बन रही है। इनकी पहचान और अभिलेखीकरण करना अतिआवश्यक है। इसके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य हो उस महत्वपूर्ण कार्य के आधार पर योजना हो यह अति आवश्यक है। हिमालय को प्राचीन काल से ही उच्च गुणवत्ता का भण्डार कहा जाता है। दिव्य गुणों से ये औषधिया जैसे संजीवनी इसकी उत्पत्ति भी हिमालय यानी उत्तराखण्ड को बतायी गयी है। श्रीमन्, वर्तमान समय में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि विश्व के बाजार में वन औषधियों के कुल मांग के सापेक्ष अपने भारत का बाजार भाव में इसका हिस्सा काफी कम है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड के अन्दर इन वन औषधियों की सम्पदा है और इसको बढावा दिये जाने के लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में, व्यवसायिक और शिक्षा के क्षेत्र में औषधियो को बढावा देने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की समस्याओं के निदान के साथ–साथ और युवकों को रोजगार के नये अवसर प्रदान कर पलायन रोका जा सकता है। श्रीमन्, इसके माध्यम से चाहे आयुर्वेद की ओर यहाँ के युवाओं का रूझान होगा वही यहाँ रोजगार भी सृजन होगा तथा राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

उत्तराखण्ड राज्य में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था एफ०आर०आई० स्थित है। जिसमें नान वुड फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की सहायता से आयुर्वेद के क्षेत्र में शोधन एवं विकास द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है वनौषधि सम्पदा का उचित कृषिकरण नियंत्रित दोहन, प्रजातियों का संरक्षण, ऋतुओं के अनुसार संकलन तथा उचित संग्रहण करने तथा डिफारेस्टेशन तथा गैर कानूनी व्यवसाय के रोकने की आवश्यकता है। जन जागरण के द्वारा स्थानीय जनता का सहयोग लेकर इस कार्य को किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना तथा शोध केन्द्रों की स्थापना, पाण्डुलिपियो का संग्रहण, वर्कशापों का आयोजन करके तथा परम्परागत वैद्यों से प्राप्त ज्ञान का अभिलेखीकरण करके उत्तराखण्ड में पर्याप्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना करके शैक्षणिक तथा व्यवसायिक गतिविधियो मे गुणात्मक वृद्धि की जा सकती है। उक्त विश्वविद्यालय मे आयुर्वेद में परम्परागत स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियों के अतिरिक्त देश एव काल के अनुरूप पंचकर्म, योग, नैचुरोपैथी तथा वनौषधियों से सम्बन्धित अन्य विषयों में डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ करके उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। विश्वविद्यालय और वनौषधि आधारित लघु औद्योगिक इकाईयो एक दूसरे के पूरक का कार्य करेंगी। वर्तमान मे विश्व जनमानस का ध्यान चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धति के रूप में आयुर्वेद की ओर आकृष्ट हो रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों को शिक्षा प्रदान करके विदेशी मुद्रा का अर्जन भी करेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यू0एस0ए0, रूस, हंगरी, साउथ अफ्रीका, यू0के0, जर्मनी, जिनेवा, आरमेनिया एवं जार्जिया में आयुर्वेद लोकप्रिय हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम में भी आयुर्वेद में अकादमिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम प्रधानमंत्री के कार्यकाल से ही तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र भारत की प्राथमिकताओं में रहा है। उत्तराखण्ड की वर्तमान राज्य सरकार भी आयुर्वेद के समग्र विकास हेतु राज्य को आयुष प्रदेश घोषित किया गया है। सतत् सहयोग की नीति तथा भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के संकल्प के साथ राज्य, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वदा अग्रणी रहा है। 1947 से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना की। शिक्षा को सामाजिक उत्थान के रूप में स्थापित करने की नीति के द्वारा उत्तराखण्ड सरकार ने भी इस क्षेत्र मे अग्रणी कदम उठाते हुए आयुर्वेद के उत्कृष्ट अध्यापक, यशस्वी चिकित्सक तथा अन्य प्रशिक्षित मानव शक्ति प्राप्त करने हेतु आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का निश्चय किया है।

यहाँ मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि श्रीमन्, वर्ष 2001 में माननीय मंत्री परिषद् द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में देश का द्वितीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन कतिपय कारणो से कार्यवाही उसमें नहीं हो पायी। जबकि इस अवधि मे राजस्थान राज्य में देश के द्वितीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। यहाँ मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि जामनगर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोकि पहला विश्वविद्यालय पूरे देश का है, गुजरात में स्थापित है। इसी तरह से जोधपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित है जो राजस्थान में है, जो दूसरा विश्वविद्यालय है और यह तीसरा विश्वविद्यालय अब बनने जा रहा है यदि माननीय सदन इसकी अनुमति देता है तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण कार्य इस राज्य के लिए, इस देश की जनता के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। श्रीमन्, महर्षि चरक की कर्मस्थली एव प्रसिद्ध दिव्य औषधि संजीवनी के प्राप्ति स्थल उत्तराखण्ड राज्य में जहाँ

65 प्रतिशत भू–भाग वनाच्छादित है तथा परम्परा से ही आयुर्वेद लोकप्रिय है, इसलिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना समीचीन एवं लोक हितकारी है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस विधेयक की मंजूरी दी जाए।

श्रीमन्, इसके अन्तर्गत हमने 65 विभिन्न धाराओं का समावेश किया है। इसके अन्तर्गत हमारे जो खण्ड हैं उनमें विभिन्न प्रकार के प्राविधान किए गए है, इसमें खण्ड–2 मे "विधेयक मे प्रयुक्त विभिन्न शब्दों और पदों को परिभाषित करने के लिए है।" खण्ड–3 में "शाश्वत उत्तराधिकार, विश्वविद्यालय का मुख्यालय सामान्य मुद्रा सहित, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ज्ञात नाम से एक निगमित निकाय का गठन तथा भूमि, भवन सम्पत्तियो का अधिग्रहण का उपबन्ध करता है।" खण्ड–4 मे "विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्‌देश्य का उपबन्ध करता है और खण्ड–5 में है "विश्वविद्यालय की शक्तिया और कर्तव्य का उपबंध करने के लिए", खण्ड–6 में है "विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार का उपबध करने के लिए", खण्ड–8 मे है "विश्वविद्यालय अथवा उसके परिसरों, संस्थानो, सघटक, सम्बद्ध महाविद्यालयो के निरीक्षण एव जाच का उपबंध करने के लिए है", खण्ड–10 में है "कुलाधिपति का उपबंध करने के लिए है", इसी तरह से खण्ड–18 "फार्मेसी निदेश तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों का उपबंध करता है", खण्ड–19 में है "विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का उपबंध करता है"। मान्यवर, इसी तरह से खण्ड–20, 21, 22 है और यह सारे खण्ड उसकी कार्यपरिषद् से सम्बन्धित इसमें उपबंध है। खण्ड–30 मे "परिनियमों का उपबंध है", खण्ड–31 में है "परिनियमों में संशोधन का उपबंध है", खण्ड–32 मे है "अध्यादेशों को बनाये जाने का उपबध करता है", खण्ड–33 मे है "सम्बद्धता, मान्यता और अनुमोदन का उपबंध करता है", खण्ड–36 में है "संस्थानों के अनुमोदन का उपबंध करता है", खण्ड–40 में है "स्नातकोत्तर अध्यापन का उपबंध करने के लिए है", खण्ड–42 है और इस तरह से 65–66 खण्ड इस अधिनियम के तहत हैं, इसके माध्यम से यह पूरी तरह से एक पूर्णतया लिये हुये विधेयक है जिसको मैं विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। इस विधेयक के अन्तर्गत विधेयक को अधिनियमित किये जाने और प्रवृत्त होने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य की संचित निधि से 4 करोड रुपया आवर्ती व्यय और विश्वविद्यालय की स्थापना पर 40 करोड अनावर्ती व्यय अन्तर्ग्रलित होगा और इसके लिए हमने इस वित्तीय वर्ष में एक करोड रुपया आयुष विभाग के बजट से प्राविधान किया है। इसके साथ ही साथ चूंकि इस राज्य के अन्दर वर्तमान में 2 राजकीय महाविद्यालय हैं, ऋषिकुल महाविद्यालय और गुरूकुल महाविद्यालय हैं और दो प्राइवेट महाविद्यालय है उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज और हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान

4 महाविद्यालयों के माध्यम से कार्य संचालित हो रहा है इस राज्य में, लेकिन सम्भावना बहुत व्यापक है क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर अगर हम आयुर्वेद की स्थापना की बात करते हैं, आयुर्वेद को बढ़ाये जाने की बात करते है तो निश्चित रूप से एक बहुत सही दिशा में उत्तराखण्ड की इस व्यवस्था को संचालित कर देंगे, उत्तराखण्ड जैसा कि हमने कहा कि अनेकों देशों ने इस आयुर्वेद की हमारी पद्धति को अपनाया है।

हम इस भारत भूमि के लोग, हम इस वीर वसुन्धरा के लोग, निश्चित रूप से इस विषय को आगे लेकर जाना होगा। आज उत्तराखण्ड के विभिन्न सुदूरवर्ती गांव में आज भी विद्यमान हैं ऐसे पुराने वैद्य, जो उत्तराखण्ड की वन औषधियों से विलक्षण तरीके से रोगों का निदान करते हैं, उनको आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और ये सब तभी सम्भव है जब हम इस दिशा में सार्थक कदम उठायेंगे। मान्यवर, मेरा अनुरोध है क्योंकि मैं आज की कार्यसूची देख रहा था इसको प्रवर समिति में सौंपे जाने का प्रस्ताव भी प्रतिपक्ष के माध्यम से नहीं रखा गया मुझे इसको देखकर अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि आपने एक सकारात्मक पक्ष लेते हुये, सकारात्मक रुख लेते हुये अपने इस विधेयक को निश्चित रूप से आप सहयोगात्मक रुख लेते हुये आप सर्वसम्मति रूप से इस विधेयक को पारित करेंगे, मै आपका आभार व्यक्त करूगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज एक महत्वपूर्ण विधेयक के माध्यम से सरकार ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का मान्यवर, प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मै अभी संसदीय कार्य मत्री जी को सुन रहा था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अनिल नौटियाल एव माननीय शहजाद जी, कृपया शांत रहे। माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मै अभी संसदीय कार्य मंत्री जी के भाषण को सुन रहा था जैसे हमने कल बजट भाषण की चर्चा मे भाग लेते हुए विचार व्यक्त किये थे कि भारतीय जनता पार्टी और सत्तापक्ष के हमारे मित्रों ने बजट को शब्दों के जाल में और बडे साहित्यिक शब्दों को ढूंढकर प्रस्तुत कर इस प्रदेश की जनता को जो वास्तविक समस्याए है चाहे वह शिक्षा की हो, मेडिकल की हो या तमाम अन्य प्रदेश की ज्वलन्त समस्याएं हैं। इन समस्याओ से कहीं न कहीं प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने का प्रयास किया गया

है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें किसी को कोई संकोच नहीं है कि आयुर्वेदिक शिक्षा और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति निश्चित रूप से इस प्रदेश की धरोहर रही है। इसमें भी किसी को संकोच नहीं है कि हजारों वर्ष पूर्व हिमालय की इस गोद मे बैठकर ऋषि–मुनियों ने न केवल इस देश को बल्कि पूरी दुनियां को जहां एक दर्शन, विचार दिया है, वहीं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जड़ी–बूटी के माध्यम से देश और दुनियां की जनता को स्वास्थ्य लाभ देने का भी काम किया है।

मान्यवर, रामायण का जो आज आचरण और वाचन करते हैं। हमने ये भी देखा है, जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और मूर्छित हो जाते हैं तो यह उल्लेख रामायण में भी मिलता है कि पवन पुत्र हनुमान मूर्छित लक्ष्मण के इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए हिमालय में संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। मान्यवर, यह एक मात्र ऐसी जड़ी–बूटी है, जो संजीवनी के रूप में रामायण में जिसका नाम दिया गया है। मान्यवर, संजीवनी से लक्ष्मण को जीवनदान मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि कांग्रेस पार्टी आयुर्वेदिक चिकित्सा के कभी खिलाफ नही रही है, हम आयुर्वेदिक चिकित्सा के हमेशा पक्षधर रहे हैं। मान्यवर, हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा की हमेशा हिमायत की, उसके हिमायती रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह रहा है कि मानव जीवन, एक दुर्लभ जीवन है। यह ऐसा जीवन है, जो ईश्वर ने, गॉड ने, खुदा ने या ऐसी शक्ति ने जो शक्ति इस पूरे ब्रह्माण्ड को संचालित करती है, उसने मानव जीवन को एक सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया है। जिसमें विल पावर है, सोचने–समझने की शक्ति है। ऐसा दुर्लभ जीवन मानव जीवन है। मानव जीवन की भलाई के लिए, ऐसी मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव का कल्याण हो सके, उसका स्वास्थ्य मजबूत हो सके। आज एवरेज एज को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में शोध हो रहे हैं और हमारे शोधकर्ता और वैज्ञानिक इस दिशा मे सफल भी हुए हैं। पहले मानव जीवन की जो एवरेज एज 60 के आस–पास थी, उसमें वृद्धि हुई है और 68 या 70 के आस–पास एवरेज एज हो गयी है। यह हमारे वैज्ञानिको के महान प्रयास से हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश मे आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रदेश मे होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सा को बढ़ाया जाना चाहिए और इस बात को हमने एक चुनौती के रूप मे लिया है। जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व मे, तब जो पहली मंत्रि–मण्डल की बैठक हुई, मंत्रि–मण्डल के सदस्य के रूप मे मुझे भी उस बैठक में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला था।

हमने उत्तराखण्ड के लोगों के स्वास्थ्य की चिन्ता करते हुए इस प्रदेश के अन्दर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया था। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया। निजी क्षेत्र में जौली ग्राण्ट मेडिकल कॉलेज पूर्व से

संचालित है। गुरू राम राय मेडिकल कॉलेज हमारे समय में निजी क्षेत्र में संचालित हुआ। यही नहीं हमने रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्णय भी उस समय नारायण दत्त तिवारी गवर्नमेंट ने लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से इस नये राज्य के सामने जहां तमाम चुनौतियां हैं, पेयजल की चुनौती है, शिक्षा की चुनौती है, वहीं सबसे बड़ी चुनौती, इस प्रदेश के सामने स्वास्थ्य की है। मैं अनेक अवसरों पर इस बात को कहता रहा हूं। जब भी स्वास्थ्य शिविर हुए हैं, अपने चिकित्सक मित्रों से मैं इस बात को कहता रहा हूं कि आज मेडिकल साइंस जितने भी दावे करे। इस दुनिया के अन्दर, इस देश के अन्दर चाहे जितने भी दावे हों लेकिन हम कहीं न कहीं बहुत नजदीक से और बहुत मजबूती के साथ यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियों को स्वीकार किया है या उस क्षेत्र में मुकाबला करने की स्थिति में आज हम हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा को आगे बढ़ाया जाना चाहिये। लेकिन हमारा विरोध है और विरोध दो कारणों से है कि सरकार ने सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिये, जैसा कि कल मैंने बजट भाषण में बोलते समय भी कहा था कि इन्होंने आटा, बेसन और सूजी पर ट्रेड टैक्स कम कर दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि प्रदेश की जनता को एक प्रतिशत ट्रेड टैक्स कम करने से, वैट कम करने से प्रदेश की जनता को सस्ता आटा, चावल और सूजी नहीं मिली। लेकिन लोकप्रियता अर्जित करने के लिये आंकड़े प्रस्तुत किये गये, जिससे जनता दिग्भ्रमित हो जाय, जिससे जनता को लगे कि यह सरकार हमारी बहुत हिमायती है, आटा, सूजी कम कर रही है। मान्यवर, केवल नारों से काम नहीं चलेगा, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है, अगर इनकी नीयत साफ होती और मन में खोट नहीं होता, हमें लगता कि वास्तव में इस प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को एक चुनौती के रूप में लेने की है तो हम प्रतिपक्ष में होने के बावजूद भी कहीं न कहीं इनके सुर में सुर मिलाते हुये दिखाई देते। यह हमारा और उनका मतभेद है और मतभेद इस बात को लेकर है कि आप आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि जीरो पर आउट होने वाली टीम का कप्तान बदल गया है। त्रिवेन्द्र जी, आप हस क्यों रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे मुझे देखकर हंस रहे हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि वे मुझे देखकर क्यों हस रहे है ?

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं उनकी खुशी में सम्मिलित हो रहा हूं। (हंसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर सचमुच इनकी नीयत साफ होती तो अच्छा लगता, लेकिन मान्यवर, इनकी नीयत साफ नहीं है। इनका एकमात्र मकसद है कि कैसे जनता में भ्रम पैदा किया जाय। मैंने हिटलर का अध्ययन किया है, हिटलर ने कहा है कि किसी भी असत्य बात को 100 बार कहा जाय तो वह असत्य बात भी सत्य प्रतीत होने लगती है। हिटलर जब किसी एक गांव पर धावा बोलते थे, तो कुछ घोड़ों पर कुछ खाली कनस्तर बांधकर ले जाता था, जब घोड़े के चलने पर वह खाली कनस्तर भड़भड़ाते थे तो दूसरे गांव वाले समझते थे कि पहले गाँव में इतना तहलका मच गया है, हाहाकार मच गया है और बिना लड़े ही भाग जाते थे। तो इस प्रकार से एक गाँव बिना लड़ाई के ही खाली हो जाता था। मान्यवर, यह हिटलर की टैक्टिस थी, जो विश्व विजेता हिटलर की टैक्टिस थी, जो हमारे प्रतिपक्ष में हैं, भले ही आप सत्ता पक्ष के हों, लेकिन हमारा प्रतिपक्ष तो आप ही हुए। तो मैं अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि......।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सदन की व्यवस्था के हिसाब से तो आप ही प्रतिपक्ष हैं और आपके सामने भी नेता प्रतिपक्ष लिखा गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं अपनी ओर से आपको प्रतिपक्ष कह रहा हूँ। हम तो प्रतिपक्ष हैं ही, लेकिन हमारा प्रतिपक्ष कौन हुआ, वह तो सत्ता पक्ष ही हुआ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, कहीं नेता प्रतिपक्ष अपने को हिटलर तो नहीं समझने लग गये हैं, क्योंकि वैसी ही इनकी कद काठी भी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि जनता को गुमराह करना, अफवाह फैलाना, इन्होंने निश्चित रूप से हिटलर से सीखा है। मान्यवर, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, हिटलर का जैसा हस्र आपका न हो, हिटलर जब लड़ते–लड़ते विश्व विजेता बनते हुए, उसको इतना अहम् हो गया था, जिस तरह बाजपुर चुनाव जीतने के बाद, धुमाकोट चुनाव जीतने के बाद, कपकोट चुनाव जीतने के बाद, हिटलर की तरह विश्व विजेता बनकर रसिया के अन्दर घुस गया हिटलर। उसने सोचा कि यह रसिया की फौज पीछे हटती चली गयी, हिटलर आगे बढ़ता चला गया। उसने सोचा रसिया की टीम मुझको देख डर रही है और जैसे ही रसिया के बीच में हिटलर की फौज घुसी, उसकी सप्लाई लाईन कट गयी और चारों तरफ से रसिया

की फौज ने उसे घेर लिया। उसकी फौज भूखों मरने लगी और उसी हिटलर को जिसको हम विश्व विजेता कहते हैं, उसको आत्महत्या करनी पड़ी मित्रों, आपने पार्लियामेंट में तो आत्महत्या कर ली है। आने वाले विधान सभा चुनाव में भी अगर यही हस, ये शब्दों के जाल में अगर आप प्रदेश की जनता को बांधने का प्रयास करेंगे तो आपको फिर आत्म हत्या लोक सभा की तरह करनी पड़ेगी। (हँसी)

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, ये आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का हिटलर से क्या सम्बन्ध है, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। मुझे यह कहना है कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, आपने नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय होता है, गढ़वाल विश्वविद्यालय आपके पास है, उसमें मैनेजमेंट भी है, उसमें टैक्नोलॉजी भी है, फैकल्टी है, उसमें कॉमर्स भी है, उसमे प्रौढ़ शिक्षा फैकल्टी भी है, उसमें एजुकेशन फैकल्टी भी है, उसमें पत्रकारिता फैकल्टी भी है, उसमे टूरिज्म फैकल्टी भी है। आप विश्वविद्यालय का स्वरूप छोटा क्यों करना चाहते है। आज आपने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाया, कल मैनेजमेंट विश्वविद्यालय बनेगा, फिर होम्योपैथिक विश्वविद्यालय बनेगा, मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय। माननीय अध्यक्ष जी, ये विश्वविद्यालय की बाढ़ खोलने से, बाढ़ प्रदेश में लाने से प्रदेश की शिक्षा चाहे मेडिकल शिक्षा हो, चाहे एकेडमिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, चाहे मैनेजमेंट शिक्षा हो, उसमें परिवर्तन नही होगा, प्रदेश का विकास नहीं होगा। क्वांटिटी की जगह गुण होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए।

आपके पास हरिद्वार में एक विश्वविद्यालय खुला है, संस्कृत विश्वविद्यालय। अरे मित्रो, आप तो अपने आपको संस्कृत के पोषक कहते हो, साहित्य के पोषक कहते हो, संस्कृत और आयुर्वेदिक एक दूसरे के पूरक है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, गीता की बात करें तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ऋग्वेद का वर्णन आयेगा तो आयुर्वेद का वर्णन जरूर होगा, अगर आयुर्वेद का वर्णन आयेगा तो ऋग्वेद का वर्णन आयेगा, रामायण की बात आयेगी, महाभारत की बात आयेगी, गीता की बात आयेगी। आपके पास संस्कृत विश्वविद्यालय है आपने उसी विश्वविद्यालय को, मान्यवर, आप भी अध्यक्ष हैं कभी आपको भी हरिद्वार जाने का अवसर मिलेगा तो संस्कृत विश्वविद्यालय जो पूर्व में ही हरिद्वार में स्थापित है, उसकी हालत देख कर आपको निश्चित रूप से तकलीफ होगी। सरकार उस विश्वविद्यालय के भवन को

इसलिए नहीं बना पा रही है कि सरकार के पास संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन को बनाने के लिए पैसा नही है। एक तरफ आप रोना रो रहे हैं कि धनाभाव के कारण संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा है। या तो आपको यह सोचना होगा कि हम संस्कृत के खिलाफ हैं, केवल आयुर्वेदिक के पक्षधर है, संस्कृत के खिलाफ है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस संस्कृत की भी पक्षधर है। और आयुर्वेद की भी पक्षधर हैं। हम तो यह चाहते थे आपकी सरकार घोषणा करती है कि हम संस्कृत विश्वविद्यालय में जो एकेडमिक एजुकेशन हो रही है, वेदो पर रिसर्च हो रही है, रामायण, महाभारत पर, गीता पर रिसर्च हो रही है, वही हम एक फैकल्टी संस्कृत विश्वविद्यालय के तहत आयुर्वेदिक फैकल्टी की स्थापना हमारी सरकार करती, तो हम आपका आज समर्थन करते।

मान्यवर, लेकिन आपको तो सस्ती लोकप्रियता चाहिए, वाहवाही चाहिए कि सरकार ने आयुर्वेदिक को बढावा देने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा की संस्कृत विश्वविद्यालय मे एक फैकल्टी खुल जाती, तो उस विश्वविद्यालय का स्वरूप भी बढता, तो निश्चित रूप से हरिद्वार की जनता, उत्तराखण्ड की जनता का आयुर्वेद शिक्षा से ज्ञान बढता है, वहाँ से हमारे विद्यार्थी निकलते, हमारे डाक्टर निकलते। उत्तराखण्ड की जडी बूटियों पर रिसर्च होती संस्कृत विश्वविद्यालय में, उससे निश्चित रूप से हमको फायदा होता। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें विश्वविद्यालय का मतलब आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, राज्य का मतलब उत्तराखण्ड राज्य, ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ, आप कहूँ तो आपका मतलब सरकार से। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की नीयत में इसलिए भी खोट नजर आता है, इस देश के सामने इस शिक्षा व्यवस्था का भगवाकरण करने के लिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त करने के लिए यह सरकार एक एक्ट लाई, एक संशोधन लाई। हमने उसका विरोध किया था, पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया था। वह प्रवर समिति को सौंपा गया है, अभी प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के सम्मुख आना बाकी है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब हम एक विश्वविद्यालय का एक्ट देख रहे हैं विधेयक हम देख रहे है। इसके अध्याय–3 मे देखेंगे आज तो वह सारे प्राविधान इस विश्वविद्यालय के गठन में किये जा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है, जो एक्ट मे संशोधन करने के लिए प्रवर समिति को विश्वविद्यालय विधेयक गये हैं, जो संशोधन सरकार उस पर नियम नियमावली में करना चाहते थे, वही सारे संशोधनों के साथ विश्वविद्यालय की स्वायत्ततता को समाप्त करने का कुलाधिपति की, जिसको हम चांसलर कह रहे हैं, महामहिम राज्यपाल की शक्तियो को कम करने का इस एक्ट में प्राविधान है। आप देखेगे सरकार जो विश्वविद्यालय संशोधन लाई थी उसमे और इसमें कोई अन्तर नही है।

अध्याय–3 में लिखा है, निरीक्षण और जाँच, राज्य सरकार के किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे वह निर्देश दे विश्वविद्यालय संस्थान व संगठन व महाविद्यालय स्ववित्त संस्थान जिसमें उसके भवन पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला सम्मिलित है, उसका निरीक्षण करने का, अध्यापन तथा अन्य कार्य करने का अधिकार सरकार को है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस बात का विरोध किया। क्योंकि विश्वविद्यालय अपने आप में स्वायत्त संस्था होती है। आज शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, आयुर्वैदिक चिकित्सा शिक्षा में, होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा में, एलोपैथिक चिकित्सा में आप अगर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ायेंगे तो निश्चित रूप से आज आप सरकार में है, कल हम सरकार में होंगे, कल और पार्टी की सरकार प्रदेश में होगी। लेकिन जितना हस्तक्षेप आप उच्च शिक्षा में बढ़ायेंगे उतनी ही शिक्षा व्यवस्था चरमरा जायेगी। शिक्षा व्यवस्था का सरकारीकरण हो जायेगा। जो दुर्गति आज इन्टर कॉलेजों और हाई स्कूलों की हुई है वैसी ही दुर्गति विश्वविद्यालयों की हो जायेगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जो एक्ट में प्राविधान किये गये है, कुलपति के मामले में, इसलिए मैंने कहा इस सरकार की नियति साफ नहीं है। कुलपति की नियुक्ति करिये, कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलपति के पद में रहने पर कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा तथा वह कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार की संस्तुति पर ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम पर धारा–2 के उपबन्धों के अधीन गठित समिति द्वारा जिसको हम सर्च कमेटी कहते हैं। राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे। इस पर घोर आपत्ति है। यह जो एक्ट में प्राविधान है इसमें हमको आपत्ति है। क्योंकि यह कुलाधिपति के अधिकारों का हनन है।

माननीय अध्यक्ष जी, अब तक की जो व्यवस्था है उसके अनुसार कुलाधिपति एक सर्च कमेटी गठित करते हैं, विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए। वह सर्च कमेटी अगर उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विश्वविद्यालय है तो शिक्षा सचिव, यह चूँकि चिकित्सा से सम्बन्धित है तो चिकित्सा सचिव उसके सदस्य होते हैं। कुलाधिपति का नामित सदस्य होता है। हाइकोर्ट का एक जज या सेवानिवृत्त जज उसका एक सदस्य होता है। इस तरह एक सर्च कमेटी विश्वविद्यालय में कुलपति को चयनित करने के लिए पैनल बनाया जाता है और वह कमेटी राज्य सरकार को नाम प्रस्तुत करने के बजाय जो अब तक एक्ट में प्राविधान है, विश्वविद्यालयों के एक्ट में जो प्राविधान है, वह सीधे सरकार के बजाए सीधे कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। महामहिम राज्यपाल उस सर्च कमेटी के पैनल में से किसी एक को कुलपति नामित करते हैं। क्या माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में दो–दो एक्ट चलेंगे। एक एक्ट विश्वविद्यालय का एक्ट इस प्रदेश में पहले से बना हुआ है। जो संशोधन सरकार लाई थी वह प्रवर समिति को सौंपा गया है और एक अलग विश्वविद्यालय के गठन के लिए राज्यपाल की शक्तियों को

कटौती करते हुए कुलाधिपति की शक्तियों में कटौती करते हुए सरकार ने शक्तियाँ अपने पास ले ली कि सर्च कमेटी पैनल हमको देगी, अगर हम उस पैनल से संतुष्ट होंगे तो राज्यपाल को भेज देंगे अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो हम पैनल को वापस कर देंगे। इसलिए इनकी नीयत में खोट नजर आता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा था कि अगर विश्वविद्यालय में तीन-तीन शक्तियाँ केन्द्र बनेंगी तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थायें चरमरा जायेंगी। एक शक्ति केन्द्र होगा कुलपति, दूसरा शक्ति केन्द्र होगा प्रति कुलपति और तीसरा शक्ति केन्द्र होगा फाइनेन्स आफिसर जिसको हमने वित्त अधिकारी कहा है और चौथा शक्ति केन्द्र होगी विश्वविद्यालय में कुल सचिव, जिसको हम रजिस्ट्रार कहते हैं। तो चार-चार शक्ति केन्द्र अगर विश्वविद्यालय में बन जायेंगे तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की क्या स्थिति होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रति कुलपति की नियुक्ति के मामले में माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा कभी नहीं होता है कि विश्वविद्यालयों में अब तक जो पूरे हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति को नामित करने के लिए, मनोनीत करने की जो व्यवस्था है, उसमें विश्वविद्यालय के किसी सीनियर प्रोफेसर को कुलपति नामित करते है। आपने प्रति कुलपति नामित करने के लिए जो व्यवस्था की है, उसके अनुसार प्रति कुलपति राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा आचार्यों में ऐसी रीति से ऐसी सेवा शर्तों और नियमों पर नियुक्त किया जायेगा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा विहित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति को नियुक्त करने में भी अपना हस्तक्षेप बढ़ाया है। जब कि अब तक विश्वविद्यालय में जो स्थिति है, कुलपति के द्वारा नामित किया जाता है जो व्यक्ति प्रति कुलपति अगर सीधे राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर कुलाधिपति के द्वारा नामित किया जायेगा तो वह निश्चित रूप से कुलपति के प्रति जिम्मेदारी नहीं होगा। एक अलग शक्ति केन्द्र विश्वविद्यालय में हो जायेगा। वर्तमान में भी यह व्यवस्था है कि फाइनेन्स ऑफिसर और रजिस्ट्रार यह स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। स्टेट सर्विसेज के अधिकारी होते हैं। फाइनेन्स ऑफिसर एकाउन्ट सर्विसेज का अधिकारी होता है और रजिस्ट्रार स्टेट की प्रशानिक सेवा का अधिकारी होता है तो निश्चित रूप से यह पूर्व में भी व्यवस्था है तो राज्य सरकार के दो प्रतिनिधि विश्वविद्यालय में पहले से नामित होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रति कुलपति, कुलपति के नियुक्ति के मामले में सरकार का जो हस्तक्षेप है, निश्चित रूप से सरकार की मंशा विश्वविद्यालय में अपने चहेतों को बैठाने की है। इस सरकार की मंशा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के गठन की नहीं है। मान्यवर, इस सरकार की मंशा ऐसे कुलपति और उप कुलपति को बैठाने की है जो सरकार के चेहते हो। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम इस आयुर्वेद विश्वविद्यालय का विरोध करते हैं इसलिए विरोध नहीं करते

है कि आयुर्वेद चिकित्सा नहीं बढ़ायी जानी चाहिए हम समर्थक हैं लेकिन निश्चित रूप से जो सरकार की गलत नियत है और सरकार की जो गलत मंशा है, हमको सरकार पर आशंका है। इसलिए हम इस आयुर्वेद विश्वविद्यालय का विरोध करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आयुर्वेद विश्वविद्यालय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस विधेयक को वापस लें और संस्कृत विश्वविद्यालय की फैकल्टी को बढ़ाने की बात करे। इससे प्रदेश की जनता का भी भला होगा। क्योंकि जिस तरह से योजना में जो मुझे जानकारी 450 हजार करोड़ रुपया का जो वार्षिक बजट था वह निश्चित रूप से घटकर 350 हजार करोड़ रुपया रह गया है और हर वर्ष बजट बढ़ता है और इस सरकार का बजट घट रहा है और ऐसी स्थिति में जब हमारे पास बजट कम हो और योजना घट रही हो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय खोलना और कुछ लोगों को खुश करना और प्रदेश की जनता का पैसा खर्च करना अपव्यय होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक को वापस ले। जिससे की इस प्रदेश की गरीब जनता का धन बच सके और निश्चित रूप से जो संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाय और धन भी बच जाय और हमारे आयुर्वेद चिकित्सा का भी भला हो सके। मान्यवर, यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ।

चौ० यशवीर सिंह—

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस आयुर्वेदिक विधेयक पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जो विश्वविद्यालय का गठन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यह सरकार का सही कदम है। मान्यवर, सबसे पहले जो लाभ होगा वह हरिद्वार जिले को होगा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हरिद्वार जिले में एक नया विश्वविद्यालय आयेगा और नये स्रोत के साधन बनेंगे और नयी सोच की उन्नति होगी और विकास होगा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने अभी कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ नहीं होती तो इसको बनाने का निर्णय क्यों लेती ? मैं समझता हूँ कि सरकार की नीयत एकदम साफ है। (तालियों की गड़—गड़ाहट) माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत बिल्कुल साफ है। मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार को बधाई दे रहा हूँ। (तालियों की गड़गड़ाहट) (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसे किसी विश्वविद्यालय से अटैच कर देना चाहिए। मैं इसे इंसाफ नहीं कहता हूँ क्योंकि यह इतना बड़ा शोध का विषय है और इतना बड़ा है कि इसको स्वतंत्र विश्वविद्यालय ही बनाना चाहिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी स्थापना हेतु ऋषिकुल ब्रह्मचर्य का आश्रम को चयनित किया गया है और उसकी जो कार्यकारिणी है जब तत्कालीन सरकार में जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसने एक प्रस्ताव पास किया था कि अगर इस भूमि पर आयुर्वेद

विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है तो हम इस भूमि को निःशुल्क आयुर्वेद कॉलेज को दे देंगे और यही कार्य इस सरकार ने करके दिखाया है। इस भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और निश्चित रूप से यह भूमि सबसे अच्छी मानी जायेगी विश्वविद्यालय खोलने के लिए, माननीय अध्यक्ष जी, जब आदमी बीमार होते हैं स्वास्थ्य लाभ अर्जित करने के लिए केवल तीन ही चीजों पर विश्वास करता है चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो और आयुर्वेदिक हो। मान्यवर, आज भी गाँव में चले गये होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पर ज्यादा विश्वास करते है। आज भी गाँव में चले जायें जब कोई बीमार (बुखार से) होता है तो पूछा जाता है कि इसे तुलसी की चाय पिला दीजिए ठीक जो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, जो भूमि सरकार ने ली है वह 2 करोड़ रू0 की भूमि है, उसमें बाग भी है उसमें भवन भी है और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी भूमि सरकार को मिलने वाली नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार का सही निर्णय है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के बनने से माननीय अध्यक्ष जी, यह नहीं कि सरकार को लाभ होगा यह नहीं है इसका सीधा लाभ पब्लिक को ही होगा। इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें आयुर्वेदिक क्षेत्र के लिए शोध के लिए नई–नई औषधियों का निर्माण होगा, अगर इसमें हॉस्पिटल का निर्माण होता है तो निश्चित रूप से जो हॉस्पिटल बनेगा वहाँ के लोग उस हॉस्पिटल का फायदा उठायेंगे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, कि इसका लाभ केवल हरिद्वार को ही होगा बल्कि इस आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के बनने से इसका लाभ उत्तराखण्ड को तो क्या पूरे हिन्दुस्तान को इसका लाभ होगा, (मेजों की थपथपाहट) अन्त में अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को यही समाप्त करके पुनः एक बार मैं इस सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ एक ओर सरकार पूरे राज्य में आयुष ग्रामों की स्थापना कर रही है उसी के साथ सरकार ने एक निर्णय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का लिया है और निश्चित रूप से हम कह सकते है कि हमारी इसी देवभूमि जो आयुर्वेद की जननी कही जाती है जहाँ महर्षि चरक की यह कार्यस्थली कही जाती है, जहाँ पर किवदंती है कि यहाँ पर संजीवनी भी स्थापित है, संजीवनी की अभी जनपद चमोली में ही खोज भी की जा रही है जो निश्चित रूप से इस आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बनने से जहाँ हमारी जड़ी–बूटियों की खोज की जायेगी वही इस आयुर्वेद विश्वविद्यालय से हमारे बेरोजगार युवाओं को नया रोजगार भी प्राप्त होगा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, इस विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय पूर्व में 23 दिसम्बर, 2001 को पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लिया गया था और आज एक बार पुनः हमारी सरकार के द्वारा इस आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना से निश्चित रूप से हमारे

प्रदेश मे बेरोजगार युवाओं को लाभ होगा और माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग यह भी जानते हैं कि आज भी हमारे ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रो में जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जब किसी की चोट आदि लग जाती है तो हमारे बुजुर्ग लोग घास, पत्तियों को लेकर इलाज करते है इस प्रकार आयुर्वेद का लाभ हम लोगो को मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, मै यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि चूँकि यह देवभूमि उत्तरांचल मे हमारे 66 प्रतिशत वनाच्छादित है, और यहाँ हमारे वनो में दुलर्भ प्रजातियों की जडी-बूटी पायी जाती है, इस विश्वविद्यालय के बनने से जहाँ नई औषधियों को पहचान की जायेगी वही अभिलेखीकरण की आवश्यकता को महसूस करते हुए इससे लाभ भी निश्चित रूप से हमे मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—

श्री अनिल नौटियाल जी, कृपया सीमित करें।

श्री अनिल नौटियाल—

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ आयुर्वेद के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधियों को बढावा देकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की समस्या के निदान के लिए स्थानीय युवाओ को रोजगार प्राप्त होगा वही हमारे इस प्रदेश से जो पलायन हो रहा है, रोजगार प्राप्ति के लिए उसको रोकने के लिए सफलता मिलेगी। आज हम लोग 108 के नाम से इस पूरे प्रदेश मे एक नई दिशा और एक नई दशा देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद और एक नई दिशा इस प्रदेश को मिलेगी। मान्यवर, वहाँ निश्चित रूप से आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को स्थापित करने के बाद भी इस प्रदेश मे एक नया कीर्तिमान स्थापित होने के बाद पूरे देश मे एक संदेश जायेगा। इस आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बाद जहाँ हमारे साथियों को रोजगार प्राप्त होगा उसी के साथ इस प्रदेश को नई दिशा में ले जाने का प्रयास होगा।

श्री नारायणपाल—

माननीय अध्यक्ष जी, आज आयुर्वेद विश्वविद्यालय का जो विधेयक आया है इसमे मैं सारा संशय खत्म कर दूँ कि मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। मान्यवर, मैने देखा कि हमारे बडे भाई माननीय पंत जी, हमारे बडे भाई माननीय हरक सिंह जी जो एक कुशल वक्ता हैं कि जो विधायक एकतरफा सोच रहा होगा दोनों के विचार सुन लेगा तो ढुलमुल हो जायेगा लेकिन पहले ही मन बनाकर आया था कि समर्थन करना है। मान्यवर, यह मैं सोचता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य में जो नेचुरल हमारी प्रापर्टी है वह शायद सबसे ज्यादा इसी में है और हमारी हमेशा यह सोच रही कि इनको अगर हम समृद्ध कर लेंगे तो जो हमारी प्रजातियाँ हैं, जो हमारे स्वाभाविक एसेट है हम उनको समृद्ध कर लेंगे तो हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी सकारात्मक हो सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि

प्रदेश को इस वक्त इसकी आवश्यकता भी है। मान्यवर, अभी विचार सुने तो मैं कभी माननीय पंत जी को देखता हूँ तो इनसे मैंने कई बार कहा कि आप इस टीम के सचिन तेन्दुलकर है, हर जगह यही खेलते हैं और जिस दिन आऊट हो गये तो पूरी टीम चली जायेगी, लेकिन मैंने कई–कई बार देखा कि हमेशा सकारात्मक सोच इनकी रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बीच–बीच में जब बहुत से मामले में इनको ही बोलना पड रहा है तो कभी–कभी मै देखता हूँ कि माननीय पंत जी को झूठ भी बोलना पड रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री नारायण पाल जी, कृपया विषय पर बोलें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जो नियमावली और जो प्रस्तुतिकरण है उसमें जो विसंगतियाँ हैं कि किसमें कितना दखल होगा, सरकार का कितना दखल होगा, महामहिम राज्यपाल का उसमें कितना हस्तक्षेप होगा तो मेरे ख्याल से ये विचारणीय बात है, लेकिन सरकार का सकारात्मक रवैया है और जो संजीवनी बूटी की बात होती है या और चीजो की बात होती है तो निश्चित रूप से हम इसके माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान में, पूरी दुनिया में अपना डंगा बजा सकते है और मैं यहाँ पर संस्कृत विद्यालय तथा यूनानी पद्धति की बात करता हूँ। संस्कृत विद्यालय की बात है या यूनानी पद्धति की बात है या और बहुत सारी चीज है अगर उस पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान्यवर, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें एक घण्टे का समय था, इसमें 15 मिनट और बढा देते हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ हिमालय जडी बूटियो का भण्डार कहा जाता है और हमारा जो प्रदेश है। मान्यवर, यह जैव विविधता की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि देश का सबसे सम्पन्न राज्य है। देश की जो कुल 12 जलवायु हैं उनमे से 11 तरह की जलवायु इस छोटे से राज्य मे उपलब्ध है। इस कारण यहाँ पर वनस्पतियों की विविधता और इसका भण्डार है। आयुर्वेद वनस्पति पर आधारित है और यह कहा जाता है–

"आमंत्र अक्षरं नास्ति, नास्ति मूल मनोषधम,

अयोग्य: पुरूष नास्ति, योजक: तत्र दुर्लभ:।।"

मान्यवर, इसका अर्थ है कि कोई भी वनस्पति औषधि विहीन नहीं है हर जड़ी–बूटी, हर वनस्पति औषधि युक्त है इसलिए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का बनाया जाना इस राज्य के लिए और जिस प्रकार से विश्व का झुकाव आयुर्वेद की ओर हो रहा है और तमाम तरह की जो चिकित्सा पद्धतियाँ है और इनके दुष्परिणाम आज सामने देखने को मिल रहे हैं और नये–नये रोग जन्म ले रहे है। ऐसी परिस्थितियों में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का बनाया जाना एक भविष्य की बहुत बड़ी जरूरत है, यह जरूरत प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश और विश्व की भी है। मान्यवर, हजारों वर्ष पुराने जिन्हे नानी के नुस्खे कहा जाता है, या जो हमारे घरेलू वैद्य है। जो ज्ञान वे अपने साथ ले जाते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा नुकसान देश का हो रहा है, चूंकि मैं इसे राष्ट्र की सम्पत्ति मानता हूँ, परन्तु वे अपना ज्ञान अपने साथ ले जा रहे हैं, इस ज्ञान का भी संग्रह इस विश्वविद्यालय के बन जाने के बाद होगा और जो भविष्य के लिए हमारे लिए मार्गदर्शन सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इससे जो हमारी विलुप्त हो रही जड़ी–बूटियाँ और अन्य वनस्पतियाँ है, उनका भी संरक्षण होगा। यदि उनका सरक्षण होगा तो पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। पर्यावरण संरक्षित होगा तो हिमालय भी संरक्षित होगा, सुरक्षित होगा ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे है कि हमारी पार्टी और आपकी पार्टी, मैं इस सम्बन्ध मे ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। मान्यवर, हमारे राज्य के साथ दो और राज्य बने थे। उस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने तो जितने दिन राज किया उतने दिन में उन्होंने एक–एक विश्वविद्यालय रोज बनाया इसलिए नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह बात कहना अतिश्योक्तिपूर्ण है कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है, परन्तु मान्यवर, यह हमारी जरूरत है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, जोकि बहुत सराहनीय है।

*श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सरकार द्वारा रखे गये आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध मे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना इस उत्तराखण्ड प्रदेश में की जानी है। इसके लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार बधाई की पात्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं। यह एक ऐतिहासिक कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि इस प्रदेश का अधिकतम भू–भाग 60–65 प्रतिशत वन भूमि से आच्छादित है और इस भू–भाग में व्यापक वन औषधि का भण्डार है। माननीय अध्यक्ष जी, ऋषि मुनियो की भूमि और आयुर्वेद के जनक की इस क्षेत्र में ही कर्मस्थली रही है। मान्यवर, उस कर्मस्थली का नाम चरक ऋषि के डांडा के नाम से आज भी जाना जाता है और सौभाग्य से मैं उसी क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज चरक ऋषि का डांडा एक ऐसा स्थान है। (किसी माननीय सदस्य द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहने पर) माननीय अध्यक्ष जी, आने वाले टाईम मे

*सदस्य ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

माननीय विजय बड़थ्वाल जी का क्षेत्र है, अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। मान्यवर, एक अपार भण्डार इस प्रदेश में आयुर्वेद के क्षेत्र में है। इस क्षेत्र मे इतना बड़ा काम किया जा सकता है कि मैं समझता हूँ कि हमारा उत्तराखण्ड पूरे देश मे ही नही, पूरे विश्व मे आयुर्वेद के क्षेत्र मे अग्रणी पंक्ति में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ एक ओर हमारा प्रदेश पूरे विश्व में आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में होगा, वही आज पूरे प्रदेश मे जो चुनौतीपूर्ण विषय सरकार के सामने है, वह बेरोजगारी का है। निश्चित रूप से आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण रोजगार के संसाधन भी हमारे बेरोजगार भाईयो को उपलब्ध होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मै आपका हृदय से आभारी हूँ।

*पर्यटन एवं गन्ना मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत आभारी हूँ कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आपने मौका दिया। मान्यवर, अभी सम्मानित नेता प्रतिपक्ष अपने सम्बोधन में इस चीज का वर्णन कर रहे थे कि आयुर्वेद के प्रति उनका लगाव है, आयुर्वेद को वे भी चाहते हैं कि बढ़ावा मिले। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, यह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद के प्रति यह सरकार, जिस दल की यह सरकार है, केवल आज ही नहीं, अपितु 2001 में मंत्रि–परिषद् में जब इस विषय को लाया गया था, तब भी इसी दल की सरकार थी। हम लोगों की प्रतिबद्धता थी कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय इस प्रदेश में अगर नहीं बनेगा तो पूरे देश में और कहां बनेगा ? लेकिन 5 साल माननीय नेता प्रतिपक्ष इस तरफ बैठे हुए थे, अभी वे यहां पर नहीं हैं। 5 साल वे सत्ता में रहे, लेकिन इस दिशा में एक कदम भी वे आगे नहीं बढ़े और मुझे यह कहने मे कोई संकोच नही कि वास्तव में आज पूरा विश्व जिस प्रकार से आयुर्वेद की तरफ आगे बढ़ रहा है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, आपको भी ढाई साल लग गये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ढाई साल से काम चल रहा था। इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाना है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, योग के प्रति, संस्कृत के प्रति, आयुर्वेद के प्रति पूरे विश्व का झुकाव हो रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जानते हैं कि आज योग, पूरे विश्व मे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

भारत वर्ष जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह योग भी आज कहीं न कहीं इस उत्तराखण्ड से निकल कर पूरे विश्व में जा रहा है। आज आधुनिक युग में उस योग का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार प्रारम्भ हो रहा है, वह इस उत्तराखण्ड राज्य से हो रहा है और संस्कृत विश्वविद्यालय, जैसा उन्होंने कहा इस राज्य में है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी इस राज्य में होना चाहिए। यह हमारी प्रतिबद्धता थी और इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि होना चाहिए, यह सरकार इस काम को कर रही है। मैं सरकार की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बिन्दु जरूर कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनने के बाद जो अहम विषय है, जैसे आज हम चाईना को देखते हैं कि वह प्रत्येक दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक रिसर्च ऐसी हो रही है कि वह पूरे विश्व के बाजार पर कब्जा करने की स्थिति में है। यह सुनकर हमें भी आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद की दिशा में भी, जहां हम कहते हैं कि भारत से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। आज जड़ी–बूटी के क्षेत्र में भी चीन हमसे बहुत आगे है, चीन हमारा पड़ोसी देश भी है और हमारे प्रदेश की सीमायें भी उससे लगती है तो जब हमारा यह आयुर्वेद विश्वविद्यालय बन जायेगा, उसके बाद जब हम देखेंगे कि पूरे देश में इस प्रकार की डिमाण्ड आयेगी, तो हम निश्चित रूप से इस देश के इस छोटे से राज्य को चीन के बराबर करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बनने के बाद हम लोग आयुर्वेद को जिस दिशा में चाहते हैं, जिस प्रकार से इस क्षेत्र में भारत को प्रतिनिधित्व करना चाहिये, उत्तराखण्ड उस संकल्प को पूरा करेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, सभी माननीय सदस्यगणों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभाग किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक–दो विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष और कतिपय माननीय सदस्यों ने उठाये है, उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। एक विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाया गया कि संस्कृत विश्वविद्यालय है और ऐसे समय में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्या है। तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय का सामंजस्य माननीय नेता प्रतिपक्ष किस प्रकार से कर रहे हैं, यह बात मेरी समझ से परे है। संस्कृत और आयुर्वेद विश्वविद्यालय एक दूसरे के पूरक नहीं है, आयुर्वेद की पढ़ाई संस्कृत भाषा में अवश्य होती है और संस्कृत भाषा में पढ़ाई होने का यह अर्थ नहीं है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की पढ़ाई शुरू हो जाय। श्रीमन्, विज्ञान को किसी भाषा से बांधे रखना या किसी भाषा से उसे जोड़कर चलना उचित नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कुलाधिपति के बारे में शंका व्यक्त की थी, इस विषय पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विधेयक की धारा–10 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि "कुलाधिपति अपने पद के आधार पर पदाधिपद होते हुये विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।" अर्थात सारे अधिकार उन पर निहित हैं।

श्रीमन्, इसी प्रकार से माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में सर्च कमेटी पर आपत्ति जताई, तो सर्च कमेटी के बिना आखिर कैसे हम नियुक्ति कर पायेंगे। सर्च कमेटी के लिये जिन सदस्यों का प्रावधान है, वह सुसंगत है और इस प्रावधान के आधार पर कुलाधिपति ने ही चयन करना है। यह कहीं भी उनके अधिकार का हनन नहीं करता और न ही हस्तक्षेप करता है। क्योंकि प्रति कुलपति की भी बात उन्होंने कही थी तो इसकी धारा-14 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "प्रति कुलपति, राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा आचार्यों में से ऐसी रीति से बनाया जायेगा, जैसी विहित की जाय।" श्रीमन्, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सत्ता के दो केन्द्र हो जायेंगे, यह कैसे सम्भव है, जब कि इसकी धारा में स्पष्ट रूप से चौथे नम्बर पर प्रावधान है कि "प्रति कुलपति, कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।" अर्थात प्रति कुलपति उस व्यवस्था को देखने के लिये, सही तरीके से निगमित करने के लिये उत्तरदायी है। श्रीमन्, कुल मिलाकर यह विधेयक अपने आप में परिपूर्ण है और जो आपत्तियां की गई है, वह निराधार हैं। जो बातें माननीय सदस्यगणों ने इस विधेयक के पक्ष में कही हैं, उसके साथ समाहित करते हुये आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-66 तक खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009

(विधेयक संख्या . ... वर्ष 2009)

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा नाम से विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियम हो:-

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषायें 2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "सम्बद्ध" से इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त सम्बद्धता अभिप्रेत है;

(ख) "अनुमोदित शिक्षण संस्था" से धारा–33 के अधीन अनुमोदित संस्था अभिप्रेत है;

(ग) "आयुर्वेदिक शिक्षण संस्था" से ऐसा शिक्षण संस्थान अभिप्रेत है जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है;

(घ) "आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति" से योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को सम्मिलित करते हुए चिकित्सा की अष्टांग आयुर्वेदिक पद्धति अभिप्रेत है, चाहे ऐसे आधुनिक संवर्द्धन द्वारा अनुपूरित हो अथवा नहीं, और जो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तों से संगत हो जैसा आधुनिक प्रगति के लिये हो और जैसा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय;

(ङ) "शैक्षिक परिषद" से विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद अभिप्रेत है;

(च) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(छ) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(ज) "महाविद्यालय" से ऐसा आयुर्वेदिक महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जिसमें डिप्लोमा या उपाधि संस्थित की जाती हो;

(झ) "संघटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;

(ञ) "संकायाध्यक्ष" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ट) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(ठ) "विश्वविद्यालय का छात्रावास" से छात्र के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित अथवा मान्यताप्राप्त हो और "सम्बद्ध या संघटक महाविद्यालय के छात्रावास" से उस महाविद्यालय के छात्रों के निवास की इकाई अभिप्रेत है;

(ड) "प्राचार्य" से महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है;

(ढ) "विश्वविद्यालय के प्राध्यापक" से ऐसा प्राध्यापक जिसे विश्वविद्यालय द्वारा उसकी ओर से शिक्षण प्रदान करने के लिये नियुक्ति अथवा मान्यता प्रदान की गयी हो, अभिप्रेत है;

(ण) "सम्पत्ति" से किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में, ऐसी समस्त चल या अचल सम्पत्ति अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय की हो या महाविद्यालय के लाभार्थ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रदत्त हो, जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सहित) कार्यशाला, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, औजार, फर्नीचर, लेखन सामग्री, स्टोर, स्वचालित वाहन या अन्य वाहन, यदि कोई हो; सम्मिलित है और महाविद्यालय से सम्बद्ध वे सभी वस्तुयें जैसे हस्तगत धन, बैंक में जमा धनराशि, निवेश और अंकित ऋण एवं ऐसी सम्पत्ति में प्राप्त अधिकार एवं हित, जो महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, अधिकार या नियंत्रणाधीन हो और लेखा पंजिका और अन्य सभी अभिलेख, जो किसी भी प्रकृति के हों और महाविद्यालय की सभी विद्यमान देनदारियां, दायित्व एवं वैधानिक अनुग्रह भी इसमें सम्मिलित समझे जायेंगे, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों;

(त) "मान्यता प्राप्त संस्था" से इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है;

(थ) "पंजीकृत स्नातक" से इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन पंजीकृत स्नातक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(द) "स्ववित्त पोषित संस्था" से ऐसा महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में सम्बद्धता प्रदत्त हो;

(ध) "अधिसभा (सिनेट)" से विश्वविद्यालय की अधिसभा (सिनेट) अभिप्रेत है;

(न) "परिनियम", "अध्यादेश" और "नियम" से क्रमशः तत्समय प्रवृत्त और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और नियम अभिप्रेत है;

(प) "कार्यपरिषद" (सिंडीकेट) से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद (सिंडीकेट) अभिप्रेत है;

(फ) "प्राध्यापक" से आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), प्रवक्ता (लेक्चरर) तथा ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जोकि विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा किसी अनुमोदित संस्थान में शिक्षण प्रदान करते हो, जिन्हें परिनियमो द्वारा प्राध्यापक के रूप में घोषित किया जाय;

(ब) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(भ) "विश्वविद्यालय केन्द्र" से ऐसा केन्द्र जहां परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा इस सम्बन्ध में अवधारित स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान की जाती है, अभिप्रेत है;

(म) "विश्वविद्यालय के विभाग" से ऐसा स्नातकोत्तर अथवा शोध संस्थान या विभाग अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में अनुरक्षित किया जाय।

अध्याय दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन

3. (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और विश्वविद्यालय की अधिसभा (सिनेट) और कार्यपरिषद (सिंडीकेट) के प्रथम सदस्य तथा सभी व्यक्तियों, जो इसके पश्चात् ऐसे कार्यालय के अधिकारी या सदस्यता ग्रहण करेंगे, से मिलकर "उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय" के ज्ञात नाम से एक निगमित निकाय स्थापित किया जायेगा जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड राज्य के अंदर होगी।

(2) विश्वविद्यालय को शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होंगे और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसके नाम से वाद चलाया जा सकेगा तथा लाया जा सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हरिद्वार में अवस्थित होगा और यदि आवश्यक समझा गया तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उत्तराखण्ड राज्य के किसी अन्य स्थान में अतिरिक्त परिसर स्थापित किया जा सकता है।

(4) विश्वविद्यालय की स्थापना पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत, सृजित या निर्मित भूमि और अन्य जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियां विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित समझी जायेंगी।

विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य

4. आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य साधारणतः शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार, शिक्षा और सेवा तथा प्रभावी प्रदर्शन द्वारा चिकित्सा की भारतीय पद्धति और समग्र के ज्ञान का प्रसार, सृजन और परिरक्षण करना होगा और विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्य होंगे–

(1) चिकित्सा की भारतीय पद्धति के नये आविष्कारों के अपने उत्तरदायित्व को निभाना और उसके ज्ञान का परिरक्षण और प्रसार करना;

(2) विश्वविद्यालय को स्थानीय और क्षेत्रीय स्वास्थ्य समस्याओं के साथ निकटतापूर्वक सहयोजित करके व्यक्तियों और समाज के समग्र स्वास्थ्य को विकसित करने के लिये ज्ञान और दक्षता के फायदों का विस्तार करना;

(3) चिकित्सा की भारतीय पद्धति में अनुसंधान और विशेषज्ञता को सुदृढ़ बनाना;

(4) तीव्र गति से विकासशील और परिवर्तनशील समाज में ज्ञान के अर्जन का प्रोन्नयन करना और आधुनिक संचार माध्यमों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके चिकित्सा की भारतीय पद्धति के समस्त क्षेत्रों में खोज को उन्नत करने के निरन्तर अवसर देना;

(5) शैक्षणिक और सहबद्ध कार्यक्रमों और संसाधन उत्पादक सेवाओं की लागत प्रभावी रीति से हाथ में लेकर वित्तीय आत्मनिर्भरता स्थापित करना; और

(6) देश के विभिन्न भागों और बाहर के समस्त विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक केन्द्र के रूप में कार्य करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य

5. इस अधिनियम द्वारा लागू शर्तों अथवा इसके उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय को निम्न शक्तियां प्राप्त होंगी और वह निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करेगा.–

(1) चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति में तथा ऐसे सम्बद्ध विषयों में जिन्हें वह उपयुक्त समझे, शिक्षण के लिये व्यवस्था करना और गवेषणात्मक कार्य तथा उपर्युक्त पद्धति और विषयों के ज्ञान के अभिवर्द्धन एवं प्रचार के लिये तथा आयुर्वेद के ज्ञान को उसके मूल रूप में बढ़ावा देने और प्रोन्नत करने के लिये व्यवस्था करना;

(2) ऐसा प्राविधान करना जिसके माध्यम से सम्बद्ध महाविद्यालय, मान्यता प्राप्त संस्थान और अनुमोदित संस्था अध्ययनों की विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें;

(3) शिक्षण और अनुसंधान के लिये सामान्य भेषजीय प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, संग्रहालय तथा अन्य उपकरण स्थापित और आयोजित करना;

(4) महाविद्यालयों, विभागों, तथा शोध या विशिष्ट अध्ययन के केन्द्र तथा संस्थान स्थापित करना, अधिकार में लेना, अनुरक्षित करना तथा उनका प्रबन्ध करना;

(5) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य, उपाचार्य, प्रवक्ता तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारिवृन्दों के पदों को सृजित करना;

(6) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के आचार्यों, उपाचार्यों अथवा प्रवक्ता के रूप में अथवा अन्यथा के रूप में नियुक्त करना या मान्यता देना;

(7) विभिन्न परीक्षाओं के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम अवधारित करना;

(8) महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय के विभागों, विश्वविद्यालय के केन्द्रों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में शिक्षण के लिए मार्गदर्शन करना;

(9) उपाधियां, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षिक अतिविशिष्टियां संस्थित करना;

(10) परीक्षाएं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को–

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षाओं से परिनियमों, अध्यादेशों और नियमों में विहित रीति से जब तक विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रम में छूट प्राप्त न की हो, अध्ययन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, अथवा

(ख) जिन्होंने अध्यादेशों या नियमों द्वारा विहित शर्तों के अधीन शोध किया हो, उपाधियों, डिप्लोमा तथा अन्य विशिष्टिया प्रदान करना।

(11) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियां तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टिया संस्थित करना;

(12) ऐसे शैक्षिक संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्रदान करना तथा उनका प्रत्याहरण करना;

(13) महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थानों तथा अनुमोदित संस्थानों का निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन अथवा प्रशिक्षण का समुचित स्तर बनाये रखा जाता है और उनमें समुचित पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला का प्राविधान किया गया है;

(14) सम्बद्ध महाविद्यालयों, अनुमोदित संस्थानों और मान्यता प्राप्त संस्थानों के क्रिया–कलापों को नियंत्रित तथा समन्वित करना अथवा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(15) न्यास और विन्यास धारित करना और उनका प्रबन्ध करना तथा अध्येतावृत्तिया, यात्रा अध्येतावृत्तियां छात्रवृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, प्रदर्शनियां, पदक तथा पुरस्कार संस्थित तथा प्रदान करना;

(16) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार मांगना और प्राप्त करना, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जाय;

(17) छात्रावास की स्थापना, उनका अनुरक्षण और प्रबन्धन;

(18) जो छात्रावास विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित नहीं हैं उन्हें मान्यता देना, उनका निरीक्षण करना और उनकी मान्यता प्रत्याहरित करना;

(19) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों में आचरण और अनुशासन का समन्वय, पर्यवेक्षण, विनियमन तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

(20) सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदत्त अथवा अनुमोदित संस्थानों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षण और स्नातकोत्तर शोध कार्य तथा शिक्षण का समन्वय करना, विनियमन करना और नियंत्रण करना;

(21) (क) प्रलेखन एवं प्रकाशन विभाग;

(ख) प्रशासनिक विभाग;

(ग) शोध एवं विकास विभाग;

(घ) चिकित्सीय सांख्यकी विभाग;

(ङ) भेषज (फार्मास्यूटिकल्स) विभाग;

(च) औषधीय/जड़ी-बूटी उद्यान, और

(छ) शैक्षणिक विभाग संस्थित करना तथा उनका प्रबन्ध करना।

(22) (क) बहिर्चर्ती (एक्सट्राम्यूरल) शिक्षण तथा अन्य मान्य क्रिया-कलाप,

(ख) शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा सैन्य प्रशिक्षण,

(ग) छात्र संगम और

(घ) खेलों तथा व्यायाम सम्बन्धी क्रिया कलापों के लिये प्राविधान करना।

(23) ऐसी रीति तथा ऐसे प्रयोजनो के लिये अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना, जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जाय।

(24) शोधार्थियों, छात्रों, आचार्यों, वैद्यों, चिकित्सा व्यवसायियों तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के शिक्षण में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को व्याख्यान, शिक्षण प्रदान करने अथवा चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति के अध्ययन में अन्यथा सहायता देने के लिये आमंत्रित करना और उनका वेतन, मानदेय तथा उन्हें संदेय अन्य खर्च नियत करना;

(25) चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति में अथवा किसी अन्य सम्बद्ध विषय की पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, पैम्पलेटों तथा शोध पत्रों का संग्रह, संपादन अथवा प्रकाशन करना और इस प्रयोजन के लिये निर्माण कार्य करना तथा मुद्रणालय खोलना;

(26) वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, वनस्पति रसायन, जैव, सूचना विज्ञान, औषधकोश, पचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, विज्ञान तथा आयुर्वेद के इतिहास और अन्य सम्बद्ध विषयों में सर्वेक्षण अथवा शोध कार्य करना तथा उनमें सहायता करना;

(27) समस्त ऐसे कार्य तथा बातें करना, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति तथा इसके सम्बद्ध विज्ञान और साथ ही विद्या की अन्य शाखाओं को सामान्यतः विकसित करने तथा बढ़ावा देने के लिये अपेक्षित हों;

क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार

6. उत्तराखण्ड राज्य का कोई आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से, किसी रीति से न तो सहयुक्त करेगा और न ही किसी विशिष्ट सुविधा की मांग करेगा;

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, सम्प्रदाय अथवा मता-वलम्बियों की पहुंच होगी–

7. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति, पंथ या लिंग के हों, परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है;

परन्तु यह और कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने पर प्रतिबन्ध है;

अध्याय तीन

निरीक्षण एवं जाँच

निरीक्षण और जांच

8\. (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, उसके परिसर (परिसरों), संस्थानों, संघटक, सम्बद्ध या संयुक्त महाविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित संस्थान, जिसमें उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, कार्यशालायें और उपस्कर भी सम्मिलित हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्थान और स्ववित्त पोषित संस्था द्वारा संचालित या सम्पन्न कराई गयी परीक्षाओं, अध्यापन तथा अन्य कार्य का निरीक्षण कराने अथवा इसी प्रकार विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालय, संस्था या स्ववित्त पोषित संस्था के प्रशासन या वित्त सम्बन्धी किसी विषय के सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जाँच कार्य का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और ऐसे निरीक्षण या जाँच में कार्य परिषद् (सिंडीकेट) द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा:

परन्तु यह कि ऐसे निरीक्षण या जाँच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा या न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं के प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनार्थ, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–345 तथा 356 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) को संसूचित करेगा।

(5) कुलपति, तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे, उसे कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, उचित समय के अन्दर, राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार, किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार, कुलाधिपति को उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जाँच की, और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निर्देश की और ऐसे निर्देशों को पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियां भी भेजेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी किसी जाँच की कोई रिपोर्ट भी है, विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय है कि कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) अपने कृत्यों के निर्वहन में असफल रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि उक्त कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) को अधिक्रमित करते हुए एक तदर्थ कार्यपरिषद्, (सिंडीकेट) जिसमें कुलपति और दस सदस्यों से अनधिक ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, छः माह से अनधिक ऐसी अवधि, जो समय–समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय और उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन, कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) के कतिपय या समस्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी।

(9) उपधारा (8) के अधीन गठित तदर्थ कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की संरचना पर धारा-24 की कोई बात लागू नहीं होगी।

(10) उपधारा (8) के अधीन आदेश दिये जाने पर, उससे अधिक्रमित कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) के समस्त सदस्यों का, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी हैं, कार्यकाल समाप्त हो जायेगा और ऐसे समस्त सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

(11) उपधारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति से, धारा-24 के उपबन्धों के अनुसार एक नई कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) गठित की जायेगी।

(12) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वे उपधारा (11) के उपबन्धों के कारण रूपांतरित समझे जायेंगे, उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में बनाया गया कोई परिनियम, अध्यादेश, विनियम या अन्य नियम ऐसी अवधि के समाप्त होने पर भी तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संशोधित, निरसित या विखण्डित न कर दिया जाए।

अध्याय चार

विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्-

(क) कुलाधिपति,

(ख) कुलपति,

(ग) प्रति-कुलपति,

(घ) वित्त अधिकारी,

(ड) कुलसचिव,

(च) भेषज (फार्मेसी) निदेशक,

(छ) निदेशक, औषधीय/जड़ी-बूटी उद्यान, और

(ज) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किया जाये।

कुलाधिपति

10. (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर पदाभिहित रहते हुए विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अधिसभा (सीनेट) की अध्यक्ष होगा तथा जब उपस्थित हो अधिसभा (सीनेट) की बैठक तथा दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उन्हें इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा प्रदत्त की गयी हों।

कुलपति की नियुक्ति एवं कार्यकाल

11. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, और कुलपति पद पर रहने की अवधि में अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा तथा वह कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की संस्तुति पर, ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन गठित समिति द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायें,

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(क) राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद,

(ग) कुलाधिपति का एक नामिति,

(घ) कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य,

(ङ) सदस्य सचिव के रूप में प्रमुख सचिव/सचिव, आयुष शिक्षा राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगी,

परन्तु यदि कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन में असफल रहती है तो राज्य सरकार कार्य परिषद् (सिंडीकेट) के प्रतिनिधि के बदले एक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगी।

समिति वर्णाक्षर क्रम में, शैक्षणिक और प्रशासनिक विशिष्टतायें दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव वाले, कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन से पाँच प्रख्यापित आयुर्वेद शिक्षाविदों की नामिका (पैनल)

राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा संस्तुति करते समय पैनल में संस्तुत व्यक्तियों की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। राज्य सरकार द्वारा संस्तुति कुलाधिपति को प्रेषित की जायेगी।

(3) उपधारा (6) के अधीन कार्यकाल की समाप्ति अथवा त्यागपत्र के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति, उसकी तिथि से, यथाशक्य कम से कम 60 दिन पूर्व और जब कभी भी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय और ऐसी तिथि के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समिति वर्णाक्षर क्रम में कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच नाम राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। समिति राज्य सरकार को नाम प्रस्तुत करते समय संस्तुत व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टतायें दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण भी प्रेषित करेगी, किन्तु वह इसमें कोई अधिमान क्रम इंगित नहीं करेगी।

(4) राज्य सरकार समिति द्वारा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से किसी नाम को कुलपति के पद के लिए उपयुक्त नहीं समझती है अथवा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और राज्य सरकार की राय केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहे तो वह दो माह के अन्दर, उपरोक्त उपधाराओं के अधीन, कुलपति की नियुक्ति के लिए समिति से नई नामित प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(5) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया गया, जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाये की वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(6) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा,

परन्तु यह कि कार्य अवधि को विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है।

परन्तु यह कि कुलपति, कुलाधिपति और राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्तलिखित त्याग–पत्र द्वारा, कम से कम तीन माह

के नोटिस पर, अपना पद छोड़ सकेगा तथा राज्य सरकार की संस्तुति से कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने पर पद धारण नहीं करेगा।

(7) आपात स्थिति में कुलाधिपति को, निम्नलिखित परिस्थितियों में, राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः माह से अनधिक की अवधि के लिए कुलपति नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(क) जहाँ कुलपति का पद अवकाश लेने के लिए कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना संभाव्य हो तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा राज्य सरकार को तुरन्त दी जायेगी;

(ख) जहाँ कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(8) कुलपति धारा-53 के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमें या भविष्य निधि का हकदार नहीं होगा।

(9) कुलपति को, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से इंकार करने या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी राय के आधार पर कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश से हटाया जा सकेगा।

(10) उपधारा (11) में निर्दिष्ट किन्हीं कारणों से जाँच के विचाराधीन रहने की अवधि में ऐसी जाँच के लम्बित रहते हुए, कुलाधिपति, राज्य सरकार की संस्तुति से यह आदेश दे सकते है कि जब तक अग्रेत्तर आदेश न दिया जाये-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी, जिनके लिए वह धारा-12 की उपधारा (2) के अधीन अन्यथा हकदार है;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

(11) निधियों में दुर्विनियोजन या कुप्रबन्ध या ऐसे दुर्व्यवहार या कदाचार के आरोपों के आधार पर, जो इस पद के लिए अशोभनीय है, के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश को जाँच के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त करेगी। जाँच प्राधिकारी, कुलपति द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर अवसर देकर जाँच करेगा और अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड सहित की जाने वाली कार्यवाही पर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा राज्य सरकार रिपोर्ट पर विचारोपरान्त कुलाधिपति को परामर्श देगी। कुलाधिपति यथाशक्य तीन माह के भीतर कार्यवाही करेगी।

कुलपति की सेवा शर्तें एवं वेतन

12. (1) कोई व्यक्ति कुलपति नियुक्त किये जाने पर, नियुक्ति आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर पद ग्रहण करेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, कुलपति की सेवा शर्तें व परिलब्धियां ऐसी होंगी, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की जायं।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य

13. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, और

(क) विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित परिसर, संघटक महाविद्यालय, संस्थान और उसके सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित संस्थान भी हैं, के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में अधिसभा (सीनेट) के अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय के अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और समुचित समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जायें और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।

(2) वह अधिसभा (सिनेट), कार्यपरिषद्, (सिंडीकेट), शैक्षिक परिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु वह इस उपधारा के आधार पर, मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, और परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा–10 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जायं।

(5) कुलपति को अधिसभा (सीनेट), कार्यपरिषद (सिंडीकेट), शैक्षिक परिषद् तथा वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने की शक्ति होगी।

(6) जहाँ विश्वविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हैं, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना आपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति, ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट वह तत्काल राज्य सरकार तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा, जो साधारण क्रम में मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते;

परन्तु यह कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धो से कोई विचलन हो तो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना, कुलपति ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी तथा अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह यह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगी या उसे निष्प्रभावी कर सकेगी अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा, जैसा वह ठीक समझे और तदोपरान्त वह कार्यवाही, यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावित होगी किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले से की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

परन्तु अग्रेत्तर यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध उस दिनांक से, जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से अभिसूचित किया जाये, तीन माह के भीतर कुलाधिपति को राज्य सरकार के माध्यम से अपील करने का अधिकार होगा और तदोपरान्त कुलाधिपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्याहरित कर सकती है और इस विषय में इस प्रकार लिया गया विनिश्चय सामान्यतः प्रत्यावेदन की प्राप्ति/स्वीकृति की तिथि से छः माह के अन्दर सम्बन्धित पक्षों को अभिसूचित किया जायेगा।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय–व्ययक में न की गयी हो ऐसे सभी मामले यथाशीघ्र राज्य सरकार के संज्ञान में लाये जायेंगे।

(8) जहाँ कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके किसी कृत्यकारी की नियुक्ति की गयी हो तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति से दिए जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति को कार्यपरिषद (सिंडीकेट) के अनुमोदन तथा राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिक्षक को पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति करने की शक्ति होगी परन्तु नियुक्ति की शर्तें परिनियमों में विहित होगी।

(10) कुलपति, राज्य सरकार के परामर्श एवं पूर्वानुमोदन से, जब कभी अपेक्षित हो विश्वविद्यालय के शिक्षक के कतिपय पदों के सृजन और वर्तमान शैक्षिक पदो के एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग या एक विभाग से दूसरे विभाग में परिवर्तन सम्बन्धी विषय विनिश्चित करेगा।

(11) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करके जैसी परिनियमो और अध्यादेशों द्वारा विहित की जाय।

प्रति–कुलपति 14. (1) प्रति–कुलपति, राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा आचार्यों में से ऐसी रीति से और ऐसी सेवा शर्तों और निबन्धनों पर नियुक्त किया जायेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, जैसा विहित किया जाये।

(2) प्रति–कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और अधिकतम दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(3) वह, कुलपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन करेगा और जैसा कि विहित किया जाये।

(4) प्रति–कुलपति, कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति–कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(6) प्रति–कुलपति (समय–समय पर संशोधित कुलपति और आचार्य के वेतनमान के बीच के) वरिष्ठ आचार्य के वेतनमान में नियुक्त किया जायेगा।

(7) कुलाधिपति को राज्य सरकार की संस्तुति पर निधियों के दुर्विनियोजन, या कुप्रबन्धन या ऐसे दुर्व्यवहार या कदाचार के आरोपों के आधार पर, जो उस पद के लिए अशोभनीय हो, कारण बताते हुए या दो माह के अन्दर पूर्ण की जाने वाली समयबद्ध जाँच के बाद लिखित आदेश द्वारा, प्रति–कुलपति को उसके पद से हटाने की शक्ति होगी।

वित्त अधिकारी 15. (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण और आय–व्ययक (वार्षिक आकलन) तथा लेखों के विवरण कार्य परिषद् में रखने के लिए उत्तरदायी होगा तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण करेगा।

(3) वह कुलपति के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में कार्य करेगा।

(4) उसे कार्य परिषद् की कार्यवाहियों में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत डालने का हकदार नहीं होगा।

(5) उसका विश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण एवं वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देने का कर्तव्य होगा।

(6) वित्त अधिकारी–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो न किया जाये,

(ख) ऐसे प्रस्तावित व्यय को अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किसी परिनियम या अध्यादेश की शर्तों के उल्लंघन में हो,

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है और सम्परीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करेगा,

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधान सुरक्षित और सुप्रबन्धित हो,

(ङ) लेखाओं की नियमित रूप से सम्परीक्षा करायेगा।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जाएं।

कुलसचिव 16. (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधीकारी होगा। राज्य सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं/राज्य आयुर्वेदिक शिक्षा सेवाओं में वरिष्ठ वेतनमान/प्रान्तीय सिविल सेवा (पी0सी0एस0) के चयन श्रेणी के अधिकारी को विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त कर सकती है।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की अधिसभा (सीनेट), कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) और शैक्षिक परिषद्, प्रवेश समिति तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक नियुक्ति समिति का पदेन सचिव होगा, तथा वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलसचिव, 'जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाय', विश्वविद्यालय के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

(5) उन मामलों के सिवाय, जहाँ शैक्षिक परिषद् द्वारा अन्यथा निर्देश दिया जाये, कुलसचिव परीक्षाओं से सम्बन्धित गोपनीय कार्य और गोपनीय बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सम्बद्धता और संस्थागत कार्यकलापों से सम्बन्धित सभी विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुलसचिव, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के निरीक्षणों के संचालन और साधारण तथा समग्र पर्यवेक्षण के लिए, जैसा विहित किया जाये, उत्तरदायी होगा।

(8) कुलसचिव को उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यालय प्रधान की समस्त शक्तियां होगी।

(9) कुलसचिव को इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में यथाउपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

संकायों के संकायाध्यक्ष

17 संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं।

फार्मेसी निदेशक, तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां

18. (1) फार्मेसी निदेशक, निदेशक औषधीय/जड़ी बूटी, उद्यान तथा धारा 9 के खण्ड (ज) में उल्लिखित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी परिनियमों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्-

(क) अधिसभा (सिनेट),

(ख) कार्यपरिषद् (सिंडीकेट),

(ग) शैक्षिक परिषद्,

(घ) अध्ययन बोर्ड,

(ङ) क्रीडा और छात्र कल्याण बोर्ड, और

(च) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य बोर्ड और निकाय जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अधिसभा (सिनेट)

20 अधिसभा (सिनेट) के निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(1) पदेन सदस्य

(क) कुलाधिपति,

(ख) कुलपति,

(ग) विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जो राज्य में अधिवास कर रहे हों,

(घ) निदेशक, फार्मेसी,

(ङ) निदेशक वनस्पति उद्यान, तथा

(च) कुल सचिव,

(छ) उत्तराखण्ड सरकार के आयुष शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव/प्रमुख सचिव,

(ज) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड,

(झ) विश्वविद्यालय के पाँच विषयों के विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम के आधार पर,

(ञ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य (प्रिंसिपल)।

(2) साधारण सदस्य

(क) प्राचार्य को छोड़कर सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में से पाँच सदस्य परिनियमों द्वारा विहित रीति से, निर्वाचित होंगे।

(ख) पंजीकृत स्नातकों में से सात सदस्य परिनियमों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित होंगे।

(ग) उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्यों में से दो निर्वाचित सदस्य

परन्तु यह कि भाग (2) (साधारण सदस्य) के खण्ड (क) और खण्ड (ग) का प्रत्येक व्यक्ति तभी तक अधिसभा (सिनेट) के सदस्य का पदभार धारण करेगा, जब तक कि वह सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राध्यापक तथा विधान सभा का सदस्य हो।

(घ) प्रख्यात शिक्षाविदों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सात सदस्य,

(ङ) उत्तराखण्ड की आयुर्वेदिक सोसायटी द्वारा उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति,

(च) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा संस्तुत दो व्यक्ति,

(छ) भाग (2) में निर्दिष्ट साधारण सदस्यों कार्यकाल पाँच वर्ष होगा।

पंजीकृत स्नातक 21. (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित व्यक्ति पंजिकृत स्नातकों अथवा पंजीकृत होने वाले स्नातकों की पंजिका में अपने नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे, अर्थात्–

(क) ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक स्नातक हों,

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनके पास आयुर्वेद की कोई ऐसी उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र हो जो इस धारा के आरम्भ होने से पूर्व किसी भी संकाय या अन्य कोई संस्था या प्राधिकरण से परीक्षा उत्तीर्ण कर प्राप्त की हो और यह परीक्षा विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा निर्धारित स्नातक उपाधि परीक्षा के समतुल्य हो,

(ग) ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रभावी होने के तत्काल पूर्व भारतीय चिकित्सीय अधिनियम, 1970 के अधीन पंजीकृत चिकित्सीय व्यावसायिक के रूप में कार्यरत थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों के उत्तराखण्ड बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सीय पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे थे, प्रमाणित किये गये हों।

(2) पंजीकृत स्नातक बनने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे प्रपत्रों और उतनी फीस का संदाय करने पर जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी, कुलसचिव को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। कुलपति ऐसे जाँच करने के बाद जैसा वह उपयुक्त समझे, इस बात का निर्णय लेगा कि क्या आवेदनकर्ता पंजीकृत स्नातक होने का हकदार है या नहीं,

अधिसभा (सिनेट) की बैठक

22. (1) अधिसभा (सिनेट) की वर्ष में एक बैठक कुलाधिपति द्वारा नियत तारीख को आयोजित की जायेगी और इस बैठक को अधिसभा (सिनेट) की वार्षिक बैठक कहा जायेगा।

(2) कुलपति जब भी उपयुक्त समझेंगे और अधिसभा(सिनेट) के कम से कम ग्यारह सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में आवेदन किये जाने पर अधिसभा(सिनेट) की विशेष बैठक आयोजित की जा सकेगी।

अधिसभा (सिनेट) की शक्तियां

23. (1) अधिसभा(सिनेट) विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शासी निकाय होगी और उसे कार्यपरिषद् के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त होगी, तथा वह विश्वविद्यालय की ऐसी सभी शक्तियों का भी प्रयोग करेगी जिनके लिए अध्यादेश तथा परिनियमों में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

(2) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन विहित शर्तों के अध्यधीन अधिसभा(सिनेट) निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वाह करेगी, अर्थात्–

(क) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा की प्रोन्नति और प्रसार में तथा उसके लिए अनुसंधान, शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए प्राविधान करना,

(ख) ऐसे प्राविधान करना जिनके बल पर सम्बद्ध महाविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त संस्थान विशेषज्ञ अध्ययन कर सकें,

(ग) आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), प्रवक्ता (लैक्चरर) पद तथा कोई अन्य अध्यापन पद, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो, संस्थित करना,

(घ) अध्येतावृत्तियों, यात्रा अध्येतावृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, प्रदर्शनियों, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना,

(ड) उपाधियों, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना,

(च) परिनियम बनाना, संशोधित अथवा निरसित करना,

(छ) वार्षिक रिपोर्टों तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना और प्रस्ताव पारित करना,

(ज) कार्यपरिषद् द्वारा तैयार किये गये वार्षिक वित्तीय अनुमानों पर विचार करना तथा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित करना,

(झ) अध्यादेश और परिनियमों में यथाउपबन्धित पदाधिकारियों और प्राधिकारियों का चुनाव करवाना और

(ञ) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम अथवा परिनियम तथा अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त अथवा अधिरोपित किये गये हों।

कार्यपरिषद् (सिंडीकेट)

24. (1) कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) विश्वविद्यालय की कार्यकारी प्राधिकारी होगी और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्–

(क) कुलपति पदेन अध्यक्ष,

(ख) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड राज्य, सदस्य

(ग) सलाहकार, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, सदस्य

(घ) दो सदस्य जिनका चुनाव सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से किया जायेगा,

(ङ) दो सदस्य जिनका चुनाव धारा–20 के भाग (2) के खण्ड (क) के अधीन चुने गये सदस्यों में से,

(च) तीन सदस्य जिनका चुनाव विश्वविद्यालय के विभागों के विभागाध्यक्षों में से किया जायेगा,

(छ) दो सदस्य धारा–20 के भाग (2) के खण्ड (ख) में से चुने गये सदस्यों में से किया जायेगा।

परन्तु यह कि खण्ड (घ) एवं (च) के अधीन यथास्थिति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष के पद पर बने न रहने की दशा में, यथास्थिति चुना गया सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में पद छोड़ देगा।

(2) कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की शक्तियाँ और कर्तव्य

25. (1) इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन विहित शर्तों के अध्यधीन कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की निम्न शक्तियाँ, होगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्–

(क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियाँ धारण, नियंत्रित और शासित करना,

(ख) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दी गयी शक्तियो का प्रयोग करते हुए तथा उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से संविदायें करना, उनका कार्यान्वयन, उनमें संशोधन करना और उन्हें रद्द करना,

(ग) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का स्वरूप अवधारित करना, उनकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसके उपयोग को विनियमित करना,

(घ) विभिन्न प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी निधियो को शासित करना,

(ङ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा वार्षिक वित्तीय अनुमान तैयार करना तथा उन्हें अधिसभा(सिनेट) को प्रस्तुत करना,

(च) विश्वविद्यालय के कार्य संचालनार्थ आवश्यक भवनों, परिसरों, उपस्कर, पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना,

(छ) विश्वविद्यालय के पक्ष के न्यासो, वसीयतों, दावो और किसी स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति के अंतरणों को विश्वविद्यालय की ओर से ग्रहण करना,

(ज) विश्वविद्यालय की ओर से कोई स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति अन्तरित करना,

(झ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओ तथा विनिधानो का प्रबन्ध करना और उनका विनियमन करना,

(ञ) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबन्ध करना–

(एक) प्रलेखन एवं प्रकाशन विभाग

(दो) प्रशासनिक विभाग,

(तीन) शोध एवं विकास विभाग

(चार) चिकित्सीय सांख्यकी विभाग,

(पाँच) भेषज (फार्मास्यूटिकल्स) विभाग,

(छः) औषधीय/जड़ी–बूटी उद्यान,

(सात) शैक्षणिक विभाग

(ट) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना–

(एक) वहिवर्ती अध्यापन तथा शोध कार्य,

(दो) शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण,

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर।

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों, विभागों, अनुसंधान अथवा विशिष्ट अध्ययन संस्थानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों संग्रहालयों तथा छात्रावासों का प्रबन्ध कराना;

(ड) छात्रावास को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को आवासीय परिसर उपलब्ध कराना;

(ढ) सम्बद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थानों तथा छात्रावासों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना तथा उनके निरीक्षण के लिए निर्देश देना और उनकी दक्षता बनाये रखने तथा उनके कर्मचारिवृन्द के सदस्यों के लिए नियोजन की उचित शर्तों तथा पर्याप्त वेतन के संदाय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी करना और ऐसे अनुदेशों की अवहेलना किये जाने की दशा में सम्बद्धता के निबन्धनों में रुपान्तरण हेतु अधिसभा(सिनेट) को सिफारिश करना; या ऐसे अन्य उपाय करने की सिफारिश करना जिन्हें वह इस सम्बन्ध में उचित समझे।

(ण) सम्बद्ध महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थानों अथवा छात्रावासों से रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य जानकारी मंगवाना

(त) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए प्रबन्ध करना;

(थ) परिनियमों द्वारा विहित की गयी रीति से मानद उपाधियों तथा शैक्षिक विशिष्टियां प्रदान करने हेतु अधिसभा (सिनेट) से सिफारिश करना;

(द) अध्येतावृत्तियों, यात्रा अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, प्रदर्शनियों, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना;

(ध) परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करना;

(न) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम या परिनियमो द्वारा यथा अपेक्षित चयन समिति की, सिफारिश पर यदि कोई हो तो, विश्वविद्यलाय के अधिकारियों (कुलाधिपति एवं कुलपति को छोडकर) अध्यापको तथा अन्य कर्मचारिवृन्दों की नियुक्ति करना, उनके कर्तव्य और उनकी सेवा शर्तें नियत करना और उनके पदो में होने वाली अस्थायी रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(प) किसी सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त संस्थान से कर्मचारिवृंद के सदस्य को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(फ) पाठ्यक्रम निर्धारित करना;

(ब) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में और मान्यता प्राप्त संस्थानो में अध्ययन और अध्यापन के समन्वय की व्यवस्था करना;

(भ) परीक्षायें निर्धारित और आयोजित करना;

(म) ऐसी शर्तें निर्धारित करना जिन पर छात्रो को परीक्षाओ में प्रवेश दिया जायेगा;

(य) डिग्रियों, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के लिये अर्हित होने के निमित छात्रों को विश्वविद्यालय में अथवा सम्बद्ध महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम से छूट प्रदान करना;

(र) परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक नियत करना और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षणों के संचालन का तथा उनके परिणामो को प्रकाशित करने का प्रबन्ध करना।

(ल) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, मांगना और प्राप्त करना, जो समय–समय पर विश्वविद्यालय की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायं।

(व) अध्यादेश बनाना, उनमें संशोधन करना;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाय या उस पर अधिरोपित किये जाय;

(ञ) विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारियों, या उनके द्वारा नियुक्त की गयी किसी समिति को, जिसे वह उचित समझे अपनी कोई अन्य शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना।

(2) कार्यपरिषद, (सिंडीकेट) उपधारा (1) के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों के सभी प्रतिग्रहणों अथवा अंतरणों की सूचना अधिसभा(सिनेट) को देगी।

(3) कार्यपरिषद, (सिंडीकेट) अधिसभा(सिनेट) की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण नहीं करेगी।

शैक्षिक परिषद् 26. (1) विश्वविद्यालय की एक शैक्षिक परिषद् होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

(2) शैक्षिक परिषद् का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्ययन बोर्ड 27. (1) प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिए जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

क्रीडा और छात्र कल्याण बोर्ड तथा अन्य बोर्ड 28. (1) विश्वविद्यालय एक क्रीडा बोर्ड, छात्र कल्याण बोर्ड तथा कोई अन्य बोर्ड जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाय, स्थापित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित बोर्डों का गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं।

विश्वविद्यालय के अन्य निकाय 29. ऐसे अन्य निकायों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किये जायें, गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय पाँच

परिनियम तथा अध्यादेश

परिनियम 30. ऐसे शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा अथवा उनके अधीन विहित किये जायें, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी एक विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे–

(क) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना,

(ख) उपाधियाँ प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोहों का आयोजन करना,

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य,

(घ) इस अधिनियम में यथाउपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियों तथा कर्तव्य,

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा विभागों, शोध अथवा विशिष्ट अध्ययन संस्थानों तथा छात्रावासो को स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना,

(च) वसीयतें, दान और विन्यास ग्रहण करना तथा उनका प्रबन्ध,

(छ) स्नातको का पंजीकरण तथा पंजीकृत स्नातकों की पंजिका का अनुरक्षण,

(ज) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठक तथा उनके कार्य संचालन की क्रियाविधि,

(झ) सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में आचार्यों (प्रोफेसर), उपाचार्यों (रीडर), प्रवक्ता (लैक्चरर) की अर्हतायें,

(ञ) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा विहित किये जाने हैं अथवा किये जा सकते हैं।

परिनियमों का संशोधन प्रवर्तन और निरसन

31. (1) परिनियम अधिसभा(सिनेट) द्वारा बनाये जायेंगे अथवा अधिसभा (सिनेट) द्वारा इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से बनाये गये परिनियमो में संशोधन, निरसन अथवा परिवर्धन किया जा सकता है,

(2) अधिसभा(सिनेट) स्वप्रेरणा अथवा कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर किसी परिनियम के प्रारूप पर विचार कर सकेगी,

(3) कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) किसी ऐसे परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकती है जो उसके द्वारा प्रस्तावित किया जाना हो,

(4) इस प्ररूप पर अधिसभा(सिनेट) द्वारा अगली उत्तरवर्ती बैठक में विचार किया जायेगा। अधिसभा (सिनेट) ऐसे प्रारूप को अनुमोदित कर सकेगी और परिनियम को पारित कर सकेगी या उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे किसी ऐसे संशोधनों के साथ जिसका कि कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिए कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) को वापस कर सकेगी। जहाँ वापस किये गये किसी प्रारूप में कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा सुझाये गये किसी संशोधन पर कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा और विचार किया जा चुका हो, वह कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की तत्सम्बन्धी रिपोर्ट के साथ अधिसभा(सिनेट) के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायेगा और फिर अधिसभा (सिनेट) उस प्रारूप पर ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे कार्यवाही करेगी।

(5) यदि कोई परिनियम विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, प्राधिकारी अथवा बोर्ड की शक्तियों या कर्तव्यों को प्रभावित करता है, तो–

(क) कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) ऐसे परिनियम को प्रस्तावित करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी, प्राधिकारी अथवा बोर्ड की राय लेगी और उस पर विचार करेगी तथा

(ख) अधिसभा(सिनेट) द्वारा स्वप्रेरणा से विचारार्थ लिये गये ऐसे किसी परिनियम को पारित करने से पूर्व अधिसभा सम्बन्धित अधिकारी, पदाधिकारी अथवा बोर्ड के विचारों तथा कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) के मत पर विचार करेगी और उस पर निर्णय लेगी।

(6) अधिसभा(सिनेट) द्वारा पारित प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उसके सम्बन्ध में अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा लम्बित रख सकता है या उसे पुनर्विचार किये जाने के लिए अधिसभा(सिनेट) को वापस भेज सकता है।

(7) अधिसभा(सिनेट) द्वारा पारित किसी भी परिनियम को तब तक वैधता नहीं मिलेगी, जब तक उसे कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दे दी गयी हो।

अध्यादेशों का बनाया जाना

32. (1) कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों का संशोधन कर सकेगी, जिसमें–

(क) विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रवेश,

(ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण–पत्रों के लिये पाठ्यक्रम अधिकथित करना,

(ग) डिग्रियों, डिप्लोमाओं और अन्य शैक्षणिक विशिष्टयों तथा विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की शर्तें,

(घ) छात्रावासों को मान्यता और उनका निरीक्षण,

(ङ) छात्रों का आचरण तथा अनुशासन और उनके आवास की शर्तें,

(च) विश्वविद्यालय में नियुक्त किये जाने वाले प्राध्यापकों की संख्या, अर्हताएं तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें,

(छ) विश्वविद्यालय में अथवा उसकी ओर से विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा प्रदत्त शिक्षण के पाठ्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय में प्रवेश होने पर तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के निमित्त विश्वविद्यालय में बने रहने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रदत्त अध्यापन तथा अनुपूरक शिक्षण के लिये स्नातकों के पंजीकरण तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिये ली जाने वाली फीस,

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और कर्तव्य,

(झ) परीक्षाओं का संचालन,

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा निकाय के साथ संयुक्त रूप से गठित बोर्ड तथा समितियों के कर्तव्यों और शक्तियों,

(ट) कुलसचिव तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य,

(ठ) स्नातकों तथा पूर्वस्नातकों पर, जहाँ तक वे अध्ययन और परीक्षा के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अधिरोपित किया जाना वाला अनुशासन,

(ड) छात्रों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन और प्रवर्तित किये जाने वाले नियम,

(ढ) किसी पंजी में किसी नाम की प्रविष्टि अथवा उसे पंजी में रखे रहने के लिए ली जाने वाली फीस, यदि कोई हो,

(ण) सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण तथा ऐसे महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य जानकारी,

(त) सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुरक्षित छात्र पंजी,

(थ) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के कर्तव्य,

(द) विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उसकी ओर से संविदा अथवा करारों के निष्पादन की रीति,

(ध) सामान्यतः ऐसे समस्त विषय जो कि इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किये जाने हैं तथा ऐसे समस्त विषय जो अधिसभा(सिनेट) की राय में अध्यादेश या परिनियमों द्वारा कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने अथवा अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपबन्धित किये जाने हेतु आवश्यक है, सम्मिलित हैं।

(2) कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा बनाये जाने वाले सभी अध्यादेश, उस स्थिति को छोड़कर जबकि इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, उसी तारीख से जिसका वह निर्देश दे, प्रभावी होंगे,

अध्याय—छः

सम्बद्धता, मान्यता और अनुमोदन

सम्बद्धता मान्यता और अनुमोदन 33. (1) सम्बद्धता के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन करने वाला महाविद्यालय कुलसचिव को एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करेगा और कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) का समाधान करेगा कि—

(क) जिस स्थान पर महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है, उसकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति के और शिक्षण और अध्यापन के सम्बन्ध में उस स्थान की माँग की पूर्ति करेगा;

(ख) महाविद्यालय का नियमित रूप से गठित शासी निकाय के प्रबन्धनाधीन होगा;

(ग) प्राध्यापक वर्ग की संख्या और अर्हताऐं तथा उनके कार्यकाल को शासित करने वाली शर्तें ऐसी होंगी जिससे महाविद्यालय द्वारा दिये जाने वाली शिक्षण, अध्यापन अथवा प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए समुचित प्राविधान किया जाना आवश्यक हो,

(घ) जिस भवन में महाविद्यालय स्थापित किया जाना है वह उपयुक्त है तथा ऐसे छात्रों के लिए जो अपने माता—पिता अथवा अभिभावकों के साथ नहीं रहते है, महाविद्यालय में अथवा महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित आवास—स्थलों में रहने के लिए तथा छात्रों के पर्यवेक्षण और कल्याण के लिए अध्यादेशों के अनुरूप प्राविधान किया जायेगा;

(ङ) पुस्तकालय के लिए समुचित प्राविधान कर लिया गया है अथवा कर लिया जायेगा;

(च) यदि किसी प्रायोगिक विज्ञान की किसी शाखा के साथ सम्बद्धता की माँग की गयी हो तो परिनियमों और अध्यादेशों के अनुरूप विज्ञान की उस शाखा में एक समुचित रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला अथवा संग्रहालय में शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था कर ली गयी है, अथवा कर ली जाएगी;

(छ) जहाँ तक परिस्थितियाँ अनुमति देती हों, प्राचार्य (प्रिंसिपल) तथा अध्यापक वर्ग के कुछ सदस्यों के आवास के लिए महाविद्यालय में अथवा उसके निकट अथवा जिस स्थान पर छात्रों के आवास की व्यवस्था की गयी है, वहाँ समुचित प्राविधान किया जायेगा;

(ज) महाविद्यालय के वित्तीय संसाधन ऐसे हैं जिसके लगातार बने रहने और प्रभावी कार्यसंचालन के लिए समुचित प्राविधान करते हैं;

(झ) छात्रों द्वारा दी जाने वाली फीस निर्धारित करने वाले महाविद्यालय के नियम यदि कोई हो इस तरह नहीं बनाए गये हैं कि वही आस–पास में किसी विद्यमान महाविद्यालय के साथ ऐसी स्पर्धा उत्पन्न हो जाए, जो कि शिक्षा के हितों के लिए घातक हो;

(2) प्रार्थना–पत्र के साथ इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के बाद प्रबन्धन में ऐसा कोई अन्तरण तथा अध्यापक वर्ग में सभी परिवर्तन तथा अन्य परिवर्तन, जिनके फलस्वरूप उपर्युक्त में से कोई भी अपेक्षा अधूरी रह जाती है अथवा अधूरी बनी रहती है, तत्काल कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर कार्यपरिषद, (सिंडीकेट)–

(क) उपधारा (1) में उल्लिखित विषयों तथा अन्य ऐसे विषयों के मामले में जो आवश्यक और सगत समझे जायें, किसी सक्षम अधिकारी अथवा इस सम्बन्ध में कार्यपरिषद (सिंडीकेट) द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा एक स्थानीय जाँच करायेगी; अथवा

(ख) ऐसी जाँच करायेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो;

(ग) प्रार्थी को सूचित की गयी शर्तों में से किसी एक शर्त पर पुनर्विचार के लिए उसके द्वारा की गयी प्रार्थना पर, यदि कोई हो तो समुचित रूप से विचार करेगी;

(घ) इस प्रश्न के सम्बन्ध में अपना मत लिखित रूप में निर्दिष्ट करेगी कि क्या प्रार्थना-पत्र पूर्णतः अथवा अंशतः मंजूर या नामंजूर किया जाना चाहिए, जिसके साथ खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन किसी जाँच के परिणामों का वर्णन किया जायेगा।

(4) कुल सचिव, प्रार्थना-पत्र तथा उसके सम्बन्ध में कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की सभी कार्यवाहियाँ, यदि कोई हों तो राज्य सरकार को भेजेगा, जो ऐसी जाँच कराने के बाद जैसी उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, प्रार्थना पत्र या उसके किसी भाग को मंजूर अथवा नामंजूर कर देगी।

(5) जहाँ प्रार्थना पत्र या उसका कोई भाग मंजूर कर लिया गया है, राज्य सरकार के आदेश में शिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट किये जायेंगे, जिनके सम्बन्ध में महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की गयी है, और प्रार्थना पत्र या उसके किसी भाग को नामंजूर किये जाने के कारण बताये जाएंगे।

(6) राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये जाने के पश्चात् कुल सचिव यथा शीघ्र उपधारा (3) से (5) के अधीन प्रार्थना-पत्र पर की गयी कार्यवाही तथा अन्य सभी सम्बद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिसभा(सिनेट) को एक सम्पूर्ण रिपोर्ट भेजेगा।

(7) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उपधारा (4) के अधीन आदेश जारी किये जाने से पूर्व किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

सम्बद्धता का विस्तार

34. यदि कोई महाविद्यालय शिक्षण के जिन पाठ्यक्रमों में उसे सम्बद्धता प्राप्त हुई है, उसमें कोई पाठ्यक्रम बढ़ाना चाहता है, तो धारा-33 में वर्णित क्रियाविधि का अनुपालन किया जाएगा।

अनुसंधान और विशिष्ट अध्ययन संस्थानों की मान्यता

35. (1) राज्य सरकार को चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति के किसी महाविद्यालय के अतिरिक्त किसी भी अनुसंधान अथवा विशिष्ट अध्ययन के संस्थान को मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में मान्यता देने की शक्ति होगी।

(2) ऐसी मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी संस्थान को कुल सचिव को एक प्रार्थना-पत्र देना होगा और प्रार्थना-पत्र में निम्न विषयों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देनी होगी, अर्थात्-

(क) प्रबन्धन निकाय का गठन तथा कार्मिक,

(ख) ऐसे विषय और पाठ्यक्रम जिनके सम्बन्ध में मान्यता अपेक्षित है,

(ग) स्थान, उपकरण, पुस्तकालय सुविधायें तथा छात्रों की संख्या जिसके लिए प्राविधान किया जा रहा है अथवा प्रस्तावित है,

(घ) कर्मचारिवृन्द की संख्या, अर्हताएं तथा वेतन और किये गये अनुसंधान कार्य,

(ङ) भवनों और उपकरणों के लिए तथा संस्थान को सतत् बनाये रखने और उसके प्रभावी कार्य संचालन के लिए पूँजीगत खर्च के निमित्त किया गया वित्तीय प्राविधान तथा उद्गृहित अथवा प्रस्तावित फीस,

(3) प्रार्थना–पत्र पर विचार करने से पूर्व कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, माँग सकती है।

(4) यदि कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) प्रार्थना–पत्र को विचारार्थ स्वीकार करने का निर्णय लेती है तो वह किसी सक्षम व्यक्ति अथवा इस सम्बन्ध में अधिकृत व्यक्तियों में से एक स्थानीय जाँच कराने का निर्देश दे सकती है। ऐसी स्थानीय जाँच के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार करने तथा ऐसी पुनः जाँच कराने के पश्चात् जो आवश्यक प्रतीत होती हो, कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की संस्तुति पर राज्य सरकार प्रार्थना–पत्र या उसके किसी भाग को स्वीकार कर सकेगी अथवा अस्वीकार कर सकेगी। यदि संस्थान को मान्यता प्रदान की गयी है, तब कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) अपनी अगली उत्तरवर्ती बैठकों में इस आशय की एक रिपोर्ट अधिसभा(सिनेट) को भेजेगी।

संस्थानों का अनुमोदन

36 (1) कार्यपरिषद (सिंडीकेट) को किसी एक अर्हता प्राप्त प्राध्यापक के मार्गदर्शन में आयुर्वेदिक पद्धति में विशिष्ट अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, इन्टर्नशिप प्रशिक्षण, अनुसंधान अथवा अन्य शैक्षणिक कार्य करने के लिए किसी संस्थान को एक अनुमोदित संस्थान के रूप में अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

(2) ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी संस्थान को कुलसचिव को एक प्रार्थना–पत्र देना होगा और प्रार्थना–पत्र में निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना देनी होगी, अर्थात्–

(क) प्राध्यापक का नाम, अर्हताएं, अनुभव और अनुसंधान कार्य, जिसके मार्गदर्शन में अनुमोदित कार्य किया जाना है;

(ख) कार्य की प्रकृति अथवा विषय, जिनके सम्बन्ध में कार्य किया जाना प्रस्तावित है;

(ग) स्थान, उपकरण, पुस्तकालय सुविधाएं तथा छात्रों की संख्या जिनके लिए प्राविधान किया गया है अथवा प्रस्तावित है;

(घ) भवनों और उपकरणों के लिए तथा संस्थान को सतत् रूप में बनाए रखने और उसकी प्रभावी कार्यसंचालन के लिए पूँजीगत खर्च के निमित्त किया गया वित्तीय प्राविधान तथा उद्गृहीत अथवा प्रस्तावित फीस।

(3) प्रार्थना–पत्र पर विचार करने से पूर्व कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो आवश्यक समझे, माँग सकती है।

(4) यदि कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) प्रार्थना–पत्र को विचारार्थ स्वीकार करने का निर्णय लेती है तो वह किसी सक्षम व्यक्ति अथवा इस सम्बन्ध में अधिकृत व्यक्तियों में से एक स्थानीय जाँच कराने का निर्देश दे सकती है।

ऐसी स्थानीय जाँच के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार करने तथा ऐसी पुन: जाँच कराने के पश्चात् जो आवश्यक प्रतीत होती हो, कार्यपरिषद् प्रार्थना–पत्र या उसके किसी भाग को मंजूरी देगी अथवा नामंजूर करेगी, जिसके सम्बन्ध में संस्थान को मान्यता प्रदान की गयी है, तथा अपनी अगली उत्तरवर्ती बैठकों में इस आशय की एक रिपोर्ट सिनेट को भेजेगी, जहाँ प्रार्थना–पत्र उसके किसी भाग को नामंजूर कर दिया जाता है, नामंजूर किये जाने के कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

सम्बद्धता का प्रत्याहरण

37. (1) यदि कोई महाविद्यालय धारा–33 की उपधारा (1) के किसी भी एक प्राविधान को कार्यान्वित करने में असफल रहता है अथवा उसमें सम्बद्धता की किसी एक शर्त का पालन नहीं किया है अथवा महाविद्यालय का संचालन ऐसी रीति से हो रहा है जो शिक्षा के हितों के प्रतिकूल है तो उक्त विद्यालय को ऐसी सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकारों को पूर्णतः अथवा अंशतः प्रत्याहरित किया जा सकता है अथवा संशोधित किया जा सकता है।

(2) ऐसी शक्तियों को प्रत्याहरित करने अथवा उपान्तरण के प्रस्ताव केवल कार्यपरिषद् में लाए जा सकते हैं। कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) में ऐसे प्रस्ताव रखने का इच्छुक सदस्य इस आशय की सूचना देगा और ऐसे प्रस्ताव रखने के कारण लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

(3) उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार आरम्भ करने से पूर्व कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) सूचना तथा उपधारा (2) में उल्लिखित विवरण की एक प्रति इस आशय की सूचना सहित सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को देगी कि इस सूचना में निर्दिष्ट कालावधि के भीतर महाविद्यालय की ओर से लिखित रूप में भेजे गये अभ्यावेदन पर कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा विचार किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि, यदि आवश्यक हो तो, कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(4) अभ्यावेदन प्राप्त होने अथवा उपधारा (3) में उल्लिखित अवधि समाप्त हो जाने पर, कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) प्रस्ताव की सूचना, विवरण और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा इस निमित्त में अधिकृत किया गया हो, ऐसा निरीक्षण तथा आगे कोई और जाँच कर, जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) को एक रिपोर्ट भेजेगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) अग्रेत्तर ऐसी जाँच के बाद, जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, इस सम्बन्ध में अपनी राय अभिलिखित करेगी;

परन्तु यह कि प्रत्याहरण की सिफारिश करने वाला कोई संकल्प अधिसभा(सिनेट) में तब तक पारित किया हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसे कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं हो गया हो ऐसा बहुमत कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) के आधे सदस्यों से कम से नहीं होगा। ऐसा बहुमत में कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) के कम से कम आधे सदस्यों सम्मिलित न हों।

(6) कुलसचिव प्रस्ताव और उसके सम्बन्ध में कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की सभी कार्यवाहियाँ, यदि कोई हो, राज्य सरकार को भेजेगा जो ऐसी अग्रेत्तर जाँच के बाद, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, सम्बद्धतता के प्रत्याहरण के बारे में ऐसा आदेश पारित करेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) को उससे ससूचित करेगी।

(7) जिस मामले में उपधारा (6) के अधीन दिये गये आदेश के कारण सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ पूर्णतः अथवा अंशतः वापस लिए जाते हैं या उनका रुपान्तरण कर दिया जाता है, उस आदेश में इस तरह शक्तियाँ वापस लेने अथवा रुपान्तरण किये जाने के कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

मान्यता का प्रत्याहरण

38. (1) यदि कोई संस्थान अपनी मान्यता की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहा है अथवा उसका संचालन किसी ऐसी रीति से हो रहा है जो कि शिक्षा के हितों के प्रतिकूल है तो उसकी मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है अथवा किसी अवधि के लिए लम्बित की जा सकती है।

(2) ऐसी शक्तियाँ प्रत्याहरित किये जाने अथवा लम्बित किये जाने का प्रस्ताव केवल कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) में किया जा सकेगा। कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) का जो सदस्य ऐसे प्रस्ताव रखने का इच्छुक है, वह इस आशय की सूचना देगा और ऐसे प्रस्ताव रखने का कारण लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

(3) उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार आरम्भ करने से पूर्व कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) सूचना तथा उपधारा (2) में उल्लिखित विवरण की एक प्रति ऐसे आशय की सूचना सहित सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को देगी कि ऐसी सूचना में निर्दिष्ट कालावधि के

भीतर संस्थान की ओर से लिखित रूप में भेजे गये अभ्यावेदन पर कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा विचार किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि यदि आवश्यक हो तो कार्यपरिषद् द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(4) अभ्यावेदन प्राप्त होने अथवा उपधारा (3) में उल्लिखित अवधि समाप्त हो जाने पर, कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) प्रस्ताव की सूचना, विवरण और अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा इस निमित्त में अधिकृत किया गया हो ऐसा निरीक्षण तथा अग्रेत्तर कोई जाँच कराके, जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) को एक रिपोर्ट भेजेगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) अग्रेत्तर ऐसी जाँच के बाद, जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, राज्य सरकार को संस्तुति करेगी कि मान्यता प्रत्याहरण अथवा निलम्बन किया जाए जैसी भी स्थिति हो, या नहीं करेगी, कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की संस्तुति पर राज्य सरकार मान्यता के प्रत्याहरण के बारे में यथा आवश्यक आदेश पारित कर सकेगी।

अनुमोदन का प्रत्याहरण

39. (1) धारा–36 के अधीन अनुमोदित किया गया कोई संस्थान यदि अनुमोदन की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा उसे सौंपे गये कार्य का संचालन किसी ऐसी रीति से हो रहा है जो कि शिक्षा के हितों के प्रतिकूल है तो अनुमोदन द्वारा उसे जो शक्तियाँ प्रदान की गयी है उन्हें कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा प्रत्याहरित किया जा सकता है अथवा किसी अवधि के लिए लम्बित किया जा सकता है।

(2) किसी भी अनुमोदित संस्थान के बारे में उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जारी करने से पूर्व कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) लिखित रूप में एक नोटिस देगी जिसमें संस्थान से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर इस बात का कारण बताये कि ऐसा आदेश क्यों न जारी कर दिया जाय ? कारण बताने के लिए इस प्रकार दी गई यह अवधि यदि आवश्यक हो, कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(3) ऐसे नोटिस के उत्तर में संस्थान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो, उसकी प्राप्ति के पश्चात् और जहाँ उपधारा (2) में गयी अवधि के व्यतीत हो जाने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) ऐसी जाँच के बाद जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, ऐसा निर्णय लेगी कि क्या अनुमोदन, प्रत्याहरित किया जाय या निलम्बित किया जाय और तद्नुसार आदेश देगी।

अध्याय सात

स्नातकोत्तर अध्यापन

स्नातकोत्तर अध्यापन

40. (1) समस्त स्नातकोत्तर शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय अथवा ऐसे सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों और संस्थानों द्वारा तथा उन विषयों में आयोजित किया जाएगा जो कि परिनियमों द्वारा विहित किया गया हो।

(2) समस्त स्नातकोत्तर विभाग सामान्यतः विश्वविद्यालय के मुख्यालय में स्थित होंगे, तथापि विश्वविद्यालय ऐसे किसी विभाग को अपने मुख्यालय से बाहर राज्य में स्थित किसी अन्य स्थानों पर स्थापित कर सकता है।

(3) विश्वविद्यालय ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो कि परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ, विश्वविद्यालय के मुख्यालय से इतर स्थानों पर विश्वविद्यालय केन्द्र अनुरक्षित कर सकता है।

अध्याय आठ

नामांकन और डिग्रियाँ

विश्वविद्यालय के छात्रों के नामांकन के लिए अर्हताएं

41. किसी छात्र को विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास परिनियमों द्वारा विहित अर्हताएं न हों।

छात्रों का आवास

42. विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र या तो छात्रावास में अथवा ऐसे परिसर में निवास करेगा, जो विहित किया जाय।

डिग्रियां, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं

43. विश्वविद्यालय, ऐसी डिग्रियों, डिप्लोमा तथा शैक्षणिक विशिष्टताएँ संस्थित और प्रदान कर सकता है जो परिनियमों द्वारा विहित की गयी हों।

44. यदि कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) के न्यूनतम दो तिहाई सदस्य यह सिफारिश करते है कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर कोई मानद उपाधि प्रदान की जानी चाहिए और उनकी राय में वह व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा तथा उपलब्धियों के कारण ऐसी उपाधि प्राप्त करने का पात्र है, और कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) सिफारिश को अधिसभा(सिनेट) की बैठक में उपस्थित सदस्यों में न्यूनतम दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो तथा ऐसे बहुमत में कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) के कम से कम आधे सदस्य शामिल हो और इस आशय की सिफारिश की कुलाधिपति द्वारा पुष्टि कर दी जाती है तो सिनेट ऐसे व्यक्ति को उससे किसी परीक्षा में बैठने की अपेक्षा के बिना इस प्रकार अनुशंसित मानद उपाधि प्रदान कर सकती है।

विश्वविद्यालय की सदस्यता समाप्त करना और उपाधि अथवा डिप्लोमा का प्रत्याहरण

45. (1) अधिसभा(सिनेट) और कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की सिफारिश पर जिसे दोनों निकायों की बैठकों में उपस्थित सदस्यों में कम से कम दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो तथा ऐसे बहुमत में प्रत्येक निकाय के न्यूनतम आधे सदस्य शामिल हों, कुलाधिपति, किसी व्यक्ति का नाम स्नातकों की पंजी से निकाल सकता है अथवा किसी व्यक्ति से डिप्लोमा या उपाधि वापस ले सकता है बशर्ते कि उसे किसी ऐसे अपराध में किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष माना गया है जो कि कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की राय में ऐसा गम्भीर अपराध है जिसमें नैतिक अधमता ग्रस्त है अथवा यदि वह अपवादजनक आचरण का दोषी पाया हो।

(2) इस धारा के अधीन तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को परिनियमों द्वारा विहित रीति से अपनी बचाव में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय।

अध्याय नौ

समितियाँ

समितियां

46. विश्वविद्यालय विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियाँ गठित कर सकेगी तथा ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्ति नामित किये जा सकेंगे जैसा परिनियमों में विहित किया जाय।

अध्याय दस

वित्त

विश्वविद्यालय निधि

47. (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलायेगी।

(2) विश्वविद्यालय निधि के निम्नलिखित भाग होंगे या उसमें संदत्त किये जायेंगे–

(क) राज्य सरकार, संघ सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई योगदान अथवा अनुदान,

(ख) समस्त स्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अन्तर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है,

(ग) वसीयतें, दान, विन्यास तथा अन्य अनुदान यदि कोई हो।

(3) विश्वविद्यालय निधि कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) के विवेकानुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में अथवा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी सहकारी बैंक में रखी जायेगी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनियोजित की जायेगी।

वार्षिक लेखे और वित्तीय अनुमान

48. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और लेखा परीक्षा के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेंगे।

(2) लेखों की लेखापरीक्षा हो जाने के पश्चात् कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित उनकी एक–एक प्रति सिनेट तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(3) कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) आगामी वर्ष के लिए उस तारीख तक, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए, वित्तीय अनुमान भी तैयार करेगी।

(4) वार्षिक लेखों और वित्तीय अनुमानों पर अधिसभा(सिनेट) द्वारा वार्षिक बैठक में विचार किया जायेगा और अधिसभा(सिनेट)

उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कर सकती है और कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) को सूचित करेगी। कार्यपरिषद्, (सिंडीकेट) अगली बैठक में उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके सम्बन्ध में अधिसभा(सिनेट) को सूचित करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट 49. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) के निर्देश के अधीन तैयार की जायेगी और अधिसभा(सिनेट) को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी जो परिनियमो द्वारा विहित की जाए और उस पर कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा। अधिसभा(सिनेट) उस पर संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) को सूचित कर सकेगी जो कि ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जैसी कि वह उचित समझे तथा कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) अगली बैठक में उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा यदि कोई कार्यवाही नही की गयी है तो उसके कारणों के सम्बन्ध में अधिसभा (सिनेट) को सूचित करेगी।

अध्याय ग्यारह

अनुपूरक उपबन्ध

सेवा की शर्तें 50. इस अधिनियम द्वारा या अन्यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा प्राध्यापक लिखित संविदा के अधीन, जो विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पास रखी जाएगी, नियुक्त किया जाएगा, और उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी या प्राध्यापक को दी जाएगी।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना 51. विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अर्थान्वयन में लोक सेवक समझे जाएंगे।

<u>स्पष्टीकरण</u>

इस धारा के प्रयोजनों के लिए जिस व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि अथवा विश्वविद्यालय के विनिर्दिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है अथवा जिस प्रतिपूरक भत्ते के रूप में अथवा किसी कार्य के लिए फीस के रूप में विश्वविद्यालय निधि से कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है, उसे जब तक वह कार्य कर रहा है और ऐसी नियुक्ति अथवा कार्य से सम्बन्धित कर्तव्यों और कृत्यों

के निष्पादन से सम्बद्ध सभी विषयों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का अधिकारी तथा कर्मचारी समझा जाएगा।

माध्यस्थम का अधिकरण

52. विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के किसी अधिकारी अथवा प्राध्यापक के बीच हुई किसी संविदा से उत्पन्न कोई विवाद सम्बन्धित अधिकारी या प्राध्यापक के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्यपरिषद, (सिंडीकेट) द्वारा नियुक्त किया गया एक सदस्य , सम्बन्धित अधिकारी या प्राध्यापक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया गया अधिनिर्णायक होगा। ऐसा प्रत्येक अनुरोध माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1996) के अर्थान्वयन में माध्यस्थम को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा और उस पर उक्त अधिनियम के प्राविधान तद्नुसार लागू होंगे।

पेंशन बीमा और भविष्य निधि

53. विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, प्राध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियो के लाभ के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, ऐसी पेंशन, बीमा तथा भविष्य–निधि का गठन करेगा तथा ऐसे अन्य लाभ संस्थित करेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

भविष्य निधि का सरकारी खजाने में जमा कराया जाना

54. (1) जहाँ विश्वविद्यालय ने अपने अधिकारियो, प्राध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए धारा–53 के अधीन, जिसकी भविष्य निधि का गठन कर लिया है वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसे निर्देशो के अनुसार जो कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लिखित आदेश के माध्यम से दिये जायें, राज्य सरकार के कोषागार में जमा करायी जायेगी और तदुपरान्त–

(क) अभिदाता भविष्य निधि खाते में शेष राशि मे उसी दर से ब्याज पाने का हकदार होगा, जिस पर राज्य सरकार का कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते में खाते की शेष राशि पर तत्समय हकदार है,

(ख) भविष्य निधि से निकासी की सीमाओं के सम्बन्ध में जो नियम ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में तत्समय प्रवृत्त है वही नियम जहाँ यथासंभव हों, अभिदाता पर लागू होंगे।

(2) इस धारा में कोई भी बात विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ऐसी भविष्य निधि के मामले में लागू नहीं होगी जिसके सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू होता है।

निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

55. इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का चुनाव एकल अन्तरणीय मत के माध्यम से ऐसी रीति से जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा।

पद रिक्त करना

56. (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण अथवा निकाय का कोई भी सदस्य कुल सचिव के माध्यम से कुलपति को सम्बोधित पत्र के द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और त्याग पत्र कुलपति द्वारा स्वीकार किये जाने की तारीख से अथवा कुलपति को प्राप्त होने के तीस दिन की समाप्ति पर, इसमें जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण अथवा निकाय का कोई भी सदस्य, किसी भी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने पर, जिसमें कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) की राय में नैतिक अधमताग्रस्त हो, सदस्य नहीं रहेगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

57. जब विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा निकाय में किसी सदस्य का कोई पद (पदेन सदस्य को छोड़कर) सदस्य के कार्यकाल समाप्त होने से पहले रिक्त हो जाता है, ऐसी रिक्ति यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे सदस्य के यथास्थिति निर्वाचन, नामनिर्देशन, नियुक्ति अथवा सहयोजित द्वारा जो केवल उतने समय तक पदधारण करेगा जब तक वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह उससे निर्वाचित, नामनिर्देशित, नियुक्त अथवा सहयोजित किया गया हो, सदस्य रहा होता यदि पद रिक्त न होता,

परन्तु यह कि यदि यह रिक्ति अधिसभा(सिनेट) के किसी निर्वाचित सदस्य की है और ऐसे सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से छः महीने पहले होती है तो रिक्ति नहीं भरी जाएगी।

कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना

58. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण अथवा निकाय की कोई भी कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उसकी सदस्यता में कोई स्थान रिक्त है।

विश्वविद्यालय, प्राधिकरण अथवा निकाय के गठन सम्बन्धी विवाद

59. यदि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियम, अध्यादेश अथवा नियम के उपबन्ध के निर्वाचन के सम्बन्ध में या इस सम्बन्ध मे कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी अथवा निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया है या उसका सदस्य होने का हकदार है अथवा सदस्य नहीं रहा है तो कोई प्रश्न सीधे प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा याचिका प्रस्तुत किये जाने पर अथवा स्व–प्रेरणा से हो तो ऐसा मामला कुलपति द्वारा कुलाधिपति को सन्दर्भित किया जाएगा और यदि अधिसभा(सिनेट) के सदस्य ऐसा आग्रह करे तो कुलाधिपति ऐसी सलाह लेने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, प्रश्न विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

कार्यों तथा आदेशों का संरक्षण

60. विश्वविद्यालय अथवा इसके किसी प्राधिकारी, निकायों अथवा अधिकारियों द्वारा सद्भावपूर्वक किये गये कार्य तथा पारित आदेश अन्तिम होंगे तथा विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकारियों, निकायो अथवा अधिकारियो पर इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये परिनियमो, अध्यादेशों और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार की गयी किसी भी तात्पर्यित कार्यवाही के लिए कोई वाद संस्थित नही किया जाएगा, न किसी नुकसान का दावा किया जाएगा।

अध्याय बारह

संक्रमणकालीन उपबन्ध

संकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पाठ्यक्रमों की पूर्ति

61. इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये परिनियमो तथा अध्यादेशो मे अन्तर्विष्ट किसी भी बात के रहते हुए संस्थान के ऐसे किसी भी छात्र को जो कि संकाय की परीक्षाओं के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने का हकदार है और जो उस तारीख से ठीक पूर्व जबकि धारा 6 प्रभावी हुई है, संकाय की किसी परीक्षा में पढ़ रहा था, अथवा वह उसके लिए पात्र था, उसकी तैयारी करने के लिए उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और विश्वविद्यालय ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी रीति से जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए, संकाय के पाठ्यक्रमों के अनुसार ऐसे छात्रो के लिए शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और परीक्षा की व्यवस्था करेगा।

62. प्रथम कुलपति की नियुक्ति — धारा–11 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के पारित किये जाने के पश्चात् यथासमय ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रथम कुलपति की नियुक्ति की जाएगी।

63. प्रथम कुलपति की संक्रमणकालीन शक्तियां — (1) प्रथम कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि संस्थानों को, यदि कोई हो, यथासम्भव धारा–33 के उपबन्धों के अनुरूप सम्बद्धता प्रदान करना, तथा स्वयं की नियुक्ति की तारीख के छः महीने के भीतर अथवा ऐसी अधिक अवधि के भीतर जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करे, विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) तथा अन्य प्राधिकारियों के गठन की व्यवस्था करेगा।

(2) प्रथम कुलपति सलाहकार समिति की सहायता से, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम पन्द्रह सदस्य होंगे, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए और कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए–

(क) उक्त प्राधिकारियों का गठन करने तथा उनकी बैठकों और कार्यसंचालन की क्रियाविधि को विनियमित करने के लिए अपेक्षित प्रथम परिनियम बनाएगा;

(ख) ऐसे नियम बनाएगा जो कि उक्त प्राधिकारियों के लिए निर्वाचन की विधि विनियमित करने के उद्देश्य से आवश्यक हो;

(ग) इस अधिनियम के अधीन राज्य सराकर के पूर्वानुमोदन से प्रथम परिनियम और अध्यादेश बनाएगा।

64. विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राध्यापकों की प्रथम नियुक्ति — (1) इस अधिनियम के पारित किये जाने के पश्चात् किसी समय किन्तु जब तक कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी का काम करना शुरू न कर दे–

(क) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों के निष्पादनार्थ कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से ऐसे कोई अधिकारी नियुक्त कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(ख) कुलपति, निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की, जिन्हें सहयुक्त करना कुलाधिपति उचित समझे, सलाहकार समिति की

सिफारिशों पर विचार करने के बाद कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की नियुक्ति कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गयी कोई नियुक्ति अधिकतम तीन वर्षों के लिए ऐसी शर्तों पर होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे,

परन्तु ऐसी कोई भी नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसके लिए वित्तीय प्राविधान नहीं कर लिये जाते हैं।

प्रथम कुलपति की असाधारण शक्तियां

65. धारा–62 के अधीन नियुक्त कुलपति के पास जब तक कि कार्यपरिषद् अपना कार्य करना प्रारम्भ न कर दे, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी–

(क) ऐसे किसी विषय के लिए जिसके बारे में प्रथम परिनियमों में व्यवस्था नहीं की गयी है, प्राविधान करने के लिए कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के अतिरिक्त परिनियम बनाने,

(ख) अनान्तिम प्राधिकरणों और निकायों की गठन और उनकी सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों के कार्य संचालन के प्राविधान के लिए नियम बनाना,

(ग) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी वित्तीय व्यवस्थायें करना जैसा इस अधिनियम अथवा उसके किसी भाग को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों,

(घ) उसके ऐसे कार्यों का निर्वहन करने के लिए जैसा कि वह निर्देशित करें, समिति गठित करना, और

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा अथवा उसके अधीन कार्यपरिषद् (सिंडीकेट) को प्रदत्त किसी या सभी शक्तियों का सामान्यतः प्रयोग करना।

अधिनियम के लागू होने पर होने वाली कठिनाइयों का राज्य सरकार द्वारा निराकरण

66. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश कर सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा और ऐसे आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–66, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन की कार्यवाही के दौरान बी0डी0सी0 तथा अन्य बैठकें आहूत किये जाने के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

*श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब प्रदेश के सर्वोच्च सदन की कार्यवाही गतिमान हो और माननीय सदस्यों का सदन में उपस्थित रहना आवश्यक हो, ऐसी अवस्था में उसी समय जिलो के अन्दर ऐसी मीटिंगो का आहूत किया जाना, जिसमें माननीय सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हो, मैं समझता हूँ कि वह व्यवस्था के रूप से और सदन के रूप से भी उचित नहीं है। मोरी में बी0डी0सी0 की बैठक हो रही है। पिछले वर्ष भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह हुआ था कि प्रदेश के सर्वोच्च सदन की बैठक गतिमान होने के दौरान ही बी0डी0सी0 की बैठक बुला दी गयी थी। मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से आदेश हो जाय कि सत्र के दौरान ऐसी बैठके न बुलाई जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, ये व्यवस्था है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी बैठक, जिसमें माननीय सदस्यों का उपस्थिति रहती है, ऐसी बैठकें संचालित नहीं की जाती। इसलिए उसको स्थगित करा दिया जायेगा।

सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जिला नैनीताल में प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड के छात्रों के लिए भर्ती कोटा दुगुना करने के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ यद्यपि यह संकल्प 19 दिसम्बर, 2008 को प्रस्तुत किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया था। जिस पर काफी समय बोलने का और चर्चा का मौका मिला है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जिला नैनीताल में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष 500–600 बच्चे इसमें अध्ययनरत रहते हैं। वर्तमान वर्ष में 574 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत है। यह विद्यालय रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है। आपके संज्ञान में यह तथ्य भी डालना चाहता हूँ कि इस विद्यालय के रख–रखाव के लिए उत्तरांचल सरकार 10 लाख रुपये प्रति वर्ष इस विद्यालय को अनुदान के रूप में देती है और वहाँ जितनी भूमि है वह भी राज्य सरकार के स्वामित्व में है। पहले यह विद्यालय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। जब यह उत्तर प्रदेश में था तो पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों को 30 प्रतिशत वहाँ पर अध्ययन के लिए मौका मिलता था, परन्तु जब उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया तो कम से कम अब यह उत्तरांचल का विद्यालय माना जाता है, तो यहाँ पर इसका कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। इसी निमित्त आपके माध्यम से यह संकल्प मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है।

हमारा पूरा उत्तरांचल जिसमें मुख्यतः पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा चमोली, पौड़ी ये सब सैनिक और पूर्व सैनिक बाहुल्य क्षेत्र हैं। यहाँ पर हर तीसरे परिवार का एक बच्चा सेना में है। इसलिए कारगिल युद्ध के बाद हमारे युवाओं ने सीमाओं पर जो शहादत दी और युवा मेजर राजेश अधिकारी जैसे युवाओं की शहादत के बाद उत्तरांचल के बच्चों में सेना में अधिकारी बनने और सेना में नौकरी करने का नया जज्बा पैदा हुआ जिस कारण आज आवश्यकता हुई कि इस विद्यालय में कम से कम उत्तरांचल के बच्चों की संख्या दुगनी हो। 7–8 महीने का समय बीत गया। परन्तु मुझे इस संकल्प के बाद जो सूचना मिली कि मेरी भावनाओं के अनुरूप, उत्तराखण्ड के लोगों की भावनाओं के अनुरूप अब इस सैनिक विद्यालय में अपने उत्तरांचल का कोटा 69 प्रतिशत हो गया। इसलिए मैं आपको इस सदन के माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि माननीय सदस्य चन्दन राम दास जी ने 19 दिसम्बर, 2008 को यह महत्वपूर्ण विषय सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया था। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूँगा कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के रूल्स एण्ड रेग्यूलेशन हैं, उसमें जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के आधार पर सैनिक स्कूल सोसाईटी के नियमावली के नियम–1.12 के अनुसार 67 प्रतिशत सीटें जिस राज्य में सैनिक स्कूल स्थित हैं वहाँ के छात्रों के लिए आरक्षित है और शेष 33 प्रतिशत सीटें अन्य राज्यों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित है। आपने अभी अवगत कराया कि केवल 30 प्रतिशत सीटें उत्तर प्रदेश में रहते हुए थी। श्रीमन, जो व्यवस्था वर्तमान में संचालित हो रही है वह व्यवस्था यह है कि 67 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड राज्य के लिए 33 प्रतिशत सीटें बाहर के राज्यों के लिए हैं। आप तो 60 प्रतिशत माँग रहे थे, यहाँ तो 67 प्रतिशत आपको मिल गया। इसलिए इस आधार पर मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वर्तमान में 67 प्रतिशत कोटा निर्धारित है, इसको अगर दुगना करने की बात करें तो यह सम्भव ही नहीं है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा कि 67 प्रतिशत किस डेट से हुआ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसके जो रूल एण्ड रेग्यूलेशन हैं, जिस राज्य में स्थापित होता है उस राज्य को 67 प्रतिशत और बाकी अन्य राज्य के लिए है। श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कृपापूर्वक अपने इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले रहे है ?

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपना संकल्प वापस ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास द्वारा प्रस्तुत संकल्प ''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगुना किया जाय कि ताकि युवाओं में सेना में अधिकारी बनने की रूचि बढ़ सके।'' को वापस लिये जाने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत संकल्प

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संकल्प पर चर्चा जारी रखने का अनुरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

*श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, डा0 निशंक जी द्वारा रखे गये बजट के विषय में मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ कि जब राज्य के लिए आन्दोलन चला और माँग हुई, बड़ी–बड़ी उम्मीदों के साथ इस राज्य का गठन किया गया और इस घाटे के बजट में......

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय करन मेहरा जी, आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई ऐसी उल्लेखनीय योजना दिखाई देगी जिसमें आय के स्रोत बढ़ेंगे। पर बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है समय का ध्यान रखें। 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, आप किसी सदस्य को 15 मिनट किसी सदस्य को 20 मिनट तक दे रहे हैं। किसी को दस मिनट दिया है। हमको को भी कल 10 मिनट दिया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, कोई भी ऐसी योजना नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि राज्य की आय बढ़े और हम अपने संसाधनों को, साधनों को बढ़ा सकें। विकास कार्यों में तो मात्र 12 प्रतिशत धन की व्यवस्था की गई है, जो बहुत कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के विधान सभा चुनाव के दौरान रानीखेत आये थे तो उन्होंने सभा में घोषणा की थी कि रानीखेत को इस चुनाव के बाद जिला बनाया जायेगा। रानीखेत के लोग और मैं लगातार विगत दो वर्षों से आस लगाये हुए बैठा हूँ कि रानीखेत जिला बन जायेगा। मैंने सदन में पहले भी इस बात को रखा था। परन्तु बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है जो बहुत ही दुःख का विषय है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सरकार को इसमें आप निर्देश दें कि रानीखेत को जिला बनाने के लिए धन की व्यवस्था करके इस बजट में सम्मिलित किया जाए।

मान्यवर, चकराता और रानीखेत जैसे कैण्टोमैंट क्षेत्र इस राज्य में है। मान्यवर, सरकार ने पेयजल करमुक्त किया है परन्तु जो कैण्टोमैंट में रहने वाले नागरिक है वह दोयम दर्जे की जिन्दगी बसर कर रहे है। वे आज भी टोल टैक्स दे रहे हैं आज भी वे पानी का कर चुका रहे है। इस बजट में कहीं भी उन नागरिकों को उस कर से मुक्त करने के लिए धन की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसा पूर्व में कई नगरपालिकाओं को

टैक्स से कर मुक्त करने के लिए धन सरकार के द्वारा नगरपालिकाओं को दिया जाता था। टैक्स बन्द किये गये। मेरी मॉग है आपके माध्यम से, कि कैण्टोमैंट क्षेत्रों के नागरिक को इस दोहरी नागरिकता से बचाने के लिए उस धन की व्यवस्था जो टोल टैक्स के रूप में और पेयजल के टैक्स के रूप में दी जाती है सरकार उसकी व्यवस्था इस बजट में करें।

मान्यवर, स्वास्थ्य के बारे मे मुझे यह कहना है कि आज हमारे राज्य में पी0जी0, डिप्लोमा प्राप्त विषय विशेषज्ञ डाक्टरों की बहुत कमी है। जब यह राज्य बना लगातार पॉच वर्ष तक उत्तर प्रदेश में हमारे 16 डाक्टरों को तथा 60 डाक्टरों को हमारे जौलीग्रांट जो अस्पताल है इसमें पी0जी0 की डिग्री दी जाती थी। परन्तु 2008 के बाद से इन दोनो जगहो उत्तर प्रदेश मे भी और जौलीग्रांट में भी यह व्यवस्था देनी बन्द कर दी है। मान्यवर, सरकार ने कोई ऐसे बजट का प्राविधान इस बजट में नही किया है जिससे यहॉ के जो डाक्टर हैं, जो पी0जी0 करना चाहते है, उनको सरकार की तरफ से कही पी0जी0 कराई जा सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहता हूँ कि उसको भी इस बजट मे शामिल किया जाए। ताकि हमारे यहॉ जो डाक्टरो की कमी है, विशेषज्ञों की कमी है उसको दूर किया जा सके।

मान्यवर, बजट में जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है उसके लिए मै सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह बहुत अच्छा कदम है परन्तु एक बात इसमे आवश्यक जोडना चाहता हूँ क्योंकि यह पर्वतीय राज्य है इसको बनाने के पीछे यह मशा थी कि पर्वतीय जो ऊपर के जिले हैं जहॉ भौगोलिक परिस्थितियॉ बहुत कठिन है, उन इलाको का विकास हो। लेकिन जहॉ जडी–बूटियो की बात है, उसके रिसर्च की बात है तो ऐसी जगह होना चाहिए था जहॉ जडी–बूटियो की बहुतायत है। जहॉ सजीवनी की बात है। रामायण में भी उसका उल्लेख है कि संजीवनी हिमालय से लाई गई थी। लेकिन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में की जा रही है, जिसको किसी पर्वतीय जिले मे किया जाना ज्यादा उपयुक्त होता। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय का गठन हो रहा है वह ठीक है, मान्यवर, मै आपके सम्मुख एक गम्भीर विषय लाना चाहता हूँ जो मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीखेत मे जो भेषज केन्द्र चल रहा है वह वर्ष 1949 में स्थापित है और जो सहकारिता विभाग के अन्तर्गत आता है। उसको बन्द कर दिया है विगत कुछ वर्षों से और वहॉ पर 40 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिसमें से विशेषज्ञ भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं उन सबको वहॉ से हटा दिया गया है और लाखों की सम्पत्ति वहॉ पर बर्बाद हो रही है और खराब हो रही है। मान्यवर, उसके बगल मे एक कॉपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है और कुछ सरकारी संस्था हैं जो लाभ मे चल रही है उनमे से एक वह भी था, उसके पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि वे आपस में एक दूसरे के पूरक होंगी और एक दूसरे को लाभ होगा। मान्यवर, वहॉ

कर्मचारियों को भी और युवा बेरोजगार को भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वे स्वावलम्बी बनें। सरकार ने इस बजट भाषण में इसके लिए भी बजट नहीं रखा है इसलिए मैं इस बजट भाषण की निन्दा करता हूँ और चाहता हूँ कि उसके लिए भी इस बजट में कुछ व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है हमारे राज्य में वह सबसे बड़े जंगल का दोहन। मान्यवर, यह पर्यावरण से सम्बन्धित है। मान्यवर, जंगलों में हर वर्ष आग लग रही है और लोग जल रहे हैं। मान्यवर, मेरे रानीखेत विधान सभा क्षेत्र में 4 लोगों की मृत्यु इसी वर्ष हो चुकी है और एक छोटे लड़के की मृत्यु भाई सुरेन्द्र सिंह जीना के क्षेत्र में अग्निकाण्ड में जलकर हुई है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चीड़ है और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गयी है। जिससे चीड़ को रोका जा सके और उसका उन्मूलन किया जा सके। चूँकि इसी के कारण हमारे वन जल रहे हैं और इसी के कारण जो हमारे मिश्रित वन हैं जिसके कारण हमारे पानी को रिटेन करने की ताकत है। वह भी खत्म हो रहा है जिसके कारण हमारे सामने पेयजल का संकट आज हमारे पर्वतीय जिलों में हो गया है। मान्यवर, जो हमारे जिलों में उपजाऊ मिट्टी है वह भी बह-बहकर आ जा रही है इसके लिए भी इस बजट भाषण में कोई प्राविधान नहीं किया है। मान्यवर, मैं पूरे जोर देकर और गुजारिश करता हूँ कि इसमें कोई व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, इसी प्रकार कुम्भ मेले में गंगा की सफाई की बात कही गयी है मैं उसमें केवल यह कहना चाहता हूँ कि 100 करोड़ रुपये का बजट इसमें बहुत कम है और मान्यवर, मैं सरकार के बजट भाषण में एक चीज और लाना चाहता हूँ इस कुम्भ मेले की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो रही है। अभी कुछ दिन पूर्व सोमवती अमावस्या का जो छोटा सा पर्व होता है उस 12 घण्टे का जाम इस हरिद्वार में लगा हुआ था जो अपने आप में एक संकेत है कि हमारी तैयारी ठीक ढंग से नहीं चल रही है। मान्यवर, पिछला कुम्भ मेला 1999 में हुआ था, जिसमें 22 साधू नागा बाबा, वहाँ पर जो तकनीकी कमी रह गयी थी और उस समय तत्कालीन प्रशासन की व्यवस्था की कमी के कारण मारे गये थे और उस समय समझौता हुआ था कि गंगा नदी में आने वाले नालों और सीवरों को बन्द किया जायेगा। मान्यवर, इस बजट में न ही सरकार ने जय राम आश्रम के गिरने वाला सीवर और मोतीचूर रेलवे टर्नर में आगे गिरने वाले नाले और डामकोठी में गिरने वाले नाले और सीवर आज तक बन्द किये गये है। जबकि यह वर्ष 1999 में फैसला किया गया था। मैं आपके निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बजट भाषण में इसका भी प्राविधान किया जाय और इन कार्यों को अतिशीघ्र किया जाय ताकि बड़ी दुर्घटना इस कुम्भ के मेले में न हो। मान्यवर, आपने मुझे भाषण में मौका दिया धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एक बात बतायें, कल भोजन आपकी तरफ से था और मैं देख रहा हूँ कि माननीय सदस्यों के गले बैठे हुए हैं। (हंसी) जबकि सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों के गले ठीक है। (हंसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से तो मंगलवार का दिन है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2009–10 का जो बजट सदन के पटल पर वितरित किया गया, निश्चित तौर पर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए बधाई देता हूँ। कल मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का यहाँ पर बजट पर चर्चा सुन रहा था, यह बजट 2009–10 मैं समझता हूँ कि यह हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्ति के परिवार के लिए और जनजाति के व्यक्ति के परिवार के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएँ इस बजट में रखी गयी। उदाहरण के तौर पर सरकार के द्वारा जो योजनाएँ संचालित की जा रही है, मैं समझता हूँ कि पूर्व की सरकार अगर ऐसी योजनाओं को संचालित करने के लिए गम्भीर होती तो आज यह प्रदेश विकास की अग्रणी पंक्ति में होता।

मान्यवर, उदाहरण के तौर पर 108 योजना, एक गरीब परिवार जब 100 रु० मजदूरी करके सांय को अपने घर पर अपने बच्चों के पास जाता है और उस परिवार का सदस्य कोई बीमार अगर पड़ जाता था तो उसके सामने परिस्थिति होती है और चिन्ता का विषय रहता था कि उस परिवार के सदस्य को किस संसाधन से, किस व्यवस्था के तहत उसको चिकित्सालय ले जाया जाए, और वह गरीब व्यक्ति दर–दर भटकता रहता था कि 500 रु० में, 200 रु० में गाड़ी की व्यवस्था, गाड़ी वाला चालक या मालिक मुझसे किराया लेगा, अपने परिवार के सदस्य को कैसे करके अस्पताल ले जाऊँ, यह चिन्ता बनी रहती थी, लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि 108 की योजना और उसके साथ–साथ जो आज स्वास्थ्य की सेवायें हमारे प्रदेश में काफी कमजोर है इस चीज को सभी महसूस करते है, इसके लिए सरकार ने जो एक अच्छा निर्णय लिया।

श्रीनगर मेडिकल कालेज में 15 हजार रु० प्रति वर्ष मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र को 15 हजार रु० प्रति वर्ष में सरकार मेडिकल शिक्षा ग्रहण करायेगी और उसमें भी ऋण के रूप में आसान किश्तों से बैंक से ऋण मुहैया करायेगी, मैं समझता हूँ कि मान्यवर, यह सरकार का अच्छा निर्णय है, और एक जनहित निर्णय है और यह जनता को लाभ पहुँचाने वाला निर्णय है इसके साथ–साथ सरकार ने एम०आर०आई० की

मशीनों का संचालन, पं० दीन दयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल में गुर्दा रोग, हृदय रोग इकाई पी०पी०पी० व्यवस्था से की जा रही है। मान्यवर, इसके साथ–साथ सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ और कोटद्वार में डायग्नोस्टिक सेन्टर की स्थापना सरकार के द्वारा इस बजट में प्रस्तावित है, और इसी के साथ में विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि मैं कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र की आबादी घनत्व काफी संख्या में है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से दिन प्रतिदिन मैदानी क्षेत्र की ओर जनता काफी संख्या में प्रवेश कर रही है और मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर कोटद्वार में बेस अस्पताल की स्थापना हो तो आभारी रहूँगा।

मान्यवर, इसके साथ–साथ सरकार ने कहा, जो आज पूरे विश्व में चिन्ता का विषय बना हुआ है, पेयजल के बारे में इस सदन में भी समय–समय पर काफी चर्चा की जाती है और सभी पूरी जनता की ओर से भी एक चिन्ताजनक विषय है कि अपने वाले समय में और वैज्ञानिकों ने भी ये भविष्यवाणी कर दी कि अपने वाले समय में अगर कोई विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के लिए होगा, लेकिन सरकार ने इसमें एक अच्छा कदम उठाते हुए जल संवर्द्धन के लिए जलाशयों के निर्माण की योजना इस बजट में प्रस्तावित की तो मैं समझता हूँ कि सरकार का यह एक अच्छा निर्णय है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में 4 नदियाँ है और आज सरकार को, मैं समझता हूँ कि पेयजल की जो भी सुविधा सरकार के माध्यम से जनता को दी जा रही हैं वह बिजली और नलकूपों के द्वारा दी जा रही हैं, नलकूपों के द्वारा बिजली भी खर्च की जाती है और मैं समझता हूँ कि इसका वार्षिक बजट लगाया जाए तो करोड़ों रुपया इसका भुगतान विद्युत विभाग को जाता है। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और साथ–साथ विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में ह्यूो नदी, मालन नदी, सिगड्डी स्रोत और हाथीकोण स्रोत चार स्रोत ऐसे है जिनमें सरकार के द्वारा जलाशयों का निर्माण किया जाए तो मैं समझता हूँ कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र जहाँ उस क्षेत्र की आबादी जनसंख्या 2 लाख से ऊपर होगी, उस पूरे क्षेत्र को इन स्रोतों के माध्यम से पेयजल की सुविधा मुहैया करवाई जा सकती है और जहाँ सरकार का करोड़ों रुपया विद्युत विभाग को देना पड़ता है उससे भी सरकार को राजस्व में लाभ मिलेगा। मान्यवर, इसके साथ–साथ सरकार के द्वारा जो यहाँ पर और भी कई लाभ की योजनायें संचालित की गयी है और की जानी हैं मैं सरकार को ढेर सारी बधाई देता हूँ।

आज इस पूरे भारत वर्ष में चुनौतीपूर्ण विषय बेरोजगारी का है, चाहे कोई भी सरकार आए या कोई भी सरकार जाए, हर सरकार के सामने बेरोजगारी का विषय चिन्ताजनक विषय है। इस प्रदेश में 65 प्रतिशत भू–भाग वन भूमि से घिरा हुआ है और

लगभग 35 प्रतिशत राजस्व भूमि और अन्य निजी भूमि है और आज सरकार ने एक उद्योग नीति पर्वतीय क्षेत्र के लिए बनाई है निश्चित रूप से सरकार की मैं सराहना करता हूँ और पर्वतीय उद्योग नीति से जो हमारे बेरोजगार भाई है उनको भी रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे और जो हमारी आज अर्थ व्यवस्था है, उत्तराखण्ड की आय है उस पर भी हमको लाभ मिलेगा।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा यहॉ पर और योजनायें चलाई गई तो मैं समझता हूँ कि आज पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जिन्होने गरीबों के बारे में चिन्ता व्यक्त की, चाहे वह आवासीय योजना हो पहले जो लोग बी०पी०एल० की श्रेणी मे नहीं आते थे, जिन लोगो के सामने चिन्ता का विषय रहता था कि हम लोग बी०पी०एल० की सूची मे सूचीबद्ध नहीं हुए, किन्हीं कारणों से छूट गये, लेकिन हमारी सरकार ने उन लोगों का भी ध्यान रखते हुए उनको आवास योजना से प० दीनदयाल आवासीय योजना से, अटल आवासीय योजना से लाभान्वित करने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मै हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

*श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार से ऐसी उम्मीद नही थी कि जिन उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियो की वजह से आज हम यहॉ पर बैठे हुए है उनको इतनी जल्दी भूल जायेगी। मान्यवर, जैसा कि खटीमा ने सर्वप्रथम 01 सितम्बर, 1994 को सबसे ज्यादा शहादतें दी हैं। और खटीमा में उनकी शहादत में ऐसा कुछ किया जाता, जिसे लोग याद रखते। मान्यवर, इस शहीदों के नाम पर खटीमा मे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नही की गयी।

उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना हम लोग देख रहे है। परन्तु आज इस ऊर्जा वृद्धि हेतु इस बजट में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे हम इस क्षेत्र मे प्रगति कर सकें। मान्यवर, बडी–बडी विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का भी कोई प्राविधान इस बजट में नहीं है और जो पुरानी विद्युत परियोजनाएं हैं चाहे वह लोहिया हेड हो, चीला पथरी विद्युत परियोजनाएं हो इनकी क्षमता बढाने के लिए सरकार ने बजट मे कोई प्राविधान नहीं किया है। मान्यवर, जब हमारी सरकार थी तो लोहिया हेड के लिए लगभग डेढ करोड रु० की व्यवस्था की थी, जिससे इसकी क्षमता कुछ बढ थी और इसका सुधारीकरण हुआ था। लेकिन आज की तारीख में लोहिया हेड जीर्णशीर्ण अवस्था में है इसके सुधारीकरण के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। मान्यवर, बिजली की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कटौती इस तरह हो रही है कि 10 से 12 घण्टे तक की जा रही है, जिससे जनता त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रही है। ट्रान्सफार्मर को फूँके हुए दो–दो माह हो गये है, लेकिन बदला नहीं जा रहा है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में सूखा है, किसान परेशान हैं, उनको बिजली नही मिल रही है, सिंचाई की व्यवस्था नही हो पा रही है, धान की रोपाई नही हो पा रही है, इसके लिए भी इस बजट में कोई प्राविधान नही रखा गया है।

मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति के क्षेत्र में कितनी सड़कें दी जानी चाहिए इसका प्राविधान भी इसमे नहीं है। टी0एस0पी0 प्लान मे बहुत सारी धनराशि केन्द्र सरकार देती है, लेकिन एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 प्लान के सम्बन्ध में किस तरह से धनराशि को खर्च किया जाय इसकी नीति सरकार द्वारा नहीं बनायी गयी है| मान्यवर, अभी तक हर विभाग में एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 प्लान का पैसा दिया जाता है लेकिन खर्च नही हो पाता है और वह पैसा वापस चला जाता है। इसकी एक नीति बननी चाहिए, जिस विभाग को जरूरत हो, वही विभाग योजना दें और अन्य कोई विभाग नहीं चाहता है तो उसे पैसा न दिया जाय| जिससे कि वह पैसा वापस न चला जाय, इसकी एक नीति एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 प्लान एस0सी0पी/टी0एस0पी0 प्लान की होनी चाहिए। मान्यवर, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास की योजना से सम्बन्धित इस बजट मे कोई प्राविधान नही किया गया है।

मान्यवर, सरकार आश्रम पद्धति विद्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए चला रही है, उसके उच्चीकरण का कोई भी व्यवस्था इस बजट में नही की गयी है, इसके रख–रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है| बहुत पुराने भवनो मे ये विद्यालय चल रहे हैं| इनको कैसे सही किया जाय इसकी व्यवस्था इसमे होनी चाहिए थी, जोकि इस बजट मे नही की गयी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चो के लिए आई0टी0आई0 खोले गये हैं, लेकिन इन विद्यालयो मे अनुदेशकों की व्यवस्था नहीं की गयी है और न ही वर्कशाप की व्यवस्था है। मान्यवर, ट्रेडें तो खोल दी, परन्तु उनमें अनुदेशक की नियुक्ति नहीं की गयी है। मान्यवर, इन्दिरा आवास के लिए जैसा कि बी0पी0एल0 के लिए जो आवास देते हैं| मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के जो आवास विहीन लोग हैं, जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं उनके लिए बी0पी0एल0 की बाध्यता खत्म करनी चाहिए| मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिए जो आई0टी0आई0 चल रहे हैं इनका उच्चीकरण किया जाना चाहिए, जोकि बहुत आवश्यक है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की भी व्यवस्था इस बजट मे नहीं है।

मान्यवर, तराई क्षेत्र में बड़ी–बड़ी नदिया है जिसमें दोहरा नदी, परवीन नदी, कैलाश नदी, जगबूढा नदी है जो हमारे भारत नेपाल सीमा के बीच बहती है तथा कामिनी नदी है। मान्यवर, हर वर्ष अतिवृष्टि से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि इन नदियों के द्वारा कट

जाती है, इस बजट में इस कटाव को रोकने के लिए कोई कारगर योजना नहीं दिखाई दे रही है मान्यवर, चिकित्सालयों में चिकित्सकों की अत्यंत कमी है। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं, जहाँ डाक्टर नहीं है। चिकित्सकों की भर्ती की कोई योजना इस बजट मे स्वीकृत किया था, लेकिन इस बजट में रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज, जिसको पिछली सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन इस बजट में रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कोई भी प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, राजकीय इण्टर कॉलेजों में कक्षा–कक्षों का नितान्त अभाव है। अध्यापको की बहुत कमी है। जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता मे कमी आ रही है। इस बजट में कही भी हाई स्कूल खोलने का प्राविधान नही है। जबकि पिछली सरकार ने हमें बहुत से इण्टर कॉलेज और बहुत से हाई स्कूल दिये थे। मैं समझता हूँ कि इस सरकार को डाई वर्ष हो गये हैं। अभी तक किसी भी क्षेत्र मे एक भी इण्टर कॉलेज तथा हाई स्कूल की स्थापना नहीं हुई है।

मान्यवर, सहकारिता के क्षेत्र मे कहना चाहता हूँ जितनी भी सोसाईटीज हैं, जितनी भी समितियाँ, सब घोर वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। यहाँ तक कि उनके कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले पड रहे है। इन समितियों का विकास कैसे हो, सहकारिता को कैसे विकसित किया जाय, इसका कोई प्राविधान इस बजट में नही है। मान्यवर, पुरानी सरकार में पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने उत्तराखण्ड मे उद्योगो का जाल बिछाया था। प्रदेश में उद्योगों की बाढ आ गयी थी। परन्तु आज पता नहीं क्या हो गया है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, यहाँ से उद्योग धीरे–धीरे चले जा रहे है। मैं समझता हूँ, जो सितारगंज सिडकुल है, वहाँ पर आज वीरानगी छायी हुई है। सारे उद्योग वहाँ से पलायन कर रहे है। अगर ये उद्योग रहते तो निश्चित तौर पर हमारे बेरोजगार युवकों को इनमें रोजगार मिलता। गन्ने के भुगतान के लिए कोई भी नीति नहीं बनायी गयी है। गन्ने की किसानों का पेमेंट नहीं हो पाया है। इसके लिए इस बजट मे कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए थी। दैवीय आपदा राहत कोष में बहुत कम धनराशि रखी गयी है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि अतिवृष्टि से होने वाला जो भू–कटान है, जो सैकडों एकड बेश कीमती कृषि योग्य भूमि कट जाती है। इसको भी दैवीय आपदा में रख कर भूमि की सुरक्षा की जानी चाहिए। कृषि के क्षेत्र मे खाद्यान्न उत्पादन बिल्कुल स्थिर हो गया है। जहाँ–तहाँ काम ठप्प हो गया है। कोई सोच नहीं, यहाँ तक कि अब सूखे की चपेट में हमारा प्रदेश आ गया है, उससे निपटने के लिए कोई कारगर योजना इस बजट में नही बनायी गयी है। यहाँ तक कि पंतनगर मे जो कर्मचारी है, वे छठा वेतनमान लागू करने के लिए हडताल पर हैं, वे बेहाल हैं। मान्यवर, पंतनगर के विकास के लिए कुछ होना चाहिए। प्रदेश मे शराब की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते है, हमारे यहाँ दूसरे नम्बर पर शराब का बजट होना चाहिए। शराब सस्ती होनी चाहिए, इससे बाहर से जो शराब की तस्करी होती है, वह रूकेगी और हमारे प्रदेश की शराब बाहर जाएगी। शराब सस्ती होनी चाहिए और इसमें भट्टियों का टाईम भी ठीक होना चाहिए।

मान्यवर, तराई क्षेत्र में जनसंख्या का इतना दबाव बढ़ गया है कि वहाँ पर वन साफ हो रहे हैं। वनों में पेड़ नाम की कोई चीजा नहीं रह गयी है। वनो के रख–रखाव के लिए कोई समुचित व्यवस्था इस बजट में होनी चाहिए। पेडों को सुरक्षित कैसे रखा जाय, इस पर विचार होना चाहिए। पेडो का अवैध कटान बहुत हो रहा है। मान्यवर, प्रदेश मे पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है। जल स्रोत हमारे सूख रहे हैं। जल स्तर नीचे चला गया है। पेयजल के संकट से निपटने के लिए सरकार के पास कोई भी कारगर योजना नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, जो इस बजट मे नही रखे गये हैं। यह बजट बिल्कुल दिशाहीन, घोर निराशावादी एवं हताशा भरा है तथा गरीब पिछड़े और अनुसूचित जाति, जनजाति का हितैषी नहीं है। यह बजट मात्र झूठ का पुलिन्दा है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मै आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री बृज मोहन कोटवाल का नाम पुकारे जाने पर अतिविशिष्ट दीर्घा मे बैठे एक व्यक्ति ने सदन में कुछ पर्चे फेंके और नारे लगाए।)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, इस सदन की सुरक्षा का प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से दीर्घा मे पहुँच जाता है और पर्चे फेंकता है।

(कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दर्शक दीर्घा और अतिविशिष्ट दीर्घा के पास माननीय सदस्यगणों की संस्तुति पर ही जारी किये जाते हैं। माननीय सदस्यगणो को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किस तरह से व्यक्तियों को वह संस्तुति दे रहे हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए और जहाँ तक सुरक्षा का विषय है तो इसका सामंजस्य तो हमें आपस मे ही बनाकर चलना होगा।

श्री हरिदास–

मान्यवर, इस पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, इस पर तो व्यवस्था आपको देनी चाहिये, विशिष्ट दीर्घा अलग से बनानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

इस घटना के सम्बन्ध में यह दिखवा लिया जाय कि किस माननीय सदस्य की संस्तुति पर पास जारी किया गया है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, अधिकारी दीर्घा और अति विशिष्ट दीर्घा एक साथ कैसे हो सकती है, यह अलग–अलग होनी चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, दर्शक दीर्घा सामने है और यह अतिविशिष्ट दीर्घा है और अतिविशिष्ट दीर्घा का पास भी माननीय सदस्यों की संस्तुति पर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

नया भवन बनवा दीजिये, सब ठीक हो जायेगा।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, पहले भी नये विधान सभा भवन बनाने के लिए पीठ से निर्देश हो चुके है। आप सरकार को पीठ से निर्देश दे दीजिये, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम नये भवन के लिये भी सहयोग के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन कोटवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2009–10 के बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखा गया यह बजट दिलों को छूने वाला और आम जनमानस का लोकप्रिय बजट है। मान्यवर, इस बजट में सामान्य जनता के उपयोग में आने वाली जो खाद्य सामग्री है, जिसमें आम जनता और गरीब जनता के उपयोग में आने वाली सामग्री, आटा, मैदा, सूजी और बेसन पर वाणिज्य कर को खत्म कर दिया गया है और नये कर नहीं लगे हैं, जिसके लिए मैं सरकार को हार्दिक बधाई देता हूँ। मान्यवर, बजट में सभी मूलभूत सुविधाओं को प्रखरता से रखा गया है। जैसे कि आज उत्तराखण्ड में पेयजल की जटिल समस्या है, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी प्रखरता से रखा गया है। मान्यवर, इस विषय पर मैं थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल और हाईस्कूल के उच्चीकरण भी इसमें जोड़ा लेना चाहिये। विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनायें रखी गई हैं, जैसे कि 500 अटल आवास योजना और इसके साथ पं० दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना और इन्दिरा आवास योजना, जिसकी आम गरीब आदमी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मानव प्राणरक्षक जीवनदान देने वाली एक योजना जो संजीवनी बूटी के रूप में काम कर रही है, 108

सेवा को शक्तिशाली रूप से अग्रसारित किया गया है। मान्यवर, और इसके साथ ही 18 नयी बसों का संचालन किया है। इसके लिए भी मैं सरकार का आभारी हूँ और इस प्रकार से आज जो स्थिति हमारे उत्तराखण्ड में हमारे बड़े–बड़े दुखों से पीड़ित होने के कारण हमे दिल्ली, चण्डीगढ़ और ऐसी कई अनेक जगहों पर जाना पड़ता था अपने इलाज हेतु। और इस प्रकार से इस बजट मे महत्वपूर्ण योजनाएं रखी जाती है जिसे कि हेडगेवार, आरोग्य रथ और ई0सी0जी0, एक्सरे, गुर्दा रोग, हृदय रोग जैसे भंयकर बीमारियों से बचाने के लिए इस बजट मे कारगर कदम उठाये गये हैं और इसी प्रकार से डायग्नोस्टिक केन्द्र का प्रस्ताव भी रखा गया है, मै इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और भी महत्वपूर्ण चीज इस बजट मे रखे गये हैं जैसे कि आज हमारे युवाओं को पलायन से रोकना, उन्हें रोजगार देना, यह बड़ी सूझबूझ के साथ इस बजट में लम्बी सोच रखी गयी है और रोजगार की परिधि में लाया गया है और इसी प्रकार मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विधवा भरण–पोषण, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले गरीब लोगो को गैस कनेक्शन और पूर्व सैनिकों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कन्याधन 5000 दिया गया है और मानसिक चिकित्सालय का शुभारम्भ किया गया है। इसी मे मान्यवर, मै थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ कि जो उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी है, मुझे अवगत है कि कई लोगों को इसमें से सर्विस मिली है, इसके बावजूद जो चिन्हित लोग हैं जिन्होने संघर्ष किया है, उनको पेंशन की परिधि मे रखा जाना चाहिए और मेरी विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर है, जिसमें कि उच्च शिक्षण है और बजट मे और जोड़ना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि अनुसूचित जाति के अनेक छात्र वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पर उनको रहने के लिए असुविधा उत्पन्न होती है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम वहाँ 200 बैड का अनुसूचित जाति का छात्रावास बना दिया जाय ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अति महत्वपूर्ण सुविधा प्राप्त हो, यह मेरा कहना है। इन्ही शब्दो के साथ मै अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज ये जो घटना हुई है, एक वी0आई0पी0 चैम्बर से जो ये कागज फेंके गये हैं, ये विस्फोटक पदार्थ भी हो सकता था, ये सारी असेम्बली उड़ सकती थी। ऐसी घटना को बहुत हल्केपन से न लिया जाय। कि कल को विधायकों के लिए अगर, किसी विधायक ने कोई पास दिया है तो उस विधायक को हमारे बीच में [XXX] किया जाना चाहिए। (व्यवधान) बिल्कुल बताया जाना चाहिए कि कौन, ये हमारी मौत भी हो सकती है, हम यहाँ पर सुरक्षा चाहते हैं, अध्यक्ष जी, हम सुरक्षा चाहते हैं, हम असुरक्षित हैं, ये सारा हाउस असुरक्षित है और जिस पार्टी का नाम ले करके उन्होंने ये पर्चे फेंके हैं, वह पार्टी भी इसकी जवाबदेह है। मान्यवर, इस तरीके का जो व्यवहार हुआ है। इस जवाब के प्रति यह उत्तरदायी है। हाउस मे इसे हल्केपन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह सुरक्षा का सवाल है।

नोट–[XXX] यह शब्द श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल भी कई बार ऐसा हुआ अपनी बात कहते समय कुछ शब्दों का ऐसे इस्तेमाल हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो शब्द संसदीय परिधि में किसी भी तरह से नहीं आते हैं। आवेश के साथ–साथ इस बात को ध्यान में रखें कि माननीय सदस्य जो भी शब्द इस्तेमाल करें वह संसदीय होना चाहिए और गरिमापूर्ण होने चाहिए ताकि इस सदन की मर्यादा बनी रहे। अभी जो माननीय बीमा जी ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, उस सम्बन्ध में सदन जो भी तय करेगा वह मार्शल की रिपोर्ट आने के बाद तय किया जायेगा।

हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, यह बजट जनता को निराश करने वाला बजट है। सबसे पहले मैं रोजगार के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा, उत्तराखण्ड के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार में जोड़ने के सम्बन्ध में किसी ठोस नीति का बजट में उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ का बेरोजगार रोजगार के लिए पलायन कर रहा है, जो हमारे प्रदेश के लिए खेद है।

मान्यवर, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा उत्तराखण्ड प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में दवाईयों का अभाव है, यह बहुत ही दु:ख की बात है कि पिरान कलियर में जहाँ रोजमर्रा 5–7 हजार जैरीन हर वक्त रहते हैं, वहाँ एक डाक्टर लगभग 09 बजे से 01 बजे तक बैठता है, वह भी एक पेड़ के नीचे बैठता है न उसके पास दवाई है न उनके बैठने की कोई व्यवस्था है। वहाँ पर तो 25 घंटे के लिए डाक्टर रहना चाहिए। यह बहुत शर्म की बात है कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है।

मेरी विधान सभा क्षेत्र लालढांग में जनजाति के लोग रहते हैं और जो गुजर वनों से निकालकर गुजरों को बसाया गया है उनकी भी बहुत खस्ताहालत है, न उनके लिए सड़क है न उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था है, उन लोगों के लिए बहुत कठिनाई हैं। जो हमारे क्षेत्र में मीठीबेरी गाँव है, जो उसमें जनजाति के लोग हैं उसके बीच में एक नदी पड़ती है उसमें पुल के लिए पहले भी माँग की गई है, वह क्षेत्र बरसात में हर तरह से वंचित रहता है, अगर वहाँ पर कोई बीमार हो जाता है तो वह उसे कहीं नहीं ले जा सकता और जो पढ़ने वाले बच्चे वह भी स्कूल नहीं जा पाते। मान्यवर, जो हमारा बजट है जनजाति के लिए आता है उसे कहीं भी हमारे इन क्षेत्रों में खर्च नहीं किया जा रहा है। यह बड़ी दु:ख की बात है। मान्यवर, इस बजट में अल्पसंख्यकों को बड़ा निराश किया गया है जैसे हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और कलियर शरीफ का मेला इसका इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है। जैसे मेले में और भी बजट की जरूरत रहती है, ऐसे ही कलियर में भी जरूरत है, वहाँ पर उसका बजट रखा जाता, इस बजट में इसका कहीं उल्लेख तक नहीं है।

मान्यवर, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर विद्युत की बड़ी समस्या रहती है। वहाँ पर ट्रांसफार्मर फूकने पर महीनों तक विद्युत के लिए जूझना पडता है। ट्रांसफार्मर ले जाना उतारकर और फिर इसे लाना यह भी उन्ही लोगों को लाना ले जाना पडता है। उन्हे परेशान किया जाता है। यह विभाग की जिम्मेदारी है कि जो ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, उसकी सूचना पर विभाग को वहाँ से उतारकर ले जाना और वहाँ लाकर रखना यह विभाग की जिम्मेदारी है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मान्यवर, परेशान किया जाता है उनसे उसका किराया वसूला जाता है कुछ लोगों से पैसा भी इकट्ठा करके उन्हें दिया जाता है जो वहाँ पर ट्रासफार्मर लाकर रख जाता है। ऐसी ही सूचना दी गई है खडन्जा मे 63 के0वी0 का ट्रासफार्मर फूँका हुआ है, एक गुर्जर बस्ती में, एक पथरी में 100 के0वी0 का ट्रांसफार्मर महीनों से फूंका हुआ है और आज तक भी वह नहीं रखा गया है। यह बडे दु:ख की बात है। आज किसान भी इस वजह से बहुत परेशान है ट्यूबवेल सरकारी है, या निजी ट्यूबवेल है उनका भी यदि सामान खराब हो जाए तो महीनों तक सामान नही मिलता है और जो किसानों ने निजी कनेक्शन लिए थे उसमें एक आश्वासन था कि तीन महीने के अन्दर–अन्दर उसे पूरा सामान मिल जायेगा ताकि वह अच्छी तरीके से सिंचाई कर सके किन्तु मान्यवर, उन्हें साल–साल भर हो गये है निजी कनेक्शन के लिए आज तक भी उन्हे कोई सामान उपलब्ध नहीं हुआ और सिचाई तो वह क्या करते। मान्यवर, यह किसानों की अनदेखी की जा रही है। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कृषि के लिए हम सभी को बहुत चिन्तित होना चाहिए। इस वक्त तो इतनी खुश्की है, कि फसले सूख रही है।

मान्यवर, शिक्षा बजट मे अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए उर्दू, अरबी, फारसी का बजट में कोई उल्लेख तक नहीं किया गया है। मान्यवर, आज मदरसों की दशा बहुत ही खराब है। जब कि हमारी उर्दू भाषा हमारे मुल्क की दूसरी भाषा है। बजट में उर्दू तक का उल्लेख नही किया गया है। जब कि हमारे उर्दू टीचर भी हैं उर्दू महकमें में मेरे ख्याल मे बाबू और दूसरी लोग भी होंगे। मान्यवर, बजट में अल्पसंख्यकों को बिल्कुल ही नकार दिया गया है। मान्यवर, पेयजल के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश मे पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मान्यवर, जो हमारे नल लगते हैं उसकी एक साल की गारन्टी नहीं होती है, वे खराब हो जाते हैं और जब उन्हे सुधारने के लिए कहा जाता है। तो जवाब मिलता है उसके लिए बजट नहीं है। जो बहुत से नल पहले से खराब पडे हुए है, अगर उन्हे सही तरीके से सुधारा जाए और नये नल लगाये जायें और सुधार के लिए बजट दिया जाए इससे बहुत ही सुविधा होगी। मान्यवर, मेरे विधान सभा लालढाग मे पानी की इतनी बडी किल्लत है कि लोगों को मीलो–मील से पानी लाना पडता है समाज के कमजोर वर्गों के लिए, उनके जीवन स्तर के सुधार के लिए उत्तरकाशी, अल्मोडा टिहरी, चमोली और बागेश्वर ही क्यो ? इस योजना को पूरे उत्तराखण्ड मे लगाया जाए। अगर चंद जिलों के लिए योजना बनाई जायेगी तो उत्तराखण्ड मे जो गरीब लोग है, बेरोजगार है, उनके लिए एक निराशा है।

मान्यवर, सडक, पुल जो भी आज खराब है दैवीय आपदा मे जो सडके और नदियॉं आज कटाव कर रही है, उसके लिए बजट बढाया जाये और हर विधान सभा मे हर एक विधायक के प्रस्ताव पर कार्य कराये जायें। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन में भी जिन विधायकों को अब तक बजट नहीं मिला है वह बजट विधायको के प्रस्तावो पर मिलना चाहिए, इसमें बढोत्तरी होनी चाहिए। मान्यवर, मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूँ। इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने जो बजट पेश किया है वह केवल निराशा जनक ही नहीं चिन्ता जनक भी है क्योंकि इसमें विकास की अनदेखी करने के साथ–साथ भविष्य की चिन्ता भी गायब है। माननीय अध्यक्ष जी, जो वर्ष 2009–10 का बजट पेश किया गया है और वर्ष 2007–08 का बजट जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी द्वारा पेश किया गया था। इसके ऊर्जा में भी देखें तो वर्ष 2007–08 में यह बात लिखी गयी थी कि इस वित्तीय वर्ष में विद्युत के क्षेत्र में सभी गॉव में कार्य प्रगति पर है और वर्ष 2009 तक प्रत्येक घर तक विद्युत पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसे पूर्ण करने का कार्य गतिमान है और वर्ष 2009–10 के बजट मे भी यही लिखा गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में 67 गॉव को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। यानि तीन वर्ष मे जो उन्होने लक्ष्य रखा हुआ था, वह लक्ष्य वर्ष 2009–10 में भी पूर्ण होने की सम्भावना नहीं है। जबकि हमारी पूर्व सरकार का लक्ष्य था कि वर्ष 2009 तक प्रत्येक गॉव को विद्युतीकरण कर देंगे और वर्ष 2012 तक प्रत्येक तोकों को विद्युतीकरण कर देंगे और इस बजट भाषण से पता चलता है कि न ही गॉव का और न ही तोकों का विद्युतीकरण हुआ है। वर्ष 2007–08 में भी यही बात की गयी थी कि ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना मे इस हानि को 15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है कि तकनीकी विद्युत वाणिज्य हानियॉं और वर्ष 2009–10 के बजट मे भी यही लिखा गया है कि विद्युत वितरण में भी सकल तकनीकी विद्युत हानियॉं को 15 प्रतिशत तक कम करने की है यानि तीन साल तक भी जो 15 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। वह लक्ष्य अभी तक भी कम नहीं हो पा रहा है। अगर प्रति वर्ष 15 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा कर दिया होता तो ये जितनी भी हानियॉं है आज समाप्त हो जाती है। लेकिन बडा खेद का विषय है कि ऊर्जा विभाग के द्वारा इस पूरे उत्तराखण्ड मे कोई कार्य नही किये जा रहे हैं। आज पर्वतीय क्षेत्र की बात छोड दीजिए, वहॉं तो दो–तीन घण्टे रोस्टिंग होती रहती है। लेकिन आज राजधानी मे घण्टो को रोस्टिंग की जाती है। बार–बार जाइंट आती जाती रहती है। हमारी सरकार के समय मे 15 हजार 16 सौ जल विद्युत योजनाओं में एम0ओ0यू0 किये थे। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने ढाई साल

व्यतीत होने के बावजूद भी आज यह पता नहीं चल पाया है कि कितनी मेगावाट जल विद्युत योजनाओं पर एम0ओ0यू0 हुआ है। क्योंकि यदि कोई नयी जल विद्युत परियोजनाओं का एम0ओ0यू0 साईन होता तो हम भी समाचार पत्रों में विज्ञापन देखते।

माननीय अध्यक्ष जी, यह समझ में नही आता कि हमारे समय में शुरू की गयी मनेरी भाली परियोजना पूर्ण हो चुकी है और इससे हमें तीन सौ मेगावाट बिजली प्राप्त हो गयी है और हमारी विष्णुप्रयाग योजना हमारे समय में पूर्ण हो चुकी है इसमें भी चार सौ मेगावाट बिजली प्राप्त होती है उसमें भी हमें 12 प्रतिशत बिजली हमको मिलती है। पिथौरागढ़ की धौलीगंगा विद्युत परियोजना भी हमारे समय में पूर्ण हो चुकी थी और टिहरी बाँध परियोजना हमारे समय में पूर्ण हो चुकी थी। उसका 12 प्रतिशत हमें राज्यांश मिल रहा है। लेकिन इतना मेगावाट विद्युत मिलने के बाद भी आज हमारा उत्तराखण्ड प्रदेश क्यो ऊर्जा के संकट से गुजर रहा है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है और इतना होने पर भी इसके लिए भी कोई कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। मान्यवर, अगर कहीं पर हमारे प्रदेश के गाँव का कोई ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो उसको बदलने वाला कोई नही होता है। गाँव के लोगों द्वारा शिकायत करने पर भी नहीं बदले जाते हैं।

मान्यवर, मैं अप्रैल के आखिरी महीने में जो हमारे वर्तमान मुख्यमत्री जी डा0 निशंक जी के विधान सभा क्षेत्र मे गयी थी। वहाँ के लोगों ने बताया कि जब प्रथम बार बर्फ पड़ी थी, उस दिन से हमारे गाँव मे लाईट नही है और 4 महीने व्यतीत हो जाने के बावजूद भी उस कुठाल गाँव में बिजली नही थी, और तो और उस समय के वर्तमान मुख्यमत्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी ने रिखणीखाल में जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ के लोगो ने हमको एप्लीकेशन दी कि दो–दो महीने हो गए है हमारे गाँव में बिजली नहीं आई है तो जब पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के विधान सभा क्षेत्रो में 2–2 महीने और 4–4 महीने से बिजली प्राप्त नही हो पा रही है तो माननीय मंत्रीगण और विधायकगण भूल जाएं कि उनके क्षेत्र में बिजली पहुँचेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जब यह चार धाम की यात्राएँ शुरू होती है और हम लोग पेपरों के माध्यम से रोज यही देखते हैं कि आज कोई बस गिर गयी, आज जीप गिर गयी और उसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, तो इस सम्बन्ध में भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक्सीडेन्ट रोकने के लिए भी सरकार को कोई कारगर स्कीम बनानी चाहिए, जिससे कि एक्सीडेन्ट मे कमी आये और तो और अब ऐसी मशीनों का आविष्कार हो चुका है और विदेशों मे ऐसी मशीनों का उपयोग किया जाता है कि जो ड्राईवर होते है उसके मुँह पर एक छोटी सी मशीन लगाई जाती है और वह मशीन बता देती है कि इस ड्राईवर ने कितनी शराब पी है या नहीं पी है, तो मान्यवर, जो हमारे यहाँ चेक पोस्ट है वहीं पर अगर उनका

परीक्षण करा लिया जाय मशीन के द्वारा तो इतनी जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं और हर वर्ष दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर नियंत्रण लग सकता है।

पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है यह पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण वर्षा की कमी हो गयी है बर्फ उतनी नहीं पड़ रही है जितनी पड़नी चाहिए, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश, पूरा प्रदेश ही क्या पूरा हिन्दुस्तान पूरा संसार इस समस्या से जूझ रहा है, इसके लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। पूर्व मंत्री जी बताया था कि हमने गाँव में जो चौखाल बनाई है उसमें गड्ढे बनाए हैं जिसमें पानी एकत्रित होगा बरसात का लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, वे सारे गड्ढे मैंने पहाड़ पर भ्रमण करते हुए देखे तो वे सारे चाल सूखी हुई थी क्योंकि जब वर्षा नहीं हुई तो चाल कहाँ से रहे, और गाँववालों ने शिकायत की कि देखिये गाँव में हमारे यहाँ जो गड्ढे बना दिये गये हैं अगर इसमें हमारा पशु किसी कारणवश गिरता है तो उसका बाहर निकालने के लिए इसमें कोई साधन नहीं बनाया गया, पानी की तो इतनी अधिक समस्या है कि धूमाकोट में जो खण्डूड़ी जी का विधान सभा क्षेत्र है वहाँ पर ऐसा नजारा देखने को मिला कि जोकि भूतों न भविष्य, वहाँ पर जो लड़ाई हो रही है थी महिलाओं में वह पानी के लिए हो रही थी, क्योंकि कई दिनों से पानी नहीं आया और जब एक टैंकर आया तो एक महिला ने अपने दो बंटे उसमें लगा दिए और जैसे तीसरा उसमें लगाया तो पीछे महिला ने उसकी चोटी पकड़कर उसको जमीन में गिरा दिया और यह कहा कि क्या तू ही सारा पानी भरेगी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार क्या पानी के बिना प्यासा रह जायेगा, तो यह स्थिति है हमारे पहाड़ों की और मुख्यमंत्री विधान सभा क्षेत्र धूमाकोट की (शेम शेम की आवाज) कि वहाँ पानी के लिए आज महिलाओं में द्वन्द्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है यह बड़ा ही खेद का विषय है और इस पर तुरन्त सरकार को कोई कारगर स्कीम बनानी चाहिए।

सड़क माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पहाड़ों का विकास तभी होगा जब पहाड़ों पर सड़क जायेगी जब सड़क ही नहीं जायेगी तो क्या पहाड़ का विकास होगा ? माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार ने कोई भी जी0ओ0 सड़क के लिए नहीं निकाला है और जब तक हमारे गाँव में सड़क नहीं जायेगी तो हमारे गाँव का विकास नहीं होने वाला। आज मंत्री जी कहते हैं कि हम टैंकरों के द्वारा हम पानी पहुँचाते हैं लेकिन वे गाँव जो 20-20 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित हैं या घाटियों में स्थित हैं, वहाँ पर टैंकर कैसे जा सकता है तो माननीय अध्यक्ष जी, जब तक गाँव में सड़क नहीं जायेगी तो वहाँ का विकास नहीं होने वाला है।

टिहरी बाँध की इस बजट में बहुत प्रशंसा की गयी है कि हमारा टिहरी बाँध बन रहा है, निश्चित रूप से यह एशिया की सबसे बड़ी झील है और अगर सरकार चाहे तो इसको सबसे सुन्दर पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित कर सकती है, आप स्विट्जरलैण्ड

जाईये वहाँ पर बहुत छोटी सी झील है पिन्टरालोकिन में, उस झील को देखिये उस झील को वहाँ की सरकार ने इतना डेवलप किया हुआ है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों पर्यटक वहाँ की झीलों को देखने आते है, वहाँ पर वाकिंग के लिए अलग जोन बना हुआ है, साइकिलिंग के लिए अलग जोन बना हुआ है और तो और स्विट्जरलैण्ड न जाईये आप गोवा में जो ऐसी नाव जो चलती है जिसमें कि वहाँ की संस्कृति और लोक नृत्य को भी दिखाया जाता है और अगर ऐसी ही बोट का यहाँ पर भी संचालन किया जाए तो बहुत से टूरिस्ट यहाँ जायेंगे।

मान्यवर, इसके बाद महिला सशक्तिकरण के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी महिला सशक्तिकरण में सहायिका कार्यकर्त्री जो लगी थी उनका मानदेय अभी तक नही बढाया है, हमारी सरकार मे जो सहायिका को 250 रुपये मिलता था उसको 1250 कराया और जिस कार्यकर्त्री को 500 मिलता था उसको ढाई हजार मानदेय कराया था, लेकिन ढाई साल में इन सहायिका और कार्यकर्त्री में मानदेय में एक रुपये की भी बढोत्तरी नही हुई है, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इनको मानदेय को बढाये क्योंकि महंगाई बढती जा रही है और महंगाई बढने के साथ–साथ इनका मानदेय बढाना बहुत जरूरी है।

मान्यवर, वनों में आग लगती जा रही है जिससे कि जंगल जल रहे है, आदमी जल रहे है, जड़ी–बूटियाँ जल रही हैं तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक जीन्स बैंक की स्थापना की जाए जिसमें कि हमारे पहाड़ो को जो जड़ी–बूटियाँ विलुप्त होती जा रही है, वैसे तो आज आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का विधेयक पास किया गया, लेकिन जब तक आप जंगलों को नहीं बचायेंगे तो हमारी जड़ी–बूटियाँ भी सेफ नहीं रह सकती है, इसलिए जीन्स बैंक बनाना चाहिए, जिससे कि जड़ी–बूटियो की सुरक्षा कर सकें। मान्यवर, पौड़ी में गंगवारस्यूँ गाँव था उसमें जंगल मे आग लगी गाँव के लोग बचाने गये और 5 लोग वहीं जल गये और दो लोगों की दिल्ली के अस्पताल में मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी कार्य किये जायें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।

श्री शेर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वर्ष 2009–10 के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट सन्तुलित विकासोन्मुखी एवं ऐतिहासिक है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले

वर्षों की तुलना में बजट के वार्षिक योजना का आकार अधिक रखने का प्राविधान है। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समाज के सभी वर्गों का विशेषरूप से ध्यान रखा गया है। सामाजिक स्तर पर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए बजट में समुचित व्यवस्था की गई है, बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्राविधान किया गया जिसमें सम्पत्ति क्रय में स्टाम्प शुल्क में महिलाओं का विशेष लाभ की योजना का प्राविधान रखा गया है। मान्यवर, न्याय पंचायत स्तर पर गाँवों का चयन कर कई ग्राम पंचायतों का समेकित विकास किये जाने का उल्लेख है जो बजट में ऐतिहासिक कदम है, जिसमें दूरस्थ गाँवों को भी सड़क शिक्षा, बिजली पानी की विशेष व्यवस्थाओं के तहत अटल आर्दश ग्राम के रूप में विकसित किया जायेगा। विकास का प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्रत्येक व्यक्ति तक ले जाने का संकल्प इस बजट में सरकार के द्वारा किया गया इससे स्पष्ट है कि सरकार समाज के अन्तिम छोर में बैठे व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत कर खड़ा करना चाहती है, सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में प्रदेश के युवाओं तथा किसानों के हितों के लिए कई कल्याणकारी योजना लागू किये जाने की घोषणा भी की गई है, किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखते हुए जिला स्तर पर समग्र जिला कृषि योजना को तैयार करने का प्राविधान इस बजट के माध्यम से किया गया है।

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में जहाँ वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना है, पर्यटन स्वरोजगार योजना में विशेष सहायता देने का प्राविधान है, वहीं चारधामों में पार्किंग निर्माण, पर्यटक आवासों का उच्चीकरण अच्छा कदम है, इसके साथ मैं एक निवेदन अपने विधान सभा क्षेत्र का प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मान्यवर, विश्वप्रसिद्ध पिण्डारी ग्लेशियर, जो कि एक ऐतिहासिक ग्लेशियर है, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र कपकोट में पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिण्डारी का सुन्दर ढुंगा नामी ग्लेशियर जो कि सारे विश्व के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध है तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए भी समुचित व्यवस्था करने का निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। इसके अलावा इस बजट के अन्तर्गत विशेष रूप से सिंचाई के क्षेत्र में और पेयजल के क्षेत्र में जनहित का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरयू नदी है, जितने भी ग्राम पंचायतें ऊँचे क्षेत्रों में है और नदी तल में बहती है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सरयू नदी से हाई लिफ्ट पम्प योजना, जिसमें कम से कम 20-25 गाँवो को समुचित रूप से सिंचाई का लाभ दिया जा सके ऐसा निवेदन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और माननीय अध्यक्ष जी, बजट के प्राविधानो में सभी क्षेत्रों के लिए अच्छी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2009-10 के बजट का मैं समर्थन करता हूँ यह एक ऐतिहासिक व विकासनोन्मुखी बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ और आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद।

(तालियों की गड़गड़ाहट)

श्री सुरेश चन्द जैन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने 2009–2010 के बजट भाषण के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, जहाँ आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है महंगाई आज चरम सीमा पर है इतनी आर्थिक विपरीत परिस्थितियों में भी इस तरह का बजट वह भी घाटे का बजट लाने के बावजूद कोई कर यहाँ की जनता पर न लगाना वास्तव में यह माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का द्योतक है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक कवि भी हैं और कवि हृदय जो होता है, वह संवेदनशील होता है, वह हर व्यक्ति की भावना को समझता है चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो और इस बजट से हर व्यक्ति का ध्यान उन पर गया है चाहे वह कन्या है, चाहे वह स्त्री है, चाहे वह स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्या है, चाहे वह सैनिक है, किसान है, व्यापारी है या आम जनता है। इनका ध्यान बजट के माध्यम से रखा गया है। मान्यवर, जैसा कि अभी आटा, मैदा, सूजी जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं जिसमें एक गरीब व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है, एक मजदूर भी जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर से कर समाप्त कर देना वास्तव में इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में ऐसा बजट पेश किया। मान्यवर, स्टाम्प शुल्क में भी कमी की गयी है, शहरी क्षेत्र में जो अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगता था, उसमें भी आपने कमी की है, अब इससे यह फायदा होगा कि लोगों को अपनी जमीन–जायदाद की रजिस्ट्री कराने में सहूलियत होगी और इससे ज्यादा रेवन्यू सरकार को प्राप्त होगा।

मान्यवर, महिला सशक्तिकरण का विशेष ध्यान रखा गया है, हर क्षेत्र में महिला के लिए विशेष ध्यान रखा गया है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए पहले जो स्टाम्प छूट की सीमा थी वह 10 लाख की थी, यदि कोई 10 लाख रु० की प्रोपर्टी खरीद रही है तो उसके ऊपर उसे छूट मिलती थी, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रु० कर दी है। मान्यवर, जहाँ महिलाओं का ध्यान रखा गया है वहीं गाँवों और देहातों का भी ध्यान रखा गया है। पहली बार अटल आदर्श ग्राम योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश की है। मान्यवर, 500 गाँवों को, प्रत्येक न्याय पंचायत में एक–एक गाँव को समस्त सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। चाहे स्वास्थ्य से सम्बन्धित है, पेयजल से सम्बन्धित है, सड़कों से सम्बन्धित है, बिजली से सम्बन्धित है, शिक्षा से सम्बन्धित है, उस गाँव की सब समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसी के साथ–साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिन्दी के विकास के लिए, जो हमारी मातृभाषा है, उसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया है। उसका विकास करने के लिए भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। हमारी जो मातृभाषा है, जो हमारे लिए आदरणीय है, वह भाषा विकसित हो, उसका विकास हो, उसकी तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान रखा है।

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हरिद्वार जिले में जो एक ऐतिहासिक कुम्भ मेला लगता है, उसके लिए भी आपने विशेष ध्यान रखा है और 100 करोड रुपया इस वर्ष के बजट में आपने उसके लिए प्राविधानित किया है। जहाँ आपने 100 करोड का प्राविधान किया है, इसके साथ–साथ ही गंगा, जो हमारी माँ है, विश्व में कहीं भी रहने वाला हिन्दू है, वह गंगा को अपनी माँ मानता है। उसको प्रदूषण से मुक्त किया जाय, उसके लिए राज्य संरक्षण प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मान्यवर, अन्तिम छोर तक बालक को सुविधा मिले, जो एकदम गरीब, निर्बल, असहाय बालक हैं, कैसे उसके चेहरे पर मुस्कान आए, उस मुस्कान को लाने के लिए, उसी के नाम से, देव भूमि मुस्कान के नाम से एक निजी क्षेत्र के विद्यालयों के साथ सहभागिता करते हुए उनको शिक्षित करने के लिए वाउचर स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से प्रस्तावित की है। मान्यवर, अनेक योजनाएं और हैं, जडी–बूटियों से सम्बन्धित योजना है, आयुष ग्रामों की स्थापना के लिए पूरा प्रोविजन इसमें है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जिस पर अभी सदन में चर्चा भी हुई, उसकी स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें प्रोविजन किया है।

मान्यवर, जीवन दायिनी सेवा, 108, जो वास्तव में जन–जन के लिए जीवनदायिनी बना गयी है। इसमें अभी 190 वाहन थे, इनमें 18 वाहनों का और प्रोविजन किया गया है। मान्यवर, आज क्षेत्र में देखें, जो जरूरतमद, गरीब, असहाय व्यक्ति, जिनको चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी, वे इस 108 सेवा से कितने लाभान्वित हो रहे हैं, वास्तव में यह दैविक कार्य आपने किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री शहजाद–

मान्यवर, दिल से दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, मैं दिल से नहीं हृदय और दिमाग दोनों से दे रहा हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए, भ्रूण हत्या रोकने के लिए एक विशेष प्रोविजन नन्दा देवी कन्या के नाम से योजना चला कर किया गया है। ताकि ये भ्रूण हत्या बन्द हो। कन्याओं को जन्म लेने से पहले मारने की जो एक परिपाटी सी चल गयी है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई है और उसके लिए विशेष प्रोविजन इस बजट में किया गया है। महिलाओं के उत्थान के लिए 50 लाख का अतिरिक्त प्रोविजन इसमें किया है। मान्यवर, सौर ऊर्जा से लेकर, बिजली से लेकर, सडकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से प्रोविजन किया है, सेतुओं के लिए अलग प्रोविजन किया है। चिकित्सा के लिए अनेक प्रोविजन किया हैं। मान्यवर, व्यापारियों के लिए

वैट का सरलीकरण किया गया है। इसके अलावा जो वाणिज्य कर विभाग है, उसको कम्प्यूटराईज्ड करने के साथ ही फार्म 16 को व्यापारी लोडकर ले, उसके लिए सरलीकरण किया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित कीजिए।

श्री सुरेन्द्र चन्द जैन–

मान्यवर, इस प्रकार अनेक प्रोविजन, अनेक सहूलियतें इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखण्ड की जनता को दी हैं। मान्यवर, मुझे अपने क्षेत्र के लिए भी आपके कुछ निवेदन करना है, सदन के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष–

जब मदों में चर्चा होगी, तब कर दीजिएगा।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट भाषण पर चर्चा का अवसर दिया। मान्यवर, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक शेर के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करना चाहूँगा जो कि वर्तमान में बजट के सापेक्ष है। शहजाद साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, इनायत करें कि–

भूलने वालों से कोई कह दे जरा, यूं किसी को सताने से क्या फायदा,

मेरे दिल की दुनिया बसाते नहीं, तो तसव्वुर में आने से क्या फायदा।

मान्यवर, यह बजट ऐसा है कि जनता इसके लिए ऐसा कह रही है। माननीय अध्यक्ष जी, यह मात्र मेरी आवाज नहीं, बल्कि पूरी जनता की आवाज है। (व्यवधान) मान्यवर, देवभूमि मुस्कान योजना के बारे में कहा गया कि बालक–बालिकाओं को उत्कृष्ट शिक्षा के लिए वाउचर स्कीम शुरू की जायेगी, लेकिन उसमें वाउचर स्कीम का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाय तो जनपद हरिद्वार में ओ०बी०सी० यानि अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग को कोई स्कालरशिप नहीं दी गई है। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कथनी कुछ और करनी कुछ। महिला कल्याण कोष बनाया जा रहा है मात्र 50 लाख का, जब माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं की ओर सदाशयता से देखते हैं तो इसे कोष को कम से कम 5 करोड़ तो होना ही चाहिये। त्वरित न्याय दिलाने हेतु न्यायालय भवनों के निर्माण की बात कही गयी है, लेकिन किस योजना के तहत, स्थल चयन किया गया कि नहीं, कितनी धनराशि दी गई है, अन्यथा जस्टिस डिले, विल बी जस्टिस डिनाई।

बाढ़ नियंत्रण से सापेक्ष कहना चाहूँगा कि मेरा पूरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो खादर क्षेत्र कहलाता है, उत्तराखण्ड का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है। गतवर्ष सरकार से इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि बाढ़ नियंत्रण के परिव्यय में एक रुपया भी रख दें, मेरे द्वारा इसे आपके संज्ञान में भी लाया गया था। इस वर्ष भी किसी धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि बहुत जरूरी है। गन्ना विभाग में, अब माननीय गन्ना मंत्री जी तो संसदीय कार्य में कब्जा करने जा रहे हैं तो क्या कहे, उनकी पद्धति ही कुछ इस तरह की है। लेकिन इन्होंने पिछले वर्ष जो घोषणा सदन में की थी 27 नवम्बर को, कि 127 और 132 रुपये प्रति क्विंटल से हिसाब से अगेती और पिछेती वेरायटी पर मिल गेट पर पेमेन्ट कराऊँगा। उससे कैसे मुकरा जाता है, सबसे देखा है, शासनादेश 23 सितम्बर को जारी करते हैं और अपर सचिव, गन्ना को 17 जनवरी को आदेश जारी करते हैं कि 110 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट कर दो। इससे विधायकों को तो अवमानना हुई ही हुई, सदन की भी अवमानना हुई और विशेषाधिकार का हनन हुआ और किसानों के साथ धोखा हुआ, जो कि दुर्भाग्य है।

मान्यवर, इसी प्रकार से खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में, खिलाड़ी होने के नाते और यदि जीवन को भी स्पोर्टस मैन स्पिरिट से जिया जाय तो आदमी को जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उदासीनता यह है कि स्पोटर्स स्टेडियम, स्पोटर्स कालेज, देहरादून का विस्तारीकरण, जनपदों में ट्रेनिंग कैम्प, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों को किट आदि देने के लिए सिर्फ 25 लाख रुपये ? यह तो मान्यवर, ऊँट में मुँह में जीरा कहे तो वह भी बड़ी बात हो जायेगी, इसे तो ऊँट के मुँह में माइक्रोस्कोपिक अमीबा कहना चाहिये, यह तो बहुत ही कम बैठता है, जीरा भी बड़ा हो जाता है। उद्योगों में 70 प्रतिशत आरक्षण जो उत्तराखण्ड के स्थानीय बेरोजगारों के लिए होना चाहिये था, जनपद हरिद्वार में बिल्कुल नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि आप उसको सरकार के माध्यम से सुनिश्चित करवायें। किसान क्रेडिट कार्ड का जहाँ तक सवाल है, एक से तीन लाख तक की श्रेणी में कांग्रेस सरकार द्वारा इसमें स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई थी, जिसे अप्रैल, 2009 से वसूली शुरू कर दी गई, मैं चाहूँगा कि जनहित में इस स्टाम्प ड्यूटी को माफ किया जाय और उस क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पाँच लाख की जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह विषय कल सदन में आ चुका है।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में, चौधरी साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनके विधान सभा क्षेत्र में झबरेड़ा का जो फीडर है, उससे मानकपुर को जो सप्लाई जा रही है बुड़ियाजा से जो मनिहाड़ा को जा रही है, वहाँ पर मात्र 6 घण्टे बिजली आ रही है। क्योंकि उसकी

बिजली काटकर के जो जे०पी० का सीमेन्ट प्लांट लगा है, उसे दी जा रही है। एक तो सूखा पड़ रहा है और दूसरा किसानों को बिजली मुहैया नहीं करायी जा रही है, जैसा कि सुरेन्द्र राकेश जी अर्ज कर रहे थे कि नाका लगाकर आदमी चलता है, इससे ट्रांसमिशन लॉस भी हो रहा है। मान्यवर, देवभूमि के अति पिछड़े इलाके खादर के क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के लिए प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्य है, इस अति पिछड़े इलाके के लोगों का अभी औद्योगिकीकरण का उदय होना वहाँ पर बाकी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि औद्योगिकीकरण का प्रयास वहाँ पर किया जाय।

मान्यवर, हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील का जो खादर क्षेत्र है, उसमें बाढ़ सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारी सरकार के समय में शुरू की गई थी। हमारा भी बहुत प्रयास रहा, जैसा कि नारायण पाल जी, आज कह रहे थे कि पटना में जाकर के फाइल अटक गई, मान्यवर, हमने पटना के भी दौरे किये, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी की सदाशयता से हमने प्लानिंग कमीशन में भी वर्क किया और भोगपुर से बालावाला तक तटबंध का निर्माण जो 21 किलोमीटर का था, 11 करोड़ की जो योजना थी, साढ़े चार करोड़ रुपये हमने स्वीकृत कराये थे। मान्यवर, लेकिन वह योजना अधर में लटक गयी। ढाई साल पहले से इस सरकार ने उस योजना को रोक दिया था, कृपया इसे आगे बढ़वायें, जिससे 60 गाँवों में जीवन व्यवस्थित हो सके। सौलानी नदी पर तटबंध जो मोहम्मदपुर खादर से शेरपुर खादर तक बनना था, उसकी शुरूआत नहीं हो सकी। मेरे द्वारा लगातार इसके विषय में ज्ञापन दिये जा रहे हैं। डुमनपुरी में गंगा के बायें किनारे तक तटबंध का निर्माण होना था, वह नहीं हो पाया है, शिकारपुर से जौरासी तटबंध सौलानी के बायें किनारे पर बनना था, वह अनिवार्य है जिससे 15 गाँव सुरक्षित हो सकें। देहात क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा, टैलेन्ट को निखारने के लिए खानपुर में एक मिनी स्टेडियम हमारे समय में बनाया गया था, मैं चाहूँगा कि उस मिनी स्टेडियम का प्रारूप बदल करके उसे विकसित किया जाय, अच्छा स्टेडियम वहाँ बने, प्रशिक्षण की सुविधा हो, क्रिकेट की सुविधा हो जिससे जो देहात का टैलेन्ट है जो डिस्कवर हुए बगैर रह जाता है, उसको आगे लाया जाय और उत्तराखण्ड का नाम रोशन कर सके राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरे। गत अर्ध कुम्भ की निधि द्वारा दो महत्वपूर्ण मार्ग लक्सर विधान सभा क्षेत्र में बनाये गये थे पहला खानपुर से दल्लावाला मार्ग, दूसरा लक्सर से खानपुर वाया वाला मार्ग। मेरा अनुरोध है कि वर्तमान में कुम्भ निधि से उनका अनुरक्षण किया जाय, क्योंकि इनकी काफी जर्जर स्थिति हो गयी है। जैसे गन्ना मंत्री जी की मैंने अभी थोड़ी सी तारीफ की थी, मैं चाहूँगा कि सदाशयता बरतते हुए आप जो 132 और 127 के रेट से और 110 में जो फर्क बैठ रहा है उस बकाये का भुगतान किसानों को गन्ना मंत्री से दिलवाया जाय।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण समस्या है लक्सर में सौंलानी नदी पर 1980 से पहले एक पुल बनाया गया था पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा 30 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है और अभी भी वसूली उसमें बदस्तूर जारी है। इट इज एक क्रिमिनल अफेन्स। लोगों से इस तरह से वसूली की जाती है, अमर्यादित व्यवहार से, गुण्डागर्दी से, लाठी-डंडे लेकर लोग वहाँ बैठ जाते हैं हमारे कई आदरणीय सदस्य इस बात का भी समर्थन करेंगे जो वहाँ रहते हैं। बहुत गलत है। मान्यवर, उसको तात्कालिक रूप से रोका जाय, क्योंकि 30 साल में तो उससे दस गुणा ज्यादा पैसा वसूल कर लिया गया होगा। दूसरी समस्या मान्यवर, जनपद हरिद्वार में जिला पंचायत द्वारा एक अद्भुत टैक्स वसूला जाता है, उसकी वैराटी अलग है, उसको कहा जाता है लदान-ढुलान शुल्क। मैं चाहूँगा कि एक बार स्पष्ट कर दिया जाय कि इसके पैरामीटर्स क्या है ? जो सम्पत्ति जिला पंचायत के अधीन नहीं आ रही है, पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क है, उसके ऊपर वसूला जा रहा है, निजी वाहनों से जबकि व्यावसायिक वाहनों से वसूला जाना चाहिए, निजी वाहनों से जोर-जबरदस्ती वसूला जाता है, परिवार के साथ लोग ट्रैवल करते हैं, अभद्रता होती है मान्यवर, इसकी जाँच करायी जाय और अविलम्ब इसको समाप्त किया जाय। माननीय मुख्यमंत्री जी की सदाशयता को देख रहा हूँ, मा0 मुख्यमंत्री जी का पेन चला है, उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद इसमें कुछ कार्यवाही हो जायेगी, आभारी रहेंगे आपके। मान्यवर, लक्सर क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। जहाँ पर फल, सब्जी, तरह-तरह की फसलों का उत्पादन बहुत होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि दिनेश जी की सदाशयता भी नहीं मिल पायी, वहाँ मण्डी की स्थापना नहीं हो सकी। मान्यवर, वहाँ मण्डी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिचौलियों के होने से इतना एक्सप्लोटेशन किसानों का हो रहा है, शोषण हो रहा है।

मान्यवर, वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 हेतु जनपद हरिद्वार में मान्यवर, हमें राज्य सेक्टर की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है जिससे विकास कार्य प्रभावित है। दूसरा साल हो गया है मान्यवर, राज्य सेक्टर हमको नहीं मिला है, बल्कि जनपद सेक्टर में भी गत वर्ष योजनाएं प्रमाणित की गयी थी, उनका पैसा भी नहीं आया है, वो भी काम सब रूके पड़े हुए हैं और इस वर्ष भी हमें जिला योजना का पैसा नहीं आया है। मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, लोक निर्माण विभाग, इस ओर भी जरा गौर फरमाए। हरिद्वार जनपद में सूखा तो पड़ ही रहा है, विकास का जो सूखा पड़ रहा है उसे भी आप सिंचित करके हमें अनुग्रहीत करें। कला और संस्कृति के विषय में मान्यवर, कहना चाहूँगा कि अक्सर उत्तराखण्ड में देखा जाता है कि कला संस्कृति के नाम पर या तो गढ़वाली या कुमाऊँनी या जौनसारी ही चीजों को बल दिया जाता है, लेकिन काफी प्रचुर मात्रा में पापुलेशन भी है और भौगोलिक क्षेत्र भी है जिसमें पंजाबी संस्कृति के लोग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संस्कृति हरिद्वार में, देहरादून में है और ऊधमसिंह नगर में विद्यमान है, वहाँ पर रागिनी, जो एक लोकगान होता है, उसका भी समावेश संस्कृति विभाग में किया

जाय, यह बड़ा अनिवार्य है। मान्यवर, बजट सरकार प्रस्तुत करती है जनहित में करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है और विपक्ष में हमारा काम है उसमें कमियाँ निकालना, ऐसी बात नहीं है अच्छाईयाँ भी होती हैं। लेकिन जो हमारी नजर है जो सुझाव मैंने दिये हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कोई अच्छाई भी बात दीजिए।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, 108 योजना के बारे में बहुत तारीफ की जा रही है, लेकिन उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हम लोग सपरिवार राजस्थान जैसलमेर से लौट रहे थे, हमारा एक्सीडेन्ट हरिद्वार में हो गया, जिस मिनी बस में यात्रा कर रहे थे मेरे परिवार में 13 साल का बेटा, ढाई साल की बेटी है। हमारी बस पलट गई, जिधर वे वह पलटी दरवाजा भी उधर ही थी, हम लोग उसमें स्टकअप हो गये। बेटा थोड़ा बलिष्ठ है मुझसे दो इंच लम्बा है, उसने दरवाजा तोड़ा तब बाहर निकले। 108 जो उस समय आयी उसके पास मिथाईल सेलीसाइट भी नही थी, जो आम सी चीज होती है, मैंने कहा मेरे भाईयो थोड़ा ज्ञान मुझको भी है, कुछ फस्र्टेड उपचार का तो बताईये, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते हम तो सिर्फ उठाने के लिए है। मैंने वह बात टी०वी० पर 100 चैनल में भी कही थी। मैंने निशंक साहब, आपसे भी आग्रह किया था, आपने उस समय खेद भी प्रकट किया था। ऐसी बात नहीं है योजना अच्छी है, लेकिन क्रियान्वयन में कहीं न कहीं फाल्ट है, इसको दूर किया जाय। धन्यवाद।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। छठे वेतन आयोग की संस्तुति लागू करने के बाद सरकार पर जो अतिरिक्त व्ययभार पड़ा है, उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रहित बजट पेश किया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में चाहे यहाँ का विद्यार्थी हो चाहे यहाँ का कर्मचारी हो, चाहे यहाँ का शिक्षक हो, चाहे यहाँ का नौजवान हो, चाहे यहाँ की महिला हो, चाहे यहाँ का भूतपूर्व सैनिक हो सब के कल्याण की बात इस बजट में कही गई है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। आज देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर पाँचवा सैनिक उत्तराखण्ड से है। देश की सैन्य सेवा में 17.5 प्रतिशत आपूर्ति उत्तराखण्ड से होती है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सैनिक कल्याण के लिए 14.74 करोड़ का जो प्राविधान किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी

का आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, ऊर्जा के बाद पर्यटन जो यहाँ का आय का मुख्य स्रोत है उसके लिए बजट में 73.55 करोड़ रुपये का प्राविधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। जो आम जरूरत की चीज आटा, मैदा, सूजी आपने कर मुक्त की है, उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि जहाँ आपने कर में कमी की है लेकिन घी, मिल्क पाउडर, पनीर जैसे उत्पाद जिसमें उत्तर प्रदेश में मात्र चार प्रतिशत कर है और यहाँ पर साढ़े बारह प्रतिशत है। यह न्यायोचित नहीं है। क्योंकि हमारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ से तस्करी होने की सम्भावना है। मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाय।

दूसरा मेरा अनुरोध है कि आज इस सदन के अन्दर जितने हम लोग बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा आपका ध्यान चाहूँगा। आज सदन के अन्दर जो हम अधिकांश लोग बैठे हैं वह सब उत्तराखण्ड आन्दोलन की देन है। अगर यह आन्दोलन नहीं होता, हमारे आन्दोलनकारी साथियों ने शहादत नहीं दी होती तो गणेश जोशी विधान सभा के अन्दर नहीं होता, हमारे अन्य साथी भी विधान सभा में नहीं होते। ऐसे में आन्दोलनकारियों के कल्याण के लिए कोई योजना की बात इस बजट में होती तो अच्छा होता। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे याद है आप भी आन्दोलनकारी रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आन्दोलनकारी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आन्दोलनकारी रहे है, मेरे कई आन्दोलनकारी साथी यहाँ बैठे है। जब हमने इस राज्य की लड़ाई को लड़ा था। मान्यवर, क्या जिन्होंने राज्य बनाने में संघर्ष किया था, उन्होंने यह सोचकर नहीं किया था कि हमको नौकरी मिलेगी या पेंशन मिलेगी। उन्होंने निस्वार्थ भाव से आन्दोलन में भाग लिया था। उस आन्दोलन में यहाँ के कर्मचारियों, शिक्षकों और यहाँ के वकीलों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया सभी की सहभागिता थी। उनका सम्मान अवश्य होना चाहिए। किन्तु बजट में उनके कल्याण के लिए कोई बात नहीं कहीं गई है। अगर कल्याण की बात होती तो अच्छा होता। अभी माननीय चैम्पियन साहब लॉबी में किसी माननीय सदस्य से कह रहे थे कि बजट अच्छा है, बजट की तारीफ कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक कविता के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूँगा।

"संकल्पों का ज्वार उठा, विश्वासों का ध्वज फहरा,
प्रलय तरंगों को मथकर, बैठ आंधियों के रथ पर।
नई क्रान्ति का स्वर बिखरे, नई क्रान्ति का स्वर बिखरा।।

उत्तराखण्ड की जनता बजट से बहुत अधिक उत्साहित है उन्हें उम्मीद है कि उनके स्वप्न अवश्य इस सरकार में पूरे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री केदार सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री का स्पष्टीकरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मानानीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदन में व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से माननीय केदार सिंह रावत जी द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था जिसमें उनके द्वारा यह सूचना दी गई थी कि बी0डी0सी0 बैठक मोरी में हो रही है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 18–07–09 को विकास खण्ड मोरी में आयोजित होने वाली बैठक विधान सभा सत्र को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त कर दी गई है। उसके बकायदा आदेश निकाल दिये गये हैं। इसके निरस्तीकरण के आदेश की सूचना सभी जिलाधिकारियों को भी दे दी जायेगी।

वित्तीय वर्ष, 2009 2010 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट भाषण में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जो बजट बनाया जाता है वह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है। सरकारें जो बजट बनाती हैं वह इस हिसाब से बनाती हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले है, उनको ऊपर उठाया जा सके। मान्यवर, यह बजट बहुत दिशाहीन है। इसमें गरीब लोगों को ऊपर उठाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, उनके लिए कोई योजना नहीं है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह बजट माननीय खण्डूड़ी जी का बनाया हुआ है। बाहर से कवर में बाद में नीचे रंग से मात्र डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'' लिख दिया गया है। अगर माननीय पोखरियाल जी बनाते तो बहुत अच्छा बजट बनाते ऐसी मेरी ही नहीं पूरे सदन को उम्मीद थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से और आपसे माँग करता हूँ कि इस बजट को पोखरियाल जी दोबारा बनायें। अभी भी बहुत समय है। दोबारा वह बजट बनाये तो बहुत अच्छा बजट होगा।

मान्यवर, बजट में समाज कल्याण के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इस बजट से समाज कल्याण से लाभान्वित होने वाले लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनके कल्याण के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं बनाई गई है। समाज कल्याण का फायदा गरीब लोग लेते हैं लेकिन उनके लिए इस बजट में कोई योजना नहीं बनाई गई है। किसी गरीब आदमी को झुग्गी–झोपड़ी बना कर दे दी या रिक्शा लेकर दे दिया। मतलब गरीबों के लिए कोई कल्याणकारी योजना इसमें दृष्टिगत नहीं है। मान्यवर, कन्याधन योजना की बहुत बातें कही गई। जो भी माननीय विधायक अपनी बात को कह रहे हैं तो कन्याधन योजना की बात अवश्य कर रहा है। कन्याधन योजना उसे क्या क्या चाहिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे है। इसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि

जो बी०पी०एल० सूची का आदमी होगा उसी को उसका फायदा मिलेगा। आय के आधार पर होगा इसका निर्धारण होगा। भ्रूण हत्या तो अमीर आदमी करता है। आप ही बताये भ्रूण हत्या कभी किसी गरीब आदमी ने की है ? मैं तो चाहता हूँ कि कन्याधन योजना का लाभ अमीरों को दिया जाना चाहिए। गरीब की बहुत सी लड़कियाँ हैं। कोई आदमी सबूत दे दें कि किसी गरीब आदमी ने मारी हैं मान्यवर, मुझे बताये गरीब आदमी भ्रूण हत्या कौन करता है ? अगर भ्रूण हत्या इस सरकार ने रोकी होती तो अमीर को रोका करों। गरीबो की तो बहुत सी लड़कियाँ हैं इस काम को अमीर लोग करते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रशंसा अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है सब लोग कहते है कि पलायन रूकेगा। पलायन तो अब कर रहे हैं जानकर, हरिद्वार में अब आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो क्या पलायन रोकने की बात है क्या ? अगर पलायन रोकना है तो जो बहिन, भाई रूड़की में काम करते हैं वह आज राखी त्यौहार के दिन घर नहीं आ पा रहे है। माननी अध्यक्ष जी, अभी पलायन रोकना है तो छोटे–छोटे प्लांट लगाने पड़ेंगे तो लगाये जाये। मान्यवर, हमारा जो ये पानी है वह पानी आज दिल्ली जा रहा है और इसी पानी को शुद्ध करके हमें पिलाया जा रहा है। मान्यवर, यह पानी वहाँ जाने तक इतना विषैला हो जाता है कि जब यह पानी दिल्ली और नोएडा के बीच में प्लांट करके हमारे बीच मे 15 रुपये बोतल में बेचा जाता है। मान्यवर अगर हम इसे तैयार करे तो दो–तीन रुपये में यह बोतल तैयार हो जाती है। मान्यवर, हम इनको शुद्ध करने के लिए छोटे–छोटे प्लांट लगा सकते है इससे हमारे लोगो को रोजगार मिलेगा और पलायन रूकेगा। मान्यवर, अगर हरिद्वार में यह विश्वविद्यालय बनाया जायेगा तो पलायन नहीं रूकने वाला, यदि पलायन रोकना ही है तो पहाड़ों में जगह–जगह पर छोटे–छोटे प्लांट लगाये जायें तभी ये पलायन रूक सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पुलिस विभाग द्वारा जगह–जगह पर होमगार्ड और पी०आर०डी० के जवान लगाये गये है। होमगार्ड को रेगुलर तो रखे भी हैं लेकिन पी०आर०डी० के लोग मजदूरी भी नहीं कर सकते है। मान्यवर, जो पी०आर०डी० के जवान दो–दो या तीन–तीन महीने काम करते हैं उनको दो–तीन महीने तक पैसा नहीं दिया जाता है। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनकी मजदूरी भी बढ़ायी जाय और उनको रेगूलर भी किया जाय। हर महीने उनको मजदूरी मिलनी चाहिए और रेगुलर किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि खाद्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ कि पेपरो मे हम पढ़ते हैं कि दो–दो रुपये किलो गेहूँ और चावल दिया जा रहा है। लेकिन देखा जाय तो 25 रुपया किलो सामान मिल रहा है। मान्यवर, इस बारे में हमें अपने प्रदेश में ही एक नीति बनानी होगी। चूँकि बी०पी०एल० पर हमको गेहूँ और चावल मिलता है। मान्यवर, बी०पी०एल० वाला व्यक्ति हमारे यहाँ भी आयेगा और पंत जी के वहाँ भी जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें भी

हमें एक क्राइट एरिया बनाना पड़ेगा इसमें भी हम घोटाला कर रहे हैं। अगर हम विधान सभा में बैठे हैं तो कोई आदमी बी0पी0एल0 कार्ड से गेहूँ नहीं लेता होगा। क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री जी का भी है और मेरा भी है और प्रधानमंत्री जी का भी है इसमें एक अलग से क्राइट एरिया भी बनाना पड़ेगा कि इस स्तर के लोगों को ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 में लिया जायेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सरकार से निवेदन है कि इसमें जरूर ध्यान दीजियेगा।

मान्यवर, पेयजल की समस्या हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। भूख से तो बहुत कम मरेंगे, लेकिन प्यास से बहुत जल्दी मर जायेंगे और लोगों को बहुत परेशानी होगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र की बात है वहाँ पर 70–80 प्रतिशत नल खराब है। उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अगर हम अपने क्षेत्र में नल लगाते हैं तो वह डेढ़ या दो सौ फुट के अन्दर होना चाहिए। जबकि यह नल 50 फुट पर लगाये गये है और बारिश में उनको चलाकर दे दिया जाता है। मान्यवर, जब गरमी के दिन होते है तो उनमें पानी नहीं होता है। मान्यवर, इसमें भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जब तक हमारी सरकार इसमें ठोस कदम नहीं उठायेगी हमें बहुत नुकसान होता रहेगा। गाँव में बहुत जगह–जगह पर नल लगे हैं लेकिन पानी नहीं दे रहे है। इस पर भी सरकार को विचार करना होगा। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद की उपेक्षा की जा रही है हमारे मंत्री जी बैठे हैं इनको भी जानकारी है। हमारे जिले की जो निधि है वह बहुत कम है। अन्य जिलों से ज्यादा हमारे जिले में लोग रहते है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि इस बजट को पोखरियाल जी अलग से बना कर लावें वह अच्छा बजट होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसे यहाँ पर सभी माननीय सदस्यों को विचार रखने की स्वतंत्रता है।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट को दुबारा से बनाकर लाना चाहिए, यह बजट तो 14 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी को पढ़वाया गया है ये लिखा लिखाया बजट था, इसको सिर्फ पढ़वाया गया है, और मेरा अनुरोध है कि इस बजट को दुबारा से अभी जुलाई के कुछ दिन बाकी है इसको दुबारा बनाकर लावें, हमें उम्मीद है मुझे क्या सारे सदन को उम्मीद है कि पोखरियाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा बजट बनाकर लायेंगे, इसी के साथ मैं इस बजट को दिशाहीन बताते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री रणजीत रावत–

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, एक बात है कि खत का मजमून लिफाफा देखकर भांप लिया जाता है, बजट

का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब यह एक बोरी के थैले में आ रहा था, तो इसकी दयनीयता और इसका हाल समझ में आ रहा था कि इसका क्या हाल होगा, आज पहली बार हमने देखा कि बजट जो एक टाट थैले में दिया जा रहा है तो बजट की दयनीयता, जिसे स्वीकार भी किया सरकार ने कि घाटे का बजट 826.22 करोड़ रु० का घाटा इसमें दिखाया गया है, पिछली बार हमारे साथी बड़े जोर–शोर से कह रहे थे सरप्लस बजट, जेण्डर बजट, और पता नहीं क्या–क्या और आज इस बजट में सारी कल्पनाएँ सीमित की गयी हैं योजना का नाम है लेकिन इसके लिए जो बजट का प्राविधान किया गया है वह अंशमात्र है जैसे कि अभी हमारे साथ चैम्पियन जी कह रहे थे।

मान्यवर, इसके आर्थिक प्रबन्धन की बात कहीं गयी है और आर्थिक प्रबन्धन के बारे में 2007–08 के जो आर्थिक प्रबन्धन की रिपोर्ट एक्ट आयी है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से 400 करोड़ रु0 का नुकसान आर्थिक प्रबन्धन की वजह से हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत थी, हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री जी नये–नये आये हैं और स्वयं ग्रामीण परिवेश से हैं, पहाड़ों में आबादी छितरी हुई है, स्कूल इसलिए ज्यादा है एक हाईस्कूल और एक इण्टरमीडिएट का भवन इस बजट में बनाने की बात कही गयी है तो मैं समझता हूँ कि एक नाकाफी है क्योंकि इस स्थिति से तो हम 20वें साल में हम अपनी माध्यमिक शिक्षा को ठीक नहीं कर पायेंगे। भवनों तक को ठीक नहीं कर पायेंगे, इतनी सारे भवन हमारे पास हैं जो लोगों ने उस समय संस्थाओं के माध्यम से अपने श्रम से बनाये हैं आज वे जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, नया बनाने की जरूरत थी, इसके लिए बजट का नितांत अभाव है। मान्यवर, पर्यटन के बारे में माननीय नेता सदन जी कह रहे थे कि धरती का स्वर्ग, उत्तराखण्ड, लेकिन अगर बजट प्रावधान देखें तो उसमें कुछ खास नहीं है उसमें केन्द्रीय योजनाओं का जिक्र निश्चित रूप से किया गया है केन्द्रीय नाम को थोड़ा छिपाते हुए जैसे मैं देख रहा था कि विद्युतीकरण में सारा काम जो वह कहा गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जो भारत सरकार की राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, काम उससे कराया जा रहा है सारा का सारा लेकिन उस योजना का उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है जो ठीक नहीं है।

आबकारी में कहा गया है कि हम तस्करी रोकेंगे, माननीय नेता सदन, सदन में उपस्थित हैं और माननीय आबकारी मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आज हमारे प्रदेश में जो आबकारी की खपत है उसका तीन चौथाई जो है तस्करी वाले मार्ग से, किसी गाँव में जाईये, किसी दुकान में जाईये, आपकी जो लाईसेन्स वाली दुकानें हैं वह तो गिनी चुनी हैं, पर्वतीय क्षेत्र में किसी विधान सभा में दो होंगी किसी में तीन होंगी, लेकिन हर दुकान में आज तस्करी की शराब उपलब्ध है, मैं तो एक बारात में गया था रात को हमारे यहाँ भात खिलाने का प्रचलन अभी भी है रात को खेत में बैठकर खाना खा रहे थे तो आगे से दाल चावल रोटी सब्जी बँट रही थी तो एक पीछे से आया उसने पीछे से मेरी पीठ पर हाथ मारा बोला कुछ चाहिए मैंने

मुड़कर देखा और बोला तू पीछे से क्या बाँट रहा है, मान्यवर, ऐसी हालत आज प्रदेश मे है। निश्चित रूप से अगर हम अपनी आबकारी नीति को ठीक बनाते है, व्यवहारिक बनाते है, हम यहाँ पर चण्डीगढ, हरियाणा का उदाहरण लेते हैं उसके रेट कम करते तो लोगों को कम मूल्य मे बेहतर क्वालिटी की शराब मिलती है और हमारी शराब की बिक्री भी बढ़ती, बिक्री आज भी हैं लेकिन आज जो हमारी सरकारी दुकान जो हमें आबकारी राजस्व दे रही हैं जिस पर हम कह रहे हैं कि 500 करोड कमा रहे है लेकिन हम उस 5 सौ को हजार करोड में ले जा सकते हैं नहीं तो 6—7 सौ करोड तक निश्चित रूप से ले जा सकते है, अगर हम आबकारी नीति को थोड़ा व्यवहारिक बना दें। मान्यवर, हम अगर मुर्गी को ही काटने की सोचेंगे तो कैसा होगा। मान्यवर, मेरे संज्ञान में जो है कि एरिस्टोक्रेट, बैगपाईपर या एट पीएम जैसे ब्राण्ड हैं वह चण्डीगढ में जो मात्र 3 घण्टे का रास्ता है वहाँ पर 110 रुपये की बिक रही है और यहाँ वह करीब 3—4 सौ की बिक रही है तो यह अन्तर घटना चाहिए उससे निश्चित रूप से हमारे राजस्व को फायदा होगा।

मान्यवर, परिवहन की बात कही गयी है कि हम परिवहन व्यवस्था मे आमूल चूल सुधार करेंगे लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम अपनी राजधानी को तहसील मुख्यालय से नही जोड पाये हैं, मेरी विधान सभा क्षेत्र मे सल्ट तहसील के मुख्यालय से आज तक देहरादून आने के लिए हमारे परिवहन निगम की कोई व्यवस्था नही है जबकि कई बार इसको हम उठा चुके हैं। मान्यवर, ऊर्जा जो हम पिछले कई सालों से अपनी एक उपलब्धि मानते थे, यहाँ तक कि यू0पी0 के कई लोग जो पहले कहते थे कि उत्तराखण्ड बना तो उनका क्या होगा, हमारे हरिद्वार के साथी उस समय जब राज्य बनने की बात आई और ऊधमसिंह नगर के कुछ लोग सशंकित थे कि ये राज्य बन जायेगा तो हमारा पता नही क्या होगा आन्दोलन भी चल रहा था कि हमें उत्तर प्रदेश मे मिलाओं लेकिन आज उत्तर प्रदेश के कुछ लोग कहने लगे कि हमें उत्तराखण्ड मे मिलाओं, क्योंकि उत्तराखण्ड में बिजली मिल रही है, लेकिन आज बिजली की हालत बहुत खराब है हम अपने बिजली के सरप्लस की बात तो छोड़ दें बिजली बेचने की बात छोड़ दें अपनी जरूरत की बिजली भी उत्पन्न नहीं कर पा रहे है और हमने पूरे वर्ष के लिए मात्र 81 मेगावाट का लक्ष्य रखा, अगर हम 81 मेगावाट का लक्ष्य रखेंगे तो जो हम 6—7 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की बात करते है तो वहाँ पहुँचने मे हमें कितने वर्ष लगेंगे, जब तक हम विद्युत के अभाव मे रहें, इस पर सोचने की जरूरत थी जो नही किया गया, इससे निराशा ही उत्पन्न होती है।

मान्यवर, समाज कल्याण में माननीय नेता सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि आपने अपने बजट भाषण मे कहा कि विधवाओं की पुत्रियों की शादी, वृद्धावस्था लोगो के लिए आश्रम, भिक्षुग्रह, लावारिसों के लिए दाह संस्कार इतनी सारी कल्याणकारी

योजनाओं का समावेश किया है, लेकिन उसके लिए बजट मात्र 86 लाख रखा, 86 लाख मे कितनी कन्याओं की शादी कर पायेंगे, कितने वृद्धाश्रम बना पायेंगे और कितने लावारिस दाह संस्कार बना देंगे, कितने भिक्षुगृह बना पायेंगे यह सोचना था, निश्चित रूप मे 86 लाख मे तो हम एक वृद्धाश्रम नहीं बना पायेंगे, अगर हम 100 लोगो के लिए बनायेंगे तो नहीं बना पायेंगे, इसलिए इसमें बजट बढाने की आवश्यकता थी। मान्यवर, उद्यान में बजट 81 करोड रखा गया है, उद्यान में हमारी प्रदेश में सम्भावना भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आज जो उद्यानीकरण की माँग आ रही है, विश्व के बाजारों से और खासतौर से जो बडे शहर हैं चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चाहे बाम्बे हो और यहाँ नजदीक में चण्डीगढ हो आज हमारे प्रदेश मे फूलों का उत्पादन हो रहा है और काफी मात्रा में जो सम्भावना है उसके लक्ष्य तक नहीं पहुँच है, लेकिन एक अच्छी मात्रा में फूलो का उत्पादन हो रहा है, मैंने स्वयं एक पॉली हाऊस लगाया है। मैं जर्वेरा फूल का उत्पादन कर रहा हूँ, पिछली बार मुझे मात्र 2 बीघा जमीन मे 4 लाख रूपये की आमदनी हुई है सारे खर्चे काट करके, लेकिन उनको जो संरक्षण की जरूरत है वह नहीं दिया जा रहा है, इस साल तराई मे गर्मियों में आँधी चली तो बहुत सारे पॉली हाऊस टूट गये, बिल्कुल बरबाद हो गये लेकिन उनकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था उद्यान विभाग मे न पिछले साल थी थी और न इस साल बजट में रखी है जबकि यह बात हमने बजट से पहले उठाई थी, विभाग ने भी कहा था कि किसान बरबाद हो गया। मान्यवर, क्योंकि दो बीघे में जो प्रोजेक्ट लग रहे है, वे 12 लाख रू0 का प्रोजेक्ट लगता है। आमदनी 20–20 हजार रू0 महीने की उसमें आती है और 40 हजार रू0 तक आ जाती है, जब सीजन अच्छा चला तो, लेकिन जब नुकसान होगा और पूरा पॉली हाऊस उखड जायेगा तो किसान कहाँ जायेगा जिसने 10 लाख या 8 लाख रू0 का लोन ले रखा है। उनकी प्रतिपूर्ति के लिए निश्चित रूप से उद्यान विभाग के बजट में व्यवस्था होनी चाहिए ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मान्यवर, हम बात कर रहे है तकनीकी शिक्षा की लेकिन आज तकनीकी शिक्षा इस दयनीय स्थिति में पहुँच गयी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमने एक पॉलीटेक्निक स्कूल चंदोलिया के नाम से स्वीकृत कराया था और इसकी स्वीकृति होने के बाद क्लासे चल रही हैं द्वाराहाट में, जोकि चंदोलिया से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, यह हालत आज तकनीकी शिक्षा की है। मान्यवर, उच्च शिक्षा में भी बजट की व्यवस्था तय नही की गयी है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मे एक नया डिग्री कॉलेज स्वीकृत हुआ था जो कुमाऊँ की बारडोली सल्ट, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी जी ने कह कर सम्बोधित किया था, वहाँ खुमाड में एक डिग्री कॉलेज की स्वीकृति हुई जिसे स्वीकृत हुए तीन साल हो गये है, लेकिन वहाँ पर अभी तक कक्षाओं का संचालन नहीं हुआ है। बजट की नई मदो मे इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है तो इस बजट में जहाँ देखो वही निराशा झलकती है।

मान्यवर, हम पर्वतीय क्षेत्र में बागवानी, कृषि और फलोत्पादन की बात करते हैं, बे-मौसमी सब्जी की बात करते है, जड़ी-बूटी की बात करते है। अभी यहाँ पर हमारे कृषि मंत्री जी भी कह रहे थे कि चाईना का एक्स पोर्ट, इम्पोर्ट हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं। हम पर्वतीय खेती के लिए, पर्वतीय उद्यानीकरण के लिए, बे-मौसमी सब्जी के लिए, जड़ी-बूटी के लिए क्या कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप स्वयं पर्वत पुत्र हैं पहाड़ में रह रहे है, पहाड़ में आपका जन्म हुआ है और पहाड़ में आप पले और बड़े हुए हैं। पहाड़ में जोतें छोटी है हमारा सारा श्रम जो अपने हल को, बैल को, गोबर को, बीज को, खाद को ले जाने में खत्म हो जाता है। मान्यवर, एक ऊपर धार पर है तो दूसरा खेत नीचे घाल में है इसलिए जरूरी है कि पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी की जाय और चकबंदी के बाद उस जमीन की तार-बाड़ की जाय चूँकि आज जंगली जानवर बहुत अधिक हो गये है और अब एक्ट भी बहुत मजबूत हो गया है, चूँकि जैसे पुराने जमाने में लोग जंगली जानवरों को मार देते थे, वह आज नही कर सकते हैं। तो इसे हमें मॉडल के रूप में, भले ही कम पाँच-दस गाँवों को चिन्हित करके योजनाएं चलानी चाहिए और उन गाँवों में चकबंदी लागू करके और जोतो की घेराबन्दी करके ताकि जंगली पशु इसमें नुकसान न कर सके। चूँकि हमारे कृषक भाई पाँच-पाँच, छ:-छ: महीना खेती पर श्रम करके उसे एक ही दिन में गवांते है। और सुअर और पशु रात में आकर के एक ही रात में घंटे-दो घंटे में पूरे खेत को बर्बाद कर देते है। मान्यवर, तीसरी जरूरत जो है वह फलों और कृषि लिए पहाड़ी क्षेत्रों में बर्षाती पानी को जमा करने की, जब तक हम बारिश के पानी को जमा नही करेंगे, तब तक हम पर्वतीय क्षेत्र में कितनी ही बातें कर लें, कितनी सहूलियतें कर दे, कितनी ही सेमिनार कर दें, कितनी ही योजनाए बना ले कुछ होने वाला नहीं है। मै कई सालो से इस विधान सभा में इस बात को कह रहा हूँ और कई बार पत्र भी सम्बन्धित मंत्रियों को दे चुका हूँ लेकिन इन पर कोई भी ध्यान सरकार द्वारा नही दिया जा रहा है।

हम पर्वतीय क्षेत्र के पानी और जवानी को रोकने की बात करते हैं, पलायन को रोकने की बात करते है, लेकिन जब हमारे हाथ में करने को कुछ आता है मान्यवर, जब इस प्रदेश में पहली बार विश्वविद्यालय एक्ट आया था तो मैने उस समय भी तत्कालीन नेता सदन माननीय तिवारी जी से इस बात को कहा था कि हमारे उद्योग हरिद्वार में लग सकते हैं, रूद्रपुर में लग सकते हैं, पंतनगर में लग सकते हैं, चूँकि इन क्षेत्रों में परिवहन की भी व्यवस्था है, रॉ मटैरियल की भी व्यवस्था है और उनके मार्केटिंग की भी व्यवस्था है, जो पहाड़ में जाने वाले नहीं है, लेकिन हम अपने शिक्षा के केन्द्रों को और शिक्षा के संस्थानों को पर्वतीय क्षेत्रों में ले जा सकते हैं। मान्यवर, अगर एक यूनिवर्सिटी पर्वतीय क्षेत्र के एक जगह में जायेगी तो मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ कम से कम एक हजार लोगो का पलायन रूकेगा। एक हजार लोग उस संस्थान के

अलग-बगल बसेंगे वहीं रहेंगे, लेकिन हमने चार-चार यूनिवर्सिटियाँ खोली और आज भी एक यूनिवर्सिटी खोल रहे है, लेकिन उसको भी मैदानी क्षेत्र में खोला जायेगा तो निश्चित रूप से इस ओर कार्य करने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट को घोर निराशा का पुलिंदा कहते हुए समाप्त करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मै आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, बजट मे 39 मुख्य बिन्दु है। उनके पक्ष में सत्ता पक्ष में माननीय विधायकों ने जो बातें रखी, उन सबसे अपने को सम्बद्ध करते हुए, सबका समर्थन करता हूँ। इस बजट में वह सभी चीजें रखी गयी हैं, जो प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है। दैनिक जीवन में जो वस्तुएं उपयोग होती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनमे आटा एक मुख्य चीज है। (व्यवधान) मान्यवर, और भी लोग बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय शहजाद जी, कृपया शांत रहें। जीना जी बहुत कम बोलते हैं। बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे बार-बार बातें आ रही हैं, विपक्ष द्वारा कि सिर्फ 15 पैसे कम किये गये है। जबकि बजट में साफ तौर पर प्राविधान किया गया है कि पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। बाकि सारी बाते केन्द्र सरकार के हाथ में होती है, क्योंकि मूल्य निर्धारण करने का काम केन्द्र सरकार का होता है। (मेजों की थपथपाहट) आटे जैसी वस्तु पर अगर वह हमारी सरकार की तरफ 8 रुपये का मूल्य निर्धारित कर दे 15 रुपये की जगह तो 15 पैसे, 8 रुपये मे से कम हो जाएंगे। इस तरह से 7 रुपये 15 पैसे कम हो जाएगें, यह मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) इस तरह की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। इसको सिर्फ 15 पैसे की घटाकर न देंखे क्योंकि मूल्य निर्धारण का काम केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। जहाँ तक विपक्ष के द्वारा बात की जा रही थी कि खाद्यान्न और चीनी कम कर दी गयी है, तो वह भी शायद केन्द्र सरकार ने कोटा काटा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसके बारे में बता भी दिया था। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, 18 हजार की जगह सिर्फ 5 हजार मीट्रिक टन हम लोगों को मिल रहा है। विपक्ष के अपने साथियो से मैं यह निवेदन कर रहा हूँ।

इसके साथ ही मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में, अपने भाषण में कहा कि जो पेंशन थी, वह बिल्कुल हमने डबल

कर दी है। इस पर बराबर विपक्ष की तरह से व्यवधान आ रहा था, विरोधी बातें की जा रही थी कि डबल नहीं किया गया है। तो मैं यह बात अपने विद्वान माननीय सदस्यों को बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में हमारी सरकार ने पेंशन डबल कर दी है पहले जो पेंशन थी, वह एक घर मे सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाती थी और वह भी उसी व्यक्ति को दी जाती थी, जिसके बच्चे 18 साल से छोटे होते थे। यानि अगर एक घर मे दो बुजुर्ग दम्पत्ति रहते थे, मियां बीवी रहते थे, तो सिर्फ एक आदमी को पेंशन दी जाती थी, 400 रुपये महीना। आज हमारी सरकार दोनों को पेंशन दे रही है। इस तरह से हर घर मे हमारी सरकार की तरफ से 800 रुपये दिये जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) मै बता रहा हूँ कि हमारी सरकार ने इसको डबल कर दिया है।

इसके साथ ही गौरा देवी कन्या धन योजना हमारी सरकार ने शुरू की है। मै अपनी सरकार को इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। (व्यवधान) हमारे विद्वान सदस्य बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने इसको चालू किया था। (व्यवधान) वही मै बता रहा हूँ। अभी मेरी बात सुनेंगे तभी पता चलेगा, हमारे विद्वान सदस्य सम्भवतः दुबारा सभी लोग जीत कर आये है, बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने यह योजना चालू की थी, हमने खाली उसका नाम बदल दिया है। मैं इन माननीय सदस्यो को बताने जा रहा हूँ कि पहले सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगो को दी जाती थी। (व्यवधान) सबके लिए था। आप लोग शायद भूल रहे है। खाली अनुसूचित जाति के लोगो को दी जाती थी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने इसको बी०पी०एल० परिवार के लोगों के लिए पहले लागू किया था। क्योंकि इनके द्वारा जो बी०पी०एल० परिवार के लोगों के लिए पहले लागू किया था। क्योंकि इनके द्वारा जो बी०पी०एल० कार्ड दिये गये थे वह ऐसे लोगों को दिये गये थे, जो खाते-पीते लोग थे, अच्छी सरकारी नौकरी से रिटायर होकर पेंशन ले रहे थे, ऐसे लोगो के बी०पी०एल० कार्ड बना दिये गये थे। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया तो हम लोगो के निवेदन पर यह अन्य सभी गरीब परिवारो को, जिनकी वार्षिक आय 15975 रुपये से कम है। उन सभी गरीब बहनो को गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। तो विपक्ष द्वारा खाली यह बात कह देना कि हमारे द्वारा योजना चालू की गयी थी, सही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक-दो बातें अपने विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं जीत कर आया था तो बराबर यह बात कही जाती थी कि हमने विकास की नदियॉ बहा दी हैं। कल भी इस बारे में चर्चा हो रही थी कि हमने कई पेयजल योजनाएं चालू की थीं। मेरे यहॉ मानीला-वर्तकिंडा पेयजल योजना और रामगंगा चमडखान पेयजल योजना है, जो करीब 34-35 करोड रुपये की पेयजल योजना थी, जब 2006 में आखिरी चुनावी वर्ष आने वाला था, तो उनके लिए 30 और 50 लाख रुपये की घोषणा कर दी गयी। जैसा कि माननीय नारायण पाल जी कह रहे थे कि सिर्फ टोकन

मनी देने से जनता को पानी नहीं मिलेगा, इस तरह की व्यवस्था पिछली सरकार में की गयी थी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ की जो मानीला-बरकिंडा पेयजल योजना है और रामगंगा-चमडखान पेयजल योजना है, जिसके लिए हमारी सरकार ने डेढ करोड रुपया अवमुक्त भी किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ। माननीय पेयजल मंत्री जी, माननीय कण्डारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, (व्यवधान) पहले वे ही थे, उन्होंने ही अवमुक्त किया, तो मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने 1 करोड रुपया मुख्य योजना को चालू करने के लिए और 85 लाख रुपया मोटर खरीदने के लिए अवमुक्त किया था मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि बाकी जो 30-32 करोड रुपया बचा है, इसी कार्यकाल में माननीय प्रकाश पंत जी हमें उसको उपलब्ध कराएगें। यह कहते हुए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधान सभा में कल भी एक विषय आया था, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भिकियासैंण में एक डिग्री कॉलेज है, उसका आगणन भी शासन में पहुँच गया है। उसके लिये इसी वित्तीय वर्ष में यदि पैसे की स्वीकृति मिल जाय तो वह कार्य प्रारम्भ हो पायेगा। मान्यवर, बहुत सारी चीजें बजट में आई थी, यहाँ पर जीजा-साली का भी उदाहरण दिया गया था, रावत-रावत की भी बात आई थी। (व्यवधान) आज जीजा जी आ गये है, तो साढू भाई गायब हो गये हैं। मान्यवर, एक करोड 10 लाख डालर की टाटा कम्पनी को खरीदने की भी बात आई थी, लेकिन मैं अपनी तरफ से सिर्फ यह भी निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते है और वहाँ पर सडकों को स्वीकृति मिलने में 4-5 साल का समय लग जाता है। यहाँ पर बार-बार बात आ रही है कि हमने 5-0 के आउट कर दिया है, तो केन्द्र सरकार में जो लोग यहाँ से जीतकर गये हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सडकों की सैद्धान्तिक स्वीकृति के लिए फाइलें लखनऊ जाती है और वहाँ पर सालों तक पडी रहती है। अगर उनकी स्वीकृति देहरादून के ही कार्यालय से वे दिलाने का कष्ट करेंगे तो मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा। खाद्यान्न में जो कटौती हो रही है, उसमें कटौती न की जाय, क्योंकि यहाँ के केन्द्र में पाँच लोग जीतकर गये है, अगर वे इसे केन्द्र सरकार के सामने रखेंगे तो मैं उनको धन्यवाद दूँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई माननीय विधायक श्री करन मेहरा जी ने एक बात की थी कि रानीखेत जिले की बार-बार घोषणा की गई है, लेकिन हमें यह सुनाई दिया है कि केन्द्र सरकार ने नई प्रशासनिक इकाईया, चाहे तहसील हों, चाहे जिले हों, उनको बनाने पर रोक लगा दी गई है। तो बार-बार हमारे विद्वान सदस्य द्वारा यह कहा जाना कि सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा नहीं कर पा रही है। तो यह असमंजस की स्थिति आ रही है, यदि

केन्द्र सरकार ने इसे वास्तव में बन्द कर दिया है तो जिनकी सरकार केन्द्र में बैठी हो, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये। यह निवेदन भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मान्यवर, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कहनी थी, लेकिन टोका-टोकी ज्यादा हो रही है, तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपने मुझे अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मानानीय अध्यक्ष जी, आपने इस लेखे-जोखे के दस्तावेज को, जो सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, जिसके बारे में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी भावनायें रखी, उन सभी भावनाओं से मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ और आपने मुझे यह अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। मान्यवर, समेकित घाटा 2009-10, जिसे कि अनुमानित घाटे के रूप में 828.22 करोड़ रुपये लिया गया है। मान्यवर, यह स्वाभाविक है कि इस 828.22 करोड़ रुपये के घाटे के दस्तावेज के साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि हम लोक लेखा और बाजार से ही ऋण लेकर प्रतिपूर्ति करना चाहते है, एक ऐसी व्यवस्था इसमें दी गई है। अब यहाँ पर स्थिति असमंजस में पहुँच गई है कि इस 828.22 करोड़ के अतिरिक्त किन-किन मदों में इस बजट का स्वरूप देखने को मिलेगा। यह प्रदेश निश्चित तौर पर एक पर्यटन प्रदेश के रूप में जाना है और पर्यटन पर अनेक मदों मे चाहे वह तीर्थाटन हो, चाहे पर्यटन पर और चाहे साहसिक पर्यटन हो। मान्यवर, इन तमाम मुद्दों में एक लम्बे समय से आपके द्वारा, सरकार के द्वारा एक पर्यटन ग्रिड की स्थापना की गयी, जिसमें कई सर्किट बनाये गये हैं। ये सर्किट अपने मे ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये सारे सर्किट समय पर पूर्ण हो जायें तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक क्रान्ति हमारे इस पर्वतीय प्रदेश में निश्चित आ सकती है। इस पर जहाँ जौलीग्रान्ट के हवाई अड्डे का पूर्ण रूप से विस्तार करने की योजना सरकार के द्वारा की गयी है, उस पर साज-सज्जा, डोमेस्टिक के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उसको इस पर परिलक्षित किया गया है। साथ ही कार्गो एयर पोर्ट जो पंतनगर हवाई अड्डे की है, एक व्यवस्था दी गयी है, लेकिन इनके साथ-साथ गौचर और चिन्यालीसौड, जो सुदूर क्षेत्र में है, उस पर मात्र दो शब्दों से इतिश्री कर दी है सरकार के द्वारा कि इसको क्रियाशील बनाया जायेगा। पर्यटन पर हम बहुत ज्यादा चर्चा भी करते है अपनी ओर से भी और प्रतिवर्ष यही चीज आती है कि इसको क्रियाशील करेंगे, इसको क्रियाशील करने का प्रयास अब तक नहीं हुआ है। गौचर की भी स्थिति वही है, चिन्यालीसौड की भी वही है और लगभग-लगभग नैनी-सैनी की भी वही स्थिति है कि यहाँ पर इस महत्वपूर्ण आवागमन के, इस साधन को जिससे कि हवाई पट्टी के विस्तार के साथ-साथ वहाँ तक पर्यटकों को लाया और ले जाया जा सकता था। साथ ही

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन की कड़ी में और जैसे सुदूर देशों में देखा गया है कि उसके प्राकृतिक सौन्दर्य को देखने के लिए, हमारे बाजू में ही नेपाल है और नेपाल में जो पर्यटक जाता है उसको सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर डोमेस्टिक उड़ान के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में विहंगम दृश्यों का अवलोकन कराने का एक हैलीकाप्टर सर्विसेज के द्वारा, एयर टैक्सी के द्वारा ये सुविधा दी जाती है। क्यो नहीं आज तक हम लोग इस ओर कहीं पर भी ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाये हैं। कि जब देहरादून तक हमारे पास जौलीग्रान्ट का हवाई अड्डा विस्तारित हो सकता है और सहस्त्रधारा में हैलीकाप्टर्स के लिए हैंगर बना है, वहाँ से उड़ाने भर रहे है तो क्यों नहीं उस पर 2, 4, 5 कम्पनियों को और इन्वाईट करिए और हैलीकाप्टर की सर्विज से हमारे उन पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है और आर्थिक उन्नयन भी होगा, क्योंकि कुछ पर्यटक ऐसे भी है जो समयभाव के कारण, पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन समयभाव है मान्यवर, समयभाव को और पर्यटक की आर्थिक से जोड़ते हुए हम सम्पन्न हो सकते है। साथ ही मान्यवर, मैं सरकार से एक चीज की अपेक्षा करता हूँ नीतिगत हैं, लेकिन पर्यटन नीति से ही सम्बन्धित है कि सरकार ने कई चीजों का उल्लेख करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर हमारे इस उत्तराखण्ड में और व्यवहारिक दृष्टिकोण में मैं मसूरी और नैनीताल को ही लेता हूँ। मसूरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मसूरी में ये सब व्यवस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, परोक्ष रूप से हैं और परोक्ष रूप से जब ये व्यवस्थाए होती है तो लगता है कि यहाँ पर देश और विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए पर्यटकों के लिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से चाहूँगा कि एक कैसीनों की आप नीतिगत फैसला ले लें तो मै समझता हूँ कि बाहर से आने वाले पर्यटक अप्रत्यक्ष रूप से तो इस व्यवस्था का लाभ से ले सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास लाइसेन्स नहीं है, लाइसेंस नहीं ले सकते हैं तो इस व्यवस्था के लाभ से वंचित हो जाते हैं। मेरा सिर्फ यही एक आशय है इसको भी अगर सरकार इस वर्ष की नीति मे शामिल करे तो मैं समझता हूँ कि पर्यटकों का हम सही मायने में इसका लाभ दे सकते है, सरकार की भी आय होगी।

श्री अध्यक्ष–

गुनसोला जी, केवल पर्यटन पर बोले। जब मद आयेगी तब बोलना।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, हमारे साथ यही होता है, इसमे हमें बड़ी तकलीफ होती है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है पाँच मिनट का समय आपको और दिया जाता है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, बजट में तमाम व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था हो हम सब मिलजुल कर सरकार में और प्रतिपक्ष में बैठे हैं। सभी चाहते है कि कम से कम विद्यालय तो हो, जहाँ विद्यालय है वहाँ शिक्षक नहीं है, शिक्षक और विद्यालय हो वहाँ पर छात्र भी हों। ये तमाम चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। हम कहें कि हम इस नीति के द्वारा विद्यालय खोल देंगे तो वहाँ पर विद्यालय भवन नहीं होगा तो शिक्षक कहाँ पढ़ायेंगे। इसमें नीतिगत फैसला चाहिए हमारे नगर में कोई शिक्षक आने को तैयार नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की भरमार हो रही है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि अब 2012 तक शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि 2185 शिक्षक पूर्ण हो गये। हमारे स्कूल तो खाली पड़े हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि शिक्षा में नीतिगत फैसला इसलिए लेना पड़ेगा कि कम से कम जो पी०सी०एम० ग्रुप है उसका कम्पोजेशन तो पूरा होना चाहिए। फिजिक्स, कैमेस्ट्री, मैथ का टीचर तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बायो ग्रुप है तो उसका पूरा कम्पोजेशन होना चाहिए। कहीं फिजिक्स के टीचर नहीं है कहीं मैथ के टीचर नहीं है कहीं आपका बायोलोजी का टीचर नहीं है। यह व्यवस्थायें है इनका उल्लेख कहीं नहीं हो पा रहा है। न आपके बजट में कहीं इसका उल्लेख हुआ न ही शिक्षा नीति में इसका उल्लेख हुआ है, इनकी आवश्यकता दरकार पड़ती है।

मान्यवर, श्रमिकों की बात थी, श्रमिकों का लेखा जोखा चाहिए, चाहे वह कृषि से जुड़ा श्रमिक हो उसके लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है उसको 72 रुपये से 125 रुपये न्यूनतम ध्याड़ी मिल जाती है, वेतन मिल जाता तो वह सोचता आज के समय में वह कुछ काम करके अपने परिवार का भरण–पोषण कर लेता तो मान्यवर, इसका भी अभाव लग रहा है। उन्हीं श्रमिकों के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने 50 लाख रुपये की घोषणा की थी कि उनके लिए एक श्रमिक भवन बनाया जाय, उस श्रमिक भवन में श्रमिक आयें और ताकि वह उस सामुदायिक भवन का उपयोग कर सकें। क्योंकि अस्थायी राजधानी यहाँ है श्रमिक को ऊधमसिंह नगर से भी आता है, पिथौरागढ़ से भी आता है, इसके लिए माननीय तिवारी जी द्वारा घोषणा की गई थी उसका भी लेखा–जोखा इसमें कहीं नहीं है। आंगनबाड़ी कर्मियों की स्थिति वही है, मान्यवर, उनके मानदेय को रु० 2500 से बढ़ाकर रु० 3000 किया जाए। केन्द्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है शायद आपके द्वारा कर दिया जाए। इसी तरीके से तमाम अंशकालिक पी०टी०एस० के लोग हैं जिनको कि कोई सुनने, पूछने वाला नहीं है। उनको 500, 600 या 800 रुपये में पानी पिलाना है, ग्रेवेटी का। मशीनें ठीक करनी है। 600–800 में कौन काम कर सकता है इसका भी इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। कम से कम उनको भी 2500–3000 रुपया मिलना चाहिए। उनको भी कुछ न कुछ ऑनरेरियम दिया जाए। ताकि

वे उस योजना को संचालित कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग की सिफारिशे क्रियान्वित कर दी गयी लेकिन इस शुक्रिया के साथ–साथ बड़ी तकलीफ के साथ कर रहा हूँ कि राज्य कर्मचारियों की भाँति निगमों के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का और अन्य तमाम कर्मचारियों का उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है और सरकार भी उसके लिए चिन्तित नहीं है। हम यह कहते हैं कि तमाम स्थानीय निकायों को और नगरपालिकाओं को, निगमों को, चीनी मील में काम करने वाले मजदूरों का कोई सुनने वाला होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार इसका संज्ञान ले और उनको अविलम्ब छठे वेतन आयोग की सिफारिशें दी जाएं उन्हें भी इस परिधि में सम्मिलित किया जाए और उन्हें भी उस बढ़े हुए वेतन का लाभ दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो दस्तावेज है यह आज भी मुझे तकलीफ दे रहा है। तकलीफदेह दस्तावेज बनाया गया है क्योंकि मदो को मिलाना था इसलिए दस्तावेज तैयार हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा राज्य पर्वतीय राज्य है भौगोलिक विषमताओं को नजरअंदाज किया गया है। इस पर मुझे बड़ा दु:ख है। माननीय नेता प्रतिपक्ष से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मैं कहूँगा कि यह बजट बहुत तकलीफदेह बजट है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। वास्तव में जहाँ पूरा विश्व आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा है। मैंने जिस प्रकार से इस बजट पढ़ा और चिन्तन किया तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुशल वित्तीय प्रबन्धन काबिले तारीफ है। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ आम आदमी की जरूरत की चीजें आटा, सूजी इस प्रकार की जो दैनिक उपयोग की चीजे है, उसको कर मुक्त कर एक आम व्यक्ति पर पड़ने वाला भार कम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ पिछली बार के बजट मे माननीय श्री बी०सी० खण्डूड़ी जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें वैट पर चार के बजाए तीन प्रतिशत कम करके आम जनता को पिछले बजट में लाभ दिया गया था। इस बार के बजट में वाणिज्य कर मे कटौती करके जनता को लाभ पहुँचाने का बजट मे प्राविधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मातृशक्ति का सम्मान करते हुए पिछली बार जेण्डर बजट प्रारम्भ किया गया था। इस बार भी जो बजट दिया गया है इस बार भी उसको बजट में दर्शाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक महापुरूष ने वास्तव मे ठीक ही कहा है कि असली भारत गाँव में वास करता है इस प्रकार से एक अच्छी नीति के तहत अपने देश के जननायक अटल आदर्श ग्राम योजना इस बजट में सम्मिलित करते हुए प्रयास किया गया है।

मान्यवर, प्रत्येक न्याय पंचायत में एक ग्राम सभा को सड़क से, बिजली से पेयजल से, शिक्षा से और स्वास्थ्य से इन सभी सुविधाओं से फीड करके ग्राम की स्थापना की जायेगी। वास्तव में गाँव को एक दिशा देने की बात इस बजट में की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी जहाँ महापुरुष दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अन्तिम छोर पर बैठे–बैठे व्यक्ति का विकास ही महत्वपूर्ण विकास है। जिस प्रकार से यह देह वाक्य चरितार्थ करता है कि बालक–बालिकाओं को उत्कृष्ट उच्च शिक्षा के माध्यम से इस बजट में देव भूमि मुस्कान योजना का प्रारम्भ में किया गया है।

मान्यवर, जहाँ आज हाउस में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विधेयक आया है वहीं महर्षि चरक के आयुर्वेद में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना होनी जा रही है। जहाँ जड़ी–बूटी से हमारे प्रदेश परिपूर्ण है और आज इसका अध्ययन करके इस पर रोजगार तलाश कर सकते हैं। इस प्रकार की योजनाओं का इस बजट में जिक्र किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ शहरी क्षेत्र के चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी है और आज पूरे प्रदेश में है लेकिन इस बजट में इनके पद सृजन का निर्णय एक अच्छा योग्य कदम है और इस बजट में उन चिकित्सकों के अभाव को दूर करने का इस बजट में जिक्र किया गया है। हमारे सरकार में जो डाक्टरों की कमिया होती थी वह 108 के माध्यम से बहुत राहत मिली है और 108 की सुविधा हर ब्लाक तक पहुँचे इस योजना को आगे बढ़ाने का काम इस बजट में किया गया है।

जहाँ भारत में पर्यटन के क्षेत्र को विशेष मानते है और पर्यटन की सम्भावनाए इस प्रदेश में हैं। इस बजट में भी यह कहा गया है कि धरती का स्वर्ग यह देव भूमि जहाँ देवता भी निवास करते हैं ऐसा इस बजट में प्राविधान किया गया है। इसके संरक्षण एवं उत्कृष्ट बनाने की योजना इस बजट भाषण में है। महोदय, हमारा यह प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है जैसे मसूरी और नैनीताल हैं। इसी प्रकार से भारत में अगर स्वीट्जरलैण्ड की स्थापना कहीं दिखती है तो उत्तरांचल में महात्मा गांधी और सुमित्रानन्दन पन्त जी ने देखा है और इसका अध्ययन भी किया है जो मेरी विधान सभा क्षेत्र कौसानी है। इस क्षेत्र में बहुत सारी सम्भावनाएं है जैसे पिनाकेश्वर धाम, जो इसके नजदीक है, इसको भी पर्यटन के क्षेत्र को विकसित किया जाय, ऐसे ही गिरीछिना ढ़ोनी, ये नये स्थानों को भी पर्यटन के क्षेत्र में इनका विकास किया जाय तो आने वाले समय समय में पर्यटन के साथ–साथ हम रोजगार भी सुलभ कर सकते हैं। ऐसा इस बजट में जोड़ा जाय तो यह बहुत अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी पूर्व में समाज कल्याण मंत्री के रूप में काम किया। यहाँ पर इसके विषय में बहुत सारी चीजे आ रही हैं और इस पर मैं पुनः बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि सुरेन्द्र सिंह जीना जी ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। फिर भी अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक और निराश्रित के उत्थान की सुविधा के लिए हमने बहुत सारे सरलीकरण किये और बजट की पर्याप्त व्यवस्था की वह किसी से

छुपी नहीं है। चाहे हम आज इस सदन मे कहे यह आज हमारे प्रदेश की जनता के बीच मे मिलती है। पिछले समय मे जो सरकारे रही हैं वे हमेशा अनुसूचित जाति के लोगो के वोट बैंक को लेकर हमेशा जनता के बीच मे जाती रही है। इस प्रदेश मे उनके द्वारा इस जाति के लोगों के लिए कोई योजना नहीं चलायी गयी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अटल आवास के माध्यम से उस अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार को जिनके पास छत नहीं थीं अगर इनको छत देने का काम किसी ने किया है वह वर्तमान सरकार यानी निशक जी की सरकार ने प्रयास किया है। महोदय, जहाँ पिछले बजट में आश्रम पद्धति के विद्यालय में अनुसूचित जाति के बच्चे, जनजाति के बच्चे, वहीं नारी निकेतनों में महिला शरणालयों में जो बहने ऐसे रहती थी उनका बजट मात्र 500 रु0 था उस बजट को हमारी सरकार ने दुगुना किया और वर्तमान मे उस बजट को यथास्थिति बनाए हुए हैं इसलिए बजट में हर गरीब को ध्यान में रखा गया।

श्री अध्यक्ष—

कृपया सीमित करें।

श्री अजय टम्टा—

जिस प्रकार से वास्तव में पेयजल एक बहुत भारी सकट है और आने वाले समय मे चूंकि जिस प्रकार से हमे पानी उपलब्ध होता है तो वह दो प्रकार से मिलता है या तो ग्लेशियर बेस नदियों के माध्यम से या फिर भूमिगत जल से उपलब्ध होता है, आज बड़ा कष्ट का विषय है वास्तव में ग्लेशियर कहीं पीछे की तरह हट रहे हैं और नदियो का जल स्तर नीचे जा रहा है, मान्यवर, अगर जलाशयों की ऊँचाईयों के निर्माण करके आज बहुत सारी नदियाँ सूखे की कगार पर है और इस बजट में जो छोटे–छोटे जलाशयों का निर्माण करने की योजना है इसलिए बजट उत्तम है, और इस बजट मे जिस प्रकार से उच्च शिक्षा को सम्बद्धकरण करने की बात कही गयी है तो यह वास्तव मे सराहनीय कदम है। मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर मे पिछले सरकार द्वारा एक महाविद्यालय खोला गया और मात्र कामर्स विषय दिया गया और अपनी सरकार ने कला और विज्ञान विषय की मान्यता दी उसमें भवन के लिए भी इस बजट मे प्राविधान किया जाय तो अति उत्तम होगा। मान्यवर, यह बजट बहुत ही उत्तम और सर्वग्राही, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है। धन्यवाद।

सदन की विशिष्ट दीर्घा/राज्यपाल दीर्घा के पर्चे तथा नारे लगाये जाने से हुई सदन की अवमानना के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 17–7–2009 को अपराहन 04.54 बजे जब मा0 सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा जी ने वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा मे अपना

भाषण समाप्त किया और माननीय अध्यक्ष विधान सभा द्वारा माननीय सदस्य श्री बृजमोहन कोटवाल जी का नाम पुकारा गया उसी उक्त विशिष्ट/राज्यपाल दीर्घा में उपस्थित एक व्यक्ति ने गैरसैंण नहीं और कोई मजूर नहीं, दीक्षित आयोग धोखा है, पहाडी राज्य की राजधानी पहाड में होनी चाहिए, राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण, गैरसैंण, माननीय सदन गैरसैंण, स्थायी राजधानी अविलम्ब घोषित करो, के नारे लगाए तथा माननीय सदन में पर्चे फेंके। दीर्घा में तैनात रक्षक तथा अन्य विधान सभा रक्षकों ने तुरन्त ही उक्त व्यक्ति को अपने वश में करके विशिष्ट दीर्घा से हटा दिया। उक्त व्यक्ति को विशिष्ट दीर्घा से हटाने के पश्चात मार्शल कार्यालय में लाया गया तथा उसकी तलाशी ली गयी, उसके पास से विशिष्ट, राज्यपाल दीर्घा का प्रवेश-पत्र संख्या 115 दिनांक 17-7-2009 प्राप्त हुआ। पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम जय प्रकाश उपाध्याय पुत्र श्री सत्य प्रकाश उपाध्याय, निवासी ग्राम कण्डोली, राजपुर रोड, देहरादून बताया। उक्त पास की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्रवेश पत्र श्री बी0एस0 रावत के नाम से निजी सचिव, माननीय विधान सभा अध्यक्ष की संस्तुति पर जारी हुआ है, श्री जय प्रकाश उपाध्याय ने यह भी बताया कि उक्त पास श्री बी0एस0 रावत से विधान सभा आने से पूर्व लिया था तथा उसी के आधार पर दीर्घा में प्रवेश किया। सभा मण्डप में फेंके गये पर्चे प्रवेश-पत्र संख्या 115 तथा संस्तुति पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, यह मार्शल की रिपोर्ट है। उक्त श्री जय प्रकाश उपाध्याय ने सदन में पर्चे फेंककर सदन की कार्यवाही में व्यवधान और माननीय सदन का अपमान किया। श्री जय प्रकाश को इस समय मार्शल कार्यालय में रक्षकों की अभिरक्षा में बैठाया गया है,

श्री चन्दन राम दास-

मानानीय अध्यक्ष जी, जैसा आप अभी बता रहे थे कि एक युवक ने अति उत्साह में एक खेदजनक कृत्य किया है। (व्यवधान)

श्री हरिदास-

मानानीय अध्यक्ष जी, मुझे आपत्ति है कि अति उत्साह का क्या मतलब है ?

श्री चन्दन राम दास-

मान्यवर, अभिरक्षा में रखने से उसको दण्ड मिल रहा है और यदि उसको कड़ी सजा मिलेगी तो अन्य युवकों में भी आक्रोश व्याप्त होगा, आप एक महान व्यक्ति है और आप क्षमा कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस युवक को आप अपने स्तर पर क्षमा करने का कष्ट करें।

श्री अजय टम्टा-

मानानीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास जी ने कहा मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी अभी ध्यान में दिलाया कि वो अभी मार्शल

की अभिरक्षा में है, चूँकि उसके भविष्य को देखते हुए कष्ट न हो तो अगर उसे आप अपने हृदय से बड़ा दिखाते हुए छोड़ दे तो अच्छा होगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं माई"–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर नहीं था, किन्तु मैं पढ़ जरूर रहा हूँ, परन्तु कभी–कभी भावना में आदमी बह जाता है और आपने तो हमेशा सहृदयता का परिचय दिया है और आपने कहा है कि बड़ा होना अच्छा है, बड़प्पन उससे ज्यादा अच्छा है, ग्रेटर इज बेटर देन ग्रेटनेस, ग्रेटनेस इज बेटर देन ग्रेटर तो मैं समझता हूँ कि कभी–कभी भावनाओं में बहकर के इस उम्र के लोग, यह पर्चा जरूर पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए जैसा सम्मानित विधायक जी ने कहा है तो आगे को देख ले आप सहृदयता का परिचय दे दें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, शायद यह आज तीसरी घटना है सदन मे, जो आप करेंगे, जो सदन करेगा मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन अति उत्साह कहना कि अति उत्साह में आकर ये किया है तो इस शब्द से मैं सहमत नहीं हूँ, अगर उनकी वाकई भावना है गैरसैंण राजधानी बनाने की, ज्यादा आपत्ति हमें भी नहीं है। लेकिन जो उनका दल है, वह न ही गैरसैंण को राजी है और न ही देहरादून पर राजी है सत्ता का सुख भोगता है देहरादून में और राजधानी की माग करता गैरसैंण।

*श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, आप कैसे कह सकते हैं कि वह हमारे दल का है, गैरसैंण एक जनमानस की माग है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, जो भी आप करें मैं सहमत हूँ मुझे कुछ नहीं लेकिन जो श्री चन्दन राम दास जी ने अति उत्साह शब्द कहा है उससे मुझे घोर आपत्ति है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आप सहृदयता के धनी है, आपने भी उत्तराखण्ड आन्दोलन में बराबर की भागीदारी निभाई है, आज जो घटना घटी है, हम लोग सही नहीं मानते है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतान्त्रिक देश के जो 4 स्तम्भ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। मान्यवर, अलग राज्य मांगते समय ही गैरसैंण एक आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यहाँ पर जो अभी दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आई है उससे आम जनमानस आहत हुआ है उनकी भावनायें आहत हुई हैं और यह उसी का एक नतीजा है, जो ज्यादा उत्साह होकर उन्होंने आज यहाँ पर पर्चे फेंके हैं, हम उसको ठीक नहीं मानते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप जानते हैं कि अलग राज्य बनाने के लिए जो हमारे देश का सर्वोच्च संस्था है भारतीय संसद वहाँ पर भी अलग राज्य के लिए लोगों ने नारे बाजी की है, वहाँ पर अलग राज्य के समर्थन में पर्चे फेंके हैं और जिसका जीता जागता कारण है आज तमाम लोग यहाँ पर विधायक बने हुए हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, तब हम लोग उनके समर्थन होते थे, जिन्होंने भारतीय संसद में पर्चे फेंके। तो आज हमको इस पर एकदम बहुत बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, चूंकि आज अगर यहाँ पर कोई दण्ड उस व्यक्ति को, नौजवान को दे देंगे तो इससे बाहर मैसेज अच्छा नहीं जायेगा, कल आम जनता सड़कों पर उतरेगी, इसलिए आप से विनम्र निवेदन है कि उस व्यक्ति को माफ कर दिया जाय, और अभी जो उसे मार्शल अभिरक्षा में रखा गया है, उसे छोड़ दिया जाय।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, कई बार ऐसी घटनाए हो चुकी है, यही परम्परा बना जायेगी कोई आयेगा अपनी बात कहने के लिए कागज फेंकेगे, कल को कुछ भी फेंक सकते हैं। हम तो बहुत नजदीक थे, हमारे ऊपर हमला हो सकता था। यह एक परम्परा बन जायेगी। इस पर कोई सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे कि सदन के अन्दर कल को इस तरह की कोई चीज न हो। इसमें कुछ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, आज के उपवेशन के मध्य हम सब लोगों के समकक्ष एक व्यक्ति द्वारा अतिविशिष्ट दीर्घा से जो प्रयास किया गया, वह निश्चित रूप से एक असामान्य घटना थी तथा जो कुछ भी प्रक्रिया उस युवक के द्वारा की गयी निश्चित रूप से वह भर्त्सना के योग्य है और मैं इस घटना के लिए घोर भर्त्सना करता हूँ, लेकिन श्रीमन्, ये सम्मानित सदन जो इस राज्य का सर्वोच्च सदन है और जिसकी सर्वोच्च पीठ में श्रीमन्, आप विराजमान हैं। निश्चित रूप से अभी इस समय वह युवक मार्शल की अभिरक्षा में है और यदि यह सदन चाहे तो उससे कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है लेकिन श्रीमन्, चूँकि अभी जो दण्ड उस युवक को मिला है, वह उसके दुःसाहस के लिए एक मार्गदर्शन हो सकता है कि इसके पश्चात् वह इस दुःसाहस की पुनरावृत्ति न कर सके और यह सदन जो राज्य की सर्वोच्च संस्था है यह अपनी सहृदयता का परिचय देता रहा है और आपकी सदाशयता से हम लोग परिचित हैं। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा इस व्यक्ति जो जिसे अभी सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव किया गया है, उस प्रस्ताव से मैं सहमत हूँ कि इस व्यक्ति को इतना दण्ड पर्याप्त मानते हुए, उसे आप सदाशयता का परिचय देते हुए क्षमा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चन्दन राम दास जी, माननीय अजय टम्टा, माननीय माहरा जी, माननीय शहजाद जी, माननीय ओम गोपाल जी, माननीय गोपाल सिंह राणा जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् निश्चित रूप से इस व्यक्ति ने जो विशिष्ट दीर्घा के नारे लगाते हुए तथा पर्चा फेंक कर इस सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने

का प्रयास किया है और यह कृत्य सदन की अवमानना का आधार बनता है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक महत्व देना भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः जैसे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है, यद्यपि माननीय कुछ सदस्य इससे सहमत नहीं होंगे, परन्तु सदन सहमत हो तो उस व्यक्ति को जो मार्शल की अभिरक्षा में है, उनकी अभिरक्षा को पर्याप्त दण्ड मानकर, उनको रिहा कर दिया जाय और इसके साथ ही मार्शल को यह निर्देश देता हूँ कि विशिष्ट दीर्घा में व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित किये बगैर प्रवेश की अनुमति न दी जाय। इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाय। यदि सदन सहमत हो तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाय।

(सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।)

श्री अध्यक्ष–

मार्शल अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति को रिहा कर दिया जाय।

वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत हाजी तस्लीम अहमद तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की कुल 02 सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैं इनमें से हाजी तस्लीम अहमद की सूचना, जो जनपद हरिद्वार के ग्रामों में फुँके (खराब पड़े) हुए ट्रान्सफार्मर को बदलने व लेकर जाने व लाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में है, मैं नियम–53 के अन्तर्गत तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना, जो जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ब्लॉक के सिकरोडा क्षेत्र को फल पट्टी घोषित करने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

मैसर्स वीडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गंगापुर, काशीपुर को 4000 के0वी0ए0 विद्युत भार अवमुक्त करने की कार्यवाही में पावर कारपोरेशन को 65.22 लाख की क्षति करने पर जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)

[मैसर्स वीडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि0 गंगापुर, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) को 4000 के0वी0ए0 विद्युत भार अवमुक्त करने के लिए श्री राजकुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर द्वारा प्राक्कलन बनाया गया, जिसमें एक नया स्विचिंग स्टेशन प्रस्तावित किया गया, जबकि निर्माणाधीन स्विचिंग स्टेशन द्वारा संयोजन अवमुक्त करने हेतु प्राक्कलन बनाया जाना चाहिये था। इसके दृष्टिगत श्री राजकुमार अधिशासी अभियन्ता,

नोट : [ ] गए अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को प्राक्कलन नियमानुसार बनाने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन उन्होंने प्राक्कलन को संशोधित नहीं किया। इसके कारण मैसर्स वीडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि0 को संयोजन अवमुक्त करने में विलम्ब हो रहा था। अतः प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल ने संशोधित प्राक्कलन विद्युत वितरण मण्डल, रूद्रपुर के किसी अन्य अधिशासी अभियन्ता द्वारा बनवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस निर्देश के क्रम में श्री आर0के0 जैन, उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, रूद्रपुर ने श्री एस0एस0 कुँवर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर को माँग पत्र उपभोक्ता को निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री राजकुमार द्वारा उन्हे उक्त कार्य न करने तथा निर्देशों की अवहेलना के कारण विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया था तथा उनके खिलाफ जाँच के आदेश कर दिये गये हैं।]

ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून एवं हरिद्वार में जट सिख जाट सिख समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल होने की स्थिति को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

[अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या 216(MS)/08 रेशम सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, सचिव समाज कल्याण विभाग सदस्य के रूप में सम्मिलित है। यह राज्य/उच्च स्तरीय समिति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी कि जट सिख एवं जाट सिख एक ही समुदाय है अथवा पृथक–पृथक समुदाय।

2. चूँकि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, अतः उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के अध्याय–7 नियम–30 के उपनियम–20 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार प्रकरण ग्राह्य किया जाना समीचीन नहीं होता है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, सोमवार दिनांक 20 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 7 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून, महेश चन्द्र,
दिनांक 17 जुलाई, 2009 सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

नोट : [ ] गए अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–17 पर)

प्रथम शुक्रवार हेतु मा0 सदस्य विधान सभा श्री प्रेमानन्द महाजन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–01 का संलग्नक

1. पारले बिस्कुट प्रा0लि0, पन्तनगर
2. डाबर इण्डिया लि0, सिडकुल पन्तनगर
3. पिट्टानिया इण्डस्ट्रीज लि0, पन्तनगर
4. हल्दीराम स्नैक्स प्रा0लि0, रूद्रपुर
5. कोरस इण्डिया लि0, सिडकुल पन्तनगर
6. कोरेटेक इलेक्ट्रोनिक प्रा0लि0, रूद्रपुर
7. भास्कर इनर्जी प्रा0लि0, पन्तनगर
8. इण्टर आर्क बिल्डिंग प्रो0, सिडकुल पन्तनगर
9. खण्डेलवाल लबोरिज प्रा0लि0, सिडकुल
10. नेस्ले इण्डिया लि0, सिडकुल पन्तनगर
11. एस्कोर्ट लि0, सिडकुल पन्तनगर
12. साधू प्रोडक्टस प्रा0लि0, रूद्रपुर
13. ओबीटी टैक्स टाइल प्रा0लि0, पन्तनगर
14. ए0टी0पी0 सिल्वी लि0, सिडकुल पन्तनगर
15. साया प्लाई इण्डस्ट्रीज पन्तनगर
16. बालाजिनो एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0 रूद्रपुर
17. वोल्टास लि0 एयर कंडिशनिंग एण्ड रैफ्री0यूनिट यूनिट–2 पन्तनगर
18. वोल्टास बिजनैस डिवीजन, पन्तनगर
19. दी पेपर प्रोडक्टस लि0, पन्तनगर
20. भारतीय इण्ड0 लि0, पन्तनगर
21. ग्रीन प्लाई इण्ड0 लि0, पन्तनगर
22. एक्मे टली पावर लि0, पन्तनगर
23. सिरडी इण्डस्ट्रीज लि0, रूद्रपुर

24. दी बोम्बे बरगाह टेकस्ग कारपोरेशन लि0 रूद्रपुर

25. बजाज आटो लि0 इण्डस्ट्रीज, पन्तनगर

26. टाटा मोटर्स लि0, पन्तनगर

27. पारटैक इन्जीनियरिंग प्रा0लि0, पन्तनगर

28. गिण्डा एण्ड संस, पन्तनगर

29. गिण्डा फर्ईग एसोसियेटस, पन्तनगर

30. गिण्डा इण्डस्ट्रीज लि0, पन्तनगर

31. गिण्डा क्रूफ लि0, पन्तनगर

32. ऋद्धिसिद्धि ग्लू लि0, पन्तनगर

33. एडविक हाईटैक प्रा0लि0, पन्तनगर

34. हाई टैक्नालोजी ट्रांसमिशन सिस्टम इ0, पन्तनगर

35. एडयूरैन्स टैक्नोलोजी प्रा0लि0, पन्तनगर

36. औरंगाबाद इलैक्ट्रिकल्स लि0, पन्तनगर

37. बड़ैचे इन्जीनियरिंग प्रा0लि0, पन्तनगर

38. रैकिट बैंकिसर इण्डियाद लि0 सितारगंज

39. डियूक्स प्रोडक्सटस इण्डिया, पन्तनगर

40. गाफटी एक्सपोर्ट, पन्तनगर

41. बी0एस0बी0 टैक्सटाइल प्रा0लि0, पन्तनगर

42. टैरावाग लि0, पन्तनगर

43. भगवती प्रोडक्टस लि0, पन्तनगर

44. यूनिवर्सल कम्फर्ट प्रोडक्स प्रा0लि0, पन्तनगर

45. एच0बी0एल0 इन्फोसिस्टम, पन्तनगर

46. एल0जी0 बालाकृष्णन एण्ड ब्रदर्स, पन्तनगर

47. एस0आर0एफ0 पोलीमर्स प्रा0लि0, पन्तनगर

48. व्हर्लपूल इण्डिया लि0, पन्तनगर

49. ओमक्स लि0, पन्तनगर

50. पिरालरी इण्टर नैशनल प्रा0लि0, पन्तनगर

51. राने एन0एस0के0 स्टीयरिंग सिस्टम लि0, पन्तनगर

52. राने मद्रास लि0, पन्तनगर

53. गरफैक्टी बैन गैले इण्डिया प्रा0लि0, पन्तनगर

54. वोल्टास लि0, पन्तनगर

55. शफर फिलिंग सिस्टम, पन्तनगर

56. थाई सुमित नील आटो प्रा0लि0, पन्तनगर

57. मयूर इण्डस्ट्रीज लि0, पन्तनगर

58. नील मेटल प्रोडक्टस लि0, पन्तनगर

59. औरंगाबाद आटो इन्जीनियरिंग प्रा0लि0, पन्तनगर

60. प्रीकोल लि0, पन्तनगर

61. टाटा जोनसन कन्ट्रोलर्स आटो लि0, पन्तनगर

62. यू0एस0 फुड्स लि0, पन्तनगर

63. मिण्डा इन्डस्ट्रीज लि0 पन्तनगर

64. लुकास टी0वी0एस0 लि0, पन्तनगर

65. सुन्दरम, फास्टनर्स लि0, पन्तनगर

66. सिन्डीकेट आटो कम्पोनेन्टस दनतनगर

67. ईडन मोटर्स प्रा0लि0, पन्तनगर

68. डाली एण्ड सामीर इन्जी0 प्रा0लि0, पन्तनगर

69. एस0बी0आर0 आटो कम्पो0, पन्तनगर

70. मीटर एण्ड मीटर इन्जीनियरिंग, पन्तनगर

71. जनरल पावर कम्पनी प्रा0लि0, पन्तनगर

72. आंगेप्रिया विजनेस इण्डिया प्रा0लि0, पन्तनगर

73. इण्डिया फोर्ज एण्ड ड्राप स्टेम्पिंग्स लि0, पन्तनगर

74. सुप्रीम टैक्स प्रा0लि0, पन्तनगर

75. निरमीति आटो कम्पो0 प्रा0लि0, पन्तनगर

76. इन्टरफेस माइक्रो सिस्टम पन्तनगर

77. ए0 इंजीनियरिंग प्रा0लि0, पन्तनगर

78. आटोलाइट इण्डिया लि0 पन्तनगर,

79. टाटा फिकोसा आटो सिस्टम लि0 पन्तनगर

80. आटोमोटिक कम्पोजिट सिस्टम लि0 पन्तनगर

81. पिन्डलास आटो प्रा0लि0, पन्तनगर

82. कन्ट्रोल एण्ड स्विचगार्ज डिवाइसेस प्रा0लि0

83. टाटा रियसान लि0 पन्तनगर

84. हयूलेट पैकार्ड इण्डिया सेल्स प्रा0लि0, पन्तनगर

85. ईरा मैटल फिनिशिंग सिस्टम लि0, पन्तनगर

86. रूप पोलीमर्स लि0, पन्तनगर

87. ल्यूमैक्स डक आटो इण्ड0, पन्तनगर

88. योगेन्द्रा इंजीनियरिंग, रूद्रपुर

89. रूट्स कारपोरेशन लि0, पन्तनगर

90. मैनी स्कोफील्ड सिस्टम, पन्तनगर

91. न्यू एलेनबरी वर्क्स, सिडकुल, पन्तनगर

92. बजाज मोटर्स लि0, सिडकुल पन्तनगर

93. आर0एस0बी0 ट्रांसमिशन इण्डिया लि0, पन्तनगर

94. श्रीराम फाउन्डरी लि0 सिडकुल, पन्तनगर

95. रेडियन्ट पोलीमर्स प्रा0लि0, पन्तनगर

96. समृद्धि इण्डस्ट्रीज लि0, पन्तनगर

97. इम्पीरियल आटो इण्डस्ट्रीयल लि0 पन्तनगर

98. डेल्टा पावर सोल्यूशन इ0प्रा0लि0, पन्तनगर

99. सोना सोमिक लैमफोर्डर कम्पो0लि0, पन्तनगर

100. आर सोना एक्सल प्रा0लि0 पन्तनगर

101. एन0आर0बी0 बियरिंग लि0 पन्तनगर

102 आटोमैटिक स्टैम्पिंग एण्ड एक्सैम्बलिंग लि0, पन्तनगर

103. सुन्दरम फास्टनर्स लि0, पन्तनगर

104. आटो लाईन इण्डस्ट्रीज, सिडकुल, पन्तनगर

105. ल्यूमैक्स इण्डस्ट्रीज, सिडकुल, पन्तनगर

106. बी0जी0 विलटैक इण्डिया प्रा0लि0, रूद्रपुर

107. मैक्रो टरनर्स सेक्टर–10 प्लाट–13, पन्तनगर

108. अशोक ली लैण्ड लि0 प्लाट–1 सेक्टर–12, पन्तनगर

109. नार्दन आटोमोटिव लि0 प्लाट–16 सेक्टर–2, पन्तनगर

110. होलोस्टिक इण्डिया लि0 प्लाट–71 सेक्टर–5, पन्तनगर

111. जे0एल0टी0 आटोमोटिव एण्ड ट्यूबलर प्रा0लि0 प्लाट–20 सेक्टर–11, पन्तनगर

112. रैनिक इण्डिया लि0 सेक्टर–4 प्लाट–20, पन्तनगर

113. बाल फार्मा लि0 प्लाट–1 सेक्टर–4, पन्तनगर

114. दून वैली टक्नोप्लास्ट प्रा0लि0, पन्तनगर

115. जगसोनपाल फार्मास्यूटिकल लि0, पन्तनगर

116. माईक्रो कामनप्राटेक्नो लि0 पन्तनगर

117. सिण्डीकेट आटो कम्पोनेन्टस, पन्तनगर

118. लाफार्ज एग्रीगेटर एण्ड कंक्रीट इण्डिया प्रा0लि0, रूद्रपुर

119. गणेश पालीटैक्स लि0, पन्तनगर

120. किरन उद्योग प्रा0लि0 पन्तनगर

121. रोशर इण्डिया लि0 प्लाट–16 सेक्टर–11, सिडकुल, पन्तनगर

122. जय सस्पेंशन सिस्टम लि0 प्लाट–50 सेक्टर–11, सिडकुल, पन्तनगर

123. बिन्डास प्रेसीसन प्रा0लि0 प्लाट–62 सेक्टर–8, सिडकुल पन्तनगर

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–4 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–34 पर)

व्याख्यात्मक टिप्पणी

दिनांक 05–09–2003 के पूर्व प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पी0टी0ए0 शिक्षक जो सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत थे तथा संगत पदों के लिए विहित अर्हतायें पूर्ण करते थे, को शासनादेश संख्या–647/माध्यमिक/2003 दिनांक 20 सितम्बर, 2003 के द्वारा राजकोष मानदेय का भुगतान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इन शिक्षकों को स्थाई नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है।

पी0एस0यू0पी0(आर0ई0) 21 विधानसभा/207–28–08–2012–200 पुस्तकें(कम्प्यूटर/रीजियो)।